

प्रकाशक
अ० वा० सहस्रबुद्धे
मंत्री, अ० भा० सर्व-मेवा-सघ
व्रध्ति

पहली बार १५,०००
दिसंबर, १९५५
मूल्य सेवा रूपया

मुद्रक
सम्मेलन मुद्रणालय
प्रयाग

दो शब्द



इस पुस्तक में शिक्षण सम्बन्धी मेरे विचारों का संग्रह किया गया है। इसमें के ५-७ लेख 'मधुकर' में आ चुके हैं, फिर भी एकत्र संग्रह के लिए इसमें ले लिये गये हैं। मेरा सारा जीवन ही शिक्षण-कार्य में बीता है और बीत रहा है। कभी आत्म-शिक्षण चला और कभी विद्यार्थियों का शिक्षण। इसलिए पाठकों को इसमें केवल अनुभवपूर्ण विचार ही मिलेंगे, स्वच्छन्द विचार नहीं।

दस वर्ष के भीतर सारे देश में नवीन शिक्षण चालू करने का सकल्प देश ने किया है। ऐसे अवसर पर यह पुस्तक बहुत उपयोगी होगी, ऐसी में आशा करता हूँ।

पद्मनाभ डागरपुरुडा
(कोरापुट उडीसा)

३१ - ८ - '५५

—विनोबा

अनुक्रम

१	निवृत्त-शिक्षण	५	३१	नयी नारीम का जीवन- दशन	१८५
२	कैवल्य शिक्षण	२३	३२	नयी नारीम की जिम्मेदारी	१८९
३	माक्षर या नार्यक	२९	३३	नयी नारीम और जन- नपक	१५१
४	जीवन और शिक्षण	३८	३४	पश्चिमाय द्वारा शिक्षण	१५८
५	'पूर्णात् पूर्णम्'	४३	३५	एक घटे की पाठशाला	१६१
६	आज की अनयंकारी विद्या	६७	३६	भारतीय शिक्षण-शास्त्र	१६३
७	नये राज्य में शिक्षा भी नहीं हो	६९	३७	माक्षरता-प्रचार	१६७
८	मञ्ची शिक्षा पाठशाला के बाहर	५१	३८	मूलोद्योग की शिक्षण-दृष्टि	१७०
९	विद्या का विनोद	५२	३९	एकट का कोष्ठक	१८८
१०	मन्वृत शिक्षा भी अंग्रेजी में	५३	४०	विषय कैम पढाय जाय	१८९
११	छूट्टी का समय बदलिये	५९	४१	छोटे बच्चों क लिए क्विजा	१९५
१२	कॉटम्बिक पाठशाला	६०	४२	गभीर अव्ययन का मूत्र	१९५
१३	पढ़ानि-पचक	६८	४३	रंग्यन के औजार	१९७
१४	मूलोद्योग के चुनाव में विवक	६८	४४	चित्रकला की दृष्टि	२०३
१५	शिक्षा का जिम्मेदारी कार्यक्रम	७२	४५	एक वैगिक ट्रेनिंग काउरेज में	२११
१६	तुलना असमव	७५	४६	पूर्व-नुनियादी की चर्चा	२१७
१७	शिक्षा-दर्शन	७५	४७	नयी नारीम और स्त्राद- रम्वन	२२३
१८	गुण-विकास के अग	७७	४८	नयी नारीम के फुफुम	२२६
१९	शिक्षक का आश्रम	८०	४९	पाठशाला की 'बादी	२२७
२०	गुण-विकास ही शिक्षा	८५	५०	धर्म-शिक्षा की व्याख्या	२३१
२१	ज्ञान की व्याख्या	८८	५१	शेष-शक्ति	२३३
२२	नयी नारीम एक विचार है	९१	५२	चरन्व का अन्याम	२३६
२३	भारतीय विद्या	१०१	५३	देहान और शरणों की नारीम	२३८
२४	आदेश चिन्तापीठ	१०६	५४	नयी नारीम में नया नमाज	२४५
२५	ग्रामीण विश्वविद्यालय	१११	५५	ब्रह्मविद्या और उद्योग	२५१
२६	आदर्श पाठशाला कैसी है ?	११५	५६	नयी नारीम का आदेश	२५६
२७	नेवाश्रम का प्रयोग	१२०	५७	विद्या के तीन अग	२६३
२८	नित्य-नयी नारीम	१२२	५८	चीवीन घटे आनन्द	२६७
२९	गाँव का स्फूर्ति-स्थान	१२७			
३०	नयी नारीम प्रगति क्यों नहीं करती ?	१३५			

शिक्षण-विचार

निवृत्त-शिक्षण

: १ :

[फ्रासीसी ग्रन्थकार रूसो की 'एमिली' नामक शिक्षाशास्त्रीय पुस्तक के बारे में एक समा में अक्षय-पद से व्यक्त किये गये विचार सारांश रूप में थोड़े हेर-फेर के साथ यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं ।]

रूसो की प्रतिभा

फ्रासीसी राज्यक्रान्ति के बारे में रूसो और वाल्टेयर, इन दो ग्रन्थकारों के नाम काफी प्रसिद्ध हैं। इन ग्रन्थकारों की भाषा, विचार-शैली और लेखन-पद्धति तेजस्वी, सजीव और क्रान्तिकारी हैं। लोगों को उनकी लेखनी से जितनी दहशत रहती थी, उतनी बड़े-बड़े बलवान् नृपतियों के शस्त्र-बल से भी नहीं मालूम पड़ती थी। इनके लेखन का सक्रिय परिणाम ही फ्रासीसी राज्य-क्रान्ति थी। इन दोनों ग्रन्थकारों में रूसो बहुत ही भावना-प्रधान था। लेख लिखने के लिए कभी उसने भाषा-शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। हृदय में समा न सकने के कारण बाहर फूट पडने के लिए भीतर से धक्के देनेवाले ज्वालामुखी पर्वत के जाज्वल्य फेन की तरह, किम्बहुना उससे भी अधिक दाहक, उस लेखक के विचार उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके न चाहते हुए भी बाहर

निकल पड़ते थे। उसके लेखों में उसका हृदय बोलता था और इसलिए बौद्धिक या तार्किक कसौटी पर उनके न टिक सकने पर भी, इतिहास को भी मजूर करना ही पड़ता है कि वे 'जलती आग' रहे। उसके लेखों का एकमात्र सूत्र या मृत-जीवन की अपेक्षा जीवित-मृत्यु ही श्रेयस्कर है। ऐसे प्रभावशाली, प्रतिभावान् ग्रन्थकार के शिक्षाविषयक विचारों का गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करना हमारा कर्तव्य है।

शिक्षा के तीन विभाग

रूसो के मत से शिक्षा के तीन विभाग करने चाहिए (१) निसर्ग-शिक्षण, (२) व्यक्ति-शिक्षण और (३) व्यवहार-शिक्षण।

शरीर के भीतर के हर एक अवयव की पूर्ण और व्यवस्थित वृद्धि होना, इन्द्रियों का चतुर, चपल और कार्यकुशल बनना, विभिन्न मनोवृत्तियों का सर्वांगीण विकास होना, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, धृति, तर्क आदि बौद्धिक शक्तियों का प्रगल्भ और प्रखर बनना—इन सब नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रवृत्तियों का, उनके मत से, निसर्ग-शिक्षा में अन्तर्भाव हो जाता है। दूसरे शब्दों में मानव के भीतर-ही-भीतर होनेवाली शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक वृद्धि या आत्मिक विकास 'निसर्ग-शिक्षण' है।

इसी तरह मानव को बाह्य परिस्थिति से जो ज्ञान प्राप्त होता है और व्यवहार में जो अनुभव मिलता है, उसे समस्त पदार्थ-ज्ञान या भौतिक जानकारी को वह 'व्यवहार-शिक्षण' नाम देता है।

निसर्ग-शिक्षण से प्राप्त आत्म-विकास का, बाह्य व्यवहार ज्ञान की दृष्टि से बाह्य जगत् में किस तरह उपयोग किया जाय, इस बारे में अन्य मनुष्यों के प्रयत्नों का जो वाचिक, साम्प्रदायिक या शालेय (पाठशाला में मिलनेवाला) शिक्षण मिलता है, उसे उसने 'व्यक्ति-शिक्षण' सज्ञा दी है। यानी, उसकी दृष्टि से व्यक्ति-शिक्षण व्यवहार-शिक्षण और निसर्ग-शिक्षण के बीच की कड़ी है।

वस्तुतः देखा जाय, तो यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कि रूसो ने शिक्षण के कितने विभाग किये। अमुक विषयों के अमुक विभाग करने चाहिए, यह कोई नियम नहीं। यह सारा सुविधा का प्रश्न है। अर्थात् दृष्टि-भेद से वर्गीकरण में भेद होना स्वाभाविक है। रूसो द्वारा किये गये तीन विभाग सर्वथा आवश्यक है, ऐसी भी बात नहीं। कारण, क्या व्यक्ति-शिक्षण और क्या व्यवहार-शिक्षण, दोनों मानव को बाहर से ही मिलते हैं। केवल निसर्ग-शिक्षण ही भीतर से मिलता है, यही कहना पड़ेगा। इस दृष्टि से अन्त शिक्षण और बाह्यशिक्षण, इस तरह दो विभाग करने में क्या हानि है? पर इससे भी कुछ आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि चूंकि बाह्यशिक्षण केवल अभावात्मक और अन्त शिक्षण भावात्मक है, इसलिए शिक्षा का यही एक अन्त शिक्षण, सच्चा या तात्त्विक विभाग हो सकता है।

बाह्यशिक्षा का श्रवण स्रोत

ऊपर जिसे बाह्य-शिक्षण कहा गया है, वह मानवों या पाठशालाओं द्वारा ही मिलता है, ऐसी बात नहीं। वास्तव में

वही शिक्षण इस अनन्त विश्व के प्रत्येक पदार्थ से मानव को लगातार प्राप्त होता रहता है। उममें कभी वाधा नहीं पडती। शेक्सपीयर के कथनानुसार बहते भरने में प्रामादिक ग्रन्थ सग्रहीत है, पत्थरो में दर्शन छिपे हुए है और जितने भी पदार्थ हैं, सबमे शिक्षण के सारे तत्त्व भरे पडे है। वृक्ष, वनस्पति, फूल, नदियाँ, पहाड, आकाश, तारे—सभी अपने-अपने ढग से मनुष्य को शिक्षा दे रहे है। नैयायिको के अणु से लेकर साख्यो के महत्तत्त्व तक, रेखागणित के बिन्दु मे लेकर भूगोल के सिधु तक और वचपन की भाषा मे कहना हो, तो “राम की चोटी से लेकर तुलसी के मूल तक” सभी छोटे-बडे पदार्थ मानव के गुरु हैं। विचक्षण विज्ञानवेत्ताओ के दूरवीनो मे, व्यवहार-विशारदो के चर्म-चक्षुओ मे, कल्पना-कुशल कवियो के दिव्य-चक्षुओ मे या तार्किक तत्त्व-वेत्ताओ के ज्ञान-चक्षुओ मे जो-जो पदार्थ प्रतिभात होते या न होते हो, उन सभीसे हमें नित्य ही शिक्षा मिलती रहती है। यह विशाल सृष्टि परमेस्वर द्वारा हम सबकी शिक्षा के लिए हम लोगो के सामने खोलकर रखा हुआ एक शाश्वत, दिव्य, आश्चर्यमय और परम पवित्र ग्रन्थ है। उसके समझ वेद व्यर्थ है, कुरान रद्द है, वाइविल निर्वल है।

वाह्य-शिक्षण अभावात्मक कार्य

पर यह ग्रन्थ-गंगा कितनी ही गहरी हो, मानव अपने लोटे से ही उसमें का पानी भरेगा। इसलिए इस विश्व से वाह्यत

‘महाराष्ट्र में बच्चे कसमें खाने या एक-दूसरे से स्पर्धा करने में इन विषयो का प्रायः उपयोग करते पाये जाते हैं।

हमें वही और उतना ही शिक्षण मिलेगा, जिसके और जितनों के बीज हमारे 'भीतर' निहित होंगे। यही हर एक का अनुभव है। हम-आप इतने विषय सीखते हैं, इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, इतने विचार सुनते हैं और इतने पदार्थ देखते हैं, उनमें से कितने हमारे ध्यान में टिकते हैं ?

सारांश, हम इस बाहरी दुनिया में से जो कुछ सीखते हैं, वह सब भूल जाते हैं और उसकी जगह उसके सस्कारमात्र शेष रह जाते हैं। किंवदन्ती, शिक्षण यानी जानकारी मरकर, बचे हुए सस्कार ही हैं। ऐसा होने का कारण ऊपर बताया ही जा चुका है कि जो हमारे 'भीतर' नहीं है, उसका 'बाहर' से मिलना असंभव है। इस तरह स्पष्ट है कि वाह्य-शिक्षण कोई स्वतंत्र या तात्त्विक पदार्थ न होकर केवल अभावात्मक कार्य है।

सनातन वाद

अब ऐसी जगह पर सदैव दुहरा पेच खड़ा किया जाता है। यदि वाह्य-शिक्षण को मिथ्या कहा जाय, तो सस्कार बनने के लिए भी तो कुछ वाह्यनिमित्त, आलम्बन या आधार चाहिए। इसके विपरीत, वाह्य-शिक्षण को सत्य और भावरूप कहा जाय, तो ऊपर बताये अनुसार अन्तर्विकास के अनुकूल थोड़ा-सा अंश ही, और वह भी सस्काररूप में शेष रहता है। यानी दोनों पक्षों में विप्रतिपत्ति (Dilemma—परस्पर विपरीत दो पक्षों की उपस्थिति) सिद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रश्न होता है कि आखिर इन दोनों शिक्षणों का परस्पर कौन-सा सवध कहा जाय ?

पर यह वाद नया नहीं और इसीलिए उसका निष्कर्ष भी नया नहीं है। सभी शास्त्रों में इस तरह के वाद पैदा होते रहते हैं और सर्वत्र उनका निष्कर्ष भी एक ही होता है। उदाहरणार्थ, 'सुख का वाह्य पदार्थों से क्या सबध है?' इस वेदान्ती वाद को ही ले लीजिये। यहाँ भी यही पेच है। यदि कहे कि सुख वाह्य पदार्थों में है, तो उनसे सदैव सुख होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। मानसिक स्थिति विगड़ी रहे, तो अन्य समय में जो पदार्थ सुखकर प्रतीत होते हैं, वे पदार्थ भी सुख नहीं दे पाते। इसके विपरीत, यदि ऐसा कहें कि "वाह्य पदार्थों में सुख नहीं, सुख एक मानसिक भावना है", तो वैसा नित्य अनुभव में नहीं आता। शेक्सपीयर के कथनानुसार अगर इच्छा ही घोडा बनती, तो हर व्यक्ति घुडसवार हो जाता। पर वैसा नहीं होता, यह कठोर सत्य है। फिर यह प्रश्न हल कैसे किया जाय ?

इसी तरह, न्यायशास्त्र का एक उदाहरण लीजिये। 'मिट्टी और घड़े का सबध क्या है?'—यह प्रश्न है। यदि कहे कि जो 'मिट्टी सो घड़ा' तो मिट्टी से पानी भरिये। और यदि कहे कि मिट्टी और चीज है तथा घड़ा और चीज, तो हमारी मिट्टी हमें दे दीजिये, अपना घड़ा ले जाइये। ऐसी स्थिति में प्रश्न होता है कि आखिर दोनों का सबध क्या है ? यदि साफ-साफ कह दे कि कौन-सा सबध है, यह हम नहीं कह सकते, तो वह हमारा अज्ञान ही दीख पड़ेगा। इसलिए इस सबध का 'अनिर्वचनीय सबध'—यह भव्य, प्रशस्त और सस्कृत नाम है। किन्तु यह सबध अनिर्वचनीय होने पर भी जिस तरह एक पक्ष में "वाचारम्भण विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्।" यानी मिट्टी तात्त्विक और घड़ा

मिथ्या इस तरह तारतम्य से निर्णय किया जाता है, ठीक उसी तरह, दूसरे पक्ष में, अतः शिक्षण भावरूप और बाह्य-शिक्षण अभावरूप कार्य है, ऐसा कहा जा सकता है।

बाह्य-शिक्षा का 'भाव' थोड़ा

किंतु ऐसा कहने पर एक और भी मूलोच्छेदक प्रश्न उठता है। हमने शिक्षण के दो विभाग किये हैं। उनमें अन्तः शिक्षण या आत्मिक विकास भावरूप होने पर भी वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर-ही-भीतर हुआ करता है। उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसका कुछ पाठ्यक्रम भी बनाया नहीं जा सकता, और बनाया भी जाय, तो उसका कार्यान्वित किया जाना संभव नहीं। बाह्य-शिक्षण सामान्यतः और व्यक्ति-शिक्षण विशेषतः अभावरूप निश्चित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्न होता है कि "न हि शशकविषाण कोऽपि कस्मै ददाति"—कोई भी किसीको कभी खरगोश का सींग नहीं देता—इस न्याय से शिक्षण-विषयक सारा-का-सारा आन्दोलन क्या मूर्खता का प्रदर्शन ही कहा जाय ?

ऊपर-ऊपर से यह आक्षेप जैसा निरुत्तरणीय या अचूक मालूम पड़ता है, वास्तव में वैसा नहीं है। कारण हम जब बाह्य-शिक्षण को अभावात्मक कहते हैं, तब हम यह नहीं कहते कि वह कार्य ही नहीं है। वास्तव में वह कार्य है, उपयुक्त कार्य है, पर वह अभावात्मक कार्य है, यही हमारे कहने का तात्पर्य है। शिक्षा द्वारा कोई स्वतंत्रतत्त्व उत्पन्न नहीं करना है, प्रत्युत निद्रित तत्त्वों को जाग्रत करना है। तो यही कहना

है कि लोग जिम अर्थ में शिक्षा का उपयोग समझते हैं, उम अर्थ में उमका उपयोग नहीं है। पर इनने मात्र में शिक्षण निरूपयोगी नहीं होना। उग्र सुधारवादियों के विधवा-विवाहोत्तेजन को समाज-शिक्षक कर्षों का 'विधवा-विवाह प्रति-बन्ध-निवारण' निरूपयोगी प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह उपयोगी ही है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नाराग, शिक्षण उत्तेजक दवा न होकर, प्रतिबन्ध-निवारक उपाय है।

रन्किन ने शिल्पकला की भी ऐसी ही व्याख्या की है। शिल्पकार को पन्थर या मिट्टी में मूर्ति उत्पन्न नहीं करनी होती, वह उममें विद्यमान है ही। केवल छिपी हुई है। उसे प्रकट करने का काम शिल्पकार का है। इन तरह स्पष्ट देखता है कि शिक्षण अभावात्मक होने पर भी उपयुक्त है और प्रतिबन्ध-निवारण के नाते ही क्यों न हो, उमे थोड़ी भावात्मकता भी प्राप्त है। यही अर्थ ध्यान में रखकर शिक्षण "तारतम्य में अभावात्मक" है, ऐसा भावधानी की भाषा में ऊपर कहा गया। "आत्म-विकान के अर्थ में शिक्षण अभावात्मक है अर्थात् उमका भाव बहुत थोडा है।"

सूर्वतापूर्ण पद्धति

पर चूंकि हम लोगो ने शिक्षण का भाव वेहद बढा दिया, इसलिए आज की हमारी शिक्षा-पद्धति अन्यत अस्वाभाविक, विपरीत और हास्यान्यद हो गयी है। बच्चे की स्मरण-शक्ति तीव्र देख पडते ही उमे अविक्त-से-अविक्त पाठ करने को उत्तेजित

किया जाता है। तब पिता को ऐसा लगता है कि इस बच्चे के मस्तिष्क में कितना ठूँसे और कितना नही ? शालेय शिक्षा-पद्धति में भी यही ढग अपनाया जाता है और इसके विपरीत अगर छात्र मद-बुद्धि हो, तो जान-बूझकर उसकी निश्चय ही उपेक्षा की जाती है। बुद्धिमान् कहे जानेवाले छात्र कॉलेज पहुँचने तक किसी तरह टिक पाते हैं, पर आगे प्राय वे पिछड़ ही जाते हैं। कॉलेज में वे यदि न पिछड़े, तो आगे व्यवहार में निस्सत्त्व सिद्ध होकर ही रहते हैं। इसका एकमात्र कारण उनकी कोमल बुद्धि पर फालतू वीभ डालना ही है। घोडा चपल है, ठीक से चल रहा है, तो उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। पर वैसा न करके घोडा चपल है न ? फिर लगाइये उसे चाबुक। इससे क्या होगा ? घोडा भडककर गड्ढे में जा गिरेगा और मालिक को भी जा गिरायेगा। यह मूर्खतापूर्ण जगली पद्धति, कम-से-कम राष्ट्रीय पाठशालाओं में तो बन्द ही होनी चाहिए।

शिक्षा का रहस्य

वस्तुतः छात्र का जैसे ही यह भाव हुआ कि मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, तो यह समझ लें कि शिक्षा का सारा मजा ही किरकिरा हो गया। छोटे बच्चों के लिए खेलना उत्तम व्यायाम कहा जाता है, इसका भी रहस्य यही है। खेलने में व्यायाम तो हो जाता है, पर 'हम व्यायाम कर रहे हैं', ऐसा अनुभव नहीं होता। खेलते समय आसपास की दुनिया मर गयी होती है। बच्चे तद्रूप होकर अद्वैत का अनुभव करते रहते हैं। देह की सुघ-बुघ नहीं रह जाती भूख, प्यास, थकान, पीडा, कुछ

भी मालूम नहीं पड़ती। साराश, खेल का अर्थ आनन्द या मनोरंजन रहता है। वह व्यायामरूप कर्तव्य नहीं बन पाता। यही बात सभी प्रकार की शिक्षाओं पर लागू करनी चाहिए। शिक्षा एक कर्तव्य है, ऐसी कृत्रिम भावना की अपेक्षा शिक्षा का अर्थ आनन्द है, यह प्राकृतिक और उत्साहभरी भावना पैदा होनी चाहिए। पर क्या हम लोगों के बच्चों में आज ऐसी भावना देख पड़ती है? 'शिक्षण आनन्द है' यह तो दूर, 'शिक्षण कर्तव्य है', यह भावना भी आज प्रायः दिखाई नहीं पड़ती। आज के छात्रवर्ग में गुलामगिरी की एकमात्र यह भावना प्रचलित है कि शिक्षा यानी "सजा"। बच्चा ज्यों ही कुछ जिन्दादिली या स्वतंत्र प्रवृत्ति की झलक दिखाने लगता है, त्यों ही घरवाले कहने लगते हैं 'इसे अब पाठशाला में बाँधे रखना चाहिए।' पाठशाला माने क्या? 'बाँधे रखने की जगह।' अर्थात् इस पवित्र कार्य में हाथ बँटानेवाले शिक्षक हुए इस सदर जेल के छोटे-बड़े अधिकारी।

शिक्षा का काम

पर यह दोष है किसका? शिक्षणविषयक हमारे जो मत हैं और तदनुसार हमने जिस पद्धति का या पद्धति के अभाव का अवलम्बन किया, उसीका यह दोष है। छात्र की शिक्षा अनजाने या सहज होनी चाहिए। बचपन में बालक अपनी मातृभाषा जिस सहज-पद्धति से सीखता है, उसकी आगे की शिक्षा भी उसी सहज-पद्धति से होनी चाहिए। नन्हा बच्चा व्याकरण का अर्थ नहीं जानता। पर वह कभी "माँ आया" ऐसा नहीं कहता।

मतलब यह कि वह व्याकरण समझता है। भले ही उसे 'व्याकरण' शब्द न मालूम हो और व्याकरण की परिभाषा अवगत न हो, पर व्याकरण का मुख्य कार्य सम्पन्न हो चुका है।

ध्यान रहे कि साध्य और साधन में उलट-पुलट न हो। साध्य के लिए ही साधन होते हैं, साधन के लिए साध्य नहीं। यही बात तर्क की है। आखिर गौतम के न्यायसूत्र या अरस्तू का तर्कशास्त्र क्यों पढा जाता है? इसीलिए न कि व्यवस्थित विचार कर पाये, विशुद्ध अनुमान निकाल सके? दीपक मन्द होने लगे, तो बालक को भी यह अनुमान हो सकता है कि 'बहुधा उसमें तेल न होगा।' उसके मस्तिष्क में सारा तर्क रहता ही है। यह ठीक है कि वह पचावयव वाक्यों या "सिलॉजिज्म" की रचना कर दिखा नहीं सकता, फिर भी छात्रों में तर्क-शक्ति मूलतः ही रहती है। शिक्षा का इतना ही काम है कि उसे (तर्क-शक्ति को) बार-बार खाद्य मिलने के अवसर ला दिये जायें। सभी शास्त्र, सभी कलाएँ, सभी सद्गुण, बीजरूप से मानव में स्वयंसिद्ध ही हैं। हमें वह बीज नहीं दीखता, पर इसीलिए बीज नहीं है, ऐसी बात नहीं।

न्यायशास्त्र में दूसरे को बोध कराने के लिए अनुमान है। निम्न-लिखित पाँच अवयवों से युक्त वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। १ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय और ५ निगमन। जैसे, पर्वत अग्निमान् है धुआँ होने से, जहाँ धुआँ रहता है, वहाँ आग रहती है, यथा रसोईघर। यह पर्वत कभी आग को न छोड़ रहनेवाले धुएँ से युक्त है, इसलिए यह पर्वत अग्निमान् है।

रूमो का विचार-दोष

किन्तु कई बार ऐसा दीखता है कि रूमो को यह मन पसन्द नहीं है। कारण, वह कभी-कभी इस तरह की भी भाषा का प्रयोग करता रहता है कि मानव स्वभावतः दुर्बल और अनीतिमान है। शिक्षा से उसे बलवान् या नीतिमान् बनाना है। मूलतः वह पशु है, पर उसे मनुष्य बनाना है। “पापोऽह पापकर्माऽह पापात्मा पापमभव” — मैं पाप हूँ, पाप करनेवाला हूँ, पापात्मा हूँ और पाप से पैदा हुआ हूँ। यह उसका पूर्वरूप है। उसका उत्तररूप शिक्षा से उत्पन्न होनेवाला है। ऐसी भाषा उसने कहीं-कहीं लिखी है। इसके विरोधी वाक्य भी उसके ग्रंथ में नहीं दीखते, यह वान नहीं। इसलिए ‘उसका यही मन है’ यह कहना कठिन है।

फिर भी उसका यही मन हो, तो उनमें उसका अपना दोष नहीं, बल्कि नमय और परिस्थिति का वह दोष है, यह कहने की गुंजाइश है। स्वतंत्र बुद्धिमान् लोग भी ‘परिस्थिति के गुलाम’ न कहे जायें, तो भी परिस्थिति में बने हुए रहते ही हैं। फिर रूमो के नमय फ्रान् की स्थिति किनती भीषण थी। आज भारत में जिस तरह इकतीन करोड़ जन्तुओं का भीषण दृश्य दीखता है, फ्रान् की भी उस नमय ऐसी ही स्थिति थी। फलतः उसी जैसे ज्वालामुखी, उग्र और भीषण तडपन रखनेवाले मानव का भावनामय, विकारी हृदय मानव-जाति के तिरस्कार में भर गया हो, तो वह क्षम्य है। गुलामगिरी देगते ही उसे चिट हो आती, उसका खून खौल उठना और चिन्तवृत्ति काबू के बाहर

हो जाती थी। ऐसी स्थिति में मानव-जाति के तिरस्कार से उसका यह मत बन गया हो कि 'मानव एक जानवर होकर शिक्षण से थोड़ा-बहुत आदमी बनता है' तो उसका मतलब हम भलीभाँति समझ सकते हैं। पर रूसो के बारे में हमें कितनी भी महानुभूति क्यों न हो, उसका ऐसा मत, फिर वह किसी भी या कौसी भी स्थिति में क्यों न कहा गया हो, निस्संदेह अनुचित है।

मानव स्वभावतः दुष्ट नहीं

मानव को स्वभावतः दुष्ट मानने में निखिल मानव-जाति का अपमान तो है ही, निराशावाद भी इसमें कमाल का है। मानव मूलतः दुष्ट हो, तो शिक्षा की कोई आशा नहीं रह जाती। चूँकि तार्किक दृष्टि में किसी वस्तु से उसका स्वभाव सदा के लिए अलग कर देना अमभव है, इसलिए यदि मानव-स्वभाव मूलतः दुष्ट हो, तो उसके सुधार के सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध होकर निराशावाद का और साथ ही पाशविक वृत्ति का साम्राज्य शुरू हो जायगा। कारण, शिक्षण की आशा समाप्त होने का अर्थ ही है, दण्ड-राज्य की स्थापना।

आजकल कितने ही लोग आवेश में कहते हैं कि 'हम लोगो का ब्रिटिश-सरकार पर से सदा के लिए विश्वास उठ गया।' सुदृढ़ से उनका यह कहना केवल आवेश का ही होता है। यदि वह सच्चा होता, तो किसी भी गान्तिमय आन्दोलन का मतलब 'निराशा का कर्मयोग' मात्र रह जाता। स्वावलम्बन की दृष्टि से यह कहना ठीक है कि 'सरकार पर विश्वास करने से काम नहीं हो सकता।' पर यदि इसका अर्थ यह हो कि हमारा दृढ़ विश्वास

हो गया कि 'अप्रेजो को हृदय नहीं, उनमें कभी भी सुधार हो नहीं सकता' तो अहिंसात्मक आन्दोलन का अर्थ—नाइलाज का इलाज होगा। 'प्रत्येक मानव को आत्मा है' यही मौलिक कल्पना मत्प्राप्त या शिक्षा का मुख्य आवाग है। जिन तरह शत्रुओं को आत्मा न होने का निश्चय होने पर मत्प्राप्त न जायगा ठीक उसी तरह मनुष्य के स्वभावतः दुष्ट होने पर शिक्षण की भी अविनाश आशा नष्ट हो जायगी। फिर "छठी लगे चम् चम्, विद्या आये घम् घम्", यही एक वाक्य शिक्षण का व्याख्य सूत्र निश्चिन्त होगा। इसलिए विचार-शील नस्लजो एव शिलाखिन्तों का यही मूनिश्चिन्त निर्णय है कि मानवीय मन में पूर्णता के कभी तत्त्व बीजरूप में स्वतः सिद्ध हैं।

महल-शिक्षा ही सच्ची शिक्षा

यह शास्त्रीय सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर जिन तरह आज की हान्यात्मक शिक्षण-प्रणालि गलत सिद्ध होती है उसी तरह 'शिक्षा का अर्थ न्योग्य नागरिक बनाना है', ऐसे आत्म-स्वभावतः सिद्धान्त भी निराधार सिद्ध होते हैं। मानवीय मूर्खता की यह महिमा देखिये कि हम बच्चों को कुछ भी शिक्षण देने हैं बच्चों के मन पर किसीका भी प्रभाव बैठ जाता है और हम उन प्रभाव और अपने शिक्षण का मनोकरण कर 'अन्मात्मेवाय विजय'—यह हमारी ही विजय है, 'अन्मात्मेवाय महिमा'—हमारी ही यह महिमा है, ऐसा कहकर नाच उठते हैं। पीछे कहा जा चुका है कि शिक्षा देने की प्रवृत्ति ऐसी ही कि छात्रों में यह भावना ही न उत्पन्न हो कि 'हम शिक्षा पा रहे

है।' ऐसा होने के लिए, उसीके साथ-साथ शिक्षक के मन में भी गुरुत्व की यह अस्पष्ट भावना न रहे कि "मैं छात्रों को शिक्षा दे दे रहा हूँ।" गुरु के स्वयं अनन्य और सहज शिक्षक हुए बगैर छात्रों को भी सहज-शिक्षण मिल नहीं सकता।

जब आपसे (छात्रों से) यह कहा जाता है कि 'हम फ़ोबेल, पेंस्टॉलॉजी या मॉन्टेसरी की पद्धति से शिक्षा दे रहे हैं' तो आप खुशी से यह समझ लें कि यह केवल वाणी का श्रम है, यह शब्द-शिक्षण है, यह किसी भी पद्धति की अर्थशून्य नकल है, यह प्रेत है, इसमें प्राण नहीं है। शिक्षण यानी बीजगणित का कोई फार्मूला (सूत्र) नहीं कि उसे लगाते ही उत्तर तैयार। आज दी जाने-वाली शिक्षा शिक्षा ही नहीं और न उसे देने की वर्तमान पद्धति ही वास्तविक पद्धति है। 'भीतर की दौड़, जो स्वभावतः बाहर उमड़ पड़ती है', वही शिक्षण है।

शिक्षा का अनिर्वचनीय स्वरूप

यह सहज-शिक्षण सदोषमपि—सदोष होने पर भी—चल सकता है, पर विशिष्ट पद्धति से गुलामो द्वारा, व्यवस्थित ढंग से मिलनेवाला अज्ञान कतई नहीं चाहिए। कारण, आखिर शास्त्र क्या है? शास्त्र का अर्थ है, 'व्यवस्थित अज्ञान'। इसके सिवा शास्त्र का कोई और अर्थ है क्या? शिक्षण-शास्त्रवेत्ता स्पेन्सर शिक्षा-शास्त्र के बारे में लिखता है कि 'शिक्षा से अलौकिक व्यक्ति निर्माण नहीं होते।' फिर ऐसे शास्त्रों को शास्त्र की दृष्टि से कितनी कीमत दी जा सकेगी? वास्तव में तो शास्त्र की यह प्रतिज्ञा होनी चाहिए—“एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत-

कृत्यञ्च भारत” —अर्जुन । इसे जानकर बुद्धिमान् और कृतकृत्य हो जाओगे । जो शास्त्र ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर पाता, वह शास्त्र माफ-साफ लोगों की आंखों में धूल भोकने का सुव्यवस्थित यत्न ही है । शेक्सपीयर ने किन नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया था ? क्या कोई कभी अलंकारशास्त्र के नियम रटकर प्रतिभावान् कवि या काव्य-रसिक बना है ? ‘शास्त्र’, ‘पद्धति’ का शब्द-सृष्टि से अधिक कुछ भी अर्थ या महत्त्व नहीं । यह केवल भ्रम है । ‘याम्तेषा स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि’ भर्तृहरि का यह बड़ा ही मार्मिक वचन है कि श्रेष्ठ पुरुषों की स्वैर कथाएँ ही शास्त्र हैं । इस प्रसंग में वही सच्चे अर्थ में लागू होता है ।

‘जो बिना किसी पद्धति के पढ़नियुक्त या व्यवस्थित बनता है, जिसे कोई भी गुस् दे नहीं सकता, फिर भी जो दिया जाता है’, शिक्षण का यही अनिर्वचनीय स्वरूप है ? इसीलिए दिव्यदृष्टि-सम्पन्न महान्माओं ने यही उद्गार व्यक्त किये कि शिक्षा कैसे दी जाय, यह हम नहीं जानते—“न विजानीम ” (केन उपनि-पद् । शिक्षा-पद्धति, पाठ्यक्रम समय-पत्रक—ये सब अर्थ-गून्थ शब्द हैं । इनमें सिवा आत्म-व्रचना के और कुछ नहीं है । जीने की क्रियायें में ही शिक्षा मिलनी चाहिए । जब जीने की क्रिया में भिन्न ‘शिक्षण’ नाम की कोई स्वतंत्र क्रिया बन जाती है तब किमी विजातीय द्रव्य के शरीर में प्रविष्ट होने पर सभाव्य दुष्परिणाम की तरह शिक्षा का भी मन पर विपैला और रोग-युक्त प्रभाव पड़ता है । कर्म की कसरत किये वगैर ज्ञान की भूख नहीं लगती और वैसी स्थिति में जो ज्ञान विजातीय रूप में भीतर घुस पड़ता है, पचनेद्वियो में उसे पचाने की ताकत नहीं रहती ।

अगर केवल पुस्तकें मस्तिष्क में ठूसने से मानव ज्ञानी बनता, तो लायब्रेरी की आलमारियाँ ज्ञानी बन जाती। जवरदस्ती ठूसे हुए ज्ञान से तो अपचन होकर 'बौद्धिक पेचिश' ही शुरू होती और मानव की 'नैतिक मृत्यु' हो जाती है।

×

×

×

निवृत्त-शिक्षण की व्याख्या

जो बात छात्रों की शिक्षा के लिए लागू होती है वही लोक-शिक्षण या लोक-संग्रह के लिए भी लागू होती है। महापुरुषों की दृष्टि से समाज बहुत ही नन्हा बच्चा है। भीष्माचार्य आमरण-ब्रह्म-चारी रहे। जब कि कहते हैं कि बिना पुत्र के सद्गति नहीं, तब भीष्माचार्य को कैसे सद्गति मिलेगी? ऐसी दीर्घ शका उत्पन्न होने पर यही समाधान किया गया कि भीष्माचार्य सारे समाज के लिए पिता के समान थे, अतः हम-आप सभी उनके पुत्र हो गये। इसलिए लोक-संग्रह का प्रश्न यानी महापुरुषों की दृष्टि से छोटे बच्चों को शिक्षण देने का ही प्रश्न है। पर आज शैक्षणिक प्रश्न की तरह लोक संग्रह को भी एक बड़ा हौवा बनाकर ज्ञानी पुरुषों पर ही उसकी जिम्मेवारी है, यह कहने का सम्प्रदाय-सा चल पड़ा है।

वास्तव में लोक-संग्रह किसी व्यक्ति-विशेष पर अडा नहीं बैठा है। 'लोक-संग्रह मुझ पर अवलम्बित है', यह मानना ठीक इसी तरह होगा कि टिड्डी यह माने कि मेरे ऊपर ही आकाश टिका है और इसीलिए वह अपने को उल्टा टांग ले। 'कर्ता-हम्' — मैं कर्ता हूँ, यह कहना अज्ञान का लक्षण है, ज्ञान का नहीं। अधिक क्या, जहाँ 'कर्ताऽहम्' यह भावना जाग्रत है, वहाँ सच्चा

कर्तृत्व रह ही नहीं सकता। शिक्षण की ही तरह लोक-सग्रह भी अभावात्मक या प्रतिबन्ध-निवारणात्मक कार्य है। यही कारण है कि श्री शंकराचार्य ने लोक-सग्रह का यह निवर्तक स्वरूप दिखलाया है, “लोकस्य उन्मार्गप्रवृत्तिनिवारण लोक-सग्रह”—लोगों की बुरे मार्ग की ओर होनेवाली प्रवृत्ति का निवारण ही लोक-सग्रह है।

तथ्य यह है कि जिस तरह सच्चा शिक्षक शिक्षा देता नहीं, उसके पास से स्वयं शिक्षा प्राप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी स्वयं लोक-सग्रह नहीं करता, वह उसके हाथों अनायास हो जाता है। सूर्य स्वयं किसीको प्रकाश नहीं देता, उसमें स्वाभाविक रूप से सबको प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इस अभावात्मक कर्मयोग को ही गीता ने ‘सहज कर्म’ कहा है और मनु ने इसी सहज कर्म को ‘निवृत्त-कर्म’ की बड़ी ही सुहावनी सजा दी है। ‘निवृत्त-शिक्षण’ भी उसी ढंग पर बनी हुई सजा है। इस प्रकार का निवृत्त-शिक्षण देनेवाले आचार्य ही समाज के गुरु हैं। ये ही समाज के पिता हैं। अन्य भाड़े के गुरु न तो गुरु ही हैं और न जन्मदाता पिता पिता ही हैं। ऐसे गुरु के चरणों में बैठकर जिन्हे शिक्षा मिली हो, वे ही “मातृमान्, पितृमान्, आचार्य-वान्”, इस गौरव के पात्र हैं। शेष सभी अनाथ बच्चों की तरह हैं। सभी अशिक्षित हैं। भला ऐसा उदार शिक्षण पाने का सौभाग्य कितनों को मिलता है ?

—‘महाराष्ट्र-धर्म’

४ अंक, जनवरी, १९२३

केवल शिक्षण

: २ :

एक देशसेवाभिलाषी से किसीने पूछा—“कहिये, अपनी समझ से आप कौनसा काम अच्छा कर सकते हैं ?”

उस तरुण गृहस्थ ने उत्तर दिया—“मेरा खयाल है, मैं केवल शिक्षण का काम कर सकता हूँ और उसका मुझे शौक है।”

“यह तो ठीक है, कारण अक्सर आदमी को जो आता है, मजबूरन उसका उसे शौक होता ही है, पर यह कहिये कि आप दूसरा कोई काम कर सकेंगे या नहीं ?”

“जी नहीं ! मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं आयेगा, मैं सिर्फ सिखा सकूंगा और मुझे विश्वास है कि यह काम मैं अच्छा कर सकूंगा।”

“हाँ, हाँ, अच्छा सिखाने में क्या शक है, पर अच्छा क्या सिखा सकेंगे ? कातना, धुनना, बुनना अच्छा सिखा सकेंगे ?”

“नहीं, वह सिखाना नहीं आता।”

“तब सिलाई ? रगाई ? बढईगिरी ?”

“नहीं, यह सब कुछ नहीं।”

“रसोई बनाना, पीसना वगैरा घरेलू काम सिखा सकेंगे ?”

“नहीं, काम के नाम से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं केवल शिक्षण का

“भाई, जो-जो पूछा जाता है, उसी-उसीमें ‘नहीं, नहीं’ कहते हो और कहे जाते हो ‘केवल शिक्षण का काम कर सकता हूँ’ इसके माने क्या हैं ? बागवानी सिखा सकेंगे ?”

देशसेवाभिलाषी ने जरा चिढ़कर कहा—“यह क्या पूछ रहे

हैं ? मैंने शुरू में ही तो कह दिया, मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं आता । मैं साहित्य सिखा सकता हूँ ।”

प्रश्नकर्ता ने जरा मजाक से कहा—“यह ठीक कहा । अब आपकी बात कुछ तो समझ में आयी । आप रामचरितमानस जैसी पुस्तक लिखना सिखा सकते हैं ?”

अब देगसेवाभिलाषी महाशय का पारा गरम हो उठा और उनके मुँह से कुछ ऊटपटाँग निकलने को ही था कि प्रश्नकर्ता बीच में ही बोल उठा—“शांति, क्षमा, तितिक्षा रखना सिखा सकेंगे ?”

अब तो हृद हो गयी । आग में जैसे मिट्टी का तेल डाल दिया हो । आग भभकने को ही थी कि प्रश्नकर्ता ने तुरत उसे पानी डालकर बुझा दिया । “मैं आपकी बात समझता । आप लिखना-पढ़ना आदि सिखा सकेंगे । डमका भी जीवन में थोड़ा-सा उपयोग है । विलकुल न हो, ऐसा नहीं है, खैर, आप बुनाई सीखने को तैयार हैं ?”

“अब कोई नयी चीज सीखने का हीसला नहीं है । फिर बुनाई का काम तो मुझे आने का ही नहीं, क्योंकि आज तक हाथ को ऐसी कोई आदत ही नहीं ।”

“माना, इस कारण सीखने में कुछ ज्यादा बक्त लगेगा, लेकिन इसमें न आने की क्या बात है ?”

“मैं तो समझता हूँ कि यह काम मुझे नहीं ही आयेगा । पर मान लीजिये, बड़ी मेहनत करने में आया भी, तो मुझे इसमें बड़ा झञ्झट मालूम होता है । इसलिए मुझसे यह नहीं होगा, ऐसा ही आप समझिये ।”

“ठीक है जैसे लिखना सिखाने को आप तैयार हैं, वैसे खुद लिखने का काम कर सकते हैं?”

“हाँ, जरूर कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ बैठे-बैठे लिखते रहने का काम भी है झझटी, फिर भी उसके करने में कोई आपत्ति नहीं है।”

यह बातचीत यही समाप्त हो गयी। नतीजा इसका क्या हुआ, यह जानने की हमें जरूरत नहीं।

शिक्षको की मनोवृत्ति समझने के लिए यह बातचीत काफी है।

आज के शिक्षक का चित्र

आज के शिक्षक का अर्थ है

(१) किसी तरह की भी जीवनोपयोगी क्रियाशीलता से शून्य, (२) कोई काम की नयी चीज सीखने में स्वभावतः अममर्थ और क्रियाशीलता से मंदा के लिए उकताया हुआ, (३) केवल शिक्षण का घमंड रखनेवाला, (४) पुस्तको में गडा हुआ और (५) आलसी जीव।

केवल शिक्षण का मतलब है, जीवन से तोड़कर विलगाया हुआ मुर्दा, शिक्षण और शिक्षक को मानी ‘मृत-जीवी’ मनुष्य।

बुद्धिजीवी और मृतजीवी में फर्क

‘मृत-जीवी’ को ही कोई-कोई ‘बुद्धि-जीवी’ कहते हैं। पर यह है, वाणी का व्यभिचार। बुद्धि-जीवी कौन है? कोई गौतम-बुद्ध, कोई सुकरात, शंकराचार्य अथवा ज्ञानेश्वर बुद्धि-जीवन की

ज्योति जगाकर दिखाते हैं। गीता में बुद्धिग्राह्य जीवन का अर्थ अतीन्द्रिय जीवन बतलाया है। जो इन्द्रियो का गुलाम है, जो देहाशक्ति से बोझिल है, वह बुद्धि-जीवी नहीं है। बुद्धि का पति आत्मा है, उसे छोड़कर जो बुद्धि देह के द्वार की दासी हो गयी है, वह बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है। ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धि का जीवन ही मरण है और उसे जीनेवाला है मृत-जीवी। 'केवल शिक्षण' पर जीनेवाले जीव विशेष अर्थ में मृत-जीवी हैं। इन 'केवल शिक्षण पर जीनेवालो' को मनु ने 'मृतका-ध्यापक' या 'वेतन-भोगी' शिक्षक नाम देकर, श्राद्ध के काम में इनका निषेध किया है। ठीक ही है। श्राद्ध में तो मृत-पूर्वजों की स्मृति को जिंदा करना रहता है और जिन्होंने प्रत्यक्ष जीवन को मृत कर दिखाया है, उनका इस काम में क्या उपयोग ?

आचार्य की व्याख्या

शिक्षको को पहले 'आचार्य' कहा जाता था। आचार्य अर्थात् आचारवान्। स्वयं आदर्श जीवन का आचरण करते हुए राष्ट्र से उसका आचरण करा लेनेवाला ही आचार्य है। ऐसे आचार्यों के पुरुषार्थ से ही राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। आज हिन्दुस्तान की नयी तह वैठानी है। राष्ट्र-निर्माण का काम आज हमारे सामने है। आचारवान् शिक्षको के बिना वह संभव नहीं।

तभी तो राष्ट्रीय शिक्षण का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी व्याख्या और उसकी व्याप्ति हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। राष्ट्र का सुशिक्षित वर्ग निष्प्रभ और निष्क्रिय होता

जा रहा है। इसका एकमात्र उपाय राष्ट्रीय शिक्षण की आग मुलगाना ही है।

अग्नि की दो शक्तियाँ

पर वह 'अग्नि' होनी चाहिए। अग्नि की दो शक्तियाँ मानी गयी हैं। एक 'स्वाहा' और दूसरी 'स्वधा'। ये दोनों शक्तियाँ जहाँ हैं, वहाँ अग्नि है। 'स्वाहा' का अर्थ है—'आत्माहुति देने की, आत्मत्याग की शक्ति'। 'स्वधा' का अर्थ है—'आत्म-धारणा की शक्ति'। ये दोनों शक्तियाँ राष्ट्रीय शिक्षण में जाग्रत होनी चाहिए। इन शक्तियों के जाग्रत होने पर ही वह राष्ट्रीय शिक्षण कहलायेगा। बाकी सब मृत-निर्जीव है, 'कोरा शिक्षण' है।

ऊपर-ऊपर से दिखाई देता है कि अब तक हमारे राष्ट्रीय शिक्षको ने बड़ा आत्मत्याग किया है। पर वह उतना सही नहीं है। फुटकर स्वार्थ-त्याग अथवा गर्भित त्याग के मानी आत्मत्याग नहीं है। उसकी अपनी कसौटी भी है। जहाँ आत्मत्याग की शक्ति होगी, वहाँ आत्मधारणा की शक्ति भी होती है। आत्मधारणा की शक्ति न हुई, तो कोई किसलिए त्याग करेगा? जो आत्मा अपने को खड़ा नहीं रख सकता, वह कूदेगा कैसे? मतलब, आत्मत्याग की शक्ति में आत्मधारण पहले से ही शामिल है। यह आत्मधारण की शक्ति 'स्वधा' राष्ट्रीय शिक्षको ने अभी तक सिद्ध नहीं की है। इसलिए आत्मत्याग करने का जो आभास हुआ, वह आभासमात्र ही है। पहले स्वधा होगा, उसके बाद स्वाहा। राष्ट्रीय शिक्षण को अर्थात् राष्ट्रीय शिक्षको को अब स्वधा-सपादन की तैयारी करनी चाहिए।

जीवन का दायित्व लें

शिक्षको को 'केवल शिक्षण' की भ्रामक कल्पना छोड़कर स्वतंत्र जीवन की जिम्मेदारी, जैसी कि किसानों पर होती है, अपने ऊपर लेनी चाहिए और विद्यार्थियों को भी उसीमें उत्तरदायित्वपूर्ण भाग देकर उनके चारों ओर शिक्षण की रचना करनी चाहिए, अथवा अपने आप होने देनी चाहिए। "गुरो कर्मातिशेषेण" इस वाक्य का अर्थ 'गुरु के काम पूरे करके वेदाभ्यास करना, यही ठीक है। नहीं तो गुरु की व्यक्तिगत सेवा, इतना ही अगर 'गुरो कर्म' करने के मानी है, तो गुरु की ऐसी-कितनी सेवा होगी ? और उसमें कितने विद्यार्थी लगेंगे ? अतः 'गुरो कर्म' का अर्थ है—गुरु के जीवन में जिम्मेदारी से हिस्सा लेना। वैसा उत्तरदायित्वपूर्ण भाग लेकर उसमें जो गका वगैरह पैदा हों, उन्हें गुरु से पूछें और गुरु को भी चाहिए कि अपने जीवन की जिम्मेदारी निवाहते हुए और उसको एक अंग समझकर उसका यथाशक्ति उत्तर देते जायें। यह शिक्षण का स्वरूप है।

एकाध घंटा शिक्षण के लिए

इसीमें थोड़ा स्वतंत्र समय प्रार्थना-स्वरूप वेदाभ्यासके लिए रखना चाहिए। प्रत्येक कर्म ईश्वर की उपासना का ही हो, पर वैसा करके भी सुबह-शाम थोड़ा समय उपासना के लिए देना पड़ता है। यही न्याय वेदाभ्यास अथवा शिक्षण पर लागू करना चाहिए। सारांश, जीवन की जिम्मेदारी के काम हीं दिन के मुख्य भाग में करने चाहिए और उन सभीको शिक्षण का

ही काम समझना चाहिए। साथ ही एक-दो घटे शिक्षण के निमित्त भी देने चाहिए।

आदर्श शिक्षक के पास रहना ही शिक्षण

राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श अपने जीवन में उतारना राष्ट्रीय शिक्षण का कर्तव्य है। यह कर्तव्य करते रहने से उसके जीवन में अपने आप उसके आसपास शिक्षा की किरणें फैलेगी और उन किरणों के प्रकाश से आसपास के वातावरण का काम अपने आप हो जायगा। इस प्रकार का शिक्षक स्वतः सिद्ध शिक्षण-केन्द्र है और उसके समीप रहना ही शिक्षा पाना है।

मनुष्य को पवित्र जीवन विताने का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण की खबरदारी रखने के लिए वह जीवन ही समर्थ है। उसके लिए 'केवल शिक्षण' की हवस रखने की जरूरत नहीं।

—'मधुकर' मे

साक्षर या सार्थक

: ३ :

रोगी मन का लक्षण

किसी आदमी के घर में यदि बहुत-सी शीशियाँ भरी रखी हों, तो बहुत करके वह मनुष्य रोगी होगा, ऐसा हम अनुमान करते हैं। पर किसीके घर में बहुत-सी पोथियाँ पड़ी देखें, तो हम उसे सयाना समझेंगे। क्या यह अन्याय नहीं है? आरोग्य का पहला

नियम यह है कि अनिवार्य हुए विना शीशी का व्यवहार न करो। वैसे ही जहाँ तक सभव हो, पोथी में आँखें न गडाना या यो कहिये, आँखों में पोथी न गडाना, यह सयानेपन का पहला नियम है। शीशी को हम रोगी शरीर का चिह्न मानते हैं। पोथी को भी, फिर वह चाहे सासारिक पोथी हो या पारमार्थिक, रोगी मन का चिह्न मानना चाहिए।

‘सु’ से ‘अ’ अच्छा

सदियाँ वीत गयी, जिनके सयानेपन की सुगंध आज भी दुनिया में फैली हुई है, उन लोगो का ध्यान जीवन को साक्षर करने के वजाय, सार्थक करने की ओर ही था, साक्षर जीवन निरर्थक हो सकता है, इसके उदाहरण वर्तमान सुशिक्षित समाज में विना ढूँढे मिल जायेंगे। इसके विपरीत निरक्षर जीवन भी अत्यन्त सार्थक हो सकता है। इसके अनेक उदाहरण इतिहास ने देखे हैं। बहुत वार ‘सु’ शिक्षित और ‘अ’ शिक्षित के जीवन की तुलना करने पर “अक्षराणामकारोऽस्मि” गीता के इस वचन में कहे अनुसार ‘सु’ के वजाय ‘अ’ ही पसंद करने लायक जान पडता है।

सच्चा ज्ञान सृष्टि में

पुस्तक मे अक्षर होते हैं। इसलिए पुस्तक की सगति से जीवन को सार्थक करने की आशा रखना व्यर्थ है। ‘वातो की कढी और वातो का ही भात खाकर किसीका पेट भरा है?’ यह सवाल मार्मिक है। कवि के कथनानुसार पोथी का कुआँ

डुवाता भी नहीं और पोथी की नैया तारती भी नहीं। 'अश्व' माने 'घोडा' यह कोश में लिखा है। लडको को लगता है कि 'अश्व' शब्द का अर्थ कोश में दिया है। पर यह सही नहीं है। 'अश्व' शब्द का अर्थ कोश के बाहर तबले में बँधा खडा है। उसका कोश में समाना संभव नहीं। 'अश्व' माने 'घोडा' यह कोश का वाक्य केवल इतना ही बतलाता है कि "अश्व शब्द का वही अर्थ है, जो 'घोडा' शब्द का है।" वह है क्या, सो तबले में जाकर देखो। कोश में सिर्फ पर्याय शब्द दिया रहता है। पुस्तक में अर्थ नहीं रहता, अर्थ तो सृष्टि में रहता है। जब यह बात समझ में आयगी, तभी सच्चे ज्ञान की चाट लगेगी।

दो अक्षरों की सार्थकता

जिसने जप की कल्पना ढूँढ निकाली, उसका एक उद्देश्य था—साक्षरत्व को सक्षिप्त रूप देना। 'साक्षरत्व बिलकुल भूँकने ही लगा है' यह देखकर 'उसके मुँह पर जप का टुकडा फेक दिया जाय', तो बेचारे का भूँकना बंद हो जायगा और जीवन सार्थक करने के प्रयत्न को अवकाश मिल जायगा, यह उसका भीतरी भाव है। वाल्मीकि ने 'शतकोटि रामायण' लिखी। उसे लूटने के लिए देव, दानव और मानव के बीच भगडा गुरु हुआ। झगडा मिटता न देखकर, शकरजी पच चुने गये। उन्होंने तीनों को तैतीस-तैतीस करोड श्लोक बाँट दिये। एक करोड वचने। फिर तैतीस-तैतीस लाख बाँट दिये। एक लाख वचा। यो उत्तरोत्तर बाँटते-बाँटते अंत में एक श्लोक वच रहा। रामायण के श्लोक अनुष्टुप् छंद में हैं। अनुष्टुप् छंद

में अक्षर होते हैं बत्तीस। शकरजी ने उनमें से दस-दस अक्षर तीनों को बाँट दिये। बाकी रहे दो अक्षर। वे कौन-से थे ? 'रा-म'। शकरजी ने वे दोनों अक्षर बटवारे की मजदूरी के नाम पर खुद ले लिये। शकरजी ने अपना साक्षरत्व दो अक्षरों में समाप्त कर दिया, तभी तो देव, दानव और मानव कोई भी उनके ज्ञान की बराबरी न कर सका। सतो ने भी साहित्य का सारा सार राम-नाम में ला रखा है। पर 'अभाग्या नरा पामरा हे कळे ना'—इस अभागे पामर नर को यह नहीं सूझता।

अक्षर घोखना व्यर्थ

सतो ने रामायण को दो अक्षरों में समाप्त किया। ऋषियो न बंदो को एक ही अक्षर में समेट रखा है। साक्षर होने की हवस नहीं छूटती, तो 'अकार' का जप करो, बस। इतने से काम न चले, तो नन्हा-सा 'माडूक्य उपनिषद्' पढो। फिर भी वासना रह जाय, तो 'दशोपनिषद्' देखो। इस आशय का एक वाक्य मुक्तिको-पनिषद् में आया है। उससे ऋषि का इरादा साफ जाहिर होता है। पर ऋषि का यह कहना नहीं है कि एक अक्षर का भी जप करना ही चाहिए। एक या अनेक अक्षर रटने में जीवन की सार्थकता नहीं है। वेदों के अक्षर पोथी में मिलते हैं, अर्थ जीवन में खोजना होता है। तुकाराम का कहना है कि सस्कृत सीखे बिना ही उन्हें वेदों का अर्थ आ गया था। इस कथन को आज तक किसीने अस्वीकार नहीं किया। शकराचार्य ने आठवें वर्ष में वेदाभ्यास पूरा कर लिया, इस पर किसी गिण्य ने आश्चर्यचकित होकर

किसी गुरु से पूछा—‘महाराज, आठ वर्ष की उम्र में आचार्य ने वेदाभ्यास कैसे पूरा कर लिया ?’ गुरु ने गभीरता से उत्तर दिया—“आचार्य की बुद्धि वचन में उतनी तीव्र नहीं रही होगी, इसीसे उन्हें आठ वर्ष लगे।”

ठोकर खाने का स्वातंत्र्य

एक आदमी दवा खाते-खाते ऊब गया, क्योंकि ‘मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यो-ज्यो कि दवा की’। अतः मे किसीकी सलाह में उसने खेत में काम करना शुरू किया। उससे नीरोग होकर थोड़े ही दिनों में वह हृष्ट-पुष्ट हो गया। अनुभव से सिद्ध हुई यह आरोग्य-साधना वह लोगों को बतलाने लगा। किसीके हाथ में गीघ्र शीशी देखता, तो बड़े मनोभाव से उसे उपदेश देता, “गीघ्र से कुछ होने-जाने का नहीं, हाथ में कुदाल लो, तो चगे हो जाओगे।” लोग कहते, “तुम तो शीशियाँ पी-पीकर तृप्त हुए बैठे हो और हमें मना करते हो।” दुनिया का ऐसा ही हाल है। दूसरे के अनुभव से कुछ सीखने की मनुष्य को इच्छा नहीं होती। उसे स्वतंत्र अनुभव चाहिए। स्वतंत्र ठोकर चाहिए। मैं ठीक कहता हूँ कि “पोथियो से कुछ फायदा नहीं है। फिज़ल पोथियो में न उलझो।” तो वह कहता है, “हाँ, तुम तो पोथियाँ पढ़ चुके हो और मुझे ऐसा उपदेश देते हो ?” “हाँ, मैं पोथियाँ पढ़ चुका, पर तुम न चूको, इसलिए कहता हूँ।” वह कहता है, “मुझे अनुभव चाहिए।” ‘ठीक है, लो अनुभव। ठोकर खाने का स्वातंत्र्य तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है।’ इतिहास के अनुभव से हम सबक नहीं लेते, इसीसे इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। हम इतिहास की

कद्र करे, तो इतिहास से आगे बढ़ जायँ, इतिहास की कीमत न लगाने से उसकी कीमत नाहक बढ़ गयी है, पर उसकी ओर ध्यान जाय तब न !

—'मधुकर' से

जीवन और शिक्षण

: ४ :

जीवन के दो टुकड़े

आज की विचित्र शिक्षण-पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े हो जाते हैं। आयु के पहले पन्द्रह-बीस वरसों में आदमी जीने के झझट में न पडकर सिर्फ शिक्षा को प्राप्त करे और बाद को शिक्षण को बस्ते में लपेटकर मरने तक जिये !

यह रीति प्रकृति की योजना के विरुद्ध है। हाथभर लवाई का बालक साढे तीन हाथ का कैसे होना है, यह उसके अथवा औरों के ध्यान में भी नहीं आता। शरीर की वृद्धि रोज होती रहती है। यह वृद्धि सावकाश क्रम-क्रम से थोड़ी-थोड़ी होती है। इसलिए उमके होने का भान तक नहीं होता। यह नहीं होता कि आज रात को सोये, तब दो फुट ऊंचाई थी और सबेरे उठकर देखा, तो ढाई फुट हो गयी। आज की शिक्षण-पद्धति का तो यह ढग है कि अमुक वर्ष के अन्तिम दिन तब मनुष्य जीवन के विषय में पूर्णरूप से गैरजिम्मेदार रहे, तो भी कोई हर्ज नहीं। यही नहीं, उसे गैर-जिम्मेदार रहना चाहिए और आगामी वर्ष का पहला दिन निकले कि सारी जिम्मेदारी उठा लेने को तैयार हो जाना चाहिए। सपूर्ण

गैरजिम्मेदारी से सपूर्ण जिम्मेदारी में कूदना तो एक हनुमान-छलांग ही हुई। ऐसी हनुमान-छलांग की कोशिश में हाथ-पैर टूट जायें, तो क्या आश्चर्य !

कुरुक्षेत्र में भगवद्गीता

भगवान् ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में 'भगवद्गीता' कही। पहले भगवद्गीता के 'क्लास' लेकर फिर अर्जुन को कुरुक्षेत्र में नहीं ढकेला। तभी उसे वह गीता पची। हम जिसे 'जीवन की तैयारी का ज्ञान' कहते हैं उसे जीवन से विलकुल अलिप्त रखना चाहते हैं, इसलिए उक्त ज्ञान से मौत की ही तैयारी होती है।

हनुमान-छजाँग का नतीजा

बीस बरस का उत्साही युवक अध्ययन में मग्न है। तरह-तरह के ऊँचे विचारों के महल बना रहा है। "मैं शिवाजी महाराज की तरह मातृभूमि की सेवा करूँगा। मैं वाल्मीकि-सा कवि बनूँगा। मैं न्यूटन की तरह खोज करूँगा।" एक, दो, चार, न जाने कितनी कल्पनाएँ करता है। ऐसी कल्पना करने का भाग्य भी थोड़ो को ही मिलता है। पर जिन्हे मिलता है, उनकी ही बात लेते हैं। इन कल्पनाओं का आगे क्या नतीजा निकलता है? जब नोन-तेल-लकड़ी के फेर में पडा, जब पेट का प्रश्न सामने आया, तो बेचारा दीन बन जाता है। जीवन की जिम्मेदारी 'क्या चीज है', आज तक इसकी विलकुल ही कल्पना नहीं थी और अब तो पहाड़ सामने खडा हो गया। फिर क्या करें? फिर पेट के लिए बन-वन फिरनेवाले शिवाजी, कर्ण गीत गानेवाले

वाल्मीकि और कभी नौकरी की, तो कभी पत्नी की, कभी बेटी के लिए बर की और अंत में भ्रमज्ञान की शोध करनेवाले न्यूटन— इस प्रकार की भूमिकाएँ लेकर अपनी कल्पनाओं का समाधान करता है। यह हनुमान-छलांग का फल है।

मैट्रिक के एक विद्यार्थी ने पूछा “क्यों जी, तुम आगे क्या करोगे ?”

“आगे क्या ? आगे कॉलेज में जाऊँगा।”

“ठीक है। कॉलेज में तो जाओगे। लेकिन उसके बाद ? यह सवाल तो बना ही रहता है।”

“सवाल तो बना ही रहता है। पर अभी से उसका विचार क्यों किया जाय ? आगे देखा जायगा।”

फिर तीन साल बाद उसी विद्यार्थी ने वही सवाल पूछा।

“अभी तक कोई विचार नहीं हुआ।”

“विचार नहीं हुआ यानी ? लेकिन विचार किया था क्या ?”

“नहीं साहब, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करे, कुछ मूर्खता नहीं। पर अभी डेढ़ बरस बाकी है। आगे देखा जायगा।”

“आगे देखा जायगा” ये वे ही शब्द हैं,—जो तीन वर्ष पहले कहे गये थे। पर पहले की आवाज में वेफिक्री थी और आज की आवाज में थोड़ी चिन्ता की झलक।

फिर डेढ़ वर्ष बाद, उसी प्रश्नकर्ता ने उसी विद्यार्थी से या यो कहें, अब उसे ‘गृहस्थ’ से—वही प्रश्न पूछा। इस बार उसका चेहरा चिन्ताग्रस्त था। आवाज की वेफिक्री विलकुल गायब थी। “तत किम् ? तत किम् ? तत किम् ?” शंकराचार्यजी का यह

पूछा हुआ सनातन प्रश्न अब उसके दिमाग में कसकर चक्कर लगाने लगा था। पर उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था।

आज की मौत कल पर ढकेलते-ढकेलते एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस दिन मरना ही पडता है। यह प्रसंग उन पर नहीं आता, जो 'मरण के पहले ही' मर लेते हैं, जो अपना मरण आँखों से देखते हैं। जो मरण का 'अगाऊ' अनुभव लेते हैं, उनका मरण टलता है और जो मरण के अगाऊ अनुभव से जी चुराते हैं, खिचते हैं, उनकी छाती पर मरण आ पडता है। सामने खभा है, यह बात अबे को उस खभे का छाती में प्रत्यक्ष धक्का लगाने के बाद मालूम होती है। आँखवाले को यह खभा पहले ही दिखाई देता है, अतः उसका धक्का उसकी छाती को नहीं लगता।

जिम्मेदारी न टालें

जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है। वह आनन्द से ओतप्रोत है, वशतें कि ईश्वर की रची जीवन की सरल योजना को ध्यान में रखते हुए अयुक्त वासनाओं को दबाकर रखा जाय। पर जैसे वह आनन्द से भरी वस्तु है, वैसे ही शिक्षा से भी भरपूर है। यह पक्की बात समझनी चाहिए कि जो जिन्दगी की जिम्मेदारी से वंचित हुआ, वह सारी शिक्षा गंवा बैठे। बहुते की धारणा है कि वचपन से ही जिन्दगी की जिम्मेदारी का खयाल अगर बच्चों में पैदा हो जाय, तो जीवन कुम्हला जायगा। पर जिन्दगी की जिम्मेदारी का भार होने से अगर जीवन कुम्हलाता हो, तो फिर वह जीवन-वस्तु ही रहने लायक नहीं है।

सच्चा मनुष्यत्व

पर आज यह वारणा बहुतेरे शिक्षा-शास्त्रियों की भी है और इसका मुख्य कारण है—जीवन के विषय में दुष्ट कल्पना। जीवन यानी कलह, यह मान लेना। 'इमाप-नीति' के अरिभक्त माने हुए, परन्तु बान्धविक मर्म को नमझनेवाले मुर्गे से सीख लेकर ज्वार के दानों की अपेक्षा मोतियों को मान देना छोड़ दिया, तो जीवन के अरि का कलह जाता रहेगा। और जीवन में महकार दानविल हो जायगा। 'बन्दर के हाथ में मोतियों की माला' (मर्कट भूषण अंग) यह कहावत जिन्होंने गढ़ी है, उन्होंने मनुष्य का मनुष्यत्व मिट्ट न करके, मनुष्य के पूर्वजों के मवध में 'डाविन' का सिद्धान्त ही मिट्ट किया है। "हनुमान के हाथ में मोतियों की माला" वाली कहावत जिन्होंने रची, वे अपने मनुष्यत्व के प्रति वफादार रहे।

जीवन यदि भयानक वस्तु हो, कलह हो, तो बच्चों को उनमें दानविल मत करो और खुद भी मत जियो। पर अगर जीने लायक वस्तु हो, तो लड़कों को उनमें जल्द दानविल करो। बिना उनके उन्हें शिक्षण मिलनेवाला नहीं। भगवद्गीता जैसे कुन्धेत्र में कही गयी, वैसे ही शिक्षा जीवन-क्षेत्र में देनी चाहिए। वह दी जा सकती है। "दी जा सकती है" —यह भाषा भी ठीक नहीं है, वही जीवन-क्षेत्र में वह मिल सकती है।

जीवन जीने की शिक्षा

अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए सवाल पैदा हुआ। उनका उत्तर देने के लिए भगवद्गीता निर्मित हुई। इसीका नाम

शिक्षा है। बच्चों को खेत में काम करने दो। वहाँ कोई सवाल पैदा हो, तो उसका उत्तर देने के लिए सृष्टि-शास्त्र अथवा पदार्थ-विज्ञान की या दूसरी जिस चीज की जरूरत हो, उसका ज्ञान दो। यह सच्चा शिक्षण होगा। बच्चों को रसोई बनाने दो। उसमें जहाँ जरूरत हो, रसायनशास्त्र सिखाओ। पर असली बात यह है कि उन्हें “जीवन जीने दो।” व्यवहार में काम करनेवाले आदमी को भी शिक्षण मिलता ही रहता है। वैसे ही छोटे बच्चों को भी मिले। भेद इतना ही होगा कि बच्चों के आसपास जरूरत के अनुसार मार्ग-दर्शन करानेवाले मनुष्य मौजूद हो। ये आदमी भी ‘सिखानेवाले’ बनकर ‘नियुक्त’ नहीं होंगे। वे भी “जीवन जीनेवाले हों”, जैसे व्यवहार में आदमी जीवन जीते हैं। अन्तर इतना है कि इन ‘शिक्षक’ कहलानेवालों का जीवन विचारमय होगा, उसमें के विचार मौके पर बच्चों को समझाकर बताने की योग्यता उनमें होगी।

पेशेवर शिक्षक न हों

पर ‘शिक्षक’ नाम के किसी स्वतंत्र घड़े की जरूरत नहीं है, न ‘विद्यार्थी’ नाम के मनुष्य-कोटि से बाहर के किसी प्राणी की। और “क्या करते हो” पूछने पर, “पढता हूँ” या “पढाता हूँ”, ऐसे जवाब की जरूरत नहीं है, “खेती करता हूँ” अथवा “दुनता हूँ” ऐसे शुद्ध पेशेवर कहिये या व्यावहारिक कहिये, पर जीवन के भीतर से उत्तर आना चाहिए।

आदर्श गुरु-शिष्य

इसके लिए राम-लक्ष्मण जैसे विद्यार्थी और विश्वामित्र जैसे गुरु का उदाहरण लेना चाहिए। विश्वामित्र यज्ञ करते थे। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने दशरथ से लडको की याचना की। उभी काम के लिए दशरथ ने लडको को भेजा। लडको में भी यह जिम्मेदारी की भावना थी कि हम यज्ञ-रक्षा के लिए जाते हैं। उसमें उन्हें अपूर्व शिक्षा मिली। पर यह बताना हो कि राम-लक्ष्मण ने क्या किया, तो कहना होगा कि 'यज्ञ-रक्षा की'। उन्होंने "शिक्षा प्राप्त की" ऐसा नहीं कहा जायगा। पर शिक्षा उन्हें मिली ही, जो मिलनी ही थी।

आनुपगिक फल-शिक्षा

शिक्षण कर्तव्य-कर्म का आनुपगिक फल है। जो कोई कर्तव्य करता है, उसे जाने-अनजाने वह मिलता है। लडको को भी वह उसी तरह मिलना चाहिए। औरो को वह ठोकरे खा-खाकर मिलता है। छोटे लडको में आज उतनी शक्ति नहीं आयी है, इसलिए उनके आसपास ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वे बहुत ठोकरे न खाने पायें और धीरे-धीरे स्वावलंबी बने, ऐसी अपेक्षा और योजना होनी चाहिए। शिक्षण फल है और "मा फलेषु कदाचन" यह मर्यादा फल के लिए भी लागू है।

शिक्षण-मोह से छूटें

खास शिक्षण के लिए कोई कर्म करना, यह भी सकाम हुआ— और उसमें भी "इदमद्य मया लब्धम्"—आज मैंने यह पाया,

“इदं प्राप्स्ये”—कल वह पाऊँगा, आदि वासनाएँ आती ही हैं। इसलिए इस शिक्षण-मोह से छूटना चाहिए। इस मोह से जो छूटा, उसे सर्वोत्तम शिक्षण मिला समझना चाहिए। माँ बीमार है, उसकी सेवा करने में मुझे खूब शिक्षण मिलेगा पर इस शिक्षा के लोभ से मुझे माता की सेवा नहीं करनी है। वह तो मेरा पवित्र कर्तव्य है, इस भावना से मुझे माता की सेवा करनी चाहिए। अथवा माता बीमार है और उसकी सेवा करने से मेरी दूसरी चीज, जिसे मैं “शिक्षण” समझता हूँ, जाती है, तो इस शिक्षण के नष्ट होने के डर से मुझे माता की सेवा नहीं टालनी चाहिए।

परिश्रम का स्थान

प्राथमिक महत्त्व के जीवनोपयोगी परिश्रम को शिक्षण म स्थान मिलना चाहिए, ऐसा माननेवाले कुछ शिक्षाशास्त्रियों का इस पर यह कहना है कि ये परिश्रम शिक्षण की दृष्टि से ही दाखिल किये जायँ, ‘पेट भरने’ की दृष्टि से नहीं। आज ‘पेट भरने’ का जो विकृत अर्थ प्रचलित है, उससे घबराकर यह कहा जाता है और उस हद तक वह ठीक है। पर मनुष्य को ‘पेट’ देने में ईश्वर का कुछ उद्देश्य है। ईमानदारी से “पेट भरना” अगर मनुष्य साध ले, तो समाज के बहुतेरे दुःख और पातक नष्ट ही हो जायँ। इसीसे मनु ने “योऽर्थं शुचि स हि शुचि”—जो आर्थिक दृष्टि से पवित्र है, वही पवित्र है, ऐसे यथार्थ उद्गार प्रकट किये हैं। “सर्वेषामविरोधेन” कैसे जिये, इस शिक्षण में सारा शिक्षण समा जाता है। अविरोधवृत्ति से शरीर-यात्रा करना मनुष्य का प्रथम

कर्तव्य है। यह कर्तव्य करने से ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसीसे शरीर-यात्रा के लिए उपयोगी परिश्रम करने को ही शास्त्रकारों ने 'यज्ञ' नाम दिया है। 'उदर-भरण नोहे, जाणिजे यज्ञ-कर्म'—यह 'उदरभरण नहीं है, इसे यज्ञ-कर्म जानो' वामन पंडित का यह वचन प्रसिद्ध है। अतः मैं शरीर-यात्रा के लिए परिश्रम करता हूँ, यह भावना उचित है। 'शरीर-यात्रा' से मतलब अपने साढ़े तीन हाथ के शरीर की यात्रा न समझकर समाज-शरीर की यात्रा, यह उदार अर्थ मन में बैठाना चाहिए। मेरी शरीर-यात्रा यानी समाज की सेवा और इसीलिए ईश्वर की पूजा, इतना समीकरण दृढ़ होना चाहिए। और इस ईश्वर-सेवा में देह खपाना मेरा कर्तव्य है और वह मुझे करना चाहिए, यह भावना हरएक में होनी चाहिए।

इसलिए यह भावना छोटे बच्चों में भी होनी चाहिए। इसके लिए उनको शक्तिभर जीवन में भाग लेने का मौका देना चाहिए और जीवन को मुख्य केंद्र बनाकर उसके आसपास आवश्यकतानुसार सारे शिक्षण की रचना करनी चाहिए।

इससे जीवन के दो खंड न होंगे। जीवन की जिम्मेदारी अचानक आ पड़ने से उत्पन्न होनेवाली अड़चन उत्पन्न न होगी। अनजाने शिक्षा मिलती रहेगी, पर शिक्षण का मोह नहीं चिपकेगा और निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्ति होगी।

—'मधुकर' से

‘पूर्णात् पूर्णम्’

॥ ५ ॥

पूर्ण में से ही पूर्ण

श्रुति का वचन है—“पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।” पूर्ण से पूर्ण, यह प्राकृतिक विकास का नियम है। प्रकृत होगा कि इसका अर्थ क्या ? अगर पहले भी पूर्ण और पीछे भी पूर्ण, तो ‘विकास’ किसका ? अपूर्ण से पूर्ण कहा जाय, तो ‘विकास’ समझ में भी आता है। पर ‘पूर्णात् पूर्ण’, यह भाषा ही अर्थशून्य प्रतीत होती है।

छोटे पूर्ण से बड़ा पूर्ण

अवश्य ही यह भाषा अर्थशून्य प्रतीत होती है, पर इसमें गभीर अर्थ निहित है। पूर्ण से पूर्ण यानी छोटे पूर्ण से बड़ा पूर्ण। नवजात शिशु भी पूर्ण है और बीस वर्ष का युवक भी पूर्ण है। पहला छोटे पूर्ण का उदाहरण है और दूसरा बड़े पूर्ण का। बालक को एक आँख थी या आधा नाक था और युवक को दो आँखे या पूरा नाक हो गया, ऐसी बात नहीं। दोनों को ही दो आँखे और उन दोनों के बीच एक नाक होता है। दोनों ही पूर्ण हैं। अन्तर यही है कि एक छोटा पूर्ण है और दूसरा बड़ा पूर्ण।

दो इंच की सुरेखा भी पूर्ण है और चार इंच की सुरेखा भी पूर्ण सुरेखा होती है। पहली छोटी है, तो दूसरी बड़ी। दो इंच व्यास का वर्तुल भी पूर्ण वर्तुल है और चार इंच व्यास का वर्तुल भी पूर्ण वर्तुल है। पहला छोटा है, तो दूसरा बड़ा। श्याम-पट्ट पर अकित आँवले के बराबर जो शून्य था, वह खुर्दवीन से कोहड़े के बराबर दिखाई देने लगा। यानी खुर्दवीन ने क्या किया ?

कैसा 'विकास' किया ? क्या उसने अपूर्ण शून्य को पूर्ण शून्य बना दिया ? या छोटे पूर्ण शून्य को बड़ा पूर्ण शून्य बना दिया ? खुर्दबीन ने क्या ऐसा कुछ किया कि जो शून्य आँवले के बराबर पूज्य था, उसे कोहड़े के बराबर पूज्य बना दिया ?

छोटे शून्य से बड़ा शून्य

और, सचमुच शिक्षाशास्त्र इससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकता। शिक्षाशास्त्र की व्याख्या ही करनी हो, तो "आँवले बराबर शून्य से कोहड़ा बराबर शून्य", यह आप खुशी से करें। शिक्षा द्वारा आँवले से कोहड़ा बन जायगा, या समर्थ रामदास स्वामी की भाषा में 'मूर्ख' से 'पठित मूर्ख' अथवा अधिक-से-अधिक, अधिकचरे सयाने से 'दीड शाहणा' (डेवड़ा सयाना या मूर्ख) बनेगा। पर यह बिनोद छोड़कर उसका भाव ग्रहण किया जाय, तो यह ध्यान में आ जायगा कि किस तरह 'पूर्ण से पूर्ण' नैसर्गिक विक्रम का नया सूत्र है।

अस्पष्ट से स्पष्ट

मूवह पाँच वजे सामने का पेड़ मुझे घुंघला दीख रहा है। दीखता तो है पूरा, पर है अस्पष्ट। साढ़े पाँच वजे थोड़ा स्पष्ट दीखने लगता है। उस समय भी पहले जैसा ही वह पूरा दीखता है, पर थोड़ा स्पष्ट है। सूर्योदय के बाद भी पूरा पेड़ दीखता है, पर अत्यन्त स्पष्ट। यह नहीं होता कि पाँच वजे चौथाई पेड़ दिखाई पड़े, साढ़े पाँच वजे आधा और सूर्योदय के बाद पूरा। तीनों दफा वह दीखा तो पूरा ही, पर पहली दफा में अस्पष्ट सम्पूर्ण, दूसरी दफा में स्पष्ट सम्पूर्ण और तीसरी दफा में अतिस्पष्ट सम्पूर्ण।

अस्पष्ट, स्पष्ट और अतिस्पष्ट, यह विकास सूर्य-प्रकाश ने किया। पर तीनों ही दफा वह विकास सम्पूर्ण का ही किया। इस तरह स्पष्ट है कि छोटे पूर्ण से बड़ा पूर्ण, अस्पष्ट पूर्ण से स्पष्ट पूर्ण, यह प्राकृतिक विकास है।

अपूर्ण से पूर्ण और पूर्ण से पूर्ण का अन्तर

‘अपूर्ण से पूर्ण’ का अर्थ क्या है और ‘पूर्ण से पूर्ण’ का अर्थ क्या है, यह समझने के लिए एक दृष्टान्त पर ध्यान दे। मान लीजिये, हम लोग समुद्र के किनारे खड़े हैं। हमें इस समय समुद्र में जहाज वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर में एक जहाज दीखने लगता है। यानी जहाज का सिर्फ ऊपरी सिरा दीखने लगता है। थोड़ी देर बाद विचला भाग दीखने लगता है और फिर पूरा जहाज ही दीखने लगता है। अब वह सम्पूर्ण तो दीखता है पर दूर होने के कारण अस्पष्ट है। इसके बाद जैसे-जैसे वह पास आने लगा, वैसे-ही-वैसे अधिक स्पष्ट दीखने लगता है। पहल क्षण में जहाज का जो दर्शन हुआ, तब से लेकर सम्पूर्ण जहाज दीखने तक के दर्शन को हम ‘अपूर्ण से पूर्ण’ कहेंगे और बाद के दर्शन को ‘पूर्ण से पूर्ण’।

भूगोल-शिचा का दृष्टांत

एक शिक्षक छात्रों को हिन्दुस्तान का भूगोल पढा रहा है। उसने पहले बच्चों को पूरे हिन्दुस्तान का नकशा दिखलाया। फिर उन्हें विभिन्न प्रान्त बताये, फिर सभी प्रान्तों की नदियाँ दिखलायी। इसके बाद उसमें सभी प्रान्तों के ऐतिहासिक, धार्मिक, व्याव-

सायिक महत्त्व के स्थान दिखलाये और इसी तरह सूक्ष्म-सूक्ष्म जानकारी कराता गया। यह शिक्षक छात्रों के ज्ञान को 'पूर्ण से पूर्ण' की ओर ले जा रहा है।

दूसरा प्रयोग

दूसरा एक शिक्षक इसी तरह छात्रों को हिन्दुस्तान का भूगोल पढा रहा है। पर पहले उसने छात्रों को एक जिले की सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जानकारी करा दी, फिर दूसरे जिले की। इसी तरह करते-करते उन्हें एक प्रान्त की जानकारी करा दी। अब इन छात्रों को एक प्रान्त की सूक्ष्मतम जानकारी हासिल हो गयी। किन्तु अन्य प्रान्तों के बारे में वे शून्य रहे। आगे चलकर शिक्षक ने इसी क्रम से अन्य प्रान्तों की भी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जानकारी करायी। अन्ततः छात्रों को पूरे हिन्दुस्तान की जानकारी हो गयी। हिन्दुस्तान का भूगोल पढाने के बारे में ही कहे, तो कहा जा सकता है कि यह शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान को 'अपूर्ण से पूर्ण' की ओर ले जा रहा है।

पूर्ण से पूर्ण की ओर, आत्मविकास का सनतान सूत्र है। किसी भी आत्मवान् वस्तु के विकास में यही सूत्र लागू होता है।

शिल्प-कला का दृष्टांत

“क्ले मॉडलिंग” (मिट्टी की मूर्तियाँ आदि बनाने की कला) सबधी एक पुस्तक में मूर्ति को अपूर्ण से पूर्ण की ओर ले जाने की पद्धति का स्पष्ट निबेध किया गया है। उक्त पुस्तक में लेखक ने अपना अनुभव देते हुए लिखा है कि ‘आरम्भ में मिट्टी का चाहे

जैसा आकार बनाये, पर अन्त में अभीष्ट आकार प्राप्त हो जाय, तो ठीक', इस भावना से कभी काम न करे। बल्कि इस ढंग से निर्माण-कार्य करें कि आदि से लेकर अंत तक किसी भी समय कोई उसे देखे, तो वह समझ जाय कि क्या चल रहा है। ऐसा होने पर ही मूर्ति में कला का संचार होता है। नहीं तो बहुत से कलाकार यह कहते पाये जाते हैं कि अभी क्या देख रहे हैं, पूरा हो, तब देखना। शुरू में ऊटपटांग बनाते चलें और बाद में उसे सुधारने बैठें। इस तरह की घाँघली से कला सघ नहीं सकती। कला है, आत्मा का अमर अक्ष। इसीलिए आत्मविकास के सूत्र "पूर्ण से पूर्ण" को लेकर ही कला का जन्म संभव है।

राष्ट्र-निर्माण बहुत ही बड़ी कला है। "पूर्णात् पूर्णम्" यह सूत्र पकड़कर ही अगर उसकी रचना की जाय, तभी वह सघ सकेगा।

—'मधुकर' से

आज की अनर्थकरी विद्या

: ६ :

कॉलेज-शिक्षा पर आचार्य राय के विचार

बंगाल के कॉलेजों और विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापकों की एक परिषद् हुई थी। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय उसके अध्यक्ष थे। श्री राय ने अपने भाषण में यह बात स्पष्ट कर दी कि आज 'उच्च' शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का कैसा अपव्यय हो रहा है। आपने बताया कि बंगाल के नौ सौ स्कूलों से करीब पन्द्रह

हजार छात्र मैट्रिक पास करते हैं, जिनमें से नौ हजार उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों में जाते हैं। उनमें पाँच सौ एम० ए० पास करते हैं और इन पाँच सौ में से भी केवल पचास ही अध्यापक बनते हैं। शेष चार सौ पचास कहीं क्लर्की आदि करके औसतन पचास रुपया मासिक कमाते हैं। इनके सिवा नौ हजार में से कुछ वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। किन्तु इन सभी व्यवसायों में आज भारी भीड़ हो गयी है और इससे लोगों को ठिकाने का काम नहीं मिल पाता। इसलिए आचार्य राय का मत है कि नौ हजार की जगह केवल नौ सौ छात्र ही कॉलेज में भरती हो, यानी उतने ही लोगों से उच्च अध्यापन और उच्च व्यवसाय का काम पूरा हो जायगा। शेष आठ हजार एक सौ छात्र प्रतिवर्ष कॉलेज में जाकर करीब तीस लाख रुपये का अपव्यय ही करते हैं। श्री राय ने इस हिसाब में साधारणतः यह औसत रखा है कि हर छात्र के पीछे दैनिक व्यय एक रुपया पड़ता है। इस तरह आचार्य राय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हर साल तीन सौ माठ रुपये की पूंजी पर मैट्रिक तक शिक्षाप्राप्त छात्र अगर चाहें, तो कोई भी किराया का उद्योग-धंधा कर सकते हैं, बशर्ते वे श्रम की प्रतिष्ठा के कायल हो।

चालू शिक्षा से हानि

परन्तु यह वड़ी ही बिकट समस्या बन बैठी है। आज की इस उदार शिक्षा की यह महिमा है कि जिस छात्र को मैट्रिक तक पढ़ने को मिल जाता है, वह श्रम ही क्या, अपनी आत्मा की भी प्रतिष्ठा खो बैठता है। फिर भी ऐसे लोग हैं ही, जो कहते हैं कि

इस शिक्षा से जितना सभव हो, उतना लाभ अवश्य उठाया जाय। जहाँ गुरु-शिष्यभाव नहीं है, त्याग या सेवावृत्ति का नामोनिशान नहीं है, नैतिक वातावरण नहीं है, स्वधर्म का अभ्यास नहीं है, मातृभाषा के प्रति सम्मान नहीं है, श्रम की कोई कीमत नहीं है और स्वतंत्र विचारों का कोई मूल्य नहीं है, वहाँ जाकर “लाभ” किस बात का उठाया जाय ? और वहाँ के अर्थनाश का रुपया-आना-पाई का हिसाब भी क्या बैठाया जाय ? कह-सुनकर जो आत्मनाश के यत्र खडे किये गये है, वहाँ अर्थनाश का हिसाब ही क्या ? फिर भी चूँकि पैसा गुलामों का ईश्वर है, इसलिए अर्थनाश का हिसाब उनकी समझ में आ सकता है। ऐसा सोचकर आचार्य राय ने ये आँकड़े पेश किये हैं। कम-से-कम उन्हें भी देखकर आँखे खुले, यही मुझे कहना है।

नये राज्य में शिक्षा भी नयी हो : ७ :

वल्लभभाई का मत

‘नासिक-कांग्रेस’ के बाद इधर सरदार वल्लभभाई पटेल के जितने भी भाषण हुए, सबमें उन्होंने प्रचलित शिक्षा-पद्धति के बारे में तीव्र असन्तोष प्रकट किया। किताबी शिक्षा, जो इन दिनों हाईस्कूलों और कॉलेजों में प्राप्त होती है, विलकुल निकम्मी है। इतना ही नहीं, बल्कि हानिकारक है, यह बात उन्होंने जोर देकर कही।

सरकार जाल में फँसी

कोई साधारण या असाधारण विचारक इस तरह बोलता, तो निराली बात होती। पर जिसके हाथों में राष्ट्र और राष्ट्रीय सरकार का सूत्र हो, वही नेता जब ऐसा बोलता है, तो सहज ही कोई पूछ बैठेगा कि “अगर आपके मत से प्रचलित शिक्षा-पद्धति इतनी रद्दी है, तो आप उसे बदल क्यों नहीं देते ?” इसका उत्तर भी सरदार ने अपने अहमदावाद के भाषण में दे दिया। उन्होंने कहा कि “हम सब लोग ऐसे जाल में फँसे हैं कि अब उसमें से निकलना मुश्किल हो रहा है।”

योजना बनाने तक छुट्टी दें

कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, यह जाल शीघ्र-से-शीघ्र तोड़ फेंका जाय, यही उनके भाषण का स्पष्ट स्वर है। मैं तो कई बार अपना स्पष्ट अभिप्राय प्रकट कर चुका हूँ कि वापू ने हम लोगों के सामने ‘नयी तालीम’ की जो पद्धति रखी है, वह हमें सन्तोषजनक प्रतीत न होती हो और उससे अन्य दूसरी पद्धति को खोजने में कुछ समय लगे, तो सभी शिक्षा-विशेषज्ञ एक जगह बैठकर विचार करे और उनके निर्णय में जितना समय लगे, उतने समय तक देश के सभी स्कूल-कॉलेजों को छुट्टी दे दी जाय। उस छुट्टी से देश की उतनी हानि न होगी, जितनी कि सदोष शिक्षा-पद्धति के जारी रखने से होगी।

पुराना भंडा नहीं

एक दिन चर्चा के प्रसंग में मैंने एक व्यक्ति से पूछा “जब राज्यक्रान्ति होकर पुरानी सरकार की जगह नयी सरकार

आती है, तो उस नये राज्य मे वथा पुराने राज्य का झडा चल सकता है ?” उत्तर स्पष्ट था “नही चल सकता।” मैंने कहा “शिक्षा के वारे मे भी ठीक यही बात लागू होती है। जैसे, नये राज्य तो नया झडा, ठीक वैसे ही नये राज्य मे नयी शिक्षा।” नया राज्य आ गया और शिक्षा पुरानी ही चल रही हो, तो यही समझना चाहिए कि उस राज्य का नयापन ऊपरी है, भीतर से तो पुराने को ही दुहराया जा रहा है।

—‘सेवक’, जनवरी १९५१

सच्ची शिक्षा पाठशाला के बाहर : ८ :

चाडिल-सम्मेलन मे जयप्रकाशजी ने विद्यार्थियो को सलाह दी कि ‘एकाध साल के लिए कॉलेज वगैरह छोडकर भू-दान-यज्ञ के काम मे लग जाओ।’ इस पर विद्यार्थियो ने मेरा मत पूछा। मैंने उनसे कहा “भू-दान-यज्ञ के आदोलन मे काम न करना हो, तो भी विद्यार्थी कॉलेज छोड सकते हैं।” यह सुनकर विद्यार्थियो को मजा आया।

कॉलेज के बाहर ज्ञान-भंडार

संतीस साल पहले की बात है। कॉलेज छोडकर ज्ञान की खोज मे मैं बाहर निकला। कॉलेज में और बहुत-सी वाते दिखाई दी, लेकिन ज्ञान नही दिखाई दिया। पर कॉलेज छोडने के बाद ज्ञान के अनत द्वार खुल गये।

मेरी ज्ञान की उपासना आज तक जारी है। ज्ञान के समान

पवित्र और कुछ नहीं है, ऐसा ही मैं मानता आया हूँ। इसलिए कॉलेज में जो कालक्षेप होता था, उसे मैं सह नहीं सका। विद्यार्थियों से मेरा हमेशा ही परिचय रहा है और पाठशालाओं में क्या-क्या सिखाया जाता है, इसकी मैं हमेशा जाँच-पड़ताल किया करता हूँ। सैंतीस साल पहले शिक्षा के नाम पर जो खाद्य हमें दिया जाता था, लगभग उसी नमूने का खाद्य आज भी दिया जाता है। उस वक्त हमारा देश पराधीन था, आज स्वाधीन हो गया है।

देश में एक तरफ करोड़ों लोग जड़-कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों विद्यार्थियों को कर्मशून्य मूढ़ शिक्षा दी जा रही है। हुक्काम और हुक्मी—सिर्फ हुक्म करनेवाले और सिर्फ हुक्म माननेवाले—इस तरह के दो वर्ग बन गये हैं। दैन्य, दारिद्र्य और दुःख का सुकाल हो रहा है। चालू शिक्षण-पद्धति जब तक नहीं बदलती, तब तक इस स्थिति में सुधार होनेवाला नहीं है।

—'निवक', जून १९५३

विद्या का विनोद

: ६ :

कई बार हम लोगो का पडाव पाठशालाओं में हुआ करता है। छोटे-से गाँव में पाठशाला ही एक अच्छी इमारत होती है। वहाँ हम लोगो को ठहरने की सुविधा हो जाती है और बच्चों को भी आनंद आता है। उन्हें एक छुट्टी मिल जाती है।

छुट्टियों की खैरात

आज जिस कक्षा में हमारा पडाव था, वहाँ पाठशाला की इस वर्ष को छुट्टियों की तालिका टँगी थी। छोटे-बड़े कुल चालीस ल्योहारो की ५५ छुट्टियों का हिसाब लगाया गया था। हमारे आने की छुट्टी ५६वीं रही। हमारे देश में अनेक धर्म हैं। उन-उन धर्मों के अनेक सत्पुरुष हुए हैं और उन-उन सत्पुरुषों के अनेक अभिमानी व्यक्ति हैं। इन सबको मिलाकर छुट्टियों की खैरात बंटती है। फलस्वरूप बच्चों के पल्ले सहज ही सर्व-धर्म-समभाव पड जाता है।

जन्म-मृत्यु

और जन्म-मृत्यु भी समान हो जाते हैं। मुझे याद आता है कि हम लोगो के बचपन में बादशाह के मरने पर एक दिन की छुट्टी होती थी और उसके जन्म-दिन पर छुट्टी तो थी ही। जैसे हिन्दूधर्म में वरही को मीठा खाना और तेरही को भी मीठा खाना। कोई जिये या मरे, मुँह सदैव मीठा हुआ करेगा।

जयन्तियाँ

ये छुट्टियाँ उत्तर प्रदेश के शिक्षा-विभाग ने दी हैं। मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सर्वजनप्रिय सन्त तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास के नाम पर छुट्टियाँ नहीं दी गयी। नहीं तो विद्यालय में यानी 'विद्या के लय में' और भी वृद्धि हो जाती। हाँ, नानक और गुरु गोविन्दसिंह के नाम पर छुट्टियाँ अवश्य हैं। बुद्ध, महावीर, मुहम्मद आदि के नाम पर तो छुट्टियाँ

होगी ही। जिनके नाम पर झगडे सडे हो सकते है अथवा जिनके अपने मतवालो के सब है या जो सौतियाडाह पर उताह है, उनके नाम पर छुट्टियाँ द दी, वस, झगडा समाप्त।

ग्रहण पर भी छुट्टी

इम साल चन्द्र-सूर्यग्रहणों की ३ छुट्टियाँ है। ग्रहण हो या न हो, चन्द्र-सूर्य की गति में रुकावट नहीं पडती। पर श्रद्धालु लोगो ने खोज की है कि ग्रहण मे उनकी गति थोडी देर के लिए कुण्टित हो जाती है। उमका फायदा छात्रो तथा शिक्षको को मिल जाता है। 'भोजन के बाद दोपहर को थोटी देर अवश्य मोना चाहिए' यह वनलाते हुए एक मज्जन मुझमे कह रहे थे कि 'सूर्य भी दोपहर को थोटी देर विराम करता है।'

रविवार की छुट्टी

ईश्वर ने छह दिनो में सृष्टि की और एककर मानवे दिन उमने आराम किया। तभी से किमी सम्प्रदाय में शुक्रवार को, किमीमे शनिवार को और अब तो सर्वत्र रविवार को हक की छुट्टी करार दी गयी है। पर भोजन की छुट्टी कभी नहीं हुआ करती, कारण उमसे थकान जो नहीं आती। कुछ लोग कहते है कि मैं रविवार को भरपेट भोजन करता हूँ, क्योंकि उस दिन खाने के बाद सोने की भरपूर सुविधा मिलती है। अन्य दिनो कचहरी जाना पडता है। इमलिए पेट में डाल लिया तो डाल लिया, नहीं तो नहीं ही डाला। रविवार को खाने के लिए ईश्वर की नजीर नहीं, कारण उमे केवल विराम की

ही गरज थी, खाने की नहीं। हमे दोनो की गरज है, इसलिए हम लोग ईश्वर से एक कदम आगे हैं।

इसमे शक नहीं कि छुट्टी भी आनन्दवर्द्धक वस्तु है और भोजन करना भी। इसका कारण वतलाने की जरूरत नहीं। पर छुट्टी लेने पर खाना कसे मिले? इसा एक भारी समस्या पर आज हमे विचार करना है। जब काम करने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलता, तो काम छोडने पर वह कैसे मिल सकेगा?

गर्मी के दिनों में

त्योहारो और रविवार की छुट्टियो के सिवा गर्मी की लम्बी छुट्टियाँ इस देश के लिए अग्रेजो की देन हैं। 'विद्या और अविद्या, दोनो मिलकर पूर्ण साधना बनती है'—उपनिपद् की इस शिक्षा से गर्मी की छुट्टी का अच्छा मेल बैठता है। अविद्या को एक साथ तीन माह का मौका मिलता है। वच्चो को नाहक सिर पर लादी गयी विद्या को उठाकर पटक देने का अवसर मिलता है। विद्या देवी शत-प्रतिशत अक मिले बगैर किसीको पास नहीं कर सकती, पर विद्या और अविद्या, दोनो के मिल जाने से ३३ प्रतिशत से ही काम चल जाता है।

शिक्षकों के काम के घंटे

नागपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कहते हैं "सप्ताह मे २० घण्टो से अधिक पढाना हम लोगो के लिए सभव नहीं।" प्रान्त की सरकार उनसे कहती है "आज देश को अधिक श्रम की जरूरत है, आप लोग सप्ताह में २४ घटे देते चलिए।" इस

विवाद का कंसा अन्त हुआ, पता नहीं। पर दोनों पक्ष १८ घंटे कबूल कर लें, तो विवाद मिट सकता है। सप्ताह के दिन छह और रोज के घण्टे तीन—छहतियाँ अठारह—इस तरह हिसाब ठीक बैठ सकता है। १८ का अंक इतना शुभ है कि उसे व्यासजी की भी सम्मति मिल जायगी। हाँ आज के घण्टे की तरह शिक्षको का घण्टा भी पूरे साठ मिनटो का हो, यह आग्रहमात्र कोई न करे। कारण किसी एक विषय पर वच्चो के मन की एकाग्रता टिकने के वारे में अभी तक का अनुभव साठ मिनट के घण्टे के अनुकूल नहीं है। धार्मिको ने यह निर्णय दिया है कि नवीन विषय नये मुहूर्त पर शुरू करना चाहिए। मुहूर्त यानी दो घडी या अड़तालीस मिनट। इस निर्णय के अनुसार चालीस से पचास मिनट के दरमियान कही भी घण्टा हुआ करता है।

शिक्षक और शरीर-श्रम

सप्ताह में २० घण्टे से ज्यादा पढाना संभव नहीं, यह बात में भी सहज ही मान सकता हूँ। कारण पढाने में मस्तिष्क, फुफ्फुस और गले को कितनी मेहनत करनी पडती है, इसका मुझे अनुभव है। इन दिनों मैं एक घण्टे से अधिक पढाने की मजदूरी नहीं कर सकता। अगर इमानदारी से और विश्वासपूर्वक पढाया जाय, तो ऐसा ही अनुभव आयगा। फिर भी यह सुझाव मानने में तो कोई अडचन न होनी चाहिए कि प्रतिदिन तीन घण्टे पढाया जाय और तीन घण्टे कोई भी उत्पादक-श्रम किया जाय। पर चूँकि शरीर-श्रम शिक्षक का धर्म नहीं माना गया, इसलिए स्वधर्मनिष्ठ शिक्षक इस बात के लिए सहसा तैयार न होंगे।

मैंने यह लेख विनोद में लिखा है, पर मैं इसमें मजदूर की वेदना छिपा नहीं सका। इसके लिए मैं विवश हूँ।

—'भिवक', जुलाई १९५२

संस्कृत शिक्षा भी अंग्रेजी में : १० :

घानी के वैल

परसो वत्सला मिलने के लिए आयी थी। आजकल वह कॉलेज में पढ रही है। कौन-कौन विषय वह सीख रही है, इसकी चर्चा निकली, तो मालूम हुआ कि बवई प्रान्त में सब विषय अंग्रेजी द्वारा ही सिखाये जाते हैं। वह कहती थी कि वही माध्यम शायद दस साल तक जारी रहेगा। मैं नहीं जानता कि उसका यह कहना कहाँ तक ठीक है। किन्तु अभी तक अंग्रेजी माध्यम चल रहा है, यह मैं जानता तो था, पर संस्कृत भी अंग्रेजी में सिखायी जा रही है, यह सुनने के लिए मैं तैयार नहीं था। यानी अब सिर्फ मातृभाषा भी अंग्रेजी के जरिये नहीं पढायी जाती, यह गनीमत ही है। अंग्रेजी के जरिये संस्कृत सिखाना कितना विचित्र है, यह सब महसूस कर सकते हैं। लेकिन वरसो से यह चल रहा है। मुझे इसका पता नहीं था कि आज भी वैसे ही चलता है। जो लोग पढाते हैं, वे क्या यह नहीं सोच सकते कि संस्कृत का हमारी मातृभाषा से कितना निकट का मवध है। उसके जरिये संस्कृत पढाने से यह काम कितना आसान और रसमय हो सकता है। उसे और भी रसमय

बनाना चाहें, तो संस्कृत के जरिये भी संस्कृत सिखायी जा सकती है। लेकिन अंग्रेजी के जरिये पढ़ाना तो समझ में ही नहीं आ सकती। इसका अर्थ यही है कि परंपरा छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। उपमा अच्छी नहीं है, पर सफ है कि धानी के तैल की तरह परंपरा में हम लोग फँसे हैं।

संस्कृत किसलिए सीखते हैं ?

बल्लभ ने यह भी मालूम हुआ कि पाठ्यक्रम में संस्कृत का जो माहिर्य रखा गया है, वह इतना शृंगारपूर्ण है कि कक्षा में उसकी चर्चा अनभव-सी है। छत्तीस साल पहले मैं बड़ोदा कॉलेज में था। तब वहाँ संस्कृत के विद्यार्थियों को ऋतुमहार, मेघदूत आदि पढ़ाया जाता था। भगवान् की कृपा से मैंने कॉलेज में संस्कृत के ध्यान पर फ़ोकस ली थी। इसलिए उन मारी वेदनाओं से मैं बच गया। लेकिन यह भी मोक्षना चाहिए कि हम संस्कृत किम-त्रिण सीखते हैं। विवेकानन्द ने कहा था “अगर वेदान्त का प्रचार करना चाहते हो, तो लोगों को संस्कृत सिखा दो। तुम्हारा काम हो जायगा।” अर्थात् विवेकानन्द के खयाल में संस्कृत यानी वेदान्त। गीता, उनिपद्, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थ संस्कृत का जिन्दा माहिर्य है। लेकिन कॉलेजों की जट-परंपरा को यह जिन्दा माहिर्य नहीं भाता। लोकलाज के मारे बी० ए० के लिए वे कुछ रज लेते हैं।

आध्यात्मिक दृष्टि से ही

आजकल जो माहिर्य संस्कृत के नाम में पढ़ाया जाता है। उतना ही माहिर्य अगर संस्कृत में होना, तो मैं संस्कृत सीखता

ही नहीं। सस्कृत में नाटक, उपन्यास आदि भी हैं। लेकिन वह सस्कृत की विशेषता नहीं है। आधुनिक भाषाओं में ऐसा माहित्य विपुल है। उसके लिए खास सस्कृत सीखने की प्रेरणा क्यों होनी चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि से ही सस्कृत सीखने की प्रेरणा हो सकती है या तो फिर भाषा-शास्त्री सस्कृत सीखते रहेंगे। लेकिन हम आम जनता की दृष्टि से सोचते ही नहीं, इसलिए यह हमें सूझता नहीं है।

—'सेवक', दिमम्बर १९४९

छुट्टी का समय बदलिये

: ११ :

हिंदुस्तान में हजारों वर्षों से अध्ययन-अध्यापन चला आ रहा है, पर पाठशालाओं को लंबी छुट्टी देने की योजना किसीको नहीं सूझी। अंग्रेजी विद्या शुरू होने के साथ ही शिक्षा में छुट्टियों का प्रवेश हुआ। पहले साधारणतः सप्ताह में एक दिन अनध्याय होता था। इसके सिवा शिष्टों का आगमन और विशेष प्रसंग अपवाद माने जाते थे। पर अब तो साल भर में जैसे-तैसे ६-७ महीने पाठशाला चलती है। चूंकि आज की पाठशालाएँ बन्दी-गृह-सी बन गयी हैं, इसलिए छुट्टियों की आवश्यकता स्पष्ट है। यानी उस वारे में शिकायत करने का कोई कारण ही नहीं।

छुट्टियाँ बरसात में हों

पर लम्बी छुट्टियाँ यदि देनी ही हों, तो कब दी जायँ, इस सम्बन्ध में पुनर्विचार होना जरूरी है। ऐसी छुट्टियाँ आजकल

गर्मी के दिनों में देने की चाल चल पड़ी है। यहाँ की गर्मी साहबों के लिए अमह्य थी, इसीलिए उन्होंने गर्मी में यह छुट्टी रखी। उन दिनों वे ठढी जगह में जमकर रहते थे, पर अब तो उमका कोई सवाल ही नहीं। साहब तो अब हिंदुस्तान छोड़कर सदा के लिए इंग्लैण्ड की ठढी हवा में रहने के लिए चले गये हैं। इसलिए अब से गर्मी की छुट्टी बदलकर बरसात में कर देना ठीक होगा। बरसात में किसानों के खेतों में गोडाई होती है, उस समय बच्चे खेतों पर काम कर सकेंगे। एक माघ डेढ़-दो माह की छुट्टी न देकर गोडाई का समय देखकर हर वार १५-१५ दिन की छुट्टी दी जा सकती है। गर्मी में दिन बड़ा होता है। उस समय खेतों में भी काम नहीं रहता। उस समय छुट्टी देने का मतलब है, बच्चे या तो धूप में इधर-उधर भटकें या घर पर लम्बी तानें, इसके सिवा दूसरी कोई गति नहीं। इसलिए यह परिवर्तन अत्यावश्यक है। साहबों का राज्य तो चला गया और अब किसानों का राज्य आ गया है। यह बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए।

—'सिंहावलोकन'

कौटुम्बिक पाठशाला

: १२ :

विचारों का प्रत्यक्ष जीवन से नाता टूट जाने से विचार निर्जीव हो जाते हैं और जीवन विचार-शून्य बन जाता है। मनुष्य घर में जीता और मदरसे में विचार सीखता है, इसलिए जीवन और विचार का मेल नहीं बैठता। इसका उपाय यह है कि एक

ओर से घर में मदरसे का प्रवेश होना चाहिए और दूसरी ओर से मदरसे में घर घुसना चाहिए। समाज-शास्त्र को चाहिए कि शालीन कुटुम्ब निर्माण करे और शिक्षण-शास्त्र को चाहिए कि कौटुम्बिक पाठशाला स्थापित करे। इस लेख में शालीन कुटुम्ब के सम्बन्ध में विचार नहीं करना है, कौटुम्बिक शाला के सम्बन्ध में थोड़ा दिग्दर्शन कराना है।

छात्रालय अथवा शिक्षको के घर को शिक्षा की बुनियाद मानकर उस पर शिक्षण की इमारत रचनेवाली शाला ही कौटुम्बिक शाला है। ऐसी कौटुम्बिक शाला के जीवनक्रम के सम्बन्ध में—पाठ्यक्रम को अलग रखकर—कुछ सूचनाएँ इस लेख में करनी हैं। वे इस प्रकार हैं —

(१) ईश्वर-निष्ठा ससार में सारवस्तु है। इसलिए नित्य के कार्यक्रम में दोनों समय सामुदायिक उपासना या प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना का स्वरूप सत-वचनो की सहायता से ईश्वर-स्मरण होना चाहिए। उपासना में एक भाग नित्य के किसी निश्चित पाठ को देना चाहिए। “सर्वेषामविरोधेन” यह नीति हो। एक प्रार्थना रात को सोने के पहले होनी चाहिए और दूसरी सुबह सोकर उठने पर।

(२) आहार-शुद्धि का चित्त-शुद्धि से निकट सवध है, इसलिए आहार सात्त्विक होना चाहिए। गरममसाला, मिर्च, तले पदार्थ, चीनी और दूसरे निषिद्ध पदार्थों का त्याग करना चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थों का मर्यादित उपयोग करना चाहिए।

(३) ब्राह्मण से या दूसरे किसी रसोइये से रसोई नहीं

वनवानी चाहिए। रसोई की शिक्षा भी शिक्षा का एक अंग है। मार्बजनिक काम करनेवालों के लिए रसोई का ज्ञान जरूरी है। सिपाही, प्रवासी, ब्रह्मचारी, सबको वह आनी चाहिए। स्वावलम्बन का वह एक अंग है।

(४) कौटुम्बिक पाठशाला को अपने पाखाने का काम भी अपने हाथ में लेना चाहिए। अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ किसी भी मनुष्य से छुआछूत न मानना ही नहीं है, किसी भी समाजोपयोगी काम से नफरत न करना भी है। पाखाना साफ करना अन्यज का काम है, यह भावना चली जानी चाहिए। इसके अलावा स्वच्छता की सच्ची तालीम भी इसमें है। इसमें सार्वजनिक स्वच्छता रखने के ढंग का अभ्यास है।

(५) अस्पृष्यो महित सबको मदरसे में स्थान मिलना चाहिए। यह तो है ही, पर 'कौटुम्बिक' पाठशाला में भोजन में पक्तिभेद रखना भी संभव नहीं। आहार-शुद्धि का नियम रखना काफी है।

(६) स्नानादि प्रातः कर्म सबेरे ही कर डालने का नियम होना चाहिए। स्वास्थ्य-भेद से अपवाद रखा जा सकता है। स्नान ठंडे पानी से करना चाहिए।

(७) प्रातः कर्मों की तरह सोने से पहले के 'सायकर्म' भी जरूर होना चाहिए। सोने के पहले देह-शुद्धि आवश्यक है। इस सायकर्म का गाढ निद्रा और ब्रह्मचर्य से सबव है। खुली हवा में अलग-अलग सोने का नियम होना चाहिए।

(८) कितावी शिक्षा के बजाय उद्योग पर ज्यादा जोर देना चाहिए। कम-से-कम तीन घंटे तो उद्योग में देने ही चाहिए।

इसके बिना अध्ययन तेजस्वी नहीं हो सकता। “कर्मातिशेषेण” अर्थात् काम करके बचे हुए समय में वेदाध्ययन करना श्रुति का विधान है।

(९) शरीर के तीन घटे उद्योग में लगाने और गृहकृत्य और स्वकृत्य स्वतः करने का नियम रखने के बाद दोनों समय व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक समय अपनी-अपनी जरूरत के मुताबिक खुली हवा में खेलना, घूमना या कोई विशेष व्यायाम करना उचित है।

(१०) कातने को राष्ट्रीय धर्म तथा प्रार्थना की भाँति नित्यकर्म में गिनना चाहिए। उसके लिए उद्योग के समय के अलावा कम-से-कम आधा घंटा समय देना चाहिए। इस आधे घंटे में तकली का उपयोग करने से भी काम चल जायगा। कातने का नित्यकर्म यात्रा में या कहीं भी छोड़े बिना जारी रखना हो, तो तकली ही उपयुक्त साधन है। इसलिए तकली पर कातना तो आना ही चाहिए।

(११) कपड़े में खादी ही वरतनी चाहिए। दूसरी चीजें भी जहाँ तक संभव हो, स्वदेशी ही लेनी चाहिए।

(१२) सेवा के सिवा दूसरे किसी भी काम के लिए रात को जागना नहीं चाहिए। बीमार आदमी की सेवा इसमें अपवाद है, पर मौज के लिए या ज्ञान-प्राप्ति के लिए भी रात्रि-जागरण निषिद्ध है। नींद के लिए ढाई पहर रखने चाहिए।

(१३) रात को भोजन नहीं करना चाहिए। आरोग्य, व्यवस्था और अहिंसा, तीनों दृष्टियों से इस नियम की आवश्यकता है।

(१४) प्रचलित विषयो में सपूर्ण जाग्रति रखकर वाता-
चरण को निश्चल रखना चाहिए ।

प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कौटुम्बिक जाला के जीवन-
क्रम के सम्बन्ध में ये चौदह सूचनाएँ दी गयी हैं । इनमें किताबी
शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में व्योरा नहीं
दिया गया है । उस बारे में लिखना होगा, तो स्वतंत्र रूप से
लिखना पड़ेगा ।

—'मधुकर' में

पद्धति-पंचक

: १३ :

घडा और मिट्टी एक है या दो ? आप अगर 'दो' कहेंगे, तो
हमारी मिट्टी हमें दे दीजिये और अपना घडा ले जाइये । घडा
और मिट्टी 'एक' है, ऐसा अगर आप कहेंगे, तो वह मिट्टी का
ढेर पडा है, भगिये पानी । मिट्टी और घडे के इस सम्बन्ध को
'समवाय' कहते हैं । वर्धा शिक्षण-पद्धति को मैंने 'समवाय-
पद्धति' नाम दिया है, क्योंकि इन पद्धति में उद्योग और शिक्षण
का इन तरह का 'समवाय' गृहीत है ।

बच्चों के बारे में शिक्षण की रचना किन्नी एक मूल-उद्योग पर
चुडी की जाय । उद्योग में शिक्षण को गरमाहट मिले और शिक्षण
में उद्योग पर प्रकाश डाला जाय । इसका नाम है 'समवाय-
पद्धति' ।

औद्योगिक शिक्षा एक अलग चीज है । उसमें सिर्फ उद्योग
सिखाया जाता है । वह मिट्टी का टेर है । किताबी पढाई

अलग चीज है, उसमें सिर्फ ज्ञान दिया जाता है। वह घड़े का चित्र है। देख लीजिये, लेकिन पानी भरने के काम का वह नहीं।

केवल-पद्धति

प्रचलित शिक्षा-पद्धतियों में मानव के विविध अंगों में से केवल एक अंग—बुद्धि की ओर ध्यान दिया गया है। वह भी उसके विकास के बदले विलास करनेवाला है। चूंकि इस पद्धति में केवल बुद्धिविलास की ओर या उसके प्रोत्साहकों की भाषा में केवल शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया, इसलिए मैं उसे “केवल-पद्धति” कहता हूँ। इस पद्धति के अन्य अनेक दोष छोड़ दिये जायें, तो भी शिक्षाशास्त्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि उसमें वाह्य आधार के बिना ज्ञान दिया जाता है, जिससे वह ठूस-ठूस-कर भरना पड़ता है। फलस्वरूप वह ठीक से याद नहीं रहता, जीवन के साथ समरस नहीं हो पाता। इसके सिवा ऐसी शिक्षा से बेकारी भी बढ़ती है।

परिशेष-पद्धति

दूसरी पद्धति है—“परिशेष-पद्धति।” जिस तरह किसी ग्रन्थ का परिशिष्ट होता है, उसी तरह शिक्षा के परिशिष्ट-रूप में इसमें उद्योग को स्थान दिया जाता है। इस पद्धति में उद्योग के शामिल होने पर भी उसका महत्त्व पूँछ सरीखा ही माना जाता है। इसके सिवा उद्योग एक मनोरंजन, खेल या अलंकार के रूप में अपनाया जाता है। शिक्षा का श्रम मिटाने या प्रदर्शन-भर ही उसका उपयोग किया जाता है।

समुच्चय-पद्धति

तीसरी पद्धति "समुच्चय-पद्धति" है। इस पद्धति में उद्योग और शिक्षा, दोनों को समान महत्त्व देने का प्रयत्न किया जाता है। यानी ज्ञान के लिए जितना समय दिया जाता है, उद्योग के लिए भी उतना ही। मिट्टी पानी का अर्थ घड़ा नहीं है। दोनों को मिलाकर कुम्हार जब उसमें अपनी कला उँडेलता है, तब घड़ा तैयार होता है। समुच्चय-पद्धति में शिक्षा पानेवाले को सन्तोष नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि मेरा शिक्षा का समय व्यर्थ ही उद्योग में बीता जा रहा है। वह कभी लाचार होकर उद्योग करता है। कभी स्वार्थवशात् और कभी शिक्षा कहकर। चूँकि इस पद्धति में उद्योग शिक्षा के अग के रूप में समाविष्ट नहीं किया जाता, इसलिए उसके प्रति उपजीविका के साधनमात्र की दृष्टि रहती है। इस दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा शिक्षा की अपेक्षा कम ही है। इसलिए उद्योग करते हुए भी उसे उसमें उतनी रुचि नहीं मालूम पड़ती। इसके सिवा शिक्षा और उद्योग, इन दोनों का परस्पर मेल नहीं बैठता। शिक्षा में चल रहा होगा 'शाकुतल' या अफ्रीका का भूगोल और उद्योग में उसे आवश्यक होगी वटई-गिरी की, लकड़ी के भूगोल की जानकारी। इस कारण दोनों के विषय एक-दूसरे के पूरक नहीं हो पाते।

संयोजन-पद्धति

उपर्युक्त तीनों पद्धतियों से भिन्न 'संयोजन' नाम की एक पद्धति शिक्षण-शास्त्री जानते हैं। 'कर्म द्वारा ज्ञान' यह समवाय-पद्धति का सूत्र इसमें मान लिया है, लेकिन इस पद्धति में कर्म को

गौण स्थान दिया है। कुछ ज्ञान देना है, तो उसके अनुकूल एक सयोजन लेकर पढाया जाता है। लेकिन वह कृत्रिम-सा होता है।

समवाय-पद्धति

समवाय-पद्धति में किसी एक जीवनव्यापी और विविध अगयुक्त मूल-उद्योग शिक्षण के माध्यम के तौर पर लिया जाता है। यह उद्योग शिक्षण का सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि उसका अविभाज्य अंग रहता है। उस उद्योग के द्वारा इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है (१) बच्चों की सब तरह की शक्तियों का विकास करना, (२) बच्चों को जीवनोपयोगी विविध ज्ञान देना और (३) बच्चों को आजीविका का एक समर्थ साधन मुहैया करना। इस उद्देश्य की पूर्ति का एक छोटा-सा लेकिन महत्त्व का सबूत यह है कि बच्चों के काम में से पाठशाला के शिक्षण के खर्च का कुछ अंश निकले, ऐसी अपेक्षा की जाती है।

इस तरह समवाय-पद्धति प्रचलित सारी शिक्षण-पद्धतियों से भिन्न और अब तक के अनुभवों की निष्कर्षरूप अंतिम परिणति है।

इस पद्धति में जो मूलोद्योग चुना जाय, वह व्यापक और विविध अगयुक्त होना चाहिए, यह बात ऊपर कही ही गयी है। हिंदुस्तान की आज की हालत देखते हुए ८० प्रतिशत पाठशालाओं में ऐसा जो मूलोद्योग शुरू किया जा सकता है, वह मेरी राय में कातने का ही हो सकता है। ७ साल की उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर मैं यह कह रहा हूँ।

—‘मूल उद्योग कातना’ में कुछ परिवर्तन करके

मूलोद्योग के चुनाव में विवेक : १४ :

हमारी सस्कृति की खासियत

आज यह सवाल पूछा गया है कि बुनियादी शालाओ में "पोन्ट्री (मुर्गी-पालन) और फिशरी (मत्स्य-उत्पादन) उद्योगो को मूल उद्योग के रूप में लिया जा सकता है क्या ?" अब यह एक ऐसा विषय है कि जो हिंदुस्तान में ही उठता है, दुनिया के और किसी देश में नहीं उठता। यह हिंदुस्तान की ब्रदकिस्मती नहीं, बल्कि इसमें हमारी मस्कृति का इतिहास सचित है।

अहिंसा का विचार रखनेवाले लोग दो तरह की दृष्टियाँ इस विषय में रख सकते हैं। दोनों अहिंसक हो सकते हैं और दोनों अपने निर्णय अलग-अलग दे सकते हैं। एक मिसाल देता हूँ। काकासाहब की अहिंसा पर उतनी ही श्रद्धा है, जितनी मेरी, और मासाहार को मैं जितना निषिद्ध मानता हूँ, उतना ही वे भी मानते हैं। उन्होंने 'फिशरी' के विषय में एक लेख लिखा है। उसमें यह कहा गया है कि "फिशरी एक ऐसा घधा है, जिसमें शिक्षणविषयक आवश्यकताएँ बहुत-सी हैं और 'बेसिक क्राप्ट' के तौर पर उसे अच्छी तरह चलाया जा सकता है" मैं मानता हूँ कि 'बेसिक क्राप्ट' के लिए जिन कुशलताओ की आवश्यकता है, वे सभी उस घधे में मिलती होगी और उसके इर्द-गिर्द कई तरह के ज्ञान हम दे सकते हैं, जैसे दूसरे घधो में भी दे सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आज यह घधा क्रूर पद्धति से चलाया जाता है। यदि यह अधिक शास्त्रीय रीति से चलाया जाय, तो प्राणियो को

कम-से-कम तकलीफ होगी। अगर यह धधा बच्चो को सिखाया जाता है, तो इसमें क्या दोष है ?

क्या मछली मारना मूलोद्योग है ?

मैं जब इस धधे के बारे में सोचता हूँ, तो इस उद्योग द्वारा बच्चो को विद्या देने की तैयारी अपने में नहीं पाता। क्योंकि तब मुझे बच्चो को यह सिखाना होगा कि उसके लिए इस तरह से एक हुक बनाओ। फिर यह भी बताना होगा कि उसमें किस तरह से माँस लगाओ। आमिष इसलिए कि वह मछली उसे खाने के लिए आकृष्ट होकर आये अर्थात् यह उसे ठगने की बात है। उसे तो यह बताना है कि हम तुम्हें कुछ खिन्ना रहे हैं। वह बेचारी खाने के लिए हुक पकडती है और हम फौरन उसे पकडकर अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसमें सब तरह से असत्य भी आया और हिंसा भी। तब मेरे लिए यह बहुत कठिन काम हो जायगा और बच्चो को इस तरह से तालीम देना मुझसे नहीं बनेगा। मैं बच्चो को किस तरह समझाऊँगा कि इस तरह फुसलाना और ठगना भी मानवीय-सत्य में आता है। याने फिर मानवीय-सत्य और अन्य सत्य, इस तरह का एक भेद हमें करना पडेगा। हिंसा को तो खैर एक दफा मैं कबूल भी कर लूँ, पर असत्य कबूल करना मेरे मन के लिए असह्य है। अब कोई ऐसी राह बता सकता है कि जिससे उन मछलियो को ठगने की भी जरूरत न पडे और ज्यादा तकलीफ भी न हो और वे हमारे हाथ में आ जायें। फिर भी बच्चो के शिक्षण में ऐसी चीज रखना मैं उचित नहीं मानूँगा। इन प्राणियो में भावनाओ का स्पष्ट ज्ञान मुझे दिखाई पडता है।

मैं खाने के लिए कुछ चीज देता हूँ, तो मछली फौरन प्रेम से खाने के लिए मेरे पास दौड़ आती है। डराता हूँ, तो भाग जाती है। मतलब यह कि वह मेरे प्रेम को समझती है और क्रोध को भी। तो इस तरह की भावना जहाँ मैं स्पष्ट देखता हूँ, वहाँ उनकी हत्या करने की बात मैं किस तरह बच्चों को समझा सकूँगा, यह मेरी समझ में नहीं आता।

यह तो हुई मछली मारने की बात। मुर्गी पालने के उद्योग के बारे में मेरा वैसा विरोध नहीं है। उसमें और भी दूसरी बातें हैं। उस बारे में मैं यहाँ ज्यादा नहीं बताऊँगा। जो चीज मुझे 'फिशरी' के लिए लगती है, वह 'पोल्ट्री' के लिए नहीं लग रही है। वह उसमें भिन्न है। यही मुझे कहना है।

अहिंसाधिष्ठित मूलोद्योग

किनीने मुझे पूछा कि "समवाय क्या चीज है?" मैंने कहा "समवाय का अर्थ तो होता है, ज्ञान और कर्म का सम्मिलन।" तो उन्होंने कहा कि "यही अगर है, तो हम अणु-वम के कारखाने में विद्यार्थियों को लगा सकते हैं। तो कर्म भी हुआ और उसके जरिये उन्हें ज्ञान भी दिया जायगा, ज्ञान और कर्म का भेद मिटा दिया जायगा, तो 'समवाय-पद्धति' होगी। क्या आप इसे कबूल करेंगे?" मैंने कहा "कबूल नहीं करूँगा। समवाय में ज्ञान और कर्म का अभेद आता है, लेकिन वह तो आपका अणु-वम का कारखाना है, उसमें मैं लड़के को नहीं लगाऊँगा, क्योंकि उसमें हमारा सर्वोदय का सिद्धान्त बाधित होता है। ऐसा उद्योग नयी तालीम में नहीं चलेगा।" तो उन्होंने कहा कि "तो तुम

समवाय का अर्थ यह करो कि जहाँ ज्ञान और कर्म का भेद मिट जाता है और जहाँ साध्य और साधन शुद्ध होता है।” यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और वह बात मैंने स्वीकार कर ली। हमारे समवाय में हमारे साधन और साध्य, दोनों की शुद्धि का विवेक रहना चाहिए।

कुछ लोग पूछते हैं कि “तुम जो छोटे-छोटे औजार हाथ में लेते हो, वैसे औजारों से पैदावार क्या होगी ?” मैं उनसे कहता हूँ कि “हिंदुस्तान की हालत क्या है, यह तो देखो। हमारे यहाँ की गरीबी देखो और फिर सवाल पूछो। हमारा यह सारा प्रयास गरीबों के लिए ही है। गाँवों में इतनी गरीबी है कि गाँववाले अपने लडके हमारे यहाँ पढने के लिए नहीं भेजते। लडके घर पर रहेगे, तो कुटुम्ब का कुछ भार हलका करेगे, स्कूल में तो कुछ कमाई होती नहीं। इस हालत में हमें ऐसी पद्धति काम में लानी चाहिए, जिससे वे अपने घर में काम भी कर सकें और स्कूल भी जा सकें।”

हमारे स्कूल द्वारा गरीबों की सेवा हो, यह दृष्टि हम अपने सामने रखें, तो फिर पाँच घंटे पढाये या छह घंटे, एक दफा पढायें या दो दफा, ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जायगा। जिस पद्धति से गरीबों की सेवा हो सकेगी, वही पद्धति नयी तालीम की पाठशाला में चालू होगी। ऐसी पद्धति की पाठशालाएँ चालू की जायँगी, तभी वे व्यापक पैमाने पर खोली जा सकेंगी।

शिक्षा का त्रिसूत्री कार्यक्रम

: १५ :

पढाव घमार, २८-९-५५

(एक पत्र से)

नयी तालीम के कार्यक्रम में कौन-सा ज्ञान आता है और कौन-सा नहीं आता, इसका कोई वाक्यायदा विभाग नहीं है। वैसे तो सभी ज्ञान उममे आ सकते हैं, लेकिन उमकी एक कसौटी है। दस दिन की भूख के लिए जैसे हम आज नहीं खाते, केवल आज की भूख के लिए खाते हैं, वैसे ही बालक के आज के जीवन में जिम ज्ञान की आवश्यकता उत्पन्न होती है, वह ज्ञान उसे आज दे। यह है, जानार्जन का मंत्र। अन्यथा ज्ञान का परिग्रह होता है। उसका बोझ या तो बच्चा उठाता नहीं, पटक देता है या उससे वह उठवाया जाय, तो उमकी वृद्धिशक्ति पर बेजा बोझ पडता है और जीवन-विकास कुठित होता है।

नयी तालीम की दृष्टि

‘नयी’ तालीम हम कहते हैं, लेकिन नया उसमें कुछ नहीं है। जिनका उत्तम आत्मविकास हुआ है, उन्होंने ज्ञान और अज्ञान, दोनों का उपकार मानकर दोनों का ठीक सग्रह किया, तभी उन्हें आत्मदर्शन हुआ। यही है, नयी तालीम की दृष्टि।

गत-प्रतिशत ज्ञान

आज की शाला में तैतीस प्रतिशत अक मिलने पर पास करने की योजना क्यों बनायी गयी है? इसका कारण स्पष्ट

है। उस योजना के बनानेवालो को मालूम है कि हम बच्चो के सिर पर ऐसा ज्ञान लाद रहे हैं, जिसकी आज उन्हें आवश्यकता नहीं। ऐसी हालत में शत-प्रतिशत की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? लेकिन नयी तालीम में मैं शत-प्रतिशत ज्ञान की अपेक्षा करूँगा।

शिक्षण के योग्य विभाग

भूगोल, इतिहास, गणित, रेखागणित, यो विषयो की गिनती ही करनी हो, तो असंख्य की जा सकती है। यह गिनती किसलिए? वाणी का विकास, मन का विकास, देह का विकास, बुद्धि का विकास, इन्द्रियो का विकास, ऐसे भाग हो सकते हैं।

प्राचीनकाल में हमारे विचारक पंचभूत मानते थे। आज जो मूलतत्त्वो का पता लगा है, वह उन पंचभूतो को काट नहीं सकता। वे पंचभूत दृश्य के पृथक्करण में से निकले हुए नहीं हैं, दर्शन के पृथक्करण में से निकले हैं। जब हमें पाँच इन्द्रियाँ हैं, तब तक हमारा दर्शन पंचविध रहेगा। सृष्टि में पंचभूत ही कायम रहेंगे। तात्पर्य यह कि हमें नाना विषयो को या नाना ग्रथो को सजाना नहीं है, बच्चो को सजाना है। अर्थात् उनके मन, बुद्धि आदि को सजाना है।

बच्चे खाते-पीते हैं, बीमार होते हैं। इसलिए खाने-पीने का शास्त्र, रोग-शास्त्र और आरोग्य-शास्त्र स्पष्ट ही उनके लिए आवश्यक है।

नयी तालीम के स्वाभाविक विषय

तुम्हारे वच्चे गोनाला में काम करते हैं, दूध पीते हैं, तो उन्हें उस विद्या को जान लेने की इच्छा और आवश्यकता, दोनो है। भाषा उन्हें उत्तम आनी ही चाहिए। व्यावहारिक गणित की आवश्यकता कोई टाल नहीं सकता। एक-दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें, इसका ज्ञान न रखनेवालो की गिनती पशु में ही होगी। इसलिए नीति-विचार, धर्म-विचार छोड नहीं सकते। इतिहास के नाते किशोरलालभाई की जानकारी तुम्हारे वच्चो को अवश्य रहनी चाहिए। कंसर या सीजर की जानकारी की उन्हें आवश्यकता नहीं है। गोपुरी का चर्मालय कैसे बना, वाळुजकरजी ने चमडा कैसे खीचा, साँप पकडने की कला भाऊ को कैसे हासिल हुई, मनोहरजी को महारोगियो की सेवा की कल्पना कैसे आयी—इन सब बातो की जानकारी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्यकाल या अन्यस्थल का ताल्लुक नयी तालीम मे कही नहीं आयगा। वह भी आ सकता है, लेकिन उसका प्रमग और उमकी आवश्यकता खडी होगी तव।

नयी तालीम का त्रिविध ज्ञान

भूले से लेकर ग्मगान तक का सभी ज्ञान नहीं देते रहना है। आज का आवश्यक ज्ञान दें और समय-समय पर जिस ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसके सम्पादन करने की शक्ति हासिल कराये और अदर छिपा हुआ स्वयभू ज्ञान बाहर निकालें, ऐसा तिहरा कार्यक्रम है (१) प्रकृत ज्ञान, (२) ज्ञानशक्ति-संपादन

और (३) आत्मज्ञान, यो हम इन्हे नाम दे। यह सारी दृष्टि ही निराली है। आज की नीरस-पद्धति से उसका मेल कैसे हो ?

—'सिवक', जनवरी १९५३

तुलना असंभव

: १६ :

(एक पत्र मे)

ऐसी स्थिति पैदा हो जानी चाहिए कि सोलहवें साल में यानी मौलिक पाठ्यक्रम के अन्त में तैयार हुए अपने बच्चे की सरकारी स्कूल से तुलना करने की आवश्यकता ही प्रतीत न हो।

जहाँ यह अपना बच्चा अध्यात्म-विद्या-सम्पन्न रहेगा, वहाँ उसे (स्कूली शिक्षा-प्राप्त बच्चे को) उसकी गन्ध तक न होगी। यह एक उद्योग-धन्वे में कुशल रहेगा, तो वह सर्वथा निरुद्योगी। यह सभी व्यवहारों में दक्ष रहेगा, तो वह व्यवहारगून्य। इसके सामने पराक्रम के क्षेत्र खुले रहेंगे, तो उसकी आँखों के सामने अँधेरा छाया रहेगा। यह सगोचक होगा, तो वह सगोच्य।

दिशा-दर्शन

: १७ :

गोमाईगज, २६-४-५२

(एक पत्र मे)

विलकुल छोटे बच्चों को एक ही विषय देने से काम नहीं चलेगा। साथ ही उन पर अनेक विषयों का बोझ लादना भी

व्यर्थ है। उनके लिए विषय एक ही हो, "जीवन-विकास।" उसके तीन अंग हैं वाणी, शरीर और मन।

१ वाणी के लिए अच्छे मजन, कविता आदि मधुर कठ से और स्वच्छ उच्चारण से पढ़ना तथा अर्थ का सामान्य ज्ञान। वाचन, वाक्प्रकाशन और सत्य-प्रिय, सयत वाणी का अभ्यास।

२ शरीर के लिए खुली हवा में उद्योग, अदल-बदलकर दिनभर कुछ-न-कुछ काम। खेल, हित-मितयुक्त आहार, दिन-चर्या, ऋतुचर्या, निसर्गोपचार का ज्ञान और तदनुसार उचित आचरण।

३ मन के लिए कैसा व्यवहार-वर्तवि हो, सबके लिए उपयोगी कैसे बने, देहेन्द्रिय पर अक्रुश कैसे रखें, हम देह से भिन्न हैं, इस वस्तु का ज्ञान। अडोस-पडोस के समाज की और सृष्टि की जरूरी जानकारी।

इस तरह थोड़े में यह शिक्षण का स्वरूप है। बच्चे और शिक्षा, दोनों का सम्मिलित जीवन होना चाहिए।

तीन मुख्य बातें

किसी एक भाषा का उत्तम ज्ञान, काम चलाने भर के लिए आवश्यक गणित का अच्छूक ज्ञान और किसी एक उद्योग में मग्नता, ये तीन मोटी बातें होनी चाहिए।

समवाय की चिन्ता नहीं

उद्योग-मूलक ज्ञान यानी उद्योग का ज्ञान के साथ मेल बैठाना। इसकी चिन्ता करते-करते लोग हैरान हैं। लेकिन आप

उसकी चिन्ता न करे। बुनाई का 'ज्ञानेश्वरी' के साथ क्या सवध है, इस तरह की बहस में हम न पडे। ढेर किताबों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिम ग्रन्थ ने सारे समाज को पकड रखा है, उसका उद्योग के साथ क्या सवध है, यह आशका "माता का बच्चे से क्या सवध है" के जैसी है। ज्ञान कच्चा कतरई नहीं रहना चाहिए। आचरणयुक्त ज्ञान कच्चा रह ही नहीं सकता।

शिक्षक का आश्रम

शिक्षक का आश्रम यानी वानप्रस्थाश्रम। उम दिशा में जितनी तेजी से प्रगति होगी, उतना ही बच्चों का शिक्षण भी सही तौर पर बनियादी होगा।

गुण-विकास के अंग

: १८ :

१ विना कारण न डरे। भय लगे, तो भगवान् का नाम लें। भगवान् के नाम के सामने भय टिक ही नहीं सकता।

२ अपने हाथों ह नेवाली गलतियाँ रोज-की-रोज सुधारी जायें। चीते कल की गलतियाँ आज न हों और आज की गलतियाँ आगामी कल न हों इसका ध्यान रखें।

३ विचार ठीक से समझ लें। 'समझ में आये हुए विचारों को अमल में लाये वगैर नहीं रहेंगा', इस बात का पक्का निश्चय कर लें।

४ अपनी शक्ति के अनुसार, आवश्यकता पडने पर दूसरो की मदद करते रहे। यह बात कभी न भूलें कि हमें बहुतो से ऐसी मदद मिली है।

५ हर बात में अगुआ न बने। अपने आपको रोक रखें।

६ कोई-न-कोई उत्पादक-श्रम किये बगैर भोजन न करें।

७ प्रतिदिन कुछ समय नियमित रूप से अध्ययन करे।

८ अपने शरीर से गुरुजनो की सेवा करे।

९ सीधे बैठे, सीधा बोले और सीधा विचार करें।

१० किसीसे मार-पीट न करे। किसीका जी न दुखाये।

११ सचार्ड का वर्ताव करे। सदा सच बोले।

१२ क्रोध कभी न आने दे। क्रोध आना दुर्बलता का लक्षण है।

१३ हर बात में अपना फायदा न देखें। ध्यान रहे कि ससार हमारे भोग के लिए नहीं है। हम ससार की सेवा के लिए है।

१४ गडबड, घाँघली और उतावली न करें।

१५ दूसरे का दोष न देखे, गुण ही ग्रहण करें।

१६ दूसरो के दु ख से दु खी हो। दूसरो का दु ख दूर करने के लिए व्याकुल रहे।

१७ किसी तरह का स्वाद न लगने दें। पेटूपन न करें। थोडे मे ही तृप्ति मानें।

१८ उद्वतपन न करें। सबसे मिल-जुलकर रहें। मृदु भाषण करे।

१९ बुरा काम करने में लाज लगे। मर्यादा का उल्लघन न करे।

- २० हाथ, पैर, आँख आदि अवयवों की अकारण हलचल न करें।
- २१ बल के जोर से कोई दबाना चाहे, तो न दवें।
- २२ कमजोर आदमी कोई गलती करे, तो उसे क्षमा कर दें।
- २३ शरीर को कुछ कष्ट मिले, तो व्याकुल न हो, धैर्य रखे।
- २४ स्वच्छता का ध्यान रखें।
- २५ किसीसे मत्सर न करे। स्वयं ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे को नीचे न गिराये।
- २६ मैं बड़ा हूँ, यह न माने। इसीमें सच्चा बड़प्पन है। छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए गीता की देवी सम्पत्ति के लक्षणों का यह सीधा-सादा और प्राथमिक अर्थ मने दिया है। व्यापक अर्थ 'ज्ञानेश्वरी' में बताया ही है।

शिक्षा और उद्योग

पाठशालाओं में गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषयों की जो शिक्षा दी जाती है, उसमें सुधारकर उद्योग का भी समावेश किया जाय, यही हम लोग कहते हैं। जीवन में गणित आदि का उपयोग है, इस बारे में कुछ सन्देह ही नहीं। उद्योग की आवश्यकता तो स्पष्ट ही है। फिर भी इतने से काम नहीं चलता। शिक्षा में मुख्य दृष्टि गुण-विकास की होनी चाहिए। उसीके लिए उद्योग तथा अन्य विषयों की योजना की जाय।

गुण-विकास

विषयों के विभाजन के आधार पर पाठ्यालय का समय पत्रक (टाइम-टेबल) तय करना तो भूल ही है। बिना उद्योग के गुण-विकाम नहीं होता और न गुणों की परख ही होती है। इसलिए उद्योग मिखलाया जाना चाहिए। उसमें बालक स्वावलम्बी होता है, यह भी एक गुण ही है। विचार ठीक से उपस्थित करते न बना, तो मही-मही मत्स्य-रक्षा भी नहीं होती। इसलिए भाषा की शिक्षा भी गुण-विकाम के अन्तर्गत आ जाती है। पर इन सबका शिक्षा की दृष्टि में स्वतंत्र मूल्य नहीं है।

—'मिक्', अगस्त १९५३

शिक्षक का आश्रम

: १६ :

(बोपगवा में कार्यकर्ताओं के समक्ष किया गया प्रवचन)

बुनियादी तालीम में उद्योगों के जरिये तालीम देनी चाहिए आदि बातें बहुत जोरो से सामने आती हैं, पर ऐसा नहीं दीखता कि इस बात पर किसीने मोचा या मोचना जरूरी समझा हो कि शिक्षक का आश्रम कौनसा हो।

शिक्षक और गृहस्थ

आज होता यह है कि मैट्रिक-परीक्षा में फेल हुआ कोई लडका लिया जाता है। उसको बुनियादी तालीम के अनुभव दिलाने हैं और तब वह शिक्षक के तौर पर अपने जीवन का

आरम्भ करता है। उसके साथ-साथ वह गृहस्थ के तौर पर अपने गृह-जीवन का भी आरम्भ करता है। पर ये दो आरम्भ इतने महान् हैं और इतनी बड़ी जिम्मेवारी के हैं कि दोनों एकरूप हैं, इस वास्ते दोनों एक साथ उठाये जा सकते हैं या फिर दोनों पर कुछ अकुश रखना है, इस वास्ते दोनों एक साथ उठाये जा सकते हैं, इस पर हमें सोचना है। जो हो, परन्तु एक बहुत ही गभीर विषय हमारे सामने है।

वानप्रस्थी ही शिक्षक हो

बहुत बरसों से इस विषय पर मैं सोचता हूँ, तो इसी निर्णय पर आता हूँ कि शिक्षक का आश्रम वानप्रस्थाश्रम ही है। सन्यासी शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि वह सारी दुनिया के लिए है। उसका मुक्त विहार है। खास विद्यार्थियों के लिए उसका जीवन नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्याश्रमी खुद विद्यार्थी है, इस वास्ते उसे भी शिक्षक का आश्रम नहीं कह सकते। वचे दो ही आश्रम, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अगर हम यह समझें कि ये दोनों आश्रम शिक्षक के लिए हैं, तो हमारी दृष्टि स्पष्ट नहीं है।

जिसे आप गृहस्थाश्रम कहते हैं, वह अनुभव-सपादन का आश्रम है और जब वह वानप्रस्थ होता है, तब उसे गृहस्थाश्रम में से मुक्त होना चाहिए। पर उस उम्र में वानप्रस्थ नहीं होना चाहिए, जिस उम्र में शरीर, मन, बुद्धि और वाणी, ये सब जीर्ण हो गयी हो। बल्कि तभी वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, जब समझ ले कि एक अनुभव मिला चुका है, अब उसे दूसरे को देने की योग्यता आयी है। विषय-वासना शुद्ध हो चुकी है और शरीर, मन, बुद्धि

आदि इन्द्रियाँ कार्यक्षम हैं। ऐसा जो वानप्रस्थ पुरुष हो, वही शिक्षक हो सकता है और वही प्रचारक भी हो सकता है।

अगर हम यह माने कि गृहस्थाश्रम के साथ-साथ कुछ तालीम भी दी जा सकती है, तो वह भी जरूर दी जा सकती है, लेकिन वह तालीम घर में ही दी जानेवाली तालीम होगी, जो माता-पिता के जरिये अपने ही बच्चों को दी जाती है। यदि उसीका विस्तार करना है, प्रचलित समाज-व्यवस्था में, तो बच्चे अपनी माँ के पास रहने के बजाय पाँच-पचास माताओं के बच्चे एकत्र होकर किसी एक माता के पास रखे जायँ और बाकी की माताएँ काम पर जायँ, ऐसी भी एक योजना हो सकती है। लेकिन वह तालीम समाज का रूप बदलनेवाली तालीम नहीं होगी, बल्कि समाज का जो रूप है, उस पर आधार रखनेवाली और उसका थोड़ा-सा मुधार कर सकनेवाली तालीममात्र होगी। मैं उसे नयी तालीम नहीं कहूँगा। वह पुरानी तालीम ही है।

नयी तालीम का अर्थ

नयी तालीम का एक अर्थ मेरे मन में यह है कि वह नया समाज बनायेगी। नया समाज नित्य-निरंतर बनाना ही वाकी रहेगा, यह भी समझने की जरूरत है। एक नया समाज हम बना लेंगे, तो उसके बाद कोई नया समाज बनना वाकी नहीं रह जायगा, ऐसा नहीं। जो समाज हम बना चुके, वह तो पुराना हो गया और इसलिए पुन नया समाज बनाने का काम शेष रह ही जाता है। नयी तालीम का मतलब है, नित्य नये समाज की रचना करनेवाली तालीम। ऐसी तालीम ऐसे अनुभवियों के

ही हाथों में होनी चाहिए, जो अनुभव-संप्रदान-समर्थ है और जिनकी व्यक्तिगत शुद्धि हो चुकी है। वे ही क्रांति का झंडा उठा सकेंगे।

वानप्रस्थ यानी अनुभवी

कोई नेपोलियन रहा, तो अपनी वीरगाथाएँ लोगों को सुनायेगा, अपने अनुभव उनके सामने रखेगा। जिस पुरुष ने युद्ध का अनुभव नहीं लिया, वह बच्चों को पराक्रमी क्या बनायेगा? कोई एकाध महाजन, जो सत्यनिष्ठा के साथ करोड़ों का व्यापार कर चुका हो, वह अगर शिक्षक बने, तो वह बच्चों को व्यापार का अनुभवयुक्त ज्ञान देगा। जिसने व्यापार ही नहीं किया, सिर्फ व्यापारी-कॉलेज में जो पास होकर आया, वह बच्चों को व्यापार की तालीम क्या देगा? भिन्न-भिन्न पराक्रम के क्षेत्रों में जो काम कर चुके और अनुभव प्राप्त कर चुके, वे ही बच्चों को तालीम देने के अधिकारी होते हैं।

इसलिए मैंने कहा था कि तालीम का काम वानप्रस्थों के हाथों में होना चाहिए। इस वारते वानप्रस्थाश्रम की स्थापना करने की हिम्मत और हिकमत अगर हममें हो, तो नयी तालीम जिस तरह हम चाहते हैं, उस तरह होगी। नहीं तो मुझे कोई आशा नहीं।

नयी तालीम का उद्देश्य

मुख्य विचार का प्रश्न यह है कि विद्यार्थियों की विद्या किस दिशा में मुडनी चाहिए। हमें प्रचलित समाज को सुखी बनाना है या नया समाज बनाना है? प्रचलित समाज को सुखी बनाने का

ही यदि विचार है, तो वानप्रस्थाश्रम की जितनी आवश्यकता अभी में प्रकट कर रहा हूँ, उतनी तीव्रता से वह महसूस नहीं होगी। परंतु अगर हम नव-समाज-निर्माण की बात करें, तो जो पराक्रम कर चुके, अनुभव से एक योग्यता प्राप्त कर चुके, जिनकी विषय-वासना परिशुद्ध हो चुकी और व्यापक हो चुकी है, जिनके मन, बुद्धि और शरीर आदि की शक्तियाँ क्षीण नहीं हुई हैं, बल्कि अधिक तेजस्वी और समर्थ हुई हैं, ऐसे शिक्षकों के हाथों में ही तालीम होनी चाहिए। ऐसे शिक्षकों का आश्रम वानप्रस्थाश्रम ही हो सकता है।

हर व्यक्ति शिक्षक बनें

एक दफा नयी तालीम की बात चली थी, तब राजाजी ने उसका महत्त्व बताते हुए कहा था कि “वह तो ऐसी विशेष तालीम है कि उसके वास्ते अनुभवयुक्त शिक्षकों की आवश्यकता रहेगी।” पूछा गया था कि मद्रास में यह नयी तालीम क्यों न चलायी जाय, तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि “मैं अगर राज्य-कार्य की जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाऊँ, तो नयी तालीम का शिक्षक बनूँगा।”

राजाजी का यह कथन ठीक है। हर एक के जीवन में शिक्षक बनने का समय आना ही चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के जीवन में एक समय ऐसा आना चाहिए कि जब वे नयी तालीम के शिक्षक बनेंगे। डॉ० राधाकृष्णन् के जीवन में ऐसा समय आना चाहिए कि जब वे नयी तालीम के शिक्षक बनेंगे और ऐसा एक समय धनश्यामदास त्रिडला के भी जीवन में आना चाहिए कि जब वे

नयी तालीम के शिक्षक वनेंगे। आप अगर यह आयोजन करते हैं, तो वह नवजीवनदायी आयोजन होगा।

गुण-विकास ही शिक्षा

: २० :

नयी और पुरानी शिक्षा-पद्धति

कहा जाता है कि पुरानी शिक्षा-पद्धति ज्ञान-प्रधान है और हम लोगो की नयी तालीम कर्म-प्रधान है। पर यह विश्लेषण गलत है। पुरानी शिक्षा-पद्धति को ज्ञान-प्रधान कहना भूल है और नयी शिक्षा-पद्धति को कर्म-प्रधान कहना भी भूल है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि पुरानी शिक्षा-पद्धति पुस्तक-प्रधान थी और नयी तालीम उद्योग-प्रधान है। पर यह व्याख्या भी पूर्ण नहीं है। हमारा लक्ष्य काम के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का निर्माण करना ही नहीं है और न यही लक्ष्य है कि हम ज्ञान-युक्त कारीगर तैयार करें। हमें मानव का पूर्ण गुण-विकास अपेक्षित है। जो शिक्षक और विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे, उन दोनों का ही पूर्ण विकास होना चाहिए। अगर वे “केवल ज्ञान” या “केवल कर्म-कुशलता” या दोनों ही प्राप्त करें, तो भी वह शिक्षण एकांगी ही होगा। कारण कर्म-शक्ति और ज्ञान-शक्ति अनेक गुणों में से केवल दो गुण हैं, जब कि शिक्षा से हमें सभी गुणों का विकास अपेक्षित है।

अंतरिम विकास

कहा जाता है कि हम लोग बच्चों को सूत कातना सिखाते

हैं और उसके द्वारा ज्ञान देते हैं। पर हम लोगो का केवल इतना ही काम नहीं है। हमें तो इसके द्वारा यह देखना होता है कि इससे उनका आन्तरिक विकास हुआ या नहीं? उनका आलस्य चला गया या नहीं? उनमें उद्योगशीलता आयी या नहीं? वे सब प्रकार से निर्भय बने या नहीं? वे सत्यवादी, सयमी और सेवाभावी बने या नहीं? ये सब बातें हमें देखनी होती हैं।

परीक्षा की गन्दी पद्धति

पुरानी शिक्षा-पद्धति का गढ़े-से-गढ़ा चित्र मेरे सामने परीक्षा के समय का आ खड़ा होता है। जब हम लोगो की परीक्षा होती है, तो हम लोगो की देखरेख के लिए निरीक्षक रखे जाते हैं। वे इसलिए नियुक्त होते हैं कि कहीं विद्यार्थी चोरी से एक-दूसरे की नकल न करे। मुझे यह देखकर दु ख होता है कि अगर हम लोगो के बारे में आरम्भ से ही यह धारणा रखी जाती कि हम चोरी कर सकते हैं, तो फिर विद्यार्थी की दृष्टि से हम पहले ही फेल हो गये। अब हम लोगो की परीक्षा लेने के लिए वचा ही क्या?

जागरूकता आवश्यक

अगर आरम्भ से ही पूरी सावधानी न बरती जाय, तो गुण-विकास की ओर ध्यान न देने का, पुरानी शिक्षा-पद्धति का दोष इस नयी तालीम में भी आ सकता है। इतनी गुडियाँ कतवा लेनी हैं, केवल इतना ही हम न देखे। हमें तो यह देखना चाहिए कि वच्चो की आत्मशक्ति प्रकट हो रही है या नहीं?

विनय से गुण-विकास

सस्कृत मे शिक्षा को 'विनय' कहते हैं। कारण विनय सभी गुणो का प्रवेश-द्वार है। उसके द्वारा अन्य गुणो का विकास होता है। जो विनीत है, नम्र है, विनयशील है, वह जहाँ कहीं गुण मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, अच्छी बात दीख पडेगी, तत्काल उसे ग्रहण कर लेगा। यह गुण-प्राप्तकता विनय का मुख्य लक्षण है। इसीलिए पूर्वजो ने हम लोगो का ध्यान विनय पर केन्द्रित किया था।

मेरा सत्यस्वरूप

मैं देह नहीं, देह से अलग हूँ। मेरा सत्य-स्वरूप सुन्दर और परिशुद्ध है, वह अशुद्ध नहीं होता। गलतियाँ तो देह के द्वारा होती हैं। मेरा शरीर अस्वच्छ होता है, पर मैं अस्वच्छ नहीं होता। देह से भिन्न आत्मा का भान ही शिक्षा है। जहाँ यह भान नहीं होता, वह हमारी शिक्षा-व्यवस्था नहीं, वह शिक्षा-सस्था भी नहीं।

अगर कोई बच्चा अस्वच्छ दिखाई देगा, तो मैं उससे यह न कहूँगा कि तू गन्दा है। मैं उससे यही कहूँगा कि "तू तो स्वच्छ है, पर तेरे शरीर पर कुछ गन्दगी लग गयी है। उसे तू साफ कर डाल।"

मन का सुधार

हमें अपने मन को घडी की तरह बना लेना चाहिए, जिसे कभी भी हाथ मे लेकर देखा जा सके और यदि उसमें कभी

कोई भूल दीख पड़े, तो हमें उसे दुरुस्त करना आना चाहिए। मैं वहीं हूँ, जो न तो कभी विगडता है और न कभी अस्वच्छ ही होता है। विगडनेवाले और अस्वच्छ होनेवाले शरीर को तो मैं दुरुस्त करनेवाला और स्वच्छ करनेवाला हूँ। जब हममें यह विचार स्थिर हो जायगा, तभी हमें सच्ची शिक्षा-दृष्टि प्राप्त होगी।

—'सिंहावलोकन' में

ज्ञान की व्याख्या

: २१ :

आशादेवी ने अभी बताया कि विनोदा एक शिक्षक हैं। उनका यह कहना अनुपयुक्त नहीं। पर मैं एक विद्यार्थी हूँ, यह कहना अधिक उपयुक्त होगा। मेरे जेल के साथी मेरे विद्यार्थीपन के गवाह हैं। अध्ययन के लिए मुझे बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय प्रत्यक्ष काम में ही बिताया है। तभी तो अपनी बुद्धि हमेशा ताजी होने का मुझे अनुभव होता है।

बुद्धि ताजी कैसे रहे ?

खुली हवा में कुछ-कुछ शरीरश्रम करते रहने को ही मैं बुद्धि ताजी रहने का मुख्य कारण मानता हूँ। इससे तपी-तपायी भूमि वारिज के लिए जैसी तैयार रहती है, बुद्धि भी ज्ञान-ग्रहण के लिए वैसी ही सदा तैयार रहती है। शारीरिक श्रम से तपी बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहती है और वह ज्ञान को

फलद्रूप बनाती है। हमें विद्यार्थियों में ज्ञान नहीं भरना है, हमें उनमें ज्ञान की पिपासा उत्पन्न करनी है। ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति पैदा करनी है।

विद्यार्थी स्वयं ही सीखता है। उपनिषद् में वर्णन आता है कि विद्यार्थी को गायें दी जाती हैं और वह उन्हें चराते-चराते ही शिक्षा प्राप्त करता है। उसे कभी कोई बैल ज्ञान देता है, कभी कोई चिड़िया, तो कभी कोई पेड़। ज्ञान मिलते ही उसका चेहरा सतेज हो उठता है। उसका चेहरा देखकर गुरु कहता है कि "बेटा! ऐसा लगता है कि तुझे ज्ञान मिल गया।" वह कहता है "गुरुमुख के सिवा ज्ञान कैसा?" गुरु कहता है "तुझे सच्चा ज्ञान मिल गया है। तेरी विद्या निर्दोष है। गुरु की मोहर लगी कि उसका गुरुकुल-वास समाप्त।"

चेहरे पर शिक्षा का तेज

शिक्षक और छात्र, दोनों ही एक-दूसरे के आचरण से शिक्षा पाते हैं। दोनों ही विद्यार्थी हैं। जो दिया नहीं जाता, वही शिक्षण है। जो लिया जाता है, जिसका हिसाब रखा जा सकता है या जिसे कुछ लिखा जा सकता है, वह शिक्षण नहीं। शिक्षा का लेखा-जोखा नहीं किया जा सकता। जीवन ही शिक्षा है। "कैलरी" का सच्चा हिसाब कागज पर नहीं, शरीर पर दीखता है। जो अनुभव में आया, खाया, पचा और रक्त में एकरस हो गया, वही सच्चा शिक्षण है।

परीक्षा यानी जुलाव

जिस विषय की मुझे परीक्षा देनी पडी, उसका मुझे विशेष ज्ञान नहीं। पर जिस विषय की परीक्षा नहीं दी, उसका मुझे अच्छा ज्ञान है। इसलिए अपने अनुभव से मैं परीक्षा को कोई मूल्य नहीं देता। पेट साफ करने के लिए जैसे जुलाव लेना पडता है, परीक्षाएँ भी ठीक वैसी ही होती हैं। परीक्षा दे दी कि मारा ज्ञान साफ। इसलिए शिक्षाशास्त्र द्वारा खडे किये गये इस ढोग में पडने की कोई जरूरत नहीं।

भूलने की महिमा

उपनिषद् मे ज्ञान के साथ-साथ अज्ञान की भी महिमा गायी गयी है। मनुष्य को ज्ञान भी चाहिए, अज्ञान भी। केवल ज्ञान या केवल अज्ञान अन्वकार में ले जाता है। उपयुक्त ज्ञान और उपयुक्त अज्ञान के सयोग मे ही अमृतत्व भरा हुआ है। जैसे देखा जाय, तो ससार में ज्ञान इतना भरा पडा है कि सबको मस्तिष्क मे ठूसने का यत्न करने पर मानव पागल हो जायगा। इसलिए स्मरण के साथ-साथ विस्मरण की भी उतनी ही आवश्यकता है। विद्यार्थी रटी हुई चीज ज्यो-की-त्यो सुना दे, तो मुझे वह पसन्द नहीं पडता। उसे मैं ग्रामोफोन कहता हूँ। वह तो यत्र हो गया। मैं उसे चेतन कहनेवाला नहीं। वह यदि चैतन्य होता, तो कुछ छोड देता, कुछ जोड देता।

—'क्रान्त्रदर्शन' मे

नयी तालीम एक विचार है : २२ :

(तालीमी सघ-सम्मेलन, सेवाग्राम)

आज करीब चौदह साल हुए कि नयी तालीम का बड़ा विचार हमारे देश को मिला। वैसे तो वह नया नहीं है, क्योंकि कोई भी सत्य अनुभव नया नहीं होता। वह तो मनातन होता है। उसके बीज भूतकाल में पड़े रहते हैं। लेकिन जब उसका कोई पहलू हमारे जमाने के लिए आकृष्ट होता है, तब हमें आभास होता है कि हमें एक नया विचार मिल गया। हमारे लिए वह नया होता है। उसका नयापन यह है कि उससे हम प्रेरणा पाते हैं। नयी तालीम के विचार ने इतने साल तपस्या की और अब वह देश के सामने एक आवाहन के रूप में खड़ा है। इतने साल बीत जाने के बाद नयी तालीम इतनी सिद्ध वस्तु बन गयी है कि यह कहा जायगा कि उसकी असलियत, उसकी पुष्टि और उसका अमृतत्व सशय से परे हो गया है।

हमारी नादानी का सबूत

लेकिन मैं ताज्जुब में हूँ और इसका मुझे दुःख भी है कि अभी तक स्वराज्य-प्राप्ति के बाद तीन साल बीत चुके, फिर भी इस पर अमल करने का साहस हमसे बन नहीं पड़ रहा है। स्वराज्य से पहले जो तालीम लोगों को गुलाम रखने के लिए उचित समझकर जारी की गयी, वही तालीम स्वराज्य-प्राप्ति के बाद अगर वैसे ही जारी रहती है, तो इससे बढ़कर नादानी का और सबूत भी क्या हो सकता है? अगर

हमें अब भी यह लगता है कि यह चीज प्रयोगावस्था में है, अभी यह चीज पक रही है, खाने का मौका अभी नहीं आया है, जब चीज पूरी पकेगी तब खायेंगे—अगर यही विचार है, तो मैं कहूँगा कि तब तक क्या आप ईंटे और पत्थर खाया करेंगे? आज आपके खाने लायक है क्या? वह तो फेंक देने लायक है। उसे फौरन फेंकते और कहते कि “अभी तालीम का क्या चित्र होना चाहिए, हमें नहीं सूझ रहा है, उसके बारे में सोचने में हमें चंद महीने लगेंगे, उतने दिनों तक हम तालीम बंद कर देते हैं। हमारे सब बच्चे मजदूरी में लग जायेंगे, क्योंकि हमें पैदावार बढ़ाने की सख्त जरूरत है”, यदि ऐसा कहते तो क्या नुकसान होनेवाला था? लेकिन जैसी तीव्रता हमें अपने झंडे के लिए महसूस होती है, वैसी तीव्रता तालीम के लिए महसूस नहीं होती। इसे मैं नादानि कहता हूँ।

नयी तालीम सबके लिए है

अब इस तालीम को तो हमने नाम दिया है, बुनियादी तालीम। लेकिन बुनियादी का मतलब क्या है, यह हम समझ नहीं पाये हैं। बुनियादी का मतलब हम इतना ही समझते हैं कि बच्चों को आरंभ में देने की तालीम। पर इतना ही उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब यह है कि देश में गुरु से आखीर तक जो भी तालीम दी जायगी, चाहे उसे निचली तालीम कहिये, बीच की तालीम कहिये या ऊँची तालीम कहिये, वह सारी-की-सारी तालीम इस बुनियाद पर खड़ी करनी होगी। यह नहीं हो सकता कि देहात के लोगों के लिए एक तरह की तालीम चले

और शहरवालो के लिए दूसरी तरह की। यह नहीं हो सकता कि पहले चार साल यह तालीम चले तथा उसके बाद कोई और चीज चले, जिसका इसके साथ कोई ताल्लुक न हो। यह भी नहीं हो सकता कि प्रयोग के लिए शरणार्थियों पर इसका प्रयोग किया जाय और सारे देश के लिए दूसरी तालीम चले। उसका मतलब यह है कि जो हमारे देश की सारी शिक्षा नयी तालीम की बुनियाद पर होगी, यह बात अगर मजूर है, तभी यह तालीम 'बुनियादी तालीम' कहने लायक है। मैं तो तालीम के प्रयोग में लगे हुए कितनों को यह कहते सुनता भी हूँ कि जब उन्हें यह पूछा जाता है कि 'शहरों के लिए आपने क्या सोचा?' तो वे कहते हैं "भाई, यह तालीम शहरों के लिए नहीं है, यह तो देहात के लिए है।" मैं कहता हूँ कि इससे अधिक गलत खयाल कोई हो नहीं सकता। यह तालीम सबके लिए है। शहर और गाँव, ऐसा फर्क इसमें नहीं है।

शोषण बंद कीजिये

आज जैसा शहर का वातावरण है, वैसा ही अगर हम रहने देना चाहते हैं, तो हिन्दुस्तान में शांति नहीं रह सकती। जिन ग्रामीणों के आधार पर शहर खड़े हैं, उनकी सेवा में उन्हें लग जाना चाहिए और इसी खयाल से अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि देश की सेवा की तालीम गाँववाले पायें और शहरवाले बच्चे देश को लूटने की तालीम पायें। यह इस देश में नहीं चल सकता। क्योंकि यह देश जाग्रत हुआ है और जाग्रत देश इस तरह का भेद हरगिज सहन नहीं करेगा। बुनियादी तालीम का मतलब समझाने के लिए मैंने इतना कह दिया।

तंत्र नहीं चाहिए

अब इसमें जो कुछ खतरे हैं, उनके विषय में भी मैं आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ। हम लोग यही इसका कुछ प्रयोग कर रहे हैं। उसका कुछ स्वरूप उस प्रदर्शनी में आप पायेंगे। यहाँ हिन्दुस्तान भर के लोग तालीम पाने के लिए आते हैं। आपने अभी देखा कि सारे सूबों का दर्शन यहाँ हो गया। सब जगह के लोग यहाँ आये और यहाँ से कुछ लेकर चले जायेंगे। मैं इसमें भी खतरा देख रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आप सीखेंगे या देखेंगे, वह केवल एक दिग्दर्शन के तौर पर दिशासूचक ही होगा। एमा अगर नहीं मानते, तो उधर एक सरकारी तंत्र और यहाँ पर तालीमी सघ का दूसरा तंत्र, इन दो तंत्रों के बीच हमारी यह सारी तालीम भरता हो जायगी। मैं तंत्रों से बहुत डरता हूँ और खास करके तालीम के मामले में तंत्र ऐसी चीज है कि वह उसे खतम ही कर देती है। वुनियादी तालीम का जो भी अनुभव तालीमी सघ द्वारा मिला, वह एक नमूना आपके सामने है। उस पर आप सोचें, अपना दिमाग स्वतंत्र रखें और हर जगह स्वतंत्र प्रयोग करें, यह मैं चाहता हूँ।

नयी तालीम का विविध दर्शन

एक भाई मेरे पास आये थे, यहाँ का काम देखने के लिए। बोले “यहाँ नयी तालीम का प्रयोग कहाँ-कहाँ चल रहा है, मैं देखना चाहता हूँ।” मैंने कहा “भाई, जाओ सेवाग्राम और वहाँ तालीमी-सघ में जो चल रहा है, वह देखो। फिर जाओ महिलाश्रम में। वहाँ जो चल रहा है, वह देखो। फिर जाओ

गोपुरी में, वहाँ जो कुछ है, वह देखो। फिर जाओ मगनवाडी में।” वे सब स्थान देखकर आये और आखिर मेरे पास पहुँचे। बोले “हमने हर जगह कुछ अलग-अलग ही चीज देखी। जो हमने सेवानाम में पाया, वह हमें महिलाश्रम में नहीं मिला, वहाँ कुछ और चीज चलती है। उधर गोपुरी में तो दूसरी ही चीज चल रही है। वहाँ तो कारखाने-ही-कारखाने लग गये। काम-ही-काम चलता है। महिलाश्रम में तालीम तो दी जाती है और लडकियाँ पकाती भी हैं, पाखाना भी साफ करती हैं, कपडा भी बुनती हैं। हर जगह अलग-अलग स्वरूप दिखाई पडा।” मैंने उनसे कहा कि “यह सारी नयी तालीम है और ये सबके सब नयी तालीम के प्रयोग हैं। नयी तालीम एक “तत्र” नहीं, “विचार” है।

बहुत लोग इस बुनियादी तालीम को आजकल एक पद्धति के तौर पर देख रहे हैं। एक शिक्षण की पद्धति उसका एक टेकनिक और एक विशिष्ट तत्र। उसे लेकर वे सोचते हैं कि जैसे कई शिक्षण-पद्धतियाँ पहले हो चुकी, वैसे ही यह भी एक नयी शिक्षण-पद्धति आयी है। पर ऐसा सोचना गलत है। यह एक विचार है, जैसे ब्रह्मविचार एक अत्यंत व्यापक विचार प्राचीन जमाने में हिंदुस्तान को मिला था। उस एक ब्रह्मविचार में से अद्वैत उपासना भी निकली, द्वैत उपासना भी निकली, विशिष्ट अद्वैत उपासना भी निकली और शुद्ध अद्वैत उपासना भी निकली। इस तरह की कई उपासनाएँ एक ब्रह्मविचार में से निर्माण हुईं। वैसे ही यह एक व्यापक शिक्षण-विचार है।

अनुबन्ध की गलत धारणा

एक दफा एक भाई से चर्चा चल रही थी। मैं उन्हें समझा रहा था कि पाश्चात्य शिक्षण-पद्धति में श्लोक आदि कठ करने को कोई महत्त्व नहीं देते, लेकिन यह गलत चीज है। बच्चों को अच्छे चुने हुए काफी श्लोक कठ करने चाहिए। अपना दृष्टांत देकर मैंने बताया कि उससे मुझे कितना लाभ हुआ है और जीवन में कई मौकों पर कितना आधार उससे मिला है। हमारे साहित्य में ऊँचे अनुभव के जो विचार हैं, वे अगर हमारे कठ में रहते हैं, तो उनसे कितना लाभ होता है, इसलिए पाश्चात्य शिक्षणवेत्ताओं के इस विषय के अनुभव में और हमारे अनुभव में फर्क है। वे एक विश्लेषण-पद्धति से देखते हैं और दुनिया के टुकड़े करके उन्हें तकसीम करते हैं, उन्हें शाखाओं में बाँटते हैं। लेकिन हम लोग सारी दुनिया को समग्र रूप में देखते हैं और उसका अद्वैत-स्वरूप पहचानते हैं। यह यहाँ की पद्धति में और वहाँ की पद्धति में भेद रहा है। इसलिए हम लोग साहित्य के सर्वोत्तम विचारों को कठ रखते हैं। जो लोग इस तरह नहीं करते, वे बुद्धि को अधिक स्थान देते हैं। बुद्धि का स्थान सर्व-मान्य है। लेकिन भाव को या भावना को छोड़ नहीं सकते। हृदय भी एक चीज होती है। उसके पोषण के लिए ऐसे सद्बिचारों को कठ करना अत्यन्त लाजिमी है, जरूरी है। तब फौरन उन्होंने पूछा कि “ठीक है। बात तो जँच जाती है, लेकिन उद्योग के साथ इसका मेल कैसे बैठाया जायगा?” मैंने उन्हें कहा कि “इसके जवाब में मैं एक सवाल पूछूँगा। आपके बच्चे रात को सोनेवाले हैं। तो उद्योग से क्या सबध होगा उस सोने

का ? यह जरा मैं जानना चाहूँगा।” उन्होंने कहा कि “उसका सबघ तो यह होगा कि सोने के बाद उत्साह आयेगा और उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, तो सबघ जुड़ गया।” मैंने कहा “ठीक है, इस तरह से देखो। मनुष्य में एक आत्मा होती है। उस आत्मा की शक्ति से ही देश शक्तिमान् बनता है। सिर्फ देह में शक्ति नहीं होती। आत्मा से भिन्न जो देह होती है, उसे दुनिया में देह नहीं, बल्कि लाश कहते हैं और उसका विनियोग श्मशान में होता है। जिस देह में आत्मा होती है, उसी देह में कर्तृत्व-शक्ति होती है। तो आत्मा के विकास के लिए मैं कुछ उत्तम श्लोको का पाठ करना आवश्यक समझता हूँ।”

यह तो मैंने एक मिसाल इसलिए दी कि बहुत-से लोग इसका अभी तत्र बनाने जा रहे हैं और उस तत्र में अगर इस चीज को जकड़ेंगे, तो यह चीज निर्जीव-सी बन जायगी। फिर लोगों को कुछ करना-धरना नहीं रहेगा और हर क्रिया का हर ज्ञान के साथ किस तरह जोड़ बैठ सकता है, उसीकी खोज में बेचारे लगे रहेंगे। इसमें से हमें मुक्त होना चाहिए। नयी तालीम एक जीवन-दर्शन है। उसमें जो दृष्टि है उसे लेकर काम करना है।

नृत्य गायन की मर्यादा

कई दफा यह भी होता है कि स्कूल में परिश्रम तो रखा जाता है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ मनोविनोद भी चलता है। उसका मैं द्वेष नहीं करूँगा। उसमें नादब्रह्म की उपासना होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे देश के

लोग भूखे हैं। यह दृश्य नजर के सामने रखो कि एक भूख से तडफडा रहा है और दूसरा तडफडाकर मरा पडा है। यह याद रखकर फिर नाचना हो, तो नाचो और गाना हो, तो गाओ और वजाना हो, तो वजाओ। लोग चित्रकला सीखते हैं। मैं उनसे सिफारिश करूँगा कि ऐसा भी एक चित्र खींचे कि एक मनुष्य भूख से व्याकुल है, दूसरा भूख से मरने की तैयारी में है और तीसरा भूखा मर चुका है। ऐसा चित्र सामने रखकर हमें काम करना चाहिए। तो हिन्दुस्तान के शिक्षण का क्या स्वरूप होगा, उसका ठीक से हमें पता लगेगा। स्कूल में कहते हैं कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, मैं उसकी कद्र करता हूँ। उसकी कीमत करता हूँ। मनुष्य के जीवन में उसका भी स्थान है। लेकिन उसके पीछे हम ऐसे पागल न बन जायें कि हमारा जो मुख्य मकसद है शिक्षण का, वह गायब हो जाय और हमारी जो मुख्य समस्या है, उसे हम भूल जायें।

शिक्षण समयप्रधान हो

कहते हैं कि हिन्दुस्तान में लोक-संख्या बढ़ रही है। इसमें शक नहीं कि यह एक गंभीर बात है और सोचने की बात है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि प्रजा की संख्या बढ़ रही है, इस बात का मुझे उतना डर नहीं है, जितना कि इस बात का डर है कि निर्वीर्य प्रजा बढ़ रही है। प्रजा अगर वीर्यवती, कर्मयोगी, दक्ष हो, तो जो संख्या पैदा होगी, उसका भार वहन करने के लिए यह वसुधरा समर्थ है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जो निर्वीर्य और निस्तेज प्रजा बढ़ रही है, वह क्यों? इसलिए कि देश

में सयम का वातावरण नहीं है। जो भी साहित्य लिखा जा रहा है, जो सिनेमा वगैरह चल रहे हैं, वे सब हिन्दुस्तान के सारे वातावरण को पूर्णतः निर्वीर्य बना रहे हैं। ऐसे वातावरण में हमारी तालीम पर यह जिम्मा आता है कि हमारे लड़के बचपन से ही सयमी बने, वीर्यवान् बनें, निग्रही बनें। “हस्तसयतो, पादसयतो, वाचासयतो” ऐसा बुद्ध भगवान् ने कहा था। हस्त-कौशल तो हम देखें, लेकिन हस्तसयम भी देखें। इन्द्रिय-कौशल के साथ इन्द्रिय-सयम कौ भी शक्ति होनी चाहिए। जहाँ सयम की शक्ति नहीं है, वहाँ जो कौशल होता है, वह मनुष्य को बरवाद करने के काम में आता है। उससे मनुष्य को लाभ नहीं होता। केवल शक्ति में लाभ नहीं है, कौशल में लाभ नहीं है। बल्कि लाभ है, शक्ति का और कौशल का कल्याणकारी उपयोग करने में। लेकिन इस ओर हमारा ध्यान कम है। जहाँ बुनियादी तालीम का जिक्र होता है, वहाँ उद्योग के जरिये शिक्षा—बस, इतना ही मत्र जपते हैं। और इसी एक वाक्य से ही मानते हैं कि हमारी शिक्षण-पद्धति का पूरा वर्णन हो गया। पर यह गलत वर्णन है।

नयी तालीम शीघ्रप्रधान हो

हमारी यह शिक्षा-पद्धति एक सयम-पद्धति है। अर्थात् वह सयम-प्रधान है, स्वच्छन्द-प्रधान नहीं है। बचपन से हमारे बच्चे अपनी इन्द्रियो को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को सयम में रखें, यह मुख्य दृष्टि होनी चाहिए। उनकी वाणी में सत्य-निष्ठा लानी होगी। वाणी से अपेक्षित विचार प्रकट हो, याने सिर्फ

वाणी की शैली नहीं देखनी है, बल्कि वाणी का शील देखना है। शील और शैली में जो फर्क है, उस तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ।

नयी तालीम स्त्रियों के हाथ में हो

एक बात मैं और कहूँगा। यह जो वातावरण समयमयुक्त रखने की जिम्मेवारी है, वह अगर ठीक ढंग से हमें सिद्ध करनी है, तो जरूरी है कि वुनियादी तालीम का काम जितना हो सकता है, स्त्रियों को सौंपा जाय और उस काम के लिए स्त्रियाँ तैयार की जायें। परसो मृदुलावेन माराभाई मुझसे भेट करने आयी थी। उन्होंने स्त्रियों के विषय में कुछ सवाल हमसे पूछे। मैंने कहा कि “देखो, तुम जगह-जगह कस्तूरवा-केंद्र खोलती हो और गाँव की स्त्रियों की सेवा की योजना बनाती हो। मेरा सुझाव है कि कस्तूरवा का काम और हमारा यह नयी तालीम का काम, सारा एक हो जाय और हिन्दुस्तान में जितनी भी स्त्रियों की सस्थाएँ हैं, उन सबसे हम सम्बन्ध रखे और स्त्रियों की सेवा के लिए बाहर लायें। स्त्रियों के हाथ में छोटे बच्चों की शिक्षा दे दें। उपनिषदों में कहा है। “मातृवान्, पितृवान्, आचार्यवान्।”—शिक्षण पहले माता से, बाद में पिता से और अंत में आचार्य से लिया जाय—यह शिक्षण का क्रम होना चाहिए।

भारतीय विद्या

: २३ :

शिक्षा से दो अपेक्षाएँ

शिक्षा में दो बातें देखनी पड़ती हैं। पहली यह कि जो शिक्षा दी जाती है, वह जनता के खर्च से दी जाती है। इसलिए प्रत्यक्ष व्यवहार में उसका उपयोग होना चाहिए। बालक ऐसी शिक्षा पायें कि शिक्षित होने पर समर्थ बन दुनिया की सेवा करने के लिए आगे आ सकें और उन्होंने जितना लिया है, उससे दसगुना वे दूसरों को दे सकें। जैसे एक सेर बीज खेत में रोपने पर पचीस सेर बनकर निकलता है, वैसे ही छात्रों की चित्त-भूमि में रोपा गया विचार-बीज दस-बीसगुना बनना चाहिए।

शिक्षा से दूसरी यह भी अपेक्षा की जाती है कि उससे विद्यार्थी के समग्र विकास की सामग्री उसे मिलेगी। मन की जितनी भी शक्तियाँ हैं, वे सब ऋषि-मुनियों ने हमें समझा दी हैं "अनन्त हि मन, अनन्ता विश्वे देवा"—विश्वदेव अनन्त हैं और मन भी अनन्त है। जब हम उसकी एक-एक वृत्ति और शक्ति का विश्लेषण करने लगते हैं, तब हमें उसके अनेक गुणों का आभास मिलता है। आत्मा सच्चिदानन्द है। उसके सान्निध्य से मन में अनेक गुणों की छाया प्रतिबिम्बित हो उठती है, अनन्त गुण मन में प्रकाशित हो उठते हैं।

हमें अनुभवी पुरुषों ने सिखलाया है कि मुख्य शिक्षा वही है, जिससे हम अपने आपको मन और शरीर से भिन्न पहचान सकें। स्वयं की यह पहचान ही सर्वोपरि गुण है।

विद्या-स्नातक, व्रत-स्नातक

प्राचीनकाल में ऐसा था कि अगर कोई विद्यार्थी गुरु के पास जाकर केवल विद्यार्जन कर ले, तो वह केवल विद्या-स्नातक कहा जाता था। वह पूर्ण स्नातक नहीं हो सकता था। विद्या-स्नातक होने के साथ ही उसे व्रत-स्नातक भी होना पड़ता था। उसे अपने आप पर विजय प्राप्त करनी पड़ती थी। आत्म-दमन की, आत्म-नियमन की कला जो सीखता, उसे व्रत-स्नातक कहते।

इस तरह जब तपाकर खरा उतरा विद्यार्थी ससार में प्रवेश करता है, तो वीर-वृत्ति और पूर्ण आत्म-विश्वास के साथ ही प्रवेश करता है। वह ससार में किसीके सामने सिर नवाकर नहीं, वल्कि छाती फुलाकर चलेगा। वह इस वीर-आवेश के साथ ससार में प्रवेश करेगा कि “नमयतीव गतिर् धरित्रीम्”—मानो उनके चलने में पृथ्वी दबी जा रही है।

विद्या से ही विनय का जन्म

इसका यह अर्थ नहीं कि वह उद्धत बन जायगा। उममें नम्रता तो रहेगी ही। कारण, ज्ञान पाये हुए व्यक्ति को इस बात का पता रहता है कि ज्ञान कितना अनन्त है और उसे उममें कितना थोड़ा अन्न मिला है। इसलिए मच्चा ज्ञानी जितना विद्या-संपन्न और विनय-सम्पन्न होगा, विद्या न पानेवाला उतना कभी भी न हो सकेगा। कारण, उसे विद्या की माप मिली ही नहीं। जिने विद्या के समुद्र का दर्शन कर लिया, उसके ध्यान में यह बात सहज ही आ जायगी कि विद्या का कहीं पार या अंत नहीं है और मुझे जो ज्ञान मिला है, वह उसका एक अन्नमात्र है। इसी-

लिए मुझे आजीवन ज्ञान की खोज करते रहना चाहिए । वह कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी ससार में ज्ञान बाकी बना ही रहेगा । उसे इस वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान रहेगा । इसलिए वह सदैव नम्र बना रहेगा । इसीलिए पूर्वपुरुषों ने विद्वानों से कहा है कि वे स्वयं तो विनीत रहे ही, “प्रजाना विनयाघानात्” —प्रजा को भी विनयसम्पन्न बनायें ।

धैर्य भी अपेक्षित

किन्तु नम्रता के साथ ही विद्यार्थी में दृढ निश्चय, आत्म-विश्वास, धैर्य, निर्भयता आदि सभी गुण होने चाहिए । बुद्धि के साथ धृति भी रहनी ही चाहिए । जब छात्र ससार में प्रवेश करेगा, तो विजयी वीर की तरह ही करेगा । वेद में एक मंत्र है । वेदाध्ययन की परिपूर्णता के समय छात्र कहता है “मह्य नमन्ता प्रदिशश् चर्तन्” —ये चारों दिशाएँ मेरे सामने नत हो । अगर कोई इस प्रकार की विद्या प्राप्त करे, तो वह उससे सारी दुनिया की सेवा करे ।

ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि

ऐसा नहीं होता कि आज अन्न खाया और तृप्ति दो दिन बाद हुई । तृप्ति और तुष्टि का उसी क्षण अनुभव हो जाता है । ज्ञान का भी यही हाल है । जहाँ सच्चा ज्ञान मिलता है, वहाँ चेहरा ही चमकने लगता है । विद्यार्थियों को अपार आनंद होता है और उसीके फलस्वरूप उनकी ज्ञान-पिपासा बढ़ती जाती है । उन्हें कभी यह अनुभव नहीं होता कि ज्ञान-प्राप्ति में उनका समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है ।

अध्ययन की पुरातन परम्परा

जिमने एक वार अध्ययन का स्वाद चख लिया, वह उसे फिर कभी छोड़ नहीं सकता। ऋषि कहते हैं हर काम करो, पर उसके साथ ही “स्वाध्याय-प्रवचने च”—स्वाध्याय और प्रवचन भी किया करो। “ऋत च स्वाध्याय-प्रवचने च”, “सत्य च स्वाध्याय-प्रवचने च”—सत्य बोलो, तो उसके साथ स्वाध्याय और प्रवचन भी करो। “तपश्च स्वाध्याय-प्रवचने च”—तप करो, तो उसके साथ स्वाध्याय और प्रवचन भी करो। जन-सेवा करो, तो उसके साथ भी स्वाध्याय और प्रवचन करो। अग्नि की सेवा करो, तो उसके साथ भी स्वाध्याय और प्रवचन करो। गृहस्थाश्रम के जितने भी काम किये जायें, उनमें से प्रत्येक के साथ स्वाध्याय और प्रवचन भी अपेक्षित है और वह ठीक भी है। विद्याभ्यास के समय जो उस रस का स्वाद ले लेता है, उसका वह रस उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है।

हमारी विद्या की परम्परा

पर आज हम देखते हैं कि हमारे देश में अध्ययन का अभाव ही हो गया है। यह देश प्राचीन है और यहाँ प्राचीनकाल से निरन्तर अध्ययन चला आ रहा है। अभी कल तक यहाँ अध्ययन की यह अखण्ड परम्परा चली आ रही थी। जिस जमाने में शेष दुनिया के सभी लोग अँधेरे में थे और विद्या से अपरिचित थे, उस समय भी यहाँ यह विद्या विद्यमान थी। यहाँ के निवासी ब्रह्म-वेला में ही उठ जाते। “अनुब्रूवाण अव्येति न स्वपन्”—वे सुवह सोते नहीं, अध्ययन करते थे।

आज की दुरवस्था

पर आज हम देखते हैं कि अध्ययन करनेवाले लोगो की भारी कमी है। इस कमी के मूल कारण आज की इसी शिक्षा-प्रणाली में निहित है। जब छात्र इसमें प्रवेश करता है, तो १०-१५ वर्ष में शिक्षा पाने तक उसका सारा रस सूख जाता है। उसकी प्रेरणा-शक्ति क्षीण हो जाती है। आप देखते ही हैं कि पाठशाला में जाने के कारण बच्चो की आँखो की ज्योति मन्द पड जाती है, शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है और मानसिक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। बुद्धि की और भी कितनी ही शक्तियो का विकास ही नहीं हो पाता। सबसे बडी बात तो यह है कि इससे उनमे प्राण-हीनता आ जाती है। उनको आत्मा का भान नहीं, हम देह से भिन्न है, इस बात का उन्हें पता ही नहीं और अपनी-अपनी इन्द्रियो पर उनका अपना अधिकार ही नहीं है। फिर शिक्षा किस बात की मिलती है ?

यह वर्णन करते हुए मुझे खुशी हो रही हो, ऐसी बात नहीं। वास्तव में मुझे यह सोचकर भारी दुख हो रहा है कि किसी समय हमारे देश में विद्या खूब फली-फूली थी, पर आज उसकी दशा क्या है ? रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने हमारे भारत का कैसा सुन्दर वर्णन किया है

“प्रथम साम-रव तव तपोवने,
प्रथम प्रचारित तव वन गहने।
ज्ञान कर्म कत काव्य काहिनी,
अयि भुवन - मन - मोहिनी !”

जगत् का मन मोह लेनेवाली हमारी माता ! पहली बार भूर्योदय यही हुआ और यही पहले पहल माम-गायन हुआ और यही से विद्या की किरणें मारे ससार में फैलती रही । जहाँ हम अपनी मातृभूमि का डम प्रकार स्मरण करते हैं, वही आज जो यहाँ चल रहा है, उसका वर्णन करते हुए मुझे आनन्द नहीं, दुःख ही होता है ।

इसलिए मुझे आपसे यही कहना है कि आप एक स्वर से यह माँग करें कि “हमें आज की यह शिक्षा कतई नहीं चाहिए ।”

—‘मित्रक’ मे

आदर्श विद्यापीठ

: २४ :

मनु का एक वाक्य है “वच्चे को जब सोलहवाँ वर्ष लग जाय, तो उसके प्रति मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए ।” मैं इस वाक्य का यह अर्थ समझता हूँ कि सोलहवें वर्ष के बाद जीवन का उत्तरदायित्व वच्चे को स्वयं ही संभाल लेना चाहिए । मित्र को हम लोग मलाह देते हैं । समय पर उसकी मदद करते हैं, पर उसके जीवन का भार उसी पर रहता है ।

समर्थ शिक्षा की मुविधा

जीवन का भार मचमुच भार ही नहीं, वह तो उपकार है । पर ऐसी समर्थ शिक्षा मिलनी चाहिए, जिसमें वह उपकार मालूम हो । इसी तरह की शिक्षा माता-पिता की ओर से सोलह वर्ष की उम्र तक वच्चे को मिलनी चाहिए । माता-पिता की ओर

से कहने का मेरा तात्पर्य है “समाज की ओर से ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।” समाज को चाहिए कि वह हर बालक के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कर दे। उसके आगे की शिक्षा वह अपनी कमाई से प्राप्त करे।

मनु के इस वाक्य का यह भी अर्थ निकलता है कि सोलह वर्ष से पहले बच्चे पर जीवन का सारा उत्तरदायित्व डालना उचित नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि तब तक बच्चे का जीवन ही नहीं, बल्कि उसका भार उस पर नहीं होता। उस अवस्था में अपना भार स्वयं उठाने के लिए उसे धीरे-धीरे तैयार होना पड़ता है। इस तैयारी को ही ‘शिक्षण’ कहा जाता है।

दशरथ की दलील

मनु का यह वाक्य शब्द-प्रमाण के रूप में मने उपस्थित नहीं किया है। मनु का अर्थ कोई व्यवतिविशेष नहीं। समाज के हजारों वर्षों के अनुभवों को ही ‘मनु’ कहा जाता है। विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ के पास राम को माँगने के लिए आये। दशरथ बोले “ऊनषोडशवर्षों में रामो राजीवलोचन” —राम अभी सोलह वर्ष का नहीं हुआ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काम के लिए मैं उसे तुम्हें कैसे दे दूँ? राम सोलह वर्ष के हो गये होते, तो दशरथ की यह दलील न होती। वसिष्ठ ने उन्हें समझाया “विश्वामित्र के संरक्षण में यह काम होनेवाला है। वह एक शिक्षा-योजना ही है।” तब दशरथ यह बात समझ सके।

नयी तालीम का शिक्षा-काल

दशरथ की यह मान्यता मनु के उक्त वाक्य में है। आधुनिक शिक्षाविदों ने भी उसे मान्य किया है। चौदह वर्ष पूरे होने तक सात वर्ष की शिक्षा-योजना नयी तालीमवालों ने तैयार की है। प्रगतिशील देशों में यह कानून है कि चौदह वर्ष पूरे हुए वगैर बच्चों को कारखाने में काम न दिया जाय। मनु इनसे एक साल आगे है। वे १५ वर्ष पूरे हुए वगैर बच्चों को फॅक्टरी में काम पर जाने न देंगे और १६वाँ वर्ष लगने के बाद उसे कॉलेज में समय का अपव्यय भी करने न देंगे।

आदर्श विद्यापीठ

प्रश्न होगा कि “फिर क्या आपकी इस योजना के अनुसार कॉलेज खाली पड़े रहेंगे? फिर देश की उन्नति कैसे होगी? कॉलेज खाली नहीं पड़े रहेंगे, वे तो ठसाठस भर जायेंगे। गरीबों के बच्चे उनमें भरती किये जायेंगे। कॉलेज में ऐसा दृश्य देख पड़ेगा कि हर छात्र निजी श्रम से ज्ञानरूप अन्न और अन्नरूप ज्ञान कमा रहा है, दो हाथों से पेट का और दो आँखों से बुद्धि का भरण-पोषण ही रहा है। ज्ञान तथा कर्म का भेद ही मिट गया है। वहाँ बच्चों को कोई फीस नहीं लगेगी, बॉर्डिंग का कोई खर्च नहीं लगेगा और न अध्यापकों को वेतन ही रहेगा। उद्योगालय, पुस्तकालय और प्रयोगालय की व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी जायगी। पाठशालाओं में कोई छुट्टी न रहेगी। कारण, उससे किसीको कोई बन्धन नहीं मालूम पड़ेगा।

आज की खर्चीली शिक्षा

आज के कॉलेजों में गरीबों को कोई सुविधा ही नहीं है। हाँ, दो-चार गरीब बच्चों को कृपापूर्वक फीस की माफी मिल जाती है। पर हमारे कॉलेज सभी के लिए खुले रहेंगे। श्रीमानों के बच्चों को इतना कष्ट सहना संभव न हो, इसलिए श्रम में उन्हें एक-आध घण्टे की माफी देनी पड़े, तो बात दूसरी है। फिर भी उसमें उनकी दीनता ही प्रकट होगी और इसलिए कोई स्वाभिमानी बालक सहसा उसे कबूल नहीं करेगा।

हास्यास्पद विद्यापीठ

आज तो कृषि-कॉलेज भी गहर में ही खुलते हैं। मॅट्रिक पास हुए बगैर उनमें प्रवेश भी नहीं हो पाता। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों का कृषि-कॉलेज में प्रवेश भी तभी हो सकेगा, जब उनके बारे में यह विश्वास हो जायगा कि उनमें जाड़े-पाले और धूप-बारिश में काम करने की कतई शक्ति नहीं। कारण, आज की पद्धति के अनुसार मॅट्रिक पास होने का और कोई अर्थ ही नहीं। प्रोफेसर और छात्र कुर्मी-बेंच पर बैठकर कृषि का ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रयोग के तौर पर खेती नाममात्र की होगी और उसका उत्तरदायित्व भी मजदूरों पर होगा। प्रयोग वे ही करेंगे। बच्चों के खर्च के लिए उसके पिता को हर साल २५ एकड़ जमीन की पैदावार देनी पड़ेगी। उसके बिना काम चलने-वाला नहीं।

विद्यापीठ में स्वावलम्बन

चर्चा चल रही थी कि प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के कार्यक्रम कैसे हो ? मैंने सुझाव दिया कि "बच्चे छह घण्टे मेहनत करके शरीर-श्रम से रोटी कमायें और दो घण्टे उसके परिपोषक ज्ञान-विज्ञान की उन्हें शिक्षा दी जाय। बच्चों पर खर्च न तो पाठशाला करे और न माता-पिता ही। फिर वे बच्चे चाहे गरीब के हो, चाहे अमीर के। ऐसा करने से ही सच्चा प्रयोग होगा और देश आगे बढ़ेगा।"

आज की दुर्दशा

आज हमने मनु-वाक्य के दोनो अर्थों पर पानी फेर दिया है। असख्य दरिद्र बच्चों को रोटी के लिए पिसना पडता है। फिर भी उन्हें रोटी नहीं मिलती और शिक्षा तो उन्हें मिलती ही नहीं। दूसरी ओर, इसके विपरीत पच्चीस-पच्चीस साल तक भारभूत शिक्षा के चोचले चलते हैं। विना काम किये तिजोरी-भर धन कमाने की चिंता लगी रहती है, जब कि करोड़ों को काम करके भी पेटभर खाना नहीं मिलता।

अतः "सोलह वर्ष तक स्वावलम्बन की शिक्षा और सोलह वर्ष के बाद स्वावलम्बन से शिक्षा"—यह सूत्र स्वीकार कर तदनुसार शिक्षा-योजना चलाये वगैर इस दुहरी दुर्गति से छुटकारा नहीं मिल सकता।

—'क्रान्त-दर्शन' से

ग्रामीण विश्वविद्यालय

: २५ :

(तालीमी सघ-सम्मेलन, सेवाग्राम)

आवश्यकता से उत्पन्न विचार

‘ग्रामीण विश्वविद्यालय’ का नाम दीखनेमें बहुत बड़ा है। ‘विश्वविद्यालय’ एक विशाल शब्द है और उसका बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन उसकी एक सीधी-सादी व्याख्या नायकमजी ने आपके सामने रख दी। उन्होंने यह कहा कि “जहाँ का जीवन सर्वांगपूर्ण है, वही हमारा देहात का विश्वविद्यालय है।” और यह व्याख्या सही है एव आज जो चर्चा निकली है, वह इस तरह की आवश्यकता मे से निकली है। यानी हम कोई हवा में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि जमीन पर यह सारा काम हो रहा है। एक आवश्यकता पैदा हुई, उसकी पूर्ति के लिए यह चीज सामने आयी।

हमने इतने साल वुनियादी तालीम चलायी, तो कुछ लडके उसमे तैयार हो गये। हम उनको फिर उत्तर वुनियादी में ले गये। उनका वह कार्यक्रम खतम होने पर आया। अब हमारे सामने यह सवाल पैदा होता है कि इन लडको का हम क्या करे? उनका शिक्षण जहाँ तक हुआ, वही हमारा पूर्ण आदर्श है, ऐसा समझकर क्या उसे समाप्त करें? जितना वे पढ चुके, वह कोई कम नहीं। उससे वे देश को लाभ पहुँचा सकते और जीवन मे अपने प्रयत्न से आगे प्रगति कर सकते हैं। लेकिन उनमे से अगर कुछ आगे पढना चाहे, तो उनके लिए कुछ सुविधा है या नहीं? इसपर

हमने सोचा, तो हमें दीव्र पडा कि 'परिपूर्ण' की हमारी जो अविकसित-अविकसित व्याख्या है, वह आचरिरी व्याख्या जीवन में जब अमल में आयेगी तब आयेगी, लेकिन 'परिपूर्ण' की जो कम-ने-कम व्याख्या है, उस व्याख्या के मुताबिक भी वे लडके पूर्ण हुए हैं और हमारे शिक्षण का नमूना दुनिया के नामने हमन रत्न दिया है, ऐसा नहीं है। इसलिए उनके आगे के शिक्षण की कोई व्यवस्था हीनी चाहिए। इस तरह विश्वविद्यालय की आवश्यकता पैदा हुई।

नमूना अभी तैयार नहीं

अब बीच में यह भी मवाल पैदा हुआ कि क्या हम यह देहात के लिए अलग विश्वविद्यालय चलायेंगे और गहर के लिए अलग? मैं यह वान पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि 'वूनियादी' तालीम आदि से अल तक 'वूनियादी' ही रहनी चाहिए। आज जो विश्वविद्यालय चालू है, वे अग नयी तालीम के हमारे 'विचार' को कदूल करें, तो उन्हें अपनी पद्धति में वैसा परिवर्तन करना पडेगा। लेकिन आज यह चीज सम्भव नहीं जान पडती। उनका एक कारण यह है कि उनका जो पुगना टाँचा बना है, वह एकदम से नहीं बदल सकना। इनके अलावा इनका दूसरा कारण यह है कि देश के नामने हम अपने विद्यापीठ का अभी कोई नमूना पेश नहीं कर सके हैं, इसलिए हम अभी यह नहीं कह सकते कि नारे विश्वविद्यालय अब बदल दो। हमने जो वूनियादी काम किया है, वह इस हद तक आ पहुँचा है कि हम कह सकते हैं कि उनके जो प्रयोग और अनुभव हुए, उनके आधार पर सरकार की अभी की

जो प्राथमिक शालाएँ हैं, वे बदली जा सकती हैं। उससे उन्हें जरूर लाभ होनेवाला है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि विश्वविद्यालय का भी नमूना हमारे पास तैयार है और उस नमूने पर सारा ढाँचा बदल दे।

विद्यापीठ स्वावलम्बी हों

विश्वविद्यालय का जब हम विचार करें, तो हमारे पास जो लडके हैं, उनका खयाल करके ही हमें कोई योजना बनानी चाहिए। नहीं तो होगा यह कि विश्वविद्यालय एक ऐसा व्यापक विषय है कि उसके बारे में कई तरह के लंबे, चौड़े और गहरे विचार हम करेंगे और कुल मिलाकर प्रत्यक्ष कोई चीज नहीं बनेगी।

अतः किशोरलालभाई ने जो एक बात रखी, वह महत्त्व की है। उन्होंने कहा कि “जब हमारे लडके उत्तर-बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर चुके, तो वे स्वावलम्बी बन गये, इतना तो मान ही लेना चाहिए।” उनका यह कहना ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा देश दरिद्र है और शिक्षको तथा विद्यार्थियों पर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें स्वावलम्बन करना चाहिए, बल्कि इसमें वस्तुतः शिक्षण की ही दृष्टि मुख्य है। देश की गरीबी हमें इसमें प्रेरणामात्र दे रही है।

देहाती विश्वविद्यालय कैसा हो ?

इस दृष्टि से विचार करें, तो यह बात समझ में आ जायगी कि हमारे देहाती विश्वविद्यालय का स्वरूप कैसा होगा। उसके

शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों को जैसे सुसज्जित पुस्तकालय की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था कर दी जायगी। उनको जो औजार चाहिए, वे दिये जायँगे, जमीन आदि जो चाहिए, वह दी जायगी और मकान भी कुछ बनाकर दिये जायँगे, शेष वे खुद बनायेंगे। इतना करने के बाद उनसे कहा जायगा कि इसके आगे आपको और कोई चीज मिलनेवाली नहीं है। अब दोनों मिलकर एक सामूहिक जीवन जिये और देश के सामने नमूना पेश करे कि उत्तम-से-उत्तम समग्र जीवन कैसा होता है। ऐसे विश्वविद्यालय में ज्ञान-वर्चा होगी, प्रयोग किये जायँगे, उन प्रयोगों के जो नतीजे आयेंगे, वे देश के सामने रखे जायँगे, यह सब होगा। लेकिन मुख्य चीज यह होगी कि सीखने और सिखानेवाले, दोनों ही अपने पैरों पर खड़े हैं, हाथों से काम करते तथा अपनी रोटी कमाते हैं। जैसे-तैसे नहीं, बल्कि उत्तम-से-उत्तम तरीके से कमाते हैं, यह दिखा देंगे। उनका जो काम वहाँ होगा, जो विद्या पढायी जायगी, जो औजार बनेंगे, जो मकान आदि बनेंगे, उन सब कामों में उनकी विद्या की झाँकी दीख पड़ेगी। हमारे विश्वविद्यालय के लिए किताबें पहले से नहीं बनेगी, बल्कि विश्वविद्यालय ही अपने लिए किताबें बाद में बनायेगा। उसके अनुभव में से ही दुनिया को किताबें मिलनेवाली हैं। अगर हमारा विश्वविद्यालय इस तरह काम करेगा और देश के सामने एक नमूना पेश करेगा, तो वह चिन्ता किसी शोरगुल के अपना काम करता रहेगा। ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव से जो चीज तैयार होगी, वह दुनियाँको विश्वविद्यालय की भारी देन होगी।

—'सर्वोदय' से

आदर्श पाठशाला कैसी हो ?

: २६ :

(तुमसर विद्यालय में)

हिन्दुस्तान की बुरी दशा

मेरी दृष्टि से हमारे शिक्षण मे सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीज की है, तो विज्ञान की। हिन्दुस्तान कृषिप्रधान देश मले ही कहलाता हो, फिर भी उसका उद्धार सिर्फ खेती के भरोसे नहीं होगा। यूरोपीय राष्ट्र उद्योग-प्रधान कहलाते हैं। हिन्दुस्तान में खेती-प्रधान व्यवसाय होते हुए भी यहाँ प्रतिव्यक्ति सवा एकड जमीन है। इसके विपरीत फ्रांस में, जो एक उद्योग-प्रधान देश कहलाता है, प्रति मनुष्य साढे तीन एकड जमीन है। इस पर से मालूम होगा कि हिन्दुस्तान की हालत कितनी बुरी है। इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान मे अकेली खेती ही होती है और कुछ नहीं होता। यह हालत बदल देने के लिए हमारे यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षक और जनता, सभी को उद्योग में निपुण बन जाना चाहिए। उसके लिए उन्हें विज्ञान सीखना चाहिए।

आहार-विज्ञान

हमारा रसोईघर हमारी प्रयोगशाला होनी चाहिए। वहाँ जो आदमी काम करे, उसे इन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए कि किस खाद्य पदार्थ मे कितना उष्णक है, कितना ओज है, कितनी चिकनाई है। उसमें यह हिसाब करने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि किस उन्न के मनुष्य को किस काम के लिए कैसे आहार की जरूरत होगी।

मल-विज्ञान

गौच को तो सभी जाते हैं। लेकिन स्कूलवालों को मल के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान होना चाहिए। मैले का क्या उपयोग होता है? सूर्य की किरणों का उस पर क्या असर होता है? मैला अगर खुला पड़ा रहे, तो उससे क्या नुकसान है? उससे कौनसी बीमारियाँ पैदा होती हैं? जमीन को अगर उसकी खाद दी जाय, तो उसकी उर्वरता कितनी बढ़ती है?—आदि सारी बातों का शास्त्रीय ज्ञान मल-विज्ञान की सहायता से हमारे छात्रों को कराना चाहिए। मैंने तो उस पर एक सूत्र ही बनाया है—‘प्रभाते मलदर्शनम्।’ मल से हमें आरोग्य का ज्ञान होता है और यह जानकर कि शरीर मलागार है, देहासक्ति भी कम होती है।

आरोग्य-विज्ञान

कोई लड़का बीमार हो जाता है। वह क्यों बीमार हुआ? बीमारी मुफ्त में थोड़े ही आयी है, तुमने उसे गिरह से कुछ खर्च करके बुलाया है। अतिथि की तरह उसका खयाल रखना चाहिए। वह क्यों आयी, कैसे आयी आदि बातों की खोज करनी चाहिए। जब वह आ ही गयी है, तब उससे सारा ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें शिक्षण की बात है। ‘वह ज्ञानदाता रोग आया और गया, हम कोरे-के-कोरे रह गये।’ यह दूसरों के साथ भले ही होता हो, हमारे साथ हरगिज न होना चाहिए।

खादी-विद्या

तुम यहाँ सूत कातते हो, खादी भी बना लेंते हो। तुम्हें

बघाई है। लेकिन खादी के बारे में शास्त्रीय प्रश्नों के जवाब यदि तुम न दे सको, तो पाठशाला और उत्पत्ति-केंद्र यानी कारखाने में फर्क ही क्या रहा ? लेकिन मैं तो अपने कारखाने से भी इस ज्ञान की आशा रखूंगा।

ज्ञानदृष्टि आवश्यक

विद्यार्थी भोजन करते हैं और दूसरे लोग भी, लेकिन दोनों के भोजन करने में काफी फर्क होना चाहिए। विद्यार्थियों का भोजन ज्ञानमय होना चाहिए। जब विद्यार्थी अनाज पीसेगा और छानेगा, तो वह लिखकर रखेगा कि उसमें से कितना चोकर निकला। मान लीजिये कि सेर में आठ तोले चोकर निकला। यानी दस प्रतिशत चोकर निकला। यह बहुत ज्यादा हुआ। दूसरे दिन वह पड़ोसी के यहाँ जाकर वहाँ का चोकर तोलेगा। वह देखता है कि उसके आटे में से ढाई तोले ही चोकर निकला। दस प्रतिशत चोकर निकलने में क्या हर्ज है ? उतना चोकर अगर पेट में जाय, तो नुकसान क्या होगा ?—आदि प्रश्न उसके मन में उठने चाहिए और उनके उचित उत्तर भी उसे मिलने चाहिए। तब ऐसा होगा, जैसा कि गीता में कहा है, तभी उसका हर एक काम ज्ञान-साधन होगा।

उद्योग में विज्ञान

इस प्रकार प्रयोग-बुद्धि और ज्ञान-दृष्टि से प्रत्येक काम करने में थोड़ा खर्च तो होगा ही, लेकिन उससे उतनी कमाई भी होगी। स्कूल में जो चरखा होगा, वह बढ़िया होगा। चाहे जैसे

चरखे से काम नहीं चलेगा। स्कूल में काम चाहे थोड़ा कम ही हो, लेकिन जो कुछ काम होगा, वह आदर्श होगा। कपास तौलकर ली जायगी। उसमें से जितने विनीले निकलेंगे, वे भी तौल लिये जायगे। रोमियो में से जब इतने विनीले निकले, तब व्हेरम में से इतने क्यों? इस तरह का सवाल पूछा जायगा और उसका जवाब भी दिया जायगा। विनीला मटर के आकार का होकर भी दोनों के वजन में इतना फर्क क्यों? विनीले में तेल होता है, इसलिए वह हलका होता है। फिर यह देखा जायगा कि इसी तरह के दूसरे धान्य कौनसे हैं? इसके लिए तराजू की जरूरत होगी। वह बाजार से नहीं खरीदी जायगी। स्कूल में ही बनायी जायगी। हर एक काम अगर इस ढंग से किया जाय, तो विज्ञान शुरू हो गया। इस तरह यदि हर बात की जानी लगे, तो ज्ञान कितना मनोरंजक होगा! फिर उसे कौन भूलेगा? अकबर किस सन् में मरा, यह रटने की क्या जरूरत है? वह तो मर गया, लेकिन हमारी छाती पर क्यों सवार हुआ? मैं इतिहास रटने को नहीं पैदा हुआ हूँ। मैं तो इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ।

विज्ञान और अध्यात्म

दो विद्याएँ सीखना आवश्यक हैं (१) हमारे आसपास की चीजों को परखने की शक्ति अर्थात् विज्ञान और (२) आत्मज्ञान अर्थात् अध्यात्म। इसके लिए बीच में निमित्तमात्र भाषा की जरूरत होती है। उसका उतना ही ज्ञान आवश्यक है। भाषा चिट्ठीरमाँ का काम करती है। अगर मैं चिट्ठी में कुछ भी न

लिखूँ, तो वह कोरा कागज भी चिट्ठीरसाँ पहुँचा देगा। भाषा विद्या का वाहन है। विज्ञान और अध्यात्म ही विद्या हैं। उसीका मैं विचार करूँगा। मेरा चरखा अगर टूट गया, तो क्या मैं बैठकर रोऊँगा ? मैं बढई के पास जाकर उसे सुधरवा लूँगा। उसी तरह अगर मुझे बिच्छू ने काट खाया, तो मुझे रोते नहीं बैठना चाहिए। उसका उपचार करके छुट्टी पानी चाहिए। यही मेरी शाला की परीक्षा होगी। मैं भाषा का परचा निकालने की भ्रष्ट में नहीं पड़ूँगा। लडको की बोलचाल से ही मैं उसका भाषा-ज्ञान भाप जाऊँगा।

पाठशाला सजायें

स्कूल में होनेवाला प्रत्येक काम ज्ञान का साधन बन जाना चाहिए। इसके लिए स्कूलो को सजाना होगा। अच्छे-अच्छे साधन जुटाने होंगे। श्री रामदास स्वामी ने कहा है “ईश्वर का वैभव बढ़ाओ।” लोगो को अपने घर सजाने के बदले शालाएँ सजाने का शौक होना चाहिए। उन्हें शाला की आवश्यक चीजें उपलब्ध करा देनी चाहिए।

ऊपर की सभी बातें मैंने अपने अनुभव से बतायी हैं। इनका तुम्हारी मडली में उपयोग होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

—‘जीवन-दृष्टि’ से

सेवाग्राम का प्रयोग

: २७ :

आज सुबह मैं सेवाग्राम ही आया। वहाँ तालीमी-संघ में एक महान् प्रयोग चल रहा है। वच्चे अनाज पैदा करते हैं, साग-मक्खी पैदा करते हैं और कुछ फल पैदा करने का भी प्रयत्न जारी है। क्ताई से लेकर बुनाई तक सारी क्रियाएँ स्वयं करके कपड़ा तैयार कर लेते हैं। वे अपने हाथ से आटा पीसते हैं, खुद रसोई बनाते हैं। घर का नारा काम स्वयं कर लेते हैं। बीमारों की सेवा करते हैं। घानी चलाकर तेल पेरते हैं। अब मिट्टी के बर्तन बनाने की भी तैयारी चल रही है। अपना जमा-खर्च स्वयं लिखते हैं और यह सब करते हुए कठिन शिखा भी ग्रहण करते हैं। उनका वह प्रयोग देखकर यही इच्छा होती है कि हम भी वच्चों के नाथ काम में हाथ बँटावें।

ज्ञान और कर्म

इस शिखा-पद्धति ने विचारों का बहूत कुछ भगडा ही मिटा दिया है। कुछ विचारक कहते हैं कि ज्ञान और कर्म में विरोध है। कुछ विचारक कहते हैं कि विरोध तो नहीं है, पर दोनों में भेद है। कुछ का कहना है कि भेद तो है, पर दोनों का संयोग होना चाहिए। पर इन पद्धति ने दोनों एकरूप हो जाते हैं। कर्म से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से कर्म सम्पन्न होता है और ज्ञान तथा कर्म, दोनों के मिलने से चित्त का विकास होता है। देखने में तो वच्चा कर्म करता दिखाई पड़ता है, पर भीतर से वह ज्ञान प्राप्त करता रहता है। शिखाक उसकी सहायता के लिए निमित्तमात्र होता है।

नयी पद्धति का लाभ

यह सब लिखकर मैं यह नहीं सुझाना चाहता कि उस जगह जो कुछ चल रहा है, वह परिपूर्ण या निर्दोष ही है। वहाँ की कमियाँ मैं जानता हूँ, पर उसमें की दृष्टि निर्दोष होने से चित्त का समाधान होता है। हिंदुस्तान में सर्वत्र इस पद्धति की शिक्षा चल पड़े, तो ऊँच-नीच, अमीर-गरीब आदि सारे भेद मिट जायँगे। श्रम की प्रतिष्ठा कायम होगी। समाज को अच्छे सेवक मिलेंगे, अच्छे रक्षक मिलेंगे। हर गाँव स्वावलम्बी होगा।

जानकारी और विकास

देख रहा हूँ कि आज भी इस ओर हम लोगो का जितना ध्यान जाना चाहिए, उतना नहीं गया। जिन्होंने प्राचीन पद्धति से शिक्षा पायी, वे बच्चो से इतना ही पूछते हैं कि क्या जानकारी हासिल की। वे नहीं जानते कि जानकारी का शिक्षा से, चित्त-विकास से बहुत ही कम सबध है। आवश्यकता पडने पर बाह्यज्ञान प्राप्त करने की योग्यता बच्चे में हो, तो बस है। वह योग्यता हासिल करा देना शिक्षा का काम है। पर सचाई, कार्यकुशलता, सेवा-भाव आदि गुण—ये ही मुख्य चीजें हैं। इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पडेगा कि शिक्षाशास्त्र में यह बहुत बड़ी खोज है।

माता-पिता ध्यान दें

जिन्हें ईश्वर ने बच्चे दिये हैं, अगर वे इस पद्धति का अध्ययन करे और अपने बच्चो को यही शिक्षा दें, तो बहुत बडा लाभ

होगा। अधिकतर होता यह है कि हम अपने बच्चों को अपनी योजनाओं से दूर रखते हैं। योजना दूसरे के लिए बची रहती है। फलतः वह मारहीन बन जाती है। अगर यही शिक्षा हम अपने बच्चों को दें, तो वह कसी जा सकेगी और फिर उसके हिन्दुस्तानभर में फैलने में देर न लगेगी। कारण, शिक्षा ही ऐसी चीज है कि वहाँ लम्बाई-चौड़ाई का महत्त्व नहीं है, केवल गहराई का ही महत्त्व है। यदि एक जगह भी शिक्षा का एक-आध गहरा प्रयोग हो जाय, तो स्वतः उसका सर्वत्र प्रचार हो जाता है। इसलिए सरकार इस बारे में क्या कर रही है, इसकी चिन्ता छोड़ अगर हम लोग इसमें रस लें और अपने बच्चों को इस पद्धति से शिक्षा दें, तो बहुत बड़ा काम होगा।

—'मेवक', मार्च १९४८

नित्य-नयी तालीम

: २८ :

नित्य-नयी तालीम का अर्थ

बच्चों की तालीम एक शुभ कार्य है। यह मेवाग्राम में बरमो ने चल रही है। इसे 'नयी तालीम' नाम दिया गया है लेकिन मे इसे 'नित्य-नयी तालीम' कहता हूँ। नित्य-नयी तालीम का मतलब है - जो कल थी, वह आज नहीं है और जो आज है, वह कल नहीं रहेगी, जैसे नदी का पानी। नदी बहती रहती है, लेकिन प्रतिक्षण उसका पानी नया होता है। वैसे ही रोज के अनुभव के आचार पर जो नित्य बदलती रहती है, वह है, नित्य-नयी तालीम।

बना-बनाया ढाँचा व्यर्थ

लोग तालीम का एक ढाँचा बनाते हैं। जहाँ ढाँचा बना, वहाँ तालीम विगडी। इसलिए मैंने अपने जीवन में निश्चय कर लिया है कि इस तरह का ढाँचा जीवन में नहीं बनने दूँगा। रोज नये-नये अनुभव आते हैं, उनके अनुसार हमारा जीवन नित्य बदलने की शक्ति हममें होनी चाहिए।

स्थानीय पाठ्य पुस्तकें हों

हमने बुनियादी तालीम से आरम्भ किया था। अब पूर्व-बुनियादी में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें भी देहातो की दृष्टि से काम करना है। इसलिए पुराने विचार यहाँ काम नहीं देंगे। हर देहात की परिस्थिति अलग-अलग होती है। उस परिस्थिति का खयाल करके तालीम का विचार करना होगा। जिस देहात में नदी का किनारा होगा, उस देहात के बच्चों की तालीम एक ढग की होगी, तो जिस देहात में पहाड़ होंगे, वहाँ वह दूसरे ढग की होगी। जिस देहात के आसपास जंगल होंगे, वहाँ की तालीम तीसरे ढग की होगी। हर देहात का वातावरण देखकर अलग-अलग ढग की तालीम की रचना करनी होगी। तालीम का बना-बनाया ढाँचा या बनी-बनायी पुस्तकें सब देहातो के लिए काम नहीं देंगी। आजकल तो सारे प्रान्त के लिए एक ही किताब सब स्कूलों में चलती है। ऐसी पुस्तक में हर देहात की जो विशेषता या भिन्नता होती है, उसका कुछ खयाल नहीं रहता। वह एक सर्व-सामान्य पुस्तक होती है। इसलिए बच्चों को उसमें दिलचस्पी

पैदा नहीं होती और उस गाँव के लिए वह खास काम की भी नहीं होती।

जिंदा इतिहास-भूगोल

किताबें तो हमारे स्कूलों के लिए भी चाहिए, लेकिन हमारी किताब हर देहात की परिस्थिति ध्यान में रखकर अलग-अलग प्रकार की होगी। उस-उस देहात का वातावरण उसमें रहेगा। सेवाग्राम के स्कूल में अगर इतिहास पढ़ाना होगा, तो वहाँ जितनी सस्थाएँ हैं, उनका इतिहास उस पुस्तक में होगा। सेवाग्राम गाँव कैसे बना, यह उसमें बताया गया होगा। गाँव के बूढ़े लोगों के अनुभव उसमें दिये होंगे। इस तरह से वह एक जिंदा इतिहास होगा। भूगोल भी सेवाग्राम के इर्द-गिर्द से शुरू होगा। जिस देहात में हम होंगे, वह सारी दुनिया का मध्य-बिंदु है, क्योंकि हम वहाँ रहते हैं और उसके इर्द-गिर्द दुनिया पड़ी है, ऐसा समझकर हमारा भूगोल बनेगा।

नित्य परिवर्तनशीलता

यह है हमारा विचार। नित्य नया अनुभव लेते जायेंगे और प्रयोग करते जायेंगे। पिछले अनुभव पर जिस चीज को बनाया होगा, उसे नया अनुभव मिलने के कारण तोड़ दिया और दूसरी नयी चीज बनायी। इस तरह बनाते जाने और तोड़ते जाने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।

नयी तालीम का तत्त्व

मुझसे अगर कोई पूछेगा कि “बच्चों की तालीम का तत्त्व

क्या है ?” तो थोड़े में मैं यही कहूँगा कि “तालीम देनेवाले शिक्षको को बच्चे बनना है और तालीम लेनेवाले बच्चो को बड़े बनना है । शिक्षक अगर बच्चा नहीं बन सकता, तो वह तालीम नहीं दे रहा है और बच्चा अगर बड़ा नहीं बनता, तो वह तालीम नहीं पा रहा है, यही समझना चाहिए।”

प्रार्थना मातृभाषा में हो

अब बच्चो के साथ हम जो काम करेंगे, वह हमारे रोज के जीवन से सबध रखनेवाला होना चाहिए । हर काम के पीछे जो विचार होगा, वह बच्चो को समझाना चाहिए । जैसे, हम रोज प्रार्थना करते हैं, तो वह बच्चो की मातृभाषा में होनी चाहिए । कुरान अरबी में पढ़ेंगे, तो पुण्य लगेगा और मराठी में गाया कि कुरान खतम हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए । यही बात वेद के मंत्रों के बारे में और अन्य प्रार्थनाओं के बारे में भी लागू होती है । प्रार्थना जब बच्चो की मातृभाषा में होगी, तभी वे उसका अर्थ समझेंगे । जहाँ अर्थ का ज्ञान नहीं होता, वहाँ प्रार्थना का कोई खास मतलब नहीं रहता ।

ट्रेनिंग लेनेवाले शिक्षक

यहाँ दूसरे प्रातो से जो शिक्षक आते हैं, उनके लिए कुछ अभ्यासक्रम रखा जाता है । वे यहाँ नयी तालीम के विषय पर व्याख्यान सुनते हैं, लेकिन मैं तो उन्हें पूरे सालभर में अभी आपके सामने दिया उतना ही, एक व्याख्यान दूँगा और कहूँगा कि “अब काम में लग जाओ ।” और रोज के काम में जो भी मुश्किलें

आयें, उनकी धाम को चर्चा करना चाहेंगा। वी० ए०, एम० ए० वर्गरह की जो तालीम अब तक उन्होंने पायी है, उसमें तो वे व्याख्यान ही सुनते थे। यहाँ भी वे व्याख्यान ही सुनते रहेंगे, तो सच्ची तालीम नहीं पा सकेंगे। मैं उनसे कहूँगा कि “आपको सरकार की ओर से जो कुछ छात्रवृत्ति मिलती है, उसे आप घर भेज दें, लेकिन यहाँ आप एक माह तो अपनी रोटी कमाकर दिखायें।” “क्या आप दिनभर में दम-ब्रारह गज वुन लेते हैं?” ऐसा मैं उनसे पूछूँगा। इस पर यदि वे कहेंगे कि “प्रत्यक्ष वुनना तो हम नहीं जानते, लेकिन वुनाई का उमूल जानते हैं”, तो मैं कहूँगा - “सूाने का उमूल तो आप जानते हैं, फिर रोज खाते क्यों हैं?” मतलब यह कि हमारी विद्या केवल शब्द-विद्या नहीं होनी चाहिए, वह वीर्यवती होनी चाहिए।

पुरानी विद्या का मोह

लेकिन दरअसल वान ऐनी है कि हमारे दिमागों में पुरानी विद्या ही भरी है। शिलक यहाँ बच्चों को रमोर्ड, कताई, वुनाई आदि सिखाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह सोचते हैं कि बाहर के स्कूलों के बच्चों की तुलना में हमारे बच्चों का स्तर किनना है? बाहर के बच्चों के साथ हमारे बच्चों की तुलना ही क्या हो सकती है? हमारा बच्चा अच्छी तरह तैर सकता है, इतना ही नहीं, बल्कि डूबने को बचा भी सकता है। क्या बाहर के स्कूल का बच्चा इन तरह तैर सकेगा? वह डूब जरूर सकता है। लिखने-पढ़ने की कोई कीमत नहीं है, ऐसा मुझे नहीं कहना है,

लेकिन दूसरे दस-बीस गुण होते हैं, उनमें से यह भी एक है। उसे इतना अधिक महत्त्व क्यों दिया जाय ?^१

—‘सेवक’ से मार्च १९५०

गाँव का स्फूर्तिस्थान

: २६ :

कल मैंने प्रार्थना में कहा था कि ‘आप हिंदुस्तान का नमक खाये हैं। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सके, तो हिंदुस्तान में और कोई कर सकनेवाला नहीं है। जो लोग सरकार में दाखिल हो गये हैं, वे हमारे में से उत्तम-से-उत्तम लोग हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सरकार सभी काम नहीं कर सकती। नयी तालीम का विषय भी ऐसा ही है कि उसका कुछ हिस्सा सरकार कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती।

नयी तालीम सर्वसंग्राहक

नयी तालीम इतनी व्यापक है कि उसमें हिंदुस्तान की सेवा का हरएक प्रकार आ जाता है। अभी हमने ‘सर्व-सेवा-संघ’ बनाया, तो नायकमजी ने कहा कि “इसकी जरूरत क्या है? नयी तालीम ही सर्व-सेवा-संघ है।” इस विचार को मैं मानता हूँ। लेकिन सर्व-सेवा-संघ की कल्पना भिन्न है। हरएक संघ की योजना-शक्ति अलग-अलग होती है। उन्हें जोड़ने के लिए सर्व-सेवा-संघ है।

तालीमी-संघ की मर्यादा

‘तालीमी-संघ’ एक चीज है और नयी तालीम दूसरी चीज।

^१ सेनाधाम में दिनांक १६-२-५० को बुनियादी शाला की इमारत की नींव डालते समय किया गया भाषण।

तालीमी-सघ एक छोटी चीज है और नयी तालीम बड़ी चीज । तालीमी-सघ कुछ मार्गदर्शन करेगा । लेकिन उसे खुद को जितना दर्शन हुआ होगा, उतना ही वह दूसरो को देगा । तो, पहली बात मुझे आपको यह कहनी है कि तालीमी-सघ के मार्गदर्शन को आप बहुत महत्त्व न दें । आपको अपनी स्वतन्त्र बुद्धि चलानी चाहिए ।

पुराने लोग अपूर्ण

समझना यह चाहिए कि हम लोग, जिन्होंने यह योजना बनायी है, वे सारे कच्चे हैं । हमें खुद को जो तालीम मिली है, वह तो पुरानी ही है । हमारे विचार में यह एक नयी दृष्टि आयी है सही, पर इसके कारण हमारा जीवन भयकर बन गया है । मैंने अपने जीवन को 'नरसिंह' की उपमा दी है । नरसिंह पूरा पशु भी नहीं था और न पूरा मनुष्य ही । उसके पहले 'वराह' हुआ, वह पशु था । उसके बाद का 'वामन' मनुष्य था । लेकिन यह बीच का जो नरसिंह-अवतार है, वह सब अवतारों से भयकर है । वैसे ही हम लोग भयकर हैं, जिन्होंने तालीम तो पुरानी पायी है और विचार सोचा है नयी तालीम का ।

नयी तालीम को पैसा नहीं चाहिए

मैं तो यह मानता हूँ कि जो शिक्षा-पद्धति हम चलाना चाहते हैं उसके लिए एक कौड़ी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए । भगवद्गीता में कहा है . "त्यक्तः सर्वपरिग्रह" "शारीर केवल कर्म"—सारा परिग्रह छोड़कर शरीर से काम करो ।

मान लें, मैं किसी देहात में जाकर नयी तालीम चलाना.

चाहता हूँ, तो वहाँ के मजदूरों के साथ खेत में काम करने जाऊँगा और खेत का मालिक जो मजदूरी देगा, उस पर गुजारा करूँगा। इस तरह अगर मैं जीना शुरू कर दूँगा, तो नयी तालीम का उत्तम शिक्षक बनूँगा। हमारे जो उत्तम शिक्षक हो गये हैं, उन्होंने प्राचीन-काल में इसी तरह काम किया है। कबीर एक उत्तम शिक्षक था और उसकी तालीम को हिन्दुस्तान के लोग अभी तक भूले नहीं हैं। ऐसा ही एक शिक्षक 'वळ्ळुवन्' था, जिसने तमिलनाडु को सर्वोत्तम शिक्षा दी है। 'नामदेव' दर्जी का काम करता था, तो कबीर और वळ्ळुवन् बुनने का काम। ऐसे ही दूसरे सत हो गये, जो कुछ-न-कुछ काम करते थे। उन्होंने हम सिखाया है कि "मुख में परमेश्वर का नाम और हाथ में उत्पादन का काम।" तो अब मैं पूछूँगा कि देहात में जाकर खेत में काम करने के लिए सिवा मेरे दो हाथों के और मुझे क्या चाहिए ?

देहात में नयी तालीम

गाँव में जाने के लिए लोग डरते हैं। गाँव में जितना प्रेम है, उसकी तुलना शहरवाले अपने जीवन से करें, तो मालूम होगा कि शहरवालों का जीवन कितना दरिद्र है। ग्राम में एक समष्टि-जीवन है। शहर में हरएक का जीवन अलग-अलग है। शहर में लोग अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि "भगवान् ने ग्राम निर्माण किये और मनुष्य ने शहर।" अगर शिक्षण की योग्यता रखनेवाला मनुष्य मजदूरों में जाकर काम शुरू कर देगा, तो वह खुद सीखेगा और उन्हें भी

सिखायेगा। वहाँ के लडको को हम रात को या दोपहर को जब समय मिलेगा, तब सिखा सकते हैं। अगर आपको चरखे की जरूरत पड़ी तो वह चरखा अपना दाम पंद्रह दिन में चुका देगा। अगर आप तकली की जरूरत समझे, तो तकली अपनी कीमत एक दिन में चुका देगी। यही उन छोटे-छोटे औजारों की खूबी है। आप अपने औजार खुद भी बना सकते हैं और अगर वैसे बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि नयी तालीम के लिए वह बहुत अच्छा विषय हो जाता है। इसलिए शरीर परिश्रम-निष्ठा, अपने देहाती भाइयों पर प्रेम, काम करने की काविलीयत और वैज्ञानिक दृष्टि लेकर स्वतंत्र बुद्धि से आप गाँव में जाइये और आपको जैसा सूझे, उस तरह से तालीम देना शुरू कर दीजिये।

छट्टी का प्रश्न

मैंने पहले ही कहा कि 'मैं तो गाँव में आरम्भ ही खेती का मजदूर बनकर करूँगा।' लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे स्कूलों को उन दिनों छट्टी होती है, जिन दिनों खेती पर कोई काम नहीं रहता है। गर्मी की छट्टी हमें अग्रेजों ने भिखायी और हमने उसीको पकड़ रखा। उन्होंने सिखाया कि गर्मी में काम कम होता है और 'एनर्जी' (उत्साह) टिकी नहीं रहती। लेकिन हम देखते हैं कि पृथ्वी के जिस भाग में बहुत उष्णता होती है, उसमें मजबूत पेड़ पैदा होता है। इसलिए स्कूल को अगर छट्टी देनी है, तो वारिज के दिनों में देनी चाहिए। लेकिन मैं उसे छट्टी नहीं कहूँगा। कारागार के लिए छट्टी की बात समझ में भी आती

हैं और चूँकि हमारे पुराने स्कूल जल जैसे थे, इसलिए उन्हें छुट्टी की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे लिए तो एक दिन भी छुट्टी का नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान में आनन्द है, तो छुट्टी कैसी ?

बुद्धि द्वारा क्रान्ति

मुझे याद है कि मैं पवनार से सुरगाँव, जो वहाँ से तीन मील पर है, रोज भगी काम के लिए जाता था। वारिश् के दिनों में भी जाता था। तो लोगो ने पूछा “इतनी वारिश् है, तो आप क्यों आते हैं ?” मैंने कहा “भाई, दूसरो को छुट्टी हो सकती है, लेकिन भगी को छुट्टी कैसे ?” मेरा आदर्श तो सूर्यनारायण है। सूर्यनारायण तो सबसे बढकर भगी है। हम इतनी गदगी करते हैं कि हिन्दुस्तान में अगर अच्छा सूर्य-प्रकाश न होता, तो हम कवके खतम हो जाते। लेकिन मुझे दु ख इस बात का हुआ कि सूर्यनारायण का अनुकरण मैं सालभर नहीं कर सका और बीमारी के कारण ९ दिन काम पर नहीं जा सका। मेरे काम का उस गाँव पर यह परिणाम हुआ कि ‘भगी’ के काम को गाँववाले एक अत्यंत पवित्र काम समझने लगे।

एक दिन मैंने देखा कि गणपति-उत्सव के दिन मेरे जाने के पहले ही सारा गाँव साफ हो गया। मैं वहाँ सुबह सात बजे पहुँचा। सारा गाँव साफ देखकर मैंने पूछा कि “गाँव किसने स्वच्छ किया ?” गाँववालो ने कहा “आज गणपति-उत्सव का दिन था, तो हम लोगो ने सोचा कि आज कोई पवित्र काम करना चाहिए अतः हमारे नौजवानो ने यह काम कर डाला।” मैं इसको

क्रांति कहता हूँ। ऐसी क्रान्ति कोई राज्य-सत्ता नहीं कर सकती। इसीलिए जब मैंने कल सुना कि 'सत्ता के बगैर समाज-क्रांति नहीं हो सकती' तो वह बात मुझे जँची नहीं। मैं तो इससे विलकुल उन्टा मानता हूँ। कोई भी सरकार क्रांति नहीं कर सकती। क्रांति करना सरकार का काम ही नहीं है।

मैं तो कहूँगा कि इस तरह की क्रांति का काम तालीमी-सघ भी नहीं कर पायेगा। यह तो आप लोगो में भगवान् ने जो वृद्धि दी है, वह वृद्धि ही क्रांति कर सकेगी। क्योंकि अन्ततः तालीमी-सघ भी एक जड वस्तु है और मनुष्य की आत्मा है चेतन वस्तु। जिसे हम सघ कहते हैं वह जड है, व्यक्ति चेतन है।

विद्यालय द्वारा ग्राम-सेवा

हमारे स्कूल का शिक्षक सारे गाँव का सेवक भी होना चाहिए। गाँव की शाला सेवा का केन्द्र होगी। गाँव को औपधि देनी है, तो वह स्कूल की मार्फत दी जायगी और लडके उसमें मदद देंगे। गाँव में सफाई करनी है, तो शाला उसका केन्द्र बनेगी। और स्कूल के लडके तथा शिक्षक गाँववालो को मदद करेंगे। गाँव में अगर कोई झगडे होते हैं, तो उनका निर्णय करने के लिए भी लोग गाँव क शिक्षक के पास पहुँचेंगे। गाँव में कोई उत्सव करना है, तो उसकी योजना भी शाला करेगी। इस तरह गाँव का केन्द्रम्यान विद्यालय बनेगा। जो चीज गाँव में है, उसका विकास विद्यालय करेगा और जो चीज गाँव में नहीं है, उसकी स्थापना करेगा। कल हम खेती और बुनाई की चर्चा कर रहे थे। खेती

का महत्त्व है, क्योंकि वह सारे देहात में चल रही है। बुनाई का महत्त्व है, क्योंकि वह कहीं चल नहीं रही है। इसलिए विद्यालय के लोग खेती में पड़ते हैं, तो उसका विकास करना है और बुनाई की स्थापना करनी है।

पैसे की माया में न पड़ें

खेती या बुनाई में से, अथवा बढई-काम में से हमें कितना पैसा मिलेगा, यह सवाल गलत है। हमें समझना चाहिए कि बुनने में से हमें पैसा नहीं मिल सकता। उसमें से कपडा मिलेगा। खेती में से हमें पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि अनाज मिलेगा। बढई-काम में से हमें पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि मकान मिलेगा। इन चीजों की पैसे के साथ हम तुलना ही नहीं कर सकते। दूध की कीमत ज्यादा है और पानी की कम है, ऐसा लोग कहा करते हैं। लेकिन मैं पूछूंगा कि “प्यास लगने पर क्या दूध से काम चलेगा?” बात ऐसी है कि परमेश्वर की सृष्टि में जो चीज अत्यंत महत्त्व की होती है, वह सबको आसानी से मिल जाय, ऐसी योजना है। इसलिए पैसे का खयाल छोड़कर सारे जीवन को पूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए।

नयी तान्त्रीय में से कठिनाइयों का हल

हमारे सब कामों का आधार शिक्षकों पर है। इसलिए हिन्दुस्तान और दुनिया में क्या चल रहा है, इसका उत्तम अभ्यास हमारे शिक्षकों को होना चाहिए और जो-जो मुश्किले देश के सामने आती हैं, उनका हल शिक्षकों के पास तैयार रहना चाहिए। कल यहाँ चर्चा चल रही थी कि क्या हिन्दुस्तान अपना

सारा अनाज खुद पैदा कर सकता है ? एक भाई ने कहा “इसका उत्तर तो जयरामदासजी भी नहीं दे सके, तो हमारे शिक्षक क्या देगे।” लेकिन मैं कहता हूँ कि “जयरामदासजी भले ही एक दफा इसका उत्तर न दे सकें, लेकिन हमारे शिक्षको के पास इसका उत्तर होना चाहिए।” इसका कारण यह है कि जयरामदासजी को विश्वरूप-दर्शन है और विश्वरूप-दर्शन से तो अर्जुन भी घबरा गया था। लेकिन हमारा शिक्षक एक गाँव को सारी दुनिया समझेगा। इसलिए अगर उस गाँव का मसला वह हल करता है, तो सारी दुनिया का मसला हल हो सकता है, इसका दर्शन उसे होगा। वह जयरामदासजी को सलाह दे सकता है। वह कह सकता है कि हमारे गाँव में आकर देखिये, हमने अनाज का मसला कैसे हल किया है। ऐसे सब प्रयोग व्यापक दृष्टि से हमारे यहाँ चलने चाहिए और हमारे देश की कठिनाइयों का हल नयी तालीम में से हमें मिलना चाहिए।

सत्य-निष्ठा निर्माण करें

अब एक बात और बतानेवाला हूँ, जो ऊपर की सब बातों से भी ज्यादा महत्व की है। वह है सत्य-निष्ठा। अपने स्कूलों में सत्य-निष्ठा निर्माण करने का हमें अधिक-से-अधिक प्रयत्न करना चाहिए। लड़कों पर हमेशा विश्वास ही रखना चाहिए। लड़का जो भी कहता है, सही है, ऐसा समझकर चलना चाहिए। जो सत्य-निष्ठ होता है, वह दूसरे पर हमेशा विश्वास रखता है।

तीस साल पहले की बात है। मैं उस समय काशी में था।

एक दूकान पर मैं ताला खरीदने गया था। मेरी आदत है कि चीज लेनी न भी हो, तो भी उसके दाम पूछ लेना। इसलिए मैं ताले की कीमत जानता था। दूकानवाले ने ताले की कीमत दस आने बताया। मैं जानता था कि उसकी कीमत तीन आने है। मैंने दूकानवाले से कहा “इस ताले की कीमत तीन आने है, यह मैं जानता हूँ लेकिन तुम दस आने कहते हो, तो मैं दस आने दे देता हूँ।” दस आने देकर मैं ताला ले आया। उस दूकान पर से होकर मेरा घूमने का रास्ता था, अतः मुझे रोज उस दूकान पर से गुजरना पड़ता था। दो-तीन हफ्तों के बाद उस दूकानवाले ने देखा कि मैं दूकान पर से जा रहा हूँ और दूकान पर दूसरें ग्राहक नहीं हैं, तो उसने मुझे बुलाया। न मालूम उसे क्या लगा होगा। उसने कहा “ताले के दाम तीन आने थे। ये सात आने वापस ले जाइये!” मेरी आँखों में आँसू आ गये। मुझे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी। मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे सत्य-निष्ठा का बोध दे दिया। लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर हमेशा ऐसा नहीं करेगा। वह भक्त की ज्यादा कसौटी कर सकता है। इसलिए लोगो के दिल पर हमारी सत्य-निष्ठा का कोई असर न हो, फिर भी हमें सत्य-निष्ठ ही रहना चाहिए।

नयी तालीम प्रगति क्यों नहीं करती ? : ३० :

(हिन्दुस्तानी तालीम-संघ, शेरघाटी में शिक्षकों से होनेवाली चर्चा)

बिहार राज्य में बुनियादी शिक्षा का एक व्यापक और गंभीर प्रयोग कितने ही वर्षों से चल रहा है। सारे देश की आँखें इस

प्रयोग की ओर लगी है। किन्तु जैसा काम होना चाहिए, वैसा नहीं दीखता। गाँधीजी कहते थे कि नयी तालीम को स्वावलम्बी होना चाहिए। पर आज तो ऐसी शिकायत है कि नयी तालीम महंगी हो रही है।

नयी तालीम के शिक्षक स्वावलम्बी नहीं

इसका कारण यह है कि हम मूल्य-परिवर्तन की बात तो करते हैं, पर आज की नयी तालीम में वह नहीं दिखाई देता। जिस तरह शिक्षा-विभाग में दूसरी जगह वेतन का मान कम-ज्यादा है, वैसे ही नयी तालीम की मस्याओं में भी। वही नौकरी की दृष्टि, आगे की वृद्धि का विचार आदि इसमें भी चलता है।

सरकार का अधूरा चिन्तन चलता है। पुराने ढंग के स्कूल चाहे जितने खोलो, वे तो ग्रैंट टूक रोड जैसे हैं और नयी तालीम के स्कूलों में कुछ खतरा है।

केवल ऊँचे पद से क्या होगा ?

शिक्षा-विभाग के एक अधिकारी ने बीच ही में कहा “सरकारी-विभाग में उच्च अधिकारी का उत्तम होना जरूरी है।” आपने अपनी बात अच्छे ढंग से रची है। लेकिन इसमें अडचन यह है कि नयी तालीम की ट्रेनिंग पाया हुआ जो मनुष्य अपनेको अपने पैरो पर खड़ा रहने में असमर्थ पायेगा, वह आपके कहने के अनुसार ऊँचे पदों पर पहुँचने पर भी बेकार साबित होगा। कोई स्वावलम्बी लोहार अगर प्रधानमंत्री बन जाय, तो शायद वह अच्छा काम कर ले, किंतु जो नौकरी न मिलने के कारण लाचार रहेगा, वह ऊँचे पद पर बैठेगा, तो भी कुछ नहीं कर सकेगा। सरकारी व्यवस्था

उसे हजम कर लेगी, वह उस व्यवस्था को नहीं बदल सकेगा। जो सिपाही अपना काम ठीक तरह से नहीं निवाह सकता, उसे यदि लाकर शिवाजी की गद्दी पर बैठा दें, तो वह शिवाजी नहीं बन सकता।

नया ढाँचा आवश्यक

आज तालीम का ऊपरी ढाँचा तो पुराना ही है। असली बुनियादी तालीम की बुनियाद पर ही ऊपर का ढाँचा खड़ा होना चाहिए, किंतु आज वैसी बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि निर्णायक पद या Key Position तो सरकार नहीं, मतदाता है। इसलिए आज के शिक्षक लोग जनता में जाकर मतदाताओं का विचार बदलेंगे, तो उनके हाथ में निर्णायक शक्ति आ जायगी। फिर 'कुल सरकार कैंसी बनानी है' यह बात भी उनके हाथ में होगी। इस तरह ये शिक्षक लोग खुद सरकार नहीं बनेंगे, बल्कि सरकार बनानेवाले होंगे। वे नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि नौकरी करनेवालों पर नियंत्रण रखेंगे। यह शक्ति नयी तालीम के शिक्षकों में तब आयेगी, जब मूल्य-परिवर्तन अमल में आयेगा।

आज के शिक्षक

हमारी भूदान-यात्रा के दरमियान हम जहाँ-जहाँ वेसिक-स्कूल हैं, वहाँ जाकर वहाँ का काम देख लिया करते हैं। वहाँ मैं शिक्षकों से सवाल पूछता हूँ कि "आपके लटके कहाँ पडते हैं?" तो वे जवाब देते हैं "गया या पटना जैसे शहर में।" जहाँ बाप, गुरु और अच्छी पद्धति—तीनों एकत्र हैं, वहाँ लडकों को

अपने पास रखकर तालीम क्यों नहीं देते? जाहिर है कि उन्हें नयी तालीम पर विश्वास नहीं है।

वेसिक स्कूल में खादी पैदा होती है, पर वहाँ के लड़कों के वदन पर खादी दिखाई नहीं देती। यानी वहाँ जो पैदा होता है, वह पहना नहीं जाता। यह तो हॉटेल जैसी बात हुई, जहाँ पर दूसरों को खिलाने के लिए रसोई बनती है।

दुनियादी तालीम के शिक्षक की पत्नी अपने बच्चों को लेकर शहर में रहती है। माँ बच्चों को इतना तो जरूर सिखाती है कि “बेटा, तू दुनिया में और चाहे जो करना, पर अपने बाप जैसा वेवकूफ मत बनना।”

फिर मैं शिक्षकों से पूछता हूँ कि “यहाँ पर कुछ उद्योग का भी काम होता है। मान लो कि आप तीन घंटे मजदूरी करेंगे और तीन घंटे पढ़ाएँगे, तो आप तीन घंटों में जितनी मजदूरी कमाएँगे, उतना ही हम आपको अध्यापन के तीन घंटों के लिए देगे। क्या यह आपको मजूर है?” तो वे कहते हैं “नहीं” इसका मतलब यह है कि उन उद्योगों पर वे निर्भर नहीं रह सकते। हमें कटाई, घुनाई आदि उद्योगों का स्तर ऊपर उठाना है। उसके लिए हमें अपना जीवन-स्तर नीचे लाना पड़ेगा। किंतु हम आज उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर लड़कों से क्यों कहते हैं कि उद्योग करो?”

फिर मैं पूछता हूँ कि “आज आपको सरकार समान वेतन नहीं देती, तो भी आप समान वेतन क्यों नहीं कर लेते हो? परिवार में तो ऐसा ही होता है।” लेकिन इस बात को भी वे कबूल नहीं करते।

इसका मतलब क्या है ? नयी तालीम का एक भी मूल्य आज नयी तालीम की शालाओ मे दीखता नहीं है, तो फिर उसका और क्या नतीजा होगा ?

आजकल तो यहाँ तक होता है कि सिर से लेकर पैर तक मिल के कपडे पहने हुए और घरों में विदेशी माल का प्रयोग करनेवाले लोग नयी तालीम के सम्मेलन में कार्यकर्ताओ को उपदेश देने की हिम्मत करते हैं। मैं कोई व्यक्तिगत टीका नहीं कर रहा हूँ, पर पूछना चाहता हूँ कि “आपको यदि नयी तालीम का विचार मान्य है, तो फिर बच्चों की बनायी हुई खादी क्यों नहीं पहनते ?” आज नयी तालीम के ऐसे अधूरे और लगडे प्रयोग से नयी तालीम यशस्वी नहीं होगी।

मेरी शाला कैसी होगी ?

मैं तो दूसरे ही ढंग से काम करूँगा। किसी गाँव में जाकर एक घटेवाला स्कूल खोलूँगा। लडके दिनभर खेत में काम करेंगे। स्कूल पर एक पैसे का भी खर्चा नहीं आयेगा। फिर मैं गाँववालो को प्रेरित करूँगा कि गाँव मे जरा-सी कपास बोये। जब गाँववाले कपास बोयेगे, तो फिर मैं उन्हें समझाऊँगा कि वाँस का चरखा बनाओ। फिर वह चरखा किस तरह बनाया जा सकता है, यह सिखाऊँगा। इस तरह गाँव में चरखे का प्रवेश हो गया, तो वे ही चरखे स्कूल के लडको के लिए मुफ्त में मिल जायेगे। इस तरह या तो स्कूल में चरखे का उद्योग इस उम्मीद स दाखिल करो कि इसके जरिये गाँव में परिवर्तन करेंगे या गाँव के उद्योग शुरू करके फिर उन्हें स्कूल में दाखिल करो।

स्कूल में होनेवाली चीजें

स्कूल में जो पैदा होता है, उसका वही उपयोग कर लेना चाहिए। वहाँ पर जो तरकारी पैदा होती है, उसका उत्पादन की दृष्टि से हिसाब लगाने के बजाय उसे वहाँ के लड़को और शिक्षको में बाँट देना चाहिए। इसी तरह वहाँ जो खादी पैदा होगी, वह लड़को को देनी चाहिए। आपको सिर्फ इतना देखना है कि उत्पादन ठीक होता है या नहीं? स्कूल की पैदा की हुई चीजें वही के छात्रो को दे देने में कुछ खर्च बढ़ेगा, लेकिन आरंभ में उसे बढ़ने दो। आखिर सरकार पर तालीम पर कुछ खर्च करने की जिम्मेदारी है या नहीं?

उत्तम पाठांतर

कुछ लोग समझते हैं कि बुनियादी पाठशाला में पढ़ना-लिखना बिलकुल सिखाया ही नहीं जाता। मैं तो अपने छात्रो को शुरू में ही उपनिषद् पढाऊँगा। 'सत्य वद, धर्म चर', यह सब सिखाऊँगा। मैंने मुना है कि सम्स्कृत की पुस्तको में टेबुल-कुरसी की और बाजार आदि की कहानियाँ होती हैं। यह सर्वथा निरर्थक है, बच्चो को पहले ही दिन में उपनिषद् की कहानियाँ और उत्तम-उत्तम श्लोक कठ करना सिखाना चाहिए। कुछ लोगो का कहना है कि कठ करना गल्त है। लेकिन 'रस्किन' को पाँच साल की उम्र में ही सारी बाइबिल कठ हो गयी थी और उसीसे उसका सारा जीवन बना है। लेकिन आज स्कूल में कौए और चिडियो की कहानियाँ कठ कराते हैं।

प्रसंग के अनुसार पाठ

बच्चों को प्रसंग के अनुसार पढ़ाना चाहिए। यदि बच्चा आलस्य करे, तो उसे उत्साह का श्लोक सिखाना चाहिए। यदि वह डरता है, तो उसे निडरता का श्लोक सिखाना चाहिए। इस तरह मौके पर सिखाना चाहिए, बेमौके नहीं। मान लीजिये, एक लडका धीरे-धीरे कातता है, उसकी गति कम है, लेकिन उसका सूत टूटता नहीं और दूसरा जल्दी-जल्दी कातता है, पर उसका सूत बार-बार टूटता है। उस समय लडके को कछुआ और खरगोश की कहानी सिखानी चाहिए, जिससे उसे अखण्डता का ज्ञान हो जायगा।

प्रत्यक्ष ज्ञान

जो लोग पुस्तकों के जरिये ज्ञान देना आसान समझते हैं, वे गलत समझते हैं। मिसाल लीजिये, बच्चों को गणित सिखाना है। दो और तीन मिलकर पाँच होते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। हम तो कहते हैं कि दो और तीन मिलते ही नहीं, दो तो दो ही रहते हैं और तीन तीन ही रहते हैं। किंतु यह कहा जाय कि दो आम और तीन आम मिलकर पाँच आम होते हैं, तो यह बात समझने में बिल्कुल आसान है।

प्रत्यक्ष कार्य के जरिये ज्ञान देना बहुत कठिन है, ऐसा लोग कहते हैं, पर आज जिस पद्धति से ज्ञान दिया जा रहा है, वह कितनी कठिन है? सृष्टि और मनुष्य के बीच परदा खड़ा करके यह ज्ञान दिया जाता है। "अश्व" याने घोडा (Horse) बताया जाता है। लेकिन घोडा यदि नहीं देखा, तो क्या समझ में आयेगा? आप

वच्चो को पदार्थ नहीं बताते, सिर्फ पर्याय पद बताते हैं। जो सिर्फ पद ही देखते हैं, उनका ज्ञान भ्रान्त ज्ञान होता है।

किताबों द्वारा अठारह-बीस साल सीखकर आप प्रवीण बनते हैं, तो आपको लगता है कि यह तरीका आसान है। किन्तु वह आसान नहीं है। नयी तालीम किताबों का वहिष्कार नहीं करती, बल्कि वह उनका ठीक और समुचित उपयोग करती है। कोई बीमार पड़ता है, तो उसका कारण जानने की हमारी इच्छा रहती है। बीमारी को हम ज्ञान का साधन मानते हैं। इस तरह कोई मरता है, कोई जन्म लेता है, कोई बीमार होता है, कोई अच्छा होता है, तो ये सारे ज्ञान के साधन बन जाते हैं। जिसके लिए चारों ओर ज्ञान-ही-ज्ञान भरा पड़ा है, उसके लिए अज्ञान कहाँ रहेगा? इस तरह रसोई बनाना, तरकारी काटना आदि कामों के द्वारा भी ज्ञान दिया जा सकता है। तरकारी काटने के समय किस तरह बैठना, किस तरह आसन लगाना, इसका ज्ञान दिया जायगा। फिर रसोई बनाते समय चूल्हा कैसा बनाया जाय, जिससे लकड़ी कम जले और घुआँ पैदा न हो, इसका ज्ञान दिया जा सकता है। कितने समय तक खाना, क्या खाना, इसका भी ज्ञान खाते समय दिया जा सकता है। इस तरह हर बात में ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन ज्ञान के जो इतने जरिये थे, वे तो आज के स्कूलों में बंद हैं। परन्तु इस पद्धति के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ऐमा नहीं कहा जा सकता। जब आज के तरीके में बी० ए० होने के बाद बी० टी० की जरूरत पड़ती है, तो फिर इस तरीके में भी ट्रेनिंग की जरूरत है, पर वह खेतों में प्रत्यक्ष उद्योग करते हुए मिल सकती है।

बिना गुरुपत्नी के गुरुकुल कैसा ?

नयी तालीम के ट्रेनिंग केन्द्र में मैंने देखा कि शिक्षको के साथ उनकी पत्नी नहीं रहती। लेकिन गुरुपत्नी के बिना कैसे चलेगा ? उसे भी ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसके बाद पति के साथ काम करना चाहिए। उपनिषद् में एक कहानी है 'उपकोशल' नाम का लड़का गुरु के घर रहता था। एक दिन उसने खाना नहीं खाया। वह गुरु से डरता था, इसलिए गुरु के पास जाकर कुछ कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। तब गुरुपत्नी ने उससे पूछा कि "तुमने खाना क्यों नहीं खाया ?" तो लड़के ने जवाब दिया "आदमी को अलग-अलग वासनाएँ रहती हैं। जब उनकी पूर्ति नहीं होती, तब उसे भोजन की इच्छा नहीं होती।" तब उसके बाद गुरुपत्नी ने गुरु से कहा कि "उस लड़के को कुछ ज्ञान की इच्छा है। इसलिए उसे ज्ञान दो।" इस तरह गुरुपत्नी, गुरु के पास पहुँचानेवाला एक वसीला है। इसलिए शिक्षको के साथ पत्नी का रहना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि गुरुपत्नी को भी तनख्वाह दो, वह भी लड़के को पढ़ेगी। रसोई के जरिये अच्छा ज्ञान दिया जाता है। आज आप शिक्षक को १००) तनख्वाह देते हैं, तो उसके बजाय उसे ८०) दीजिये और उसकी पत्नी को ४०) दीजिये।

आजकल नयी तालीम का विरोध इसलिए हो रहा है कि नयी तालीम के स्कूल गाँव में ही खोले जाते हैं। इससे ग्रामीणों को लगता है कि यह तालीम हमारे लिए 'सरकार की विशेष कृपा' है। मद्रास में राजाजी की शिक्षा-योजना का जो विरोध

हुआ, उनका कारण भी यही था कि वह देहातो के लिए लागू की गयी थी, शहरो के लिए नहीं। उधर तो ब्राह्मण और ब्राह्मणेतरो का झगडा चल रहा है। शहर में अक्सर ब्राह्मण लोग रहते हैं, उन्हें भिन्न प्रकार की विद्या प्राप्त होती है। तो वहाँ के ब्राह्मणेतरो ने सहज ही कहा कि “ब्राह्मणो को अच्छी तालीम मिल रही है और हमें इस नयी तालीम के जरिये अपढ ही रखा जाता है।”

विपमता दूर करें

अगर हम कहें कि ऊपर से सारी विपमता हट जायगी, तब नयी तालीम सकल होगी, तो नयी तालीम की बुनियाद ही कटेगी। हम तो नयी तालीम से ही विपमता को काटेंगे। सरकार विपमता दूर नहीं कर सकती। समाज में यह जो विपमता है उसका प्रतिविव सरकार में दिखाई देता है। तो जब समाज बदलेगा और उसमें समता स्थापित होगी, तब सरकार को भी उसके अनुसार बदलना पडेगा। मैं चाहता हू कि आपके शिक्षा-विभाग के लोगो के हाथो में क्रांति का झडा हो। हमें शिक्षको की एक सेना खड़ी करनी है और फिर जैसे मेना के आवार पर सेनापति रक्तहीन वगावत (Coup-de-etat) करते हैं और उसके सामने वहाँ की ससद् की भी कुछ नहीं चलती, उमी तरह हमें भी करना है। लेकिन अहिमा के तरीके से हमें “Non-Volent-Coup-de-etat” करना है। यह करने की शक्ति इन शिक्षको में है। शिक्षा-विभाग अपने शिक्षको में ऐसा भाव पैदा करे, तो उनके जरिये क्रांति (Coup) हो सकती है।

नयी तालीम का जीवन-दर्शन : ३१ :

१९३७ में याने स्वराज्य-प्राप्ति के दस साल पहले, बापू ने नयी तालीम की कल्पना देश के सामने रखी। स्वराज्य के माने परकीय (विदेशी) सत्ता यहाँ से हट जाय, इतना ही बापू नहीं कहते थे, बल्कि एक नया समाज बने, जिसमें शोषण न हो, जिसमें केंद्रित शासन कम-से-कम हो, जिसमें हरएक के विकास के लिए पूरी सहूलियत हो, ऐसी समाज-व्यवस्था को वे “स्वराज्य” नाम देते थे। स्वराज्य याने ऐसा राज्य, जिसमें हरएक को महसूस हो कि यह मेरा राज्य है। इसीको वे “राम-राज्य” भी कहते थे।

नयी और पुरानी तालीम का भेद

नयी तालीम याने नये मूल्यों की स्थापना। पुरानी तालीम चोरी करने को पाप समझती थी। नयी तालीम न सिर्फ चोरी को, बल्कि अधिक सग्रह को भी पाप समझती है। पुरानी तालीम शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के मूल्यों में फर्क करती थी। नयी तालीम दोनों का मूल्य समान समझती है। इतना ही नहीं, दोनों का समन्वय करती है, दोनों का ‘समवाय’ साधती है। पुरानी तालीम ‘क्षमता’ की इज्जत करती थी। नयी तालीम “क्षमता” को “समता” की दासी समझती है। पुरानी तालीम लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती को स्वतंत्र देवता-रूप में पूजती थी। नयी तालीम मानवता को पूजती है और इन तीनों को उनकी सेवा का साधन समझती है।

सेवा और सत्ता

स्वराज्य का हमारा अर्थ केवल सत्ता बदलना नहीं, बल्कि सत्ता हटाकर उसकी जगह सेवा स्थापित करना था। अब कुछ लोगो ने दोनो में मेल-जोल करने की बात निकाली है। नेता कहते हैं “सेवा के लिए सत्ता” हमारा ध्येय है। अनुयायी समझते हैं “सत्ता के लिए सेवा”, ऐसा दीखता है। नेताओ की भाषा का अनुयायियो की भाषा में इस तरह तरजुमा होता है। नतीजा यह है कि आज देश के सब राजनीतिक पक्षों में सत्ता का बोलबाला है और सेवा “भारत-सेवक-समाज” को समर्पित है।

नयी तालीम का 'वानरीकरण'

आज नयी तालीम का जो गुण-ग्रहण हुआ और हो रहा है, वह इतना एकागी है कि उस आधार पर उसका स्वीकार किया जाना खतरे से खाली नहीं है और यह मैं बरसो से देखता आ रहा हूँ। आज नयी तालीम का जो व्यापक प्रयोग हो रहा है, वह बहुत सारा विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के द्वारा हो रहा है। परिणाम यह है कि सर्वत्र 'नयी तालीम' का 'वानरीकरण' हो रहा है। नयी तालीम के पीछे एक जीवन-दर्शन है। उसे ग्रहण किये बगैर जब उसका एकागी आकलन और विकृत अनुकरण होता है, तब उससे नयी तालीम बदनाम होने के सिवा और कोई निष्पत्ति की आशा नहीं कर सकते। और आज यही तो हो रहा है। भिन्न-भिन्न राज्यों में जो नयी तालीम के सरकारी प्रयोग हुए, उन सबमें गायद बिहार के प्रयोग अधिक प्रामाणिक माने जायेंगे। लेकिन उनकी भी जो दशा मैंने देखी, उससे भयही

रहा है कि शायद नयी तालीम के लिए कब्रिस्तान खोदा जा रहा है !

एकीकरण का बापू का स्वप्न

लेकिन इस विकृति की जिम्मेवारी उन लोगो पर है, जिन्होंने नयी तालीम को सरकार का आश्रित बनने दिया। होना तो यह चाहिए था कि हम नयी तालीम के शुद्ध नमूने जगह-जगह खड़े करते। लेकिन यह इसलिए नहीं हो सका कि हमने अपने बहुते सारे सघ अलग-अलग चलाये। गांधीजी के ध्यान में यह बात आयी थी और सब सघो को एक करने का उनका विचार भी था। लेकिन उनके भक्तजनो को वह विचार अभी तक पूरा ग्रहण नहीं हो सका है। अब, जब कि चरखा-सघ ने सर्व-सेवा-सघ में विलीन होने की हिम्मत दिखायी, तब इसके लिए राह खुल गयी है। अगर नयी तालीम को अपना तेजस्वी और परिशुद्ध रूप दिखाना है, तो तालीमी-सघ और सर्व-सेवा सघ को एकरूप होना पड़ेगा। यह जब तक नहीं होता, तब तक सर्व-सेवा-सघ और तालीमी-सघ, दोनो निर्जीव रहेंगे। घड़ और सिर अलग करने से जो दशा शरीर की होती है, वैसी ही दशा होगी।

चितनीय प्रश्न

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद नयी तालीम का एकागी गुण-ग्रहण ही क्यों न हो, करने की बात नेताओ को सूझी है, छह साल बीतने पर। इसका मुझे जितना आश्चर्य है, उससे कहीं अधिक आश्चर्य इस बात का है कि समग्रता की निरंतर चर्चा करते

रहने पर भी हम लोगो को समग्रता सूझ नहीं रही है। सर्वोदयवाले कांग्रेस के पदाधिकारी बन सकते हैं, असेवली के सदस्य बन सकते हैं, राज्यों के मंत्री बन सकते हैं, विरोधी राजनैतिक पक्ष भी संघटित कर सकते हैं, लेकिन अपनी एकता नहीं बना सकते। यह घटना चिंतनीय है।

एकरूपता आवश्यक

सरकारी अफसरों के जरिये अभी तक जो प्रयोग किये गये हैं, उनके दो प्रकार हैं एक प्रकार तो जान-बूझकर वुनियादी तालीम को बदनाम करने के उद्देश्य से रहा, ताकि वह खर्चीली साबित हो, ज्ञान की कमी उसमें दीखे, पालकों की नाराजी प्राप्त की जा सके, विद्यार्थी भी असंतुष्ट हो जाय। स्पष्ट है कि यह एक अच्छी वस्तु का अप्रामाणिक व्यवहार है। इसका विचार हम छोड़ दें। दूसरा प्रकार है, प्रामाणिक। लेकिन उसमें नये मूल्यों को स्वीकार न करते हुए पुराने मूल्यों को कायम रखकर नयी तालीम को उसके कुछ गुणों के लिए स्वीकार करने की बात है। यह प्रकार प्रामाणिक है, फिर भी नयी तालीम का असली रूप उसमें नहीं दीखेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि नये मूल्यों की वुनियाद पर जितने परिशुद्ध प्रयोग किये जा सकते हैं, किये जायें। इसके लिए ऐसी तरकीब निकालनी होगी, जिससे नयी तालीम, सर्व-सेवा-संघ और भू-दान-यज्ञ—तीनों की एकरूपता संघ जाय।

सरकार-निरपेक्ष प्रयोग

जब देश गुलाम था, तो राष्ट्रीय शिक्षण का विचार निकला और स्वतंत्र विद्यापीठ भी खुले। अब लोग सोचते हैं कि जब स्वराज्य आ गया, तो सारे सरकारी विद्यापीठ राष्ट्रीय विद्यापीठ बन गये। लेकिन 'हो गये' कहने से तो नहीं हो जाते। उन्हें राष्ट्रीय बनाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि वैसे बनाये जायँगे, फिर भी सरकार से पृथक् शिक्षण के स्वतंत्र प्रयोग करने की आवश्यकता बनी ही रहेगी। गाँव-गाँव में वहाँ की परिस्थिति के अनुसार लोगो की तरफ से अपनी-अपनी अलग शालाएँ चलनी चाहिए। नहीं तो, अगर देश की सारी शिक्षा सरकारी तंत्र में आ गयी, तो वच्चो के दिमाग विशिष्ट सचे में ढाले जाने का खतरा बना रहेगा। इस दृष्टि से भी नयी तालीम के सरकार-निरपेक्ष प्रयोग चलने चाहिए, यह हमारे लिए सोचने का विषय है।

—'सर्वोदय', दिसम्बर १९५३

नयी तालीम की जिम्मेदारी

: ३२ :

नयी तालीम के सामने आज बहुत बड़ी समस्याएँ उपस्थित हैं। 'भूदान-यज्ञ-मूलक, ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक क्रांति' का जो विशाल और गहरा कार्य भगवान् ने हम लोगो के जरिये करवाना चाहा है, उसके कारण हमारे कुल रचनात्मक कार्य के, अर्थात् नयी तालीम के भी स्वरूप में फर्क पड जाता है। अगर नयी तालीम अपने को उसके अनुकूल नहीं बना सकी, तो

वह 'नयी तालीम' नहीं रहेगी, पुरानी हो जायगी। इसलिए नयी तालीम को अब नित्य-नयी तालीम बनाना होगा।

पाँच करोड़ एकड़ जमीन की प्राप्ति, उमका बँटवारा और उसके बाद का रचनात्मक काम, नयी तालीम की मदद के बिना सिद्ध नहीं हो सकेगा और उस कार्य को सिद्ध किये बिना नयी तालीम टिक न सकेगी।

भूमि-प्राप्ति के लिए विचारवान्, विनयशील, कार्यदक्ष, निष्ठावान् सेवको की जरूरत है। ऐसे सेवको का निर्माण कौन करेगा? बँटवारे के काम के लिए विशिष्ट शिक्षण की जरूरत होगी, यह शिक्षण कौन देगा? जीवन-दानी सेवको को और उनके परिवारों को समग्र जीवन की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? पूरे-पूरे गाँव दान में मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे, उन गाँवों को सर्वोदय की दीक्षा कौन देगा? सर्वोदय का विचार ठीक ढग से हर देहात और हर घर में पहुँचाने की जिम्मेवारी कौन उठायेगा? इन सब प्रश्नों के उत्तर में नयी तालीम अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है।

इन दिनों सरकार भी नयी तालीम के बारे में गभीरता से सोच रही है। उसे उचित मार्गदर्शन कराने की जिम्मेवारी हमें उठानी होगी और इस बात के लिए भी हमें देश को तैयार करना होगा कि सर्वोदय-समाज के शासनमुक्ति के व्यय के अनुसार देश का शिक्षण भी अधिक-से-अधिक शासनमुक्त रहे। शासनमत्ता के रहते भी शासनमुक्ति शिक्षण का स्वयंसिद्ध अधिकार माना जाना चाहिए।

सम्मेलन के लिए आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, यह तो

हमारे सब लोग जानते हैं। पर नयी तालीम के सेवको में मैं अपनी गिनती करता हूँ और मेरा दावा है कि मैं सतत नयी तालीम का काम करता आया हूँ और आज तो मैं वह विशेष तीव्र रूप से कर रहा हूँ।

मैं सम्मेलन का सुयश चाहता और आशा करता हूँ कि वह सब सेवको को प्रेरणादायी होगा।

—नवम्बर १९५४ में सणोसरा में होनेवाले
नयी तालीम-सम्मेलन को भेजा गया सदेश

नयी तालीम और जन-संपर्क : ३३ :

(जगन्नाथ पुरी-सम्मेलन में तालीमी-संघ की बैठक में
किया गया भाषण)

बलरामपुर में नयी तालीम का एक केन्द्र है। वहाँ कस्तूरबा का भी केन्द्र है। बगाल की पद-यात्रा में वहाँ हमें दो दिन ठहरने का मौका मिला था। वहाँ हम एक पासवाले गाँव में घूमने गये। सुबह ५ बजे का समय था। गाँव की बहुत सारी वहनें दीपक लेकर स्वागत करने आयी थी।

जन-सम्पर्क का अभाव

हमने उस गाँववालो से दरयाफ्त किया, तो पता चला कि भूदान के विषय में उन्हें कुछ भी मालूम है नहीं। जब हमने पूछा कि 'यहाँ बेजमीनवाले कितने लोग हैं?' तो जवाब मिला 'बहुत सारे बेजमीन हैं और जो जमीनवाले हैं, वे ज्यादातर

वाहर रहते हैं।' जब हमने पूछा कि 'उन मालिकों के पास कमी कोई जमीन माँगने गया था?' तो उत्तर मिला 'नहीं।' तो मेरे मन में विचार आया कि जहाँ हमारी दो-दो मस्याएँ काम कर रही हैं, उसके विलकुल नजदीक के गाँव में इतना घना अन्वकार क्यों है? गाँव में कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो गाँव-वालों में क्या कहा जाय? दोनों मस्याओं के व्यक्ति वहाँ मौजूद थे। मैंने कहा हमारी मस्याएँ इस तरह अपनी ही मस्या के काम में कैद रहती हैं और आमपास की जनता के पास तक नहीं पहुँचती, तो उनका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए मस्या के मचालन में क्या कमी है, इसका सन्तोष होना चाहिए।

बहुत वर्षों के निरीक्षण के बाद मुझे ऐसा दीखता है कि जहाँ १००-१५० कार्यकर्ता एक म्यान पर रहते हैं, वहाँ इतने काम खड़े हो जाते हैं कि उनके अलावा और कोई दूसरा काम करने के लिए समय ही नहीं बचता। इसके सिवा इतना बड़ा समाज अर्थ-निरपेक्ष भी नहीं रहता। उसका आधार पैसा होता है। अगर वह आधार हम तोड़ते हैं, तो फिर उस मन्ली का आस-पास के लोगों के साथ सपर्क रखना जरूरी हो जाता है और फिर उससे मिथ्या-योग का आचरण नहीं होता।

जिस योग का आधार पैसे पर है, उसे मैंने 'मिथ्या-योग' नाम दिया है। वह न ध्यान-योग है, न कर्म-योग और न ज्ञान-योग ही। ऐसे स्थान पर जितना हम करते हैं, वह केवल दिखावटी-सा होता है, हृदय को स्पर्श नहीं करता। वह नाटक जैसा हो जाता है। नाटक देखकर हम पर जो असर पड़ता है, उसका भी

वैसा ही हाल होता है। योगयुक्त जीवन का जो असर होना चाहिए, वह इस प्रकार के नाटक का नहीं होता। इसलिए हम लोग सोचें कि हमने जहाँ सस्थाएँ बनायी हैं, वहाँ १५-२० से ज्यादा सख्या में लोग एकत्र न हों। पर पैसे का आधार छोड़कर यदि ज्यादा सख्या में लोग एकत्र रहे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उल्टे मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा समाज तो निश्चय ही क्रान्ति उत्पन्न कर सकता है।

नयी तालीम का लक्ष्य

बड़े समाज में मुझे एक दोष और भी दिखाई देता है। बड़ा समाज रखने से बड़ा इन्तजाम भी करना पड़ता है और फिर वह भी अच्छे ढंग का होना चाहिए। ऐसी उत्तम व्यवस्था का लाभ हमारी नयी तालीम के बच्चों को भी मिलता है। पर ऐसी उत्तम व्यवस्था में तालीम पाने के बाद जब ये विद्यार्थी बाहर की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो इनकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। सस्था की तरह तो बाहर उत्तम व्यवस्था होती नहीं। तब ये लड़के चकरा उठते हैं। इसलिए नयी तालीम के विद्यालय की व्यवस्था हमें योजना बनाकर ऐसी करनी चाहिए कि लड़के हर मुसीबत का डटकर सामना कर सकें और उनमें से उनका जीवन बने।

हम लोगो ने अभी तक नयी तालीम की पाठशाला के जो प्रयोग किये, उन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम करने का तरीका अच्छा है, किन्तु इसमें उत्तम परिस्थिति का जितना विचार हमें करना चाहिए, उतना हम नहीं करते।

जैसे कोई 'राजकुमार-कॉलेज' चलता है, वैसे ही हमारी शाला भी चलती है। माना, राजकुमार-कॉलेज के जैसा हमारा काम भोग-विलासी नहीं होता, इसलिए यहाँ उसकी मिसाल ठीक-ठीक लागू नहीं होती। किन्तु इतनी बात तो दोनों में समान है ही कि आसपास के लोगो के साथ किसीका सम्पर्क नहीं रहता। इसलिए हमारी व्यवस्था में लचीलापन आवश्यक है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न तरह से अनेक प्रयोग चलें, यह जरूरी है। हमने एक घण्टेवाली स्कूल की जो बात चलायी है, उसका भी अनुभव करना चाहिए।

गाँवों में तालीम चालू है

कुछ लोग कहते हैं कि नयी तालीम के स्कूल का खर्च इतना ज्यादा होता है कि वह करीब-करीब प्रतिबन्धक ढग का हो जाता है। आज की सरकार की हालत ऐसी है कि वह ऐसा खर्चीला शिक्षण चला नहीं सकती। जो लोग नयी तालीम का स्कूल पसन्द नहीं करते, वे ही ऐसी टीका किया करते हैं। वस्तुतः नयी तालीम महँगी नहीं है। इतना ही नहीं, वह पैसे से मुक्ति पाने की भी चेष्टा में लगी है। अभी तक वह काम पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए अभी कुछ खर्च होता है।

मैंने अपने लेख में एक सुझाव दिया था कि हर गाँव स्वावलंबी है। वहाँ सभी लोग अपना-अपना उद्योग कर रहे हैं। गाँवों में कुछ-न-कुछ उत्पादन होता ही है। घर-घर में भोजन चलता ही है। गाँव का एक सम्पूर्ण जीवन चालू है। गाँव को बाहर से कुछ मदद नहीं पहुँचायी जाती। वहाँ का जीवन ही ऐसा है कि वहाँ

पुरुषार्थ करना ही पडता है। नयी तालीम के लिए ऐसा क्षेत्र बहुत अच्छा है। देहात का जीवन पराश्रित या कृत्रिम नहीं है। पेट में भूख है, इसलिए काम करना पडता है और बुद्धि है, इसलिए युक्ति सूझती है। गाँव के लोग तो अपने आचरण द्वारा नयी तालीम चला ही रहे हैं। उन्हें सुसस्कारो की थोड़ी-सी पुटमात्र देनी है। उसके अलावा शिक्षा का हमारा जो अहकार है, उसे हम छोड दें और गाँव मे चले जायँ। हम नहीं सिखायेंगे, तो लोग अशिक्षित नहीं रहेंगे।

गाँव-गाँव में उद्योग चल रहे हैं। नयी तालीम के शिक्षक भी विद्यार्थियो के साथ उनमे शामिल हो और उनके द्वारा लोगो को भी सिखाये।

कौड़ी का भी खर्च नहीं

गाँव मे जो उद्योग चलता है, उससे असम्बद्ध ज्ञान उन्हें न दें, सम्बद्ध ज्ञान ही दे, तो बात खतम हुई। गाँवो में चरखा नहीं चलता है, तो शिक्षको पर यह जिम्मेवारी क्यों होनी चाहिए कि चरखा गाँव पर लादे और उस चरखे को तालीम का माध्यम बनाये ? मैं किसी गाँव मे जाऊँ, तो मुझे एक कौड़ी की भी जरूरत नहीं पडेगी। मैं लोगो से कहूँगा कि मेरे पास ज्ञान है और आपके पास अज्ञान। बस, मेरा काम बन गया। अगर आपके पास अज्ञान नहीं होता, तो भी बात नहीं बनती और मेरे पास ज्ञान नहीं होता, तो भी बात नहीं बनती। इसलिए आपके पास अज्ञान है और मेरे पास ज्ञान, तो अब बात बनेगी। वे खेती करते होंगे, तो मैं खेती करूँगा। वे गाय की सेवा करते होंगे, तो मैं गाय की

सेवा करूँगा। मैं गोसेवा के साथ-साथ उन्हें उपनिषद् भी सिखाऊँगा। नयी तालीम के लिए पुस्तकें अनिवार्य नहीं। मिली, तो ठीक, नहीं मिली, तो भी ठीक। आपके स्कूलों में कम-से-कम ब्लैकबोर्ड (श्यामपट्ट) चाहिए, खडिया चाहिए, किताब चाहिए। लेकिन नयी तालीम में कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान् ने मुझे मुँह दिया है, लोगों को सुनने के लिए कान दिये हैं और दोनों को बैठने की जगह दी है, तो स्कूल के लिए और क्या चाहिए? सिर्फ अच्छे शिक्षक चाहिए, तो वे ग्राम-जीवन के साथ सम्बन्ध रखकर तालीम देगे।

मत्रको समान वेतन

‘वैसिक तालीम’ चलानी है’ ऐसा सरकार ने तय किया है। कांग्रेस ने तय किया है, तो सरकार ने ही तय किया है। तो अब वह तालीम चलेगी, पर उसके लिए मूल उद्योग का जरिया आदि एक प्रकार का तन्त्र है। वह काफी है या उसके लिए कोई मन्त्र भी चाहिए? अगर वह मन्त्र नहीं है और सिर्फ बाहर का तन्त्र ही रहा, तो केवल तन्त्र से क्या होगा? मन्त्र यह है कि नयी तालीम शरीर-परिश्रमनिष्ठ और साम्ययोगी होती है। अब वहाँ यह नहीं चलेगा कि शिक्षको की योग्यता में फर्क है, इसलिए तनस्वाहो में भी फर्क हो। किसीको चालीस रुपये मिलें, किसीको अम्सी, तो किसीको सौ। ऐसी जो विभिन्न श्रेणियाँ बनायी जाती हैं, शिक्षण-विभाग में दर्जों का ऐमा जो इन्तजाम हो, वह यहाँ चलनेवाला नहीं। नयी तालीम में यह जरूरी है कि सब शिक्षको को समान वेतन मिले। इसमें मैं पैसा

वचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि सबको समान वेतन देने के लिए अधिक भी खर्च करना पड़े। मैं कोई आर्थिक कटौती की योजना नहीं बना रहा हूँ, वरन् साम्ययोग की योजना बना रहा हूँ। उसके बिना नयी तालीम आगे नहीं बढ़ेगी।

नयी तालीम में हम शारीरिक और बौद्धिक कामों के मूल्यों में कोई अन्तर नहीं मानते। हम मानते हैं कि नेतृत्व, व्यवस्था आदि में भी वेतन का अन्तर नहीं होना चाहिए। शिक्षक, मिनिस्टर आदि जो नेता हैं, उन सबके वेतन में साम्य होना चाहिए। नहीं तो, विद्यार्थियों के मन में नयी तालीम के प्रति श्रद्धा और भक्ति कैसे पैदा होगी? सच पूछिये तो 'वेतन' शब्द ही गलत है, उसके लिए तो 'दक्षिणा' कहना ही ठीक होगा।

सबसे बड़ा पाप 'असत्य'

हमारे समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, उनमें हमें परिवर्तन करना होगा। समाज में यह कल्पना दृढ़ होनी चाहिए कि सब दुर्गुणों में सबसे अधिक हेय दुर्गुण कोई है, तो वह है 'असत्य'। बाकी सारे दुर्गुण तो दोष हैं या बीमारियाँ हैं। भारतीय सस्कृत में स्वर्ण की चोरी को महापातक कहा गया है। इसी तरह 'मदिरा-पान' और 'ब्राह्मण-हत्या' को भी महापातक माना गया है। परन्तु इनसे भी बड़ा पाप है, असत्य। कारण असत्य से ही मनुष्य में दोष छिपाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। किसीने इतना ज्यादा खा लिया कि अजीर्ण हो गया और उसके फलस्वरूप वह मर गया, तो उस मनुष्य के प्रति घृणा

नहीं, दया पैदा होती है। इसी तरह जो दूसरे नैतिक दोष हैं, वे घृणास्पद नहीं, दयास्पद हैं, ऐसा यदि समाज मान ले, तो छिपाने की वृत्ति समाज से जाती रहेगी। पर यह छिपाने की वृत्ति मिटेंगी कैसे? इसके लिए समाज में ऐसी धारणा बननी चाहिए कि असत्य ही सबसे बड़ा दुर्गुण है।

परिश्रमालय द्वारा शिक्षण

: ३४ :

नयी तालीम में हमने एकाध जीवनोपयोगी दस्तकारी को मुख्य स्थान दिया है और उससे शिक्षा का लाभ हम उठाना चाहते हैं। मैंने बहुत जगह अभी इसके प्रयोग देखे हैं। मुझे कहना होगा कि मुझे उससे विशेष समाधान नहीं हो पाया। इसमें प्रयोग करनेवालों का उतना दोष नहीं मान सकते। आखिर जो हो, है तो नयी चीज ही। जिसे जैसा सूझता है, करता है। कहीं कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति काम करता है, तो उसे विशेष सूझता है। वह सशोधन कर लेता है। नवविचार की प्रगति ऐसी ही होती है।

शिक्षा का नया ढंग

विल्कुल छोटे बच्चों की तालीम की बात में छोड़ देता हूँ। बड़ी हुई उम्र के लड़कों को तालीम देने का एक दूसरा ही तरीका मेरे मन में आ रहा है। मैं ऐसे को 'तालीम देने' का नाम न लेकर उन्हें रोजी दिलाने का ही काम क्यों न करूँ? ऐसे लड़के जिस रोज से मेरे पास आयेगे, उसी रोज से मैं उन्हें मजदूरी देना

शुरू कर दूंगा। मेरा दावा यही रहेगा कि मैं बेकारो को काम दूँ। लेकिन काम में मे एकघ घण्टा निकालकर उनके जीवन और इर्द-गिर्द की हालत के बारे में जो कुछ सूझेगा, मैं उन्हें बताता रहूँगा। उनके काम की प्रगति कैसे हो, इसकी फिक्र करूँगा। उनके आरोग्य की तरफ ध्यान दूँगा। कहा तो यही जायगा कि 'मैंने एक कारखाना खोला', लेकिन शायद इस ढंग से नयी तालीम का मैं बेहतर प्रचार कर सकूँगा, बनिस्वत उसके, जो आज चल रहा है।

परिश्रमालय में नयी तालीम

यह मैं कल्पना से नहीं कह रहा हूँ। पवनार में मैंने जो काम किया, उसमें १४-१५ साल से लेकर १८ साल तक के लडके ८ घण्टे काम करके रोजी कमाते थे। कताई का मानो कारखाना ही वहाँ चलता था। मैं उन लोगो में १-२ घण्टे जाकर बैठता था। पहले मैं यही सोचता था कि उनकी रोजी कैसे बढ़े। लडके दाय हाथ से कातते थे। तीन माह तक बायें हाथ का प्रयोग चलाया। फिर दोनो हाथ अदल-बदलकर काम किया गया।

उनकी सूत की गुडियाँ समान अक की नहीं होती थी, कुछ मोटी, तो कुछ महीन होती थी। कार्यालय के लोग मजदूरी देते समय मोटी-से-मोटी गुडी का नवर देखते थे और उसके नम्बर को सारे सूत का नम्बर मानकर दाम आँकते थे। इससे उनका कितनी गुडियो का नुकसान होता था, इसका गणित सिखाया। तार गिनने में ६४० तार की गुडी में उनके ४०-५० तार कम आते थे। ठीक से गिनना उन्हें सिखाया। उनमें अनिय-

मितता थी। कातते हुए बीच में गप्प मारने की आदत थी। इससे उनकी कार्यशक्ति का कैसे क्षय होता है, इसका सप्रयोग दर्शन करवाया। कुछ देर मौन रहकर काम करने की प्रेरणा दी, तो काम बढ़ा, मजदूरी बढ़ी। फिर ८ घण्टे के वजाय ७ घण्टे काम लेकर १ घण्टा दूसरी चर्चा में बीतने लगा। इसके बाद नदी में तैरने, खेलने, घूमने, गीता के श्लोक कठ करने तथा त्योहारों आदि की छुट्टियों के निमित्त तत्सबची ज्ञान देने का कार्यक्रम चला। इस तरह वे मजदूरी ज्यादा कमाने लगे और कई तरह का शिक्षण पाने लगे। पहले वे लड़के थे, अब जिम्मेदार नागरिक बन गये हैं। सूत कातकर अपना कपड़ा बना लेते हैं। ग्राम-पचायत का जिम्मेवारी से काम करते हैं। पवनार के सार्वजनिक काम में हिस्सा लेते हैं। अब ग्राम-सफाई करने की बात सोच रहे हैं। यह सारा उस परिश्रमालय से हुआ। परिश्रमालय ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि मुझे जेल जाना पड़ा। फिर वह बंद हो गया। अगर वह जारी रहता, तो नयी तालीम का वह एक सफल प्रयोग होता, लेकिन नाम तो परिश्रमालय का ही रहता।

मूलोद्योग का खेल

मे देखता हूँ कि कितनी ही शालाओं में जहाँ उद्योग दाखिल हुआ है, काम में उतनी सचाई नहीं बरती जाती। कुछ दिखावट होती है और कुछ सजावट। वहाँ कुछ काम के साथ कुछ ज्ञान जोड़ देते हैं, जो खेल जैसा मालूम होता है। उससे क्या वह अधिक अच्छा नहीं है? मजदूरी के काम में गभीरता होती

है। मजदूर जानते हैं कि हम काम न सीखेंगे, तो गुजारा नहीं होगा। परन्तु शालाओं के वातावरण में एक तरह का मिथ्यात्व दीखता है।

निर्वासित लड़कों की शिक्षा

ये विचार इस समय प्रकट करने का कारण यह है कि अभी सरकार ने निर्वासितों के बच्चों को तालीम देने का काम तालीमी-संघ को सौंपना चाहा है। मुझे लगा कि जहाँ तक बड़े लड़कों का सम्बन्ध है, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम नाम परिश्रम-मालय का लें और काम नयी तालीम का करें। उसके लिए सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि परिश्रममालय का व्यवस्थापक उत्तम शिक्षा-शास्त्री हो। उसकी आत्मा शिक्षण से भरी हुई हो। वह स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करेगा और कारखाने को उत्तम शिक्षण-शाला का रूप देगा।

—‘सर्वोदय’, सितंबर १९४९

एक घंटे की पाठशाला

: ३५ :

इन दिनों अपने भाषणों में मैं “एक घण्टे” के स्कूल की कल्पना कई बार रखता आ रहा हूँ। गाँव-गाँव में सरकारी नहीं, ग्रामीण स्कूल चले और रोज सिर्फ एक ही घण्टा, सुबह के समय चले। नयी तालीम याने एक घण्टे की पाठशाला, ऐसा मेरा समीकरण करीब-करीब बन गया है। अब तक मुझे यह आशा नहीं थी कि ऐसी विचित्र कल्पना को लोग स्वीकार

करेंगे। पर आश्चर्य है कि लोग उसे मजूर करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें यह कल्पना काफी हृदयग्राही लगी है। अब वह लोगो के गले उतर रही है। यह हुई हमारी सवेरे की मौलिक पाठशाला।

इस प्रकार एक घण्टे का महाविद्यालय होगा। वह रात को चलेगा। पंद्रह वर्ष से कम आयु के बच्चे सुबह के स्कूल में जायेंगे। पन्द्रह वर्ष समाप्त होकर जिसे सोलहवाँ लगा, वह महाविद्यालय में जाने का अधिकारी होगा, फिर वह पाठशाला में पढा हो या न हो। पाठशाला में चलेगा लेखन, वाचन, गणित आदि और महाविद्यालय में चलेगा श्रवण, कीर्तन, भजन आदि।

लडके-लडकियाँ दिनभर माता-पिता के काम में सहायता करेंगी। गुरुजी भी अपना काम करने के लिए मुक्त रहेंगे। गुरुजी को वेतन नहीं मिलेगा। साल के अन्त में प्रत्येक किसान की ओर से उन्हें दो-चार सेर अनाज मिलेगा।

पाठशाला में या महाविद्यालय में जो कुछ पढा और कहा जायगा, उसका सम्बन्ध गाँव के उद्योग-व्यवहारे से जुडा होगा। रसोई, घर-काम, सफाई, उत्सव-समारंभ, खेल, जन्म, मरण, बीमारी आदि की भी गिनती उद्योगो में मान ली जायगी।

गाँव के चालू उद्योगो का विकास और नये उद्योग दाखिल करने की जिम्मेदारी ग्राम-पंचो की होगी। ग्राम-पंचो में शिक्षक भी रहेगा। पंचायत द्वारा नमूने के तीर पर खेत, परिश्रमालय आदि चलाये जायँ, तो लडके और शिक्षक उनमें जा सकेंगे, लेकिन तीन घटे से अधिक नहीं। उनमें बच्चो और शिक्षको

को मजदूरी मिले। वह पैसो में नहीं, वस्तुओं में मिले। ग्राम-पंचों को जो उद्योग नहीं चाहिए, उनके बारे में खटारा करने की जिम्मेदारी स्कूल की नहीं रहेगी। लेकिन वैसी जरूरत महसूस कराने का काम महाविद्यालय का रहेगा। प्रस्तुत आवश्यकता महसूस होने पर पचायत उस बारे में कोशिश करेगी और फिर स्कूल में उसका प्रवेश हो सकेगा। शिक्षण के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे से मुक्त होने की जरूरत है।

—'सर्वोदय', दिसम्बर १९५४

भारतीय शिक्षण-शास्त्र

: ३६ :

लोक-शिक्षण के विषय में मूल को छोड़कर शाखाओं के पीछे हमें नहीं पडना चाहिए। प्रौढ शिक्षण के पूरे काम में कितना खर्च आयेगा, उसमें क्या-क्या मुश्किलें हैं आदि बातें एक सरकारी रिपोर्ट में प्रकट की गयी हैं, जिन्हें पढ़कर मेरे वे विचार और भी दृढ़ हो जाते हैं। प्रौढ शिक्षण को नाम तो वैसे लोक-शिक्षण का दिया जाता है, क्योंकि सुन्दर नामों के बिना हमारा समाधान नहीं होता। लेकिन हम मन में ऐसा मानते हैं कि उस नाम से काम तो मुख्यतः साक्षरता-प्रचार का ही होता है।

तोता-रटंत

साक्षरता-प्रचार की बात जब सोचता हूँ, तो बचपन का एक सस्मरण मुझे हमेशा याद आता है। ब्राह्मण-कुटुंब की-रीति

के अनुसार मुझे वचपन मे वैदिक सध्या सिखायी गयी थी और हृपते के भीतर ही मुझे वह कठ भी हो गयी। मेरी माँ इस बात की प्रशसा बहुत दफा लोगो के सामने किया करती थी। मैंने दो-चार दफा तो सुन लिया। शायद मन को वह प्रिय भी लगी होगी। लेकिन एक दिन मैंने माँ से कहा “माँ, मेरे सध्या-स्मरण का चमत्कार तू सबसे कहा करती है। पर उसीके साथ एक दूसरा भी चमत्कार है, वह तू कहाँ जानती है ?” उसने पूछा “दूसरा क्या चमत्कार है ?” मैंने जवाब दिया “बिन्ध्या हृपते के भीतर ही सध्या सीख तो गया, लेकिन उससे भी कम दिनों के भीतर वह उसे भूल भी गया।” ‘वर्डस्वर्थ’ ने कहा था “कमाते और खर्चते हम अपनी शक्ति का क्षय किया करते हैं।”

कारगर शिक्षा-साधन

अगर साक्षरता-प्रसार-शक्ति क्षयकारी न सावित हो, ऐसा हम चाहते हैं, तो हमें सार्थकता-प्रसार पर अपना ध्यान एकाग्र करना चाहिए और उसके लिए सक्रिय श्रवण जैसा कारगर और कम खर्चीला दूसरा कोई साधन ही नहीं है।

कल्पना का दारिद्र्य

हमारे पूर्वजो ने यह पहचाना भी था। सर्वोत्तम विचार निरतर सुनने चाहिए, सुनाने चाहिए। नवघा भक्ति के प्राथमिक तीन साधन हैं “श्रवण, कीर्तन, स्मरण।” इसके लिए मिट्टी के तेल की भी जरूरत नहीं रहती, जिसकी दिक्कत सरकारी रिपोर्टों में पेश की गयी है। हमारी गरीबी इतनी बढी हुई है,

यह तो हम जानते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमारा कल्पना-दारिद्र्य भी कितना ज्यादा बढ़ा है।

जिन हरि-कथा सुनी नहीं काना, श्रवण-रन्ध्र अहि-भवन समाना ।
जो नहीं करहि राम-गुन गाना, जिय सो दादुर-जीह समाना ।

अश्वपति का दृष्टांत

श्रुति, स्मृति और कृति, यही हैं थोड़े में हमारा शिक्षण-शास्त्र। हजारों बरसों के अनुभव से यह स्थिर हुआ है। देश का हर एक नागरिक ज्ञानी होना चाहिए, यह विचार इस देश में नया नहीं है। उपनिषद् में अश्वपति राजा अपने राज्य का गौरव अपने मुँह से गा रहा है। कहता है “मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कजूस, न कोई शराबी। न एक भी अविद्वान है, न अकर्मण्य। दुराचारी पुरुष ही नहीं है, तो स्त्री के दुराचारी होने का सवाल ही कहाँ उठता है ?”

शिक्षण और शराबवदी

चोर और कजूस की बात तो मैं छोड़ देता हूँ। उनका बाजार आजकल कितना गरम है, हर कोई जानता है। अभी मेरी चर्चा का वह विषय भी नहीं है। लेकिन शराबवन्दी के बारे में तो अग्नेजो ने हमसे कह दिया था कि “अगर शिक्षा चाहते हो, तो शराबवदी नहीं कर सकते।” अग्नेजो की तरह तो हम स्पष्ट बोल नहीं सकते, लेकिन दूसरे ढंग से हम भी वही कह रहे हैं। कहते हैं “शराबवदी करो, मगर आहिस्ता-आहिस्ता करो, नहीं तो पैसा रुक जायगा।” पैसा रुका, तो सभी

रुका। तो साक्षरता भी रुक गयी, यह कहने की जरूरत ही नहीं।

निरक्षरता बनाम व्यसनमुक्तता

अब देखिये, लोक-शिक्षण के नाम में साक्षरता-प्रचार करते जाना और शराबवदी की बात न बोलना, यह क्या है? मैं तो कहूँगा 'मेरा देश निरक्षर रहे, तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन उसे व्यसन-मुक्त तो फीरन् होना ही चाहिए।'

पढ़े-लिखे लोगों की श्रेणी

अध्वपति ने जब यह गवाही दी कि मेरे राज्य में कोई अविद्वान् नहीं है, तो उसका मतलब क्या था? यही न कि हर एक नागरिक अच्छी तरह से समझ गया है कि चोरी, कजूसी, शराब-खोरी, आलस और दुर्गचार नहीं करना चाहिए। इसका अक्षरज्ञान से क्या सम्बन्ध है? पढ़े-लिखे लोग तो इन बुराइयों में प्रवीण दीख पड़ते हैं। क्या उन्हींकी श्रेणी में सबको दाखिल करना है?

बुनियादी तालीम

मेरा यह मतलब नहीं कि पढ़ने के कारण ये बुराईयाँ हो रही हैं। लेकिन मुझे दरगाना यही था कि पढ़ने पर हम अत्यधिक जोर न दे। उसके खर्च की फिक्र में न पड़े। जन-शिक्षण का मुख्य उद्देश्य और कार्यक्रम ठीक ढंग से सोचें और जो भी अक्षर-सस्कार हम चाहते हैं, वच्चो पर करें। इनके साथ-साथ हम अधिक-स-अधिक ध्यान वच्चो की बुनियादी तालीम पर दें।

—'मर्वादय', दिसम्बर १९४९

साक्षरता-प्रचार

: ३७ :

मैसूर की शिक्षा-परिषद्

आजकल मैसूर में शिक्षा-परिषद् चल रही है। प्रौढों के शिक्षण की क्या व्यवस्था की जाय, यह उस परिषद् की चर्चा का विषय है। अनेक देशों के शिक्षा-शास्त्री वहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे विचार-विनिमय से जरूर कुछ लाभ मिलेगा, ऐसी आशा हम कर सकते हैं।

शाखा-विचार छोड़ें

शिक्षा के विषय में जब-जब मैं सोचता हूँ, तो बहुत दफा मुझे ऐसा लगा है कि हमने नाहक उस विषय को जटिल बना दिया है। अगर हम मूल को पकड़ रखते हैं, तो सवाल हल हो जाता है। शाखाओं की बात सोचते हैं, तो शक्ति का क्षय होता है।

शिक्षा के कार्पनिक भेद

शिक्षण का मुख्य हेतु यही है कि सारी जनता को उद्योगशील और विचारशील बनाया जाय। लेकिन इस एक विषय के अनेक पहलू हम बनाते हैं। शहर की शिक्षा, गाँवों की शिक्षा, प्रौढों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा और फिर बच्चों में भी शिशु-शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, पुरुषों की शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा और इन सबके अलावा साक्षरता-प्रचार।

एकहिं साथे सब सधे

अब इतने सारे पहलू बनाकर हम अगर सोचने लगे, तो सोचते ही रहते हैं। ध्यान विभाजित करके, 'थोड़ा खर्च इस पर, थोड़ा खर्च उस पर', इस तरह किसी भी चीज को पूरा सतोप नहीं दे पाते। इसलिए जड़ को पकड़ना और कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि एक में सब कुछ सध जाय। मेरे खयाल से वह जड़ है, बुनियादी शिक्षण, जिसे विशेषज्ञों ने सात से चौदह साल तक का माना है। यह अवधि और भी बढ़ा सकते हैं। इधर वह छह साल से शुरू कर उधर पंद्रह साल तक ले जा सकते हैं। यानी पूर्णता लाने के लिए मियाद जितनी बढ़ानी जरूरी हो, बढ़ा सकते हैं। उतने एक काम को सर्वांगसुंदर बनाना चाहिए और वह शिक्षण सारे देश में लाजिमी देना चाहिए। इसमें उद्योग आता है, विचार-विकास आता है और साक्षरता भी आती है। इसमें यह सवाल भी नहीं उठता कि सीखी हुई विद्या टिकी कैसे रहे? क्योंकि वह एक अनुभवयुक्त ज्ञान होता है। इसलिए उसमें भूलने की तो गुंजाइश ही नहीं। बल्कि जैसे एक बीज बोने से असंख्य बीज पैदा होते हैं, वैसे उस विद्या की वृद्धि ही होती रहती है। जिस लड़के ने इस तरह विद्या पायी है, वह आगे जाकर अपना ज्ञान गतगुणित करेगा।

बहुत सारी शाखाओं की बात अलग-अलग सोचते हैं, तो काम कुछ जल्दी कर लेते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। अगर बुनियादी शिक्षण हाथ में लेते हैं, तो वही लड़के आगे चलकर प्रौढ नागरिक बनते हैं। वे ही अपने-अपने घरों में पूर्व बुनियादी तालीम का

आयोजन कर लेंगे, तो न तो शिशु-शिक्षा की चिंता रहेगी और न प्रौढ-शिक्षा की।

उद्योग द्वारा प्रौढ शिक्षण

आजकल जिस प्रकार प्रौढों में साक्षरता-प्रचार चलता है, उससे कोई खास लाभ नहीं है। प्रौढों का शिक्षण भी उद्योग के जरिये ही होना चाहिए, जिससे वेकारों को उद्योग मिल सके और उनका बौद्धिक विकास भी हो।

मान लीजिये कि दो हजार की आवादी का गाँव है। ऐसे गाँव में आठ या नौ साल का सपूर्ण बुनियादी शिक्षा-क्रम चलाया जाय, तो उसमें लडके करीब तीन सौ होंगे। उनके लिए हम 'दर्जों के हिसाब से' आठ-दस शिक्षक नियुक्त करेंगे, तो उनके अलावा और भी दो-तीन शिक्षक ज्यादा देंगे। सब मिलकर बुनियादी शिक्षण चलायेंगे। साथ-साथ प्रौढों को भी वे जीवनो-पयोगी ज्ञान-विज्ञान दे सकेंगे। कारण वे खुद अनेक उद्योगों में प्रवीण होंगे। इसलिए किसान को भी वे व्यावहारिक ज्ञान दे सकेंगे। इसके अलावा दुनिया की वर्तमान स्थिति का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, आरोग्य, विज्ञान आदि भी देंगे।

गलत दृष्टि

लेकिन कहा जाता है कि सरकार अभी बुनियादी तालीम पूरी नहीं चला सकती, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि 'जितने भी पैसे हैं' इसीमें लगाइये। चार ही साल का बुनियादी स्कूल खोलने से कोई खास निष्पत्ति नहीं होती। पूरा बुनियादी स्कूल चलाने से ज्ञान परिपूर्ण होगा और खर्च भी

निकल आयेगी। लेकिन इसमें कजूसी की जाती है। बुनियादी शिक्षक कम देते हैं और उधर प्रौढ शिक्षण के लिए अलग शिक्षक रखते हैं। बेहतर यह है कि बुनियादी शिक्षण के लिए पूरी सख्या में शिक्षक रखे जायें, जिससे वे ही प्रौढ-शिक्षा का काम कर सकें।

बुनियादी तालीम एक समुद्र

बुनियादी तालीम एक समुद्र है। उसमें विचार की सब नदियों का समावेश हो जाता है। उसमें स्त्री-पुरुष का भेद मित जाता है। शहर और देहात का भी भेद नहीं रहता, क्योंकि दोनों को मूल शिक्षण वही चाहिए। आगे चलकर कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन विरोधी दिशा तो हरगिज नहीं हो सकती।

यह है शिक्षण की जड़। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह जितनी तीव्रता और दूर दृष्टि से देखना चाहिए, नहीं देखा जा रहा है और बहुत सारा गाखाग्राही पांडित्य चल रहा है। उससे समस्याएँ बढ़ ही सकती हैं, हल नहीं की जा सकती।

परधाम-पवनार, ५-११-'४९

मूलोद्योग की शिक्षण-दृष्टि

: ३८ :

व्यायाम-दृष्टि

‘समवाय-पद्धति’ उद्योग द्वारा ज्ञान देना चाहती है। इसलिए जहाँ तक सभव होगा, वह व्यायाम भी उसीमें से निकालेगी। मतलब यह है कि उद्योग करते समय बच्चों के शरीर का उचित

विकास होता है या नहीं, इस ओर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तेजी के साथ ५-७ मिनट तक लगातार किये जानेवाले व्यायामों की अपेक्षा उद्योग में यदि ठीक ध्यान रखा जाय, तो देर तक और धीरे-धीरे जो व्यायाम होता है, उसका महत्त्व शरीर-शास्त्र की दृष्टि से कम नहीं है।

किंतु उचित ध्यान दिये बिना उत्तम व्यायाम दे सकनेवाले लाभदायी उद्योग भी कष्टप्रद होते देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ "पृष्ठेव तष्ट्यामयी" अर्थात् बढई की पीठ में दर्द होता है और वह टेढ़ी हो जाती है। ऋग्वेद की यह शिकायत हम इन दस हजार वर्षों में भी दूर नहीं कर सके हैं। हमारे देश में ज्यादातर बढइयों की पीठें घनुषाकार दिखाई पड़ती हैं और वे सामान्यतः दीर्घायु भी कम होती हैं। वैसे तो बढईगिरी को शरीर के लिए लाभदायक समझना चाहिए, पर दिनभर पीठ झुकाकर काम करने की आदत हमें यह लाभ नहीं उठाने देती। बढई के बहुत-से काम खड़े-खड़े किये जा सकते हैं, इस ओर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया।

कुछ देर बैठकर काम करने के बाद खड़े होकर काम करना चाहिए। समयानुसार बैठने के ढंग भी बदले जायँ। दोनों हाथों से अदल-बदलकर काम करना चाहिए। कुछ देर दर्जों के कमरे में काम करने के बाद खुली हवा में कसरत, वगीचा आदि के लिए कुछ समय दिया जाय। कुछ देर निकट देखने का काम, तो कुछ देर दूर देखने का काम रहे, कुछ देर सगीत-गायन और कुछ देर केवल मौन। सारांश यह कि इस प्रकार उद्योग को बिना कुछ हानि पहुँचाये हम काम में विभिन्नता ला सकते हैं, हमें लानी

चाहिए। उदाहरणार्थ अगर बच्चो ने तीस मिनट तक बैठकर तकली पर काता है, तो अटेरन पर सूत लपेटने में पाँच-दस मिनट लगेंगे। यह काम खडे होकर किया जाय।

कताई के पाठ्यक्रम मे दी हुई सूचनाओ में एक यह भी है कि कवायद के द्वारा उद्योग सिखाया जाय। वह सूचना यद्यपि प्रथम वर्ष के लिए दी गयी है, तो भी मामूली तौर पर वह सभी उद्योगों पर लागू होती है। उस सूचना के मूल में व्यायाम कराने का उद्देश्य है।

शिक्षक को खास तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उद्योग की किसी भी क्रिया मे या अन्य विषयो की पढाई के समय विद्यार्थियो की शरीर-स्थिति विल्कुल ठीक रहे।

सातत्य-योग का अभ्यास

बहुत छोटे बच्चो के आसन थोडी-थोडी देर बाद बदलनाते रहना जिस प्रकार उद्योग का एक पहलू है, उसी प्रकार सातत्य से अर्थात् जमकर एक ही आसन पर या एक ही शरीरस्थिति मे काम करने का अभ्यास या धुन विद्यार्थियो में उत्पन्न करना उद्योग का दूसरा पहलू है। इसे "सातत्य-योग" कहते हैं। इसका अभ्यास विद्यार्थियो में उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। यदि यह मान लें कि तकली कातते समय बहुत छोटे बच्चो का हाथ १५-१५ मिनट पर बदलना है, तो "सातत्य-योग" के अभ्यास के लिए मप्ताह में एक दिन या सभब हो तो रोज ३०-४० मिनट एक ही हाथ से या एक ही आसन से कताई करवायी जाय।

सातत्य के बिना कर्म-योग सिद्ध नहीं होता। आजकल हमारे

शिक्षित लोगो में श्रम-सातत्य का अर्थात् लगातार मेहनत करने की ताकत का प्रायः अभाव दिखाई पड़ता है। यह दोष हमें दूर करना चाहिए। उद्योग की अंतिम परीक्षा कुछ हफ्तों तक रोज आठ घंटे काम करने की है। हमें विद्यार्थियों को धीरे-धीरे इस लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए। जिस प्रकार नदी पर्वत से खेलती-कूदती निकलती है, परन्तु अंत में समुद्र के पास स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार उद्योग-शिक्षण का आरम्भ “तकली के विविध अभ्यास” नामक प्रकरण में लिखी विविधता के साथ हो, पर अंत में उसे सातत्य पर पहुँचना चाहिए।

कचरे का उपयोग

उद्योग में कचरा कम-से-कम हो और जो हो, उसका भी उपयोग किया जाय, यह एक विशेष ध्यान देने की बात समझनी चाहिए। इस सन्दर्भ में हम सबसे दरिद्र हैं, परन्तु इस विषय में हम उतने ही उदासीन और अपव्ययी (फिजूलखर्च) भी हैं। हम सोन-खाद (मैले की खाद) जैसी अमूल्य खाद को लापरवाही के साथ फेंक देते हैं और उससे रोग फैलाते हैं। मरे हुए जानवरों के वारे में भी करीब-करीब यही दशा है। हम नीबू खाते हैं, पर उसका मूल्यवान छिलका फेंक देते हैं। इस तरह हमारे अपव्ययों के असह्य उदाहरण दिये जा सकते हैं। इसलिए इस सबब में हमें सभी पहलुओं से गहरा ध्यान देना चाहिए। उदाहरणार्थ कपास साफ करते समय पीछे पड़ी ढोढी को निकालकर उसके विनोले व्यर्थ न फेंके, धुनाई चटाई के नीचे जमा होनेवाली

रूई को मोटा सूत कातने के या दूसरे किसी काम में ले ले। चरखा सिखाते समय गुरु में जो सूत टूटता है, उससे आलपीन खोसने की गद्दियाँ (पिन-कुगन्स) बना लें।

सौंदर्य-भावना

अकमर लोग सवाल उठाते हैं कि छोटे बच्चे सुंदर और सुव्यवस्थित माल कैसे तैयार कर सकेंगे? किंतु यदि उचित ध्यान दिया जाय, तो इस भय की कोई संभावना न रह जाय। अनुभव से यह पता चलता है कि बच्चों के हाथ में निकला सूत उत्तम और साफ हो सकता है। बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे सौंदर्य का भी अनुकरण कर सकते हैं। बच्चे इस बात के लिए कभी राजी नहीं होते कि उनके पिता की थाली में पूरा लड्डू हो और उनकी अपनी थाली में लड्डू का टुकड़ा भर हो। वे चाहते हैं कि उनको भी पूरा ही लड्डू मिले, भले ही वह छोटा हो। व्यावहारिक मनुष्य के उपयोगितावाद को ग्रहण करना बच्चों के लिए जितना कठिन है, सौंदर्य को ग्रहण करना उतना कठिन नहीं।

किंतु सौंदर्य के लिए तो १० ही नम्वर दिये जायँ और असुंदर-सी चीज, जिसमें और गुण तो हो, पर सुंदरता न हो, मजे से ९० नम्वर ले जाय, यह अनुचित ढग दूर होना चाहिए। जो सुंदर नहीं, उसका शिक्षण में कुछ भी मूल्य नहीं होना चाहिए।

पूनियाँ निश्चित लवाई की होनी चाहिए। यह बात बच्चों को जितनी जचेगी, उतनी सयानों को नहीं जँचेगी। सयाने या बड़े

तो यही कहेंगे कि अगर लवाईं कुछ कम-ज्यादा हुईं भी, तो क्या बिगड़ता है? निश्चित लवाईं रखने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके मुकाबले में लाभ क्या होगा? ऐसे लोगो से हार मानकर ही शायद धर्मशास्त्रकारो ने यह कहा होगा, “अरे भाई, समान पूनियो में स्वर्ग मिलता है।” छोटे बच्चो के शिक्षण में मिथ्या उपयोगवाद को स्थान न मिलना चाहिए। काम कम हो, तो चल सकता है, पर ही वह सुदर। अर्थात् सौंदर्य के कारण काम कम होने से चलेगा, किंतु यदि गति की मदत के कारण काम कम हुआ, तो वह ठीक न होगा, यह स्पष्ट है।

सामूहिक भावना

विद्यार्थियो में सामूहिक रूप से एक साथ मिल-जुलकर काम करने की भावना उत्पन्न न हुई, तो हमारे शिक्षको ने कुछ नहीं किया। यह सामूहिक भावना हम लोगो में प्रायः बहुत कम है। बड़े-बड़े सकटो के अवसरो को छोड़ हम अपने घरों के बाहर दृष्टि तक नहीं दौड़ाते।

उद्योग के द्वारा सामूहिक भावना उत्पन्न करना उद्योग का महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाना चाहिए। कोई विद्यार्थी धुनने में असमर्थ हो, तो दूसरे विद्यार्थी को प्रसन्नता से उसका काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह खुद अपने लिए जितनी अच्छी धुनाई करता, उससे ज्यादा अच्छी धुनाई दूसरो के लिए करने की वृत्ति उसमें होनी चाहिए।

अपना-अपना कचरा हरएक उठा ले, परंतु एकाध ने न

उठायो हो, तो दूसरो को चाहिए कि वे उस कचरे को उठाने का भार अपने ऊपर समझे ।

“मुझे अपनी गति के बढ़ने में ही सतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि मेरी सारी कक्षा की औसत गति उत्तम हो” यह भाव हर एक विद्यार्थी के मन में उठना चाहिए । इसके लिए व्यक्तिगत हिसाब के साथ-साथ सामूहिक हिसाब रखकर उसकी ओर सब विद्यार्थियों का ध्यान खींचना चाहिए ।

चरखे की माल बनाना हर एक को आना चाहिए और सबको अपनी-अपनी माल तैयार करनी चाहिए । किंतु यदि सारी कक्षा के लिए या दूसरे विद्यार्थियों के लिए माल तैयार करने का काम मिले, तो उसे बहुत खुशी से और सावधानी के साथ करना चाहिए ।

हर एक विद्यार्थी के सूत की मजबूती की जाँच के लिए हर-एक का सूत अलग-अलग बुनवाया जाय । साथ ही बीच-बीच में सारी कक्षा के सूत का कपडा बुनवाकर पाठशाला के सग्रहालय में रखा जाय । “यह हमारी कक्षा के सूत का कपडा है”—प्रेम की और सामूहिकता की ऐसी वृत्ति छात्रों में उत्पन्न की जाय और सब विद्यार्थी यह समझें कि उस कपडे के थान के गुण-दोष उन सभी के गुण-दोष हैं ।

“तू अभी तक कातने में प्रगति नहीं करता, ध्यान नहीं देता, बाकी सब विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं, तुझे शर्म क्यों नहीं आती ?” शिक्षक को इस तरह की झिडकियाँ कभी नहीं देनी चाहिए । उसे तो विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि “तू अभी तक सूत-कताई की ओर ध्यान नहीं देता, इससे तेरी कक्षा की प्रगति कैसे

होगी ? कक्षा की प्रगति के लिए तो कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को भरसक प्रयत्न करना चाहिए।”

इसी तरह अनेक उपायो द्वारा विद्यार्थियों में सामूहिक वधु-भावना उत्पन्न की जानी चाहिए।

साधर्म्य-वैधर्म्य-प्रक्रिया

उद्योग की विभिन्न क्रियाओं, साधनों या बातों के सबध में ज्ञान देते समय हम उद्योग की सीमा में ही रहे, किंतु उसकी सीमा में हम वद न हो जायें। जिस प्रकार पर्वत पर बैठकर हम चारों ओर की दुनिया देखते हैं, उसी प्रकार उद्योग में पैर जमाकर उसके द्वारा हमें अपने चारों ओर के विश्व का निरीक्षण करना चाहिए। इस प्रकार उद्योग द्वारा विश्व-निरीक्षण की पद्धति को साधर्म्य-वैधर्म्य-प्रक्रिया कहते हैं। इसकी सहायता से मनुष्य उद्योग में रहता तो है, पर उसमें वदी नहीं हो जाता।

मान लीजिये कि विद्यार्थियों को यह बात समझानी है कि तकली या चरखा सीधी गति से घुमाना चाहिए। अतः सीधी गति किसे कहते हैं, यह बात उन्हें तकली या चरखा प्रत्यक्ष घुमाकर और उसके घूमने की दिशा की ओर ध्यान आकृष्ट करके बतलानी होगी। किंतु ऐसा करते समय सीधी और उल्टी गतियों के अनेक दृष्टान्त यानी ‘साधर्म्य’ और ‘वैधर्म्य’ के दृष्टान्त वच्चों के सामने रखने चाहिए।
उदाहरणार्थ

साधर्म्य के उदाहरण

- (१) घड़ी की सुइयाँ कैसे घूमती हैं ?
- (२) कुएँ में बाल्टी डालते समय गिरीं या रहँट कैसे घूमता है ?
- (३) पेंच को कसते समय वह कैसे घूमता है ?
- (४) ताला लगाते समय ताली कैसे घूमती है ?
- (५) आरती कैसे उतारते हैं ?
- (६) मंदिर की प्रदक्षिणा कैसे करते हैं ?
- (७) सलाई-ओटनी कैसे घुमाते हैं ?
- (८) हाथ-ओटनी किस प्रकार घुमाते हैं ?
- (९) तेली का कोल्हू कैसे घूमता है ?
- (१०) लट्टू कैसे घुमाते हैं ?

वैधर्म्य के उदाहरण

- (१) कुएँ से पानी खींचते समय ।
- (२) पेंच खोलते समय ।
- (३) ताला खोलते समय ।
- (४) चक्की में आटा पीसते समय ।
- (५) सप्तर्षि या श्रृव-मत्स्य देखते समय आदि ।

ये सब बातें विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से बतलानी चाहिए । इनमें कितना भी समय क्यों न लग जाय, कोई हर्ज नहीं ।

साधर्म्य-वैधर्म्य-प्रक्रिया का उपयोग वैज्ञानिक एक अभिप्राय से और कवि हमारे अभिप्राय से किया करते हैं । हमें दोनों अभि-

प्रायो से उसका उपयोग करना चाहिए—अर्थात् उद्योग पर प्रकाश डालकर ज्ञान को खरा बनाने के लिए और ब्रह्माड की सैर के आनंद की अनुभूति के लिए।

भाषा के द्वारा प्रकाश

किसी मनुष्य को सूत कातना तो अच्छी तरह आता है, लेकिन कातने की क्रिया वह जिस प्रकार करता है, उसे वह भाषा द्वारा प्रकट नहीं कर पाता। तो उसके लिए यह कहा जा सकता है कि उसने पूरे तौर से कातने की प्रक्रिया नहीं समझी। इसे बोलने की शक्ति की कमी नहीं समझा जा सकता। बल्कि इसका अर्थ यह है कि हाथ से किया जानेवाला काम जिन बहुत-सी सूक्ष्म क्रियाओं के मिलने से हुआ है, उनका स्वरूप दिमाग में नहीं जमा। या यों कहिये कि काम करना तो आ गया, लेकिन उस काम का विश्लेषण करना नहीं आया।

हमारे देश के प्रायः सभी कारीगर इसी श्रेणी के हैं। यदि उनसे कहा जाय कि हमें काम सिखा दो, तो वे कहेंगे “भाई, जो कुछ हम करते हैं, उसे देखते जाओ” वे रदा मारकर दिखायेंगे और कहेंगे: “इस तरह रदा मारो।” उनके “इस तरह” से आपको जो कुछ समझना हो, समझ लीजिये।

हमें यह हालत बदलनी है। हाथ और बुद्धि, दोनों को मिलानेवाली है—वाणी। इसलिए उद्योग की क्रियाएँ और वाणी द्वारा उन्हें व्यक्त करने की शक्ति, दोनों विद्याएँ जब तक विद्यार्थी को न आ जायँ, तब तक यह न समझना चाहिए कि उसे उद्योग आ गया।

वाणी का अर्थ है “निश्चित और स्पष्ट वाणी” उदाहरणार्थ पेंसिल को लव रूप में खड़ी करने पर बहुत-से लोग उसे “सीधी” कहते हैं। दूसरे रूप में खड़ी करने पर उसे “टेडी” कहते हैं। वास्तव में पहली खड़ी है, दूसरी तिरछी है, पर दोनों हालतों में सीधी है। हाल में ही किसी शिक्षा-विभाग की ओर से प्रकाशित एक पुस्तक में शिक्षको को सूचना दी गयी थी कि “अमुक श्रेणी के बच्चों को जोड़ सिखलाने में सख्याएँ पचास से ऊपर न हो।” परतु कहना यह था कि जोड़ के लिए ऐसी सख्याएँ ली जायँ, जिनका योगफल पचाम में अधिक न हो। इन प्रकार कहा कुछ जाय और अर्थ कुछ निकले, उसे मैं वाणी नहीं कहता।

यह बात मातृभाषा के क्षेत्र की है। इसलिए मातृभाषा की कक्षा में इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। किंतु मेरे विचार से तो यह बात उद्योग के ही अतर्गत आ जाती है, और सिर्फ उद्योग की शिक्षा देनेवाली पाठशालाओं में भी हम इसे छोड़ नहीं सकते।

शास्त्रीय बुद्धि

उद्योग द्वारा विद्यार्थियों में शास्त्रीय बुद्धि का विकास होता रहना चाहिए। शास्त्रीय बुद्धि में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है

(१) पृथक्करण—किसी बात का या वस्तु का विश्लेषण करना। अर्थात् उसके विभिन्न भागों को अलग-अलग करना।

(२) एकीकरण—पृथक्करण का उल्टा। अर्थात् किसी बात या वस्तु के विभिन्न भागों का संयोजन करना।

(३) वर्गीकरण—भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजित करना।

(४) अनुक्रम—सिलसिलेवार जमाना।

(५) साहचर्य—कौनसी बात या वस्तु दूसरी किस बात या वस्तु से मिलती है, यह देखना।

(६) कार्य-कारणभाव—कार्य से परिणाम पर पहुँचना और परिणाम को देखकर उसके कारण का पता लगाना।

(७) इन्द्रियप्रामाण्य—इन्द्रियों के ज्ञान से वस्तुओं का अनुमान लगाना।

(८) इन्द्रियभ्रम—इन्द्रियों के भ्रम में न पडना। अर्थात् ऊपरी रूप को देखकर भुलावे में न पडना।

(९) महत्त्वमापन अथवा तारतम्य—वस्तुओं के आकार-प्रकार की तुलना करना।

(१०) सशय—सदेह का निवारण करना।

(११) निश्चय—निश्चित परिणाम पर पहुँचना।

अगर इन सबके उदाहरण दिये जायँ, तो विषय बहुत बढ़ जायगा। संक्षेप में खास बात यह है कि उद्योग के द्वारा बुद्धि में अन्वेषण (छानबीन या खोज) की शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। अमुक बात इस प्रकार से करनी या नहीं करनी है, केवल इस तरह के विधि-निषेध के ज्ञान से उद्योग में वास्तविकता और सजीवता नहीं आ सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका कारण जाने बिना, केवल आँख मूँदकर विधि-निषेध का पालन करने से उद्योग में प्रगति नहीं हो सकती।

कोई विधि अथवा निषेध करते समय उसका कारण उसी समय बताना जरूरी नहीं है। कारण की मीमांसा आवश्यकता-नुसार आगे-पीछे या साथ-साथ कर सकते हैं, पर वह हो अवश्य, इतना ही मुझे कहना है। सिखाने की पद्धति ऐसी हो कि विद्यार्थियों के दिल में प्रश्न उठते जायें और वे स्वयं उन्हें शिक्षको के सामने रखते जायें। अवसर देखकर शिक्षक स्वयं भी प्रश्न करें और विद्यार्थी उनके सवध में चर्चा करें।

जिन प्रश्नों को मामूली तौर पर कोई न पूछे, ऐसे प्रश्न भी पैदा किये जायें। उदाहरणार्थ, चरखे का चक्र चौखूँटा क्यों न हो? इस तरह का प्रश्न मामूली तौर पर कोई नहीं पूछता। अगर किसीने पूछा भी, तो लोग उसे मूर्ख समझेंगे। किंतु हम तो उसे चतुर समझेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि हम स्वयं ऐसा प्रश्न उपस्थित करेंगे और उसका शास्त्रीय उत्तर तर्क द्वारा निकलवायेगे।

परिश्रम-निष्ठा

परिश्रम अलग चीज है और परिश्रम-निष्ठा, परिश्रम के प्रति आदर और प्रेम अलग चीज। सप्ताह में ज्यादातर लोग शारीरिक परिश्रम (मेहनत) करनेवाले ही हैं। परंतु वे अक्सर मजबूर होकर मेहनत करते हैं। बहुत-से लोग तो मेहनत के कामों से यदि बच सकें, तो बचना ही चाहेंगे। कुछ लोग तो शारीरिक परिश्रम से बचकर अर्थात् उसका भार दूसरों पर लादकर भी प्रतिष्ठित बने बैठे हैं। इसीसे साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, युद्ध, विषमता (छोटे-बड़े भेद, ऊँच-नीच आदि भेद) आदि की उत्पत्ति हुई है। इन सबका केवल एक ही इलाज है,

और वह यह कि विद्यार्थियों में यह भावना पैदा की जाय कि बिना कुछ शरीर-श्रम किये शरीर को अन्न देना, अपने और समाज के प्रति अपराध करना है।

हमारी शिक्षा-प्रणाली द्वारा शिक्षा पाये शिक्षितों में इस प्रकार की भावना खूब जोरदार होनी चाहिए। हमारे देश में आजकल तो यह हालत है कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने पर वे गोबर उठाने में तो आनाकानी करते हैं, मगर दूध पीकर खुश होते हैं। किंतु होना यह चाहिए कि हमारी शिक्षा-प्रणाली से शिक्षित होकर निकलनेवाले बच्चे गाय का गोबर उठाने में हर्ष प्रकट करें और दूध पीने में, चूंकि दूसरों को वह नहीं मिलता है, सकोच मानें।

इसलिए विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षक को भी यथाशक्ति शारीरिक परिश्रम के कामों में भाग लेना चाहिए। पाठशाला के समय उसका किया हुआ उद्योग पाठशाला का ही समझा जाय। परंतु इसके अलावा विद्यार्थियों के सामने हरदम यह उदाहरण रहना चाहिए कि शिक्षक और उसके घरवाले अवकाश के समय और छुट्टी में अन्य देहाती मजदूरों की तरह ही प्रसन्नता से शारीरिक श्रम करते हैं।

गाँव की गदगियों को दूर करना आदि सार्वजनिक कार्य तो शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों को मिलकर यथावसर करने ही हैं, परंतु पाठशाला को बुहारना, पाठशाला का आँगन साफ करना, उससे गोबर से लीपना आदि कार्य भी विद्यार्थियों के साथ शिक्षक करें, ऐसा नियम होना चाहिए। तुच्छ समझा जानेवाला कोई भी काम केवल विद्यार्थियों को नहीं सौंपना चाहिए, बल्कि शिक्षक

को उसे स्वयं करना और बच्चों से कराना चाहिए। इस प्रकार किये बिना बच्चों में परिश्रम-निष्ठा उत्पन्न नहीं होगी।

‘सोन-खाद’ का उत्तम उपयोग किस प्रकार किया जाता है और पाखाने की आदर्श व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसकी शिक्षा भी पाठशाला के उद्योग के अतर्गत समझी जानी चाहिए। फिर चाहे वह उद्योग कताई का हो या बढईगिरी का या खेती का।

राष्ट्रीय झूड़े पर बना चरखा शारीरिक परिश्रम का अर्थात् अहिंसा का चिह्न है। इसका अहसास पाठशाला के औद्योगिक वातावरण के जरिये होना चाहिए।

—‘मूल उद्योग कातना’ से

एकड़ का कोष्ठक

: ३६ :

पाठशालाओं में छात्रों को गणित के लिए कोष्ठक सिखलाने पड़ते हैं। बचपन में गुरुजी ने रटाई और छडी, इन दो औजारों के बल पर हमारे गले भी ये कोष्ठक उतारे, पर उनमें से बहुत-से शरीर में भिदे नहीं। इसका एक कारण तो इन दोनों औजारों और दूसरे कुछ कोष्ठकों का प्रायः निरुपयोगी होना था। वास्तव में कोष्ठक जीवनीपयोगी हो, तो जीना चाहनेवालों को वे पसन्द आयेंगे ही। वे इसी ढंग से सिखलाने भी चाहिए कि पसन्द ही आयें। इस बारे में दिग्दर्शन के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ।

‘एकड’ शब्द की व्याख्या

जीवन का प्रमुख आधार खेती है और वह एकड से मापी जाती है। इसलिए बच्चों को एकड का कोष्ठक सिखलाना आवश्यक है। वह कैसे सिखलाया जाय, इसी पर विचार करें। इससे पहले यह बता देना आवश्यक है कि यह ‘एकड’ अंग्रेजी का शब्द है। पर चूँकि अब वह हम लोगों के यहाँ प्रचलित हो गया है, इसलिए उसकी स्वदेशी व्याख्या यह है “एकड यानी खेती मापने का अक।” हिन्दुस्तान में सरसरी तौर पर प्रतिव्यक्ति एक एकड जमीन पडती है। इसलिए आज की स्थिति में हिन्दुस्तान में एक आदमी की मालकियत की जमीन ‘एकड’ है। इस तरह दुहरी युक्ति से ‘एक’ शब्द से ‘एकड’ शब्द की व्याख्या करनी चाहिए, जिससे वह शब्द बच्चों को सहज ही हृदयगम हो जाय।

१२१×१२१ फुट के ३६० टुकड़े = एकड

एकड का अर्थ ४८४० वर्गगज बताया जाता है। यह विलक्षण आँकड़ा कैसे याद रहे? उसके लिए दो महत्तम अवयव किये जायें। वे होंगे १२१×४० । इस १२१ वर्गगज को ‘गुठा’ नाम देकर ४० गुठे याने एकड, इस तरह कोष्ठक बनाया गया है। पर हम गज की भाषा छोड़ फुट की भाषा अपनायें और गुठों के भी और छोटे भाग बनायें। गुठा यानी १२१ वर्गगज जमीन अर्थात् ११ गज \times ११ गज, इस तरह एक जमीन का चौरस टुकड़ा हुआ। उसके ११ फुट लम्बे और ११ फुट चौड़े, ऐसे ९ टुकड़े किये जा सकेंगे। ये १२१ वर्गफुट के छोटे टुकड़े गुठा में ९ यानी एकड में ३६० होंगे।

११ फुट \times ११ फुट = १ बंटा

मोटे तौर पर साल के ३६० दिन होते हैं। अगर हम रोज १२१ वर्गफुट जमीन खोदने का निश्चय करे, तो एक साल में १ एकड़ जमीन खोदी जायगी। हम भूल जायेंगे कि बरसाती दिन जमीन खोदने में आड़े आयेंगे। इतनी जमीन रोज खोदनी ही हो, तो रोज कितना समय लगेगा ? आदमी की सामर्थ्य, जमीन के प्रकार, ऋतुमान और बीजारो की योग्यता के अनुसार इस प्रश्न का भिन्न-भिन्न उत्तर होगा, पर अनुभव में यही आया कि इस काम में ४० से ८० मिनट लगेंगे। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि एक घण्टा लगता है। चूँकि एक घंटे में यह जमीन खोदी जाती है, इसलिए लक्षणावृत्ति से इस जमीन को हम 'घण्टा' कहेंगे। घण्टा यानी ११ फुट \times ११ फुट जमीन—यह ध्यान रखना कठिन नहीं। "एक पर एक ग्यारह" यह सूत्र बच्चों को मालूम ही है। ११ फुट लम्बी लकड़ी बनायेंगे और उससे औरस-चौरस जगह रेखांकित कर अपने इस घण्टे का बच्चों को प्रत्यक्ष दर्शन करा देंगे। अब ऐसे ३६० घण्टे मिलकर १ एकड़, इस तरह सीधा-सादा कोष्ठक तैयार हो गया। (यहाँ घण्टे का अर्थ ११ फुट \times ११ फुट की सम चौरस जमीन न होकर १२१ वर्गफुट जमीन, इतना ही है—यह बात बच्चों के ध्यान में ला देनी चाहिए। १२१ वर्गफुट जमीन अनेक प्रकार की हो सकती है। हमने स्मरण रखने की सुविधा के लिए उसे ११ फुट \times ११ फुट लिया है।) अगर हमें खेती के लिए बच्चों को जमीन बाँट देनी हो, तो उसे घण्टों के माप में ही बाँटेंगे। किसीको एक घण्टा

जमीन, तो किसीको दो घण्टा जमीन दोगे। इससे बच्चो को अपनी-अपनी फसल पर से प्रति एकड़ फसल का हिसाब लगाना सुलभ हो जायगा।

१ फर्लाङ्ग × १ फर्लाङ्ग = १० एकड़ = आगर

अब तक एकड़ का नीचे से कोष्ठक देखा गया, अब ऊपर से देखा जाय। एक फर्लाङ्ग औरस-चौरस जमीन ४८,४०० वर्गगज होती है, याने दस एकड़। साधारणतः जमीन का एक टुकड़ा १० एकड़ का माना जाता है। मध्यप्रदेश सरकार ने १० एकड़ से कम जमीनवाले किसानो को दो आना रुपया छूट कर दी है—यह बात शिक्षको ने बच्चो को बतायी ही है। इसी पर से उन्हे बच्चो के मन मे यह बात बैठा देनी चाहिए कि साधारणतः खेत १० एकड़ का होता है। ऊपर बताया ही जा चुका है कि हिन्दुस्तान मे प्रतिव्यक्ति के पीछे एक एकड़ जमीन पडती है। ५ व्यक्तियो के एक कुटुब के लिए ५ एकड़ हुए। आज हिन्दुस्तान मे ७५ प्रतिशत कृषक हैं, जब कि ४० साल पहले ७० प्रतिशत थे। देश के उद्योग-धधो का ह्लास होते जाने से इन ४० वर्षों में अधिकाधिक लोगो का भार खेती पर पडा और खेतिहरो की सख्या ७० से ७५ प्रतिशत हो गयी। अच्छी स्थिति वही समझी जायगी, जब कि ५० प्रतिशत लोगो का भार केवल खेती पर पडे। अगर आज वैसी स्थिति होती, तो प्रत्येक कृषक कुटुब के हिस्से मे मरसरी तौर पर १० एकड़ जमीन पडती। एक वैल-जोडी के लिए २० एकड़ जिराइत (खेती की जमीन) लगती है। पर कुछ जिराइत और कुछ बगीचे की जमीन ली

जाय, तो १० एकड़ का टुकड़ा एक बेल-जोड़ी के लिए छोटा नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार दस एकड़ ज़ेन 'मर्व मावाग्ण ज़ेन' निश्चित होना है। इसे हम 'आगर' नाम दें और बच्चों को सिनायें कि दस एकड़ यानी एक आगर।

६४० एकड़ = १ वर्गमील

यह 'आगर' ठीक चीज़म होगा, तो एक फ़र्लाग लम्बा और एक फ़र्लाग चौड़ा होगा। फ़र्लाग शब्द का मौलिक अर्थ भी यही है। एक वर्गमील में ऐसे कितने आगर समायेंगे? एक रुपये के जितने पैसे उतने याने ६४। १० एकड़ = १ आगर और ६४ आगर = १ वर्गमील, इसलिए ६४० एकड़ = १ वर्गमील। ६४० का आँकड़ा मूल काननेवाले बच्चों का सुपरिचित आँकड़ा होने में उन्हें उस कोष्ठक का बोझ नहीं मालूम पड़ेगा। एकड़ याने घण्टे का ३६० गुना और वर्गमील का ६४०वाँ हिस्सा—इस तरह दुहरी पकट के बीच एकट स्थित है।

यहाँ यह बतलाना अवाग्ण आवश्यक हो गया है कि गुटी में ६४० तार हुआ करने हैं और वर्गमील में भी ६४० एकड़ होने हैं। इस उपमा द्वारा बच्चों को कोष्ठक समझाना मूलोद्योग द्वारा समवाय मावना नहीं है। मूलोद्योग के बीच से ही एकड़ के कोष्ठको की आवश्यकता पैदा होना ही समवाय है। उपमा द्वारा ज्ञान को गले उतारना शिक्षक की कला है। यद्यपि उस कला का समवाय में विरोध नहीं, फिर भी स्वयं वह कला समवाय नहीं है।

एकड़ का चढता-उतरता कोष्ठक

१२१ वर्गफुट = १ घण्टा	१० एकड़ = १ आगर
९ घण्टे = १ गुठा	६४ आगर = १ वर्गमील
४० गुठे = १ एकड़	६४० एकड़ = १ वर्गमील
३६० घण्टे = १ एकड़	

—'ग्रामसेवा-वृत्त', सितम्बर १९४०

विषय कैसे पढ़ाये जायें ?

: ४० :

(एक निजी चर्चा से)

हास्यास्पद समवाय

मैं अब तक दो-चार बार इस विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण कर आया हूँ। इन कक्षाओं में उद्योग के माध्यम से शिक्षा देने का जो प्रयास किया जा रहा है, उससे मुझे सतोष नहीं हुआ। इसमें शिक्षकों का खास दोष नहीं। सारा प्रयोग ही नया है।

एक कक्षा में एक शिक्षक कोई कहानी सुना रहे थे। उसके अंत में उसका सबघ तकली से जोड़ा गया और फिर तकली का गीत शुरू हुआ। पर इसमें मुझे कृत्रिमता मालूम पड़ी। तकली सबधी कविता का मतलब तकली द्वारा शिक्षा देना नहीं। इसी तरह तकली द्वारा गणित सिखाने का अर्थ यह नहीं कि बच्चों को पन्द्रह-बीस पूनियाँ दी जायें और उनमें थोड़ा-बहुत अन्तर कर

उनके द्वारा जोड़-बाकी करायी जाय। इसने पूनर्या खराब हो जाती हैं। उनकी जगह ककड, पत्थर के टुकड़े देकर भी जोड़-बाकी सिखायी जा सकती है। वस्तुतः उद्योग में मौका देखकर गणित सिखलाना चाहिए। साथ ही किसी भी उद्योग में गणित तो लवालव भरा है।

प्रसंग का उल्लेख भी जरूरी

यहाँ छोटे बच्चों की एक कक्षा चल रही है। सावारणत वह कक्षा ठीक ही चल रही है, पर मुझे उससे भी पूरा सन्तोष नहीं हुआ। अवश्य ही शिक्षक ने विषयवार लिख रखा है कि उद्योग द्वारा क्या-क्या सिखलाया, पर केवल इतने से काम नहीं चल सकता। उसे यह भी लिख रखना चाहिए कि वह विषय कौन-सा प्रसंग या अवसर देखकर सिखलाया गया? सामाजिक अध्ययन में अमुक-अमुक बात बतायी, इतना ही उल्लेख पर्याप्त नहीं, बल्कि विस्तृत रूप से यह भी लिख रखना चाहिए कि वह बात कौन-सा मौका निकालकर बतायी गयी। कोई भी ज्ञान अप्रासंगिक न दिया जाय, प्रासंगिक ज्ञान ही दिया जाय। इस बात का सदा ध्यान रखें।

समवाय के उदाहरण

सामाजिक अध्ययन के बारे में यह धारणा-सी बनी दीखती है कि सभी विषय उद्योग द्वारा सिखलाये जायें। पर वह धारणा ठीक नहीं। जैसे चाभी से ताला खोला जाता है, ठीक वैसे ही उद्योग द्वारा जीवन को खोलना है।

मान लीजिये, वारिज का दिन है। तो कक्षा में बच्चों से

पहले यही पूछिये कि क्या आप लोग आज शौच, मुख-मार्जन आदि से निवट आये हैं ? यह प्रश्न आज ही क्यों ? इसलिए कि वर्षा के कारण बच्चे शौच जाने से असकताते हैं ।

बच्चो को खिडकी-दरवाजो के बारे मे जानकारी करानी है, तो मैं उनसे पूछूंगा "खिडकियो का क्या उपयोग है ?" बच्चे कहेंगे "उनसे उजाला और हवा भीतर आयगी ।" फिर मैं पूछूंगा "छप्पर मे खिडकियाँ बना देने से हवा और रोशनी मिलेगी ही, तो क्या उन्हीसे काम चल सकेगा ?" वे कहेंगे "नही, बाहरी सृष्टि भी दिखाई पडनी चाहिए ।" फिर मैं पूछूंगा "मान लो, वैसी खिडकियाँ भी बना दी । पर उनसे बाहर-भीतर जाना-आना नही हो सकेगा, तो उनसे काम चलेगा क्या ?" वे कहेंगे "नही, बाहर-भीतर जाने की व्यवस्था भी चाहिए । इसके लिए दरवाजा चाहिए ।" इस तरह खिडकियो और दरवाजो का उपयोग जब उनके ध्यान में आ जायगा, तो मैं उनसे पूछूंगा "बताओ तो, अपने शरीर में ऐसे खिडकी-दरवाजे कौन-कौन-से हैं ?" आँख, कान, मुँह, नाक आदि को सस्कृत मे 'द्वार' कहा गया है । गीता में कहा है "सर्वद्वाराणि सयम्य"—सभी दरवाजो का नियमन कर सभी खिडकी-दरवाजो पर पहरा रखना चाहिए । "नवद्वारे पुरे देही"—नौ दरवाजो के नगर मे यह आत्मा निवास करती है । मानव को आँखो पर से खिडकी रखने की कल्पना सूझी होगी ? पर मनुष्य की आँखें तो बहुत छोटी होती हैं । गाय की आँखें बडी होती है, इसीलिए मनुष्य गाय की आँखो की तरह खिडकियाँ बनाने लगा । सस्कृत मे खिडकियो का नाम है 'गवाक्ष ।' गवाक्ष माने गाय की आँखें । उसी तरह

को खिडकी अकित कर दिखाओ, ऐसा मैं लडको से कहूँगा। ऐसी आँख बनायी, तो वह चित्र-कला हो गयी। उसके बाद मैं बताऊँगा कि लोगो ने उसमे किस-किस तरह हेर-फेर किया। यह हो गया इतिहास। अब इस तरह की खिडकियाँ क्या आज कही मिलेगी? यह बतलाने के लिए मैं उन्हें 'लॅपलैंड' की ओर ले जाऊँगा और उसी प्रसंग में वहाँ के निवासियों का जीवन तथा अन्य जानकारी कराऊँगा। सारांश, इस तरह प्रासंगिक रूप से दूर देश के लोगो के जीवन की जानकारी देनी चाहिए।

हमारे देश जैसा ही प्राचीन और अत्यन्त घनी आवादीवाला तथा बहुत जोती गयी जमीनवाला देश चीन है। पर चीन इतना उपजाऊ क्यों है? जमीन का उपजाऊपन बनाये रखने के लिए क्या करना चाहिए? यह बताते हुए मैं बच्चो को खाद की जानकारी कराऊँगा। स्वर्ण-खाद का उपयोग कैसे किया जाय, यह बात चीनियों से विशेष रूप से सीखने की है। चीन में स्वर्ण-खाद का काफी उपयोग किया जाता है, उससे वहाँ की जमीन इतने साल जोती जाने पर भी उपजाऊ बनी हुई है, यह बात मैं उन्हें समझाऊँगा।

एक अमरीकन ने "चार हजार साल के किसान" नामक एक पुस्तक लिखी है। उसमें उसने बताया है कि "हम अमरीकन लोग उडाऊ है। हर आदमी के पास १५-२० एकड़ जमीन है। हमारी जमीन अभी केवल चार सौ साल से जोती गयी है। इतना होते हुए भी उपजाऊपन के लिए हम तरह-तरह की रासायनिक खाद डालते और जमीन को विगाडते हैं। स्वर्ण-खाद जैसी

उत्कृष्ट खाद हम व्यर्थ ही वरवाद करते हैं।” शिक्षको को वह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए।

अगर किसी दिन जोर की वर्षा हो, तो बच्चो को छुट्टी दे देनी चाहिए। उस वर्षा में बच्चे खेले-कूदेंगे, मौज उड़ायेगे। उनके साथ ही शिक्षक भी कपड़े उतार, लँगोटी लगाकर उन्हें खेलाये और उन्हें बताये कि वर्षा परमात्मा की कृपा है। हमारे यहाँ वारिश होने पर छुट्टी होती है, पर इंग्लैंड में धूप होने पर। ऐसा क्यों ? इसलिए कि वहाँ सदा ही दुर्दिन—बादलो से घिरा दिन—होता है। इसी कारण सूरज निकलने पर छुट्टियाँ दी जाती हैं। बच्चे मौज से खेलते-कूदते हैं। इस तरह मैं बच्चो को इंग्लैंड के जलवायु की जानकारी दूंगा।

साधर्म्य-वैधर्म्य ज्ञान

सामाजिक शिक्षा में इतिहास, भूगोल, नागरिक-शास्त्र आदि पढ़ाते हैं। इतिहास और भूगोल सिखाने का अर्थ है, बच्चो को काल और देश का परिचय देना। काल और देश, दोनो इतने एकरूप हैं कि किसी भी भाषा में कालवाचक शब्द का स्थलवाचक के लिए भी प्रयोग किया जाता है। “इस प्रश्न का उत्तर आपको पीछे दूंगा”, यहाँ ‘पीछे’ शब्द ‘कालवाचक’ है। पर “वह उसके पीछे चलने लगा”, यहाँ ‘पीछे’ शब्द ‘स्थल-वाचक’ है।

जब हम कहते हैं कि इतिहास-भूगोल पढ़ाया जाय, तो उसका यही अर्थ है कि प्राचीनकाल और दूर देश के लोगो की जानकारी करायी जाय। यह जानकारी अगर निकट के ही लोगो की हो,

पर पुराने जमाने की हो, तो 'इतिहास' बन जाती है और आज के ही जमाने के, पर दूर देश के लोगो के बारे में हो, तो 'भूगोल' बन जाती है।

यहाँ एक पक्ष यह कहता है कि छोटे बच्चो को दूर देश और प्राचीनकाल के लोगो की जानकारी करायी जाय। दूसरा पक्ष कहता है कि आज के जमाने से शुरू कर क्रमश बच्चो को पुराने जमाने की ओर ले जायें।

उपर्युक्त दोनो मत परस्पर-विरुद्ध-से मालूम पडते हैं, पर वास्तव मे वैसे नहीं है। एक कहता है, अतिप्राचीन बताये, तो दूसरा कहता है, अतिअर्वाचीन बताये। पर कोई भी यह नहीं कहता कि बीच का बतायें और वह ठीक भी है। ज्ञान के लिए तुलना अत्यावश्यक वस्तु है और तुलना के लिए या तो आम-पास ठीक पडता है या विलकुल दूर का। दूर का और पास का, दोनो को समझना ही "साधर्म्य-वैधर्म्य ज्ञान" कहा जाता है। गाधीजी की अहिंसा की जैसे समाज-सत्तावाद से तुलना की जा सकती है, वैसे ही दूसरी दिशा से उसकी तुलना साम्राज्यवाद मे की जा सकती है।

किन्तु यह साधर्म्य-वैधर्म्य ज्ञान कभी भी अप्रासंगिक न दिया जाय। शिक्षक उठे और 'लॅपलॅंड' की जानकारी कगाने लगे, तो वह चल नहीं सकता। प्रसंग उपस्थित कर और उसे पहचान करके ही वह कोई जानकारी दे। ऐसे प्रसंग लाना कोई कठिन बात नहीं।

छोटे बच्चों के लिए कविता : ४१ :

(एक पत्र में से)

छोटे बच्चों को सिखलाये जानेवाले पद्य का अक्षरशः शब्दार्थ उनकी समझ में आ जाय, ऐसी आशा रखना ठीक नहीं। उसका भावार्थ भी उनकी समझ में आ जाय, तो काफी है।

छोटे बच्चों को बचपन के गाने सिखाने की चाल पड़ गयी है। पर मेरा अपना अनुभव है कि वे अध्यात्म-विद्या, साम्ययोग, भक्ति-मार्ग आदि की कल्पना बहुत अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं। ज्ञानेश्वरी, ज्ञानदेव के अभंग, एकनाथ, नामदेव और तुकाराम के चुने हुए अभंग, समर्थकृत मन के श्लोक, दासबोध के उपदेश-पाठ, गीताई, वामन पंडित का नीति-शतक आदि अमूल्य साहित्य वालकों को कठस्थ करा देना चाहिए।

वालकों की स्मरण-शक्ति अच्छी होती है। उससे लाभ उठाकर उपयोगी धर्माभूत उनके गले उतारना चाहिए। रस्किन को ५-६ वर्ष की अवस्था में ही वाइबिल याद हो गयी थी। मने अपना अनुभव तो बता ही दिया। ...

गंभीर अध्ययन का सूत्र : ४२ :

समाधियुक्त अध्ययन

अध्ययन में लवाई-चौड़ाई महत्त्व की चीज नहीं है। महत्त्व है गंभीरता का। बहुत देर तक, घटो भाँति-भाँति के विषयों

का अध्ययन करते रहने को मैं लवा-चौड़ा अध्ययन कहता हूँ। समाधिस्थ होकर नित्य-निरन्तर थोड़ी देर तक किसी निश्चित विषय के अध्ययन को मैं गभीर अध्ययन कहता हूँ। दस-बारह घंटे मोना, पर करवटे बदलते रहना, अपने देखते रहना—ऐसी नींद में विश्रान्ति नहीं मिलती, बल्कि पाँच ही छह घंटे सोवे, किन्तु गाढ निद्रा हो, तो इतनी नींद में पूर्ण विश्रान्ति मिल सकती है। यही बात अध्ययन की भी है। 'ममाधि' अध्ययन का मुख्य तत्त्व है।

बुद्धि में नयी कोपलें

ममाधियुक्त गभीर अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं। लवा-चौड़ा अध्ययन बहुत-कुछ फालतू ही होता है। उसमें शक्ति का अपव्यय भी होता है। अनेक विषयों पर गूढाभर पढाई करते रहने में कुछ हाथ नहीं लगना। अध्ययन में प्रज्ञा, बुद्धि स्वतंत्र और प्रतिभावान होनी चाहिए। प्रतिभा के मानी है, बुद्धि में नयी-नयी कोपलें फूटते रहना। नयी कल्पना, नया उत्पाह, नयी खोज, नयी स्फूर्ति, ये सब प्रतिभा के लक्षण हैं। लवा-चौड़ी पढाई के नीचे यह प्रतिभा दबकर मर जाती है।

कर्मयोग को स्थान

वर्तमान जीवन में आवश्यक कर्मयोग का स्थान रखकर ही सारा अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा भविष्य-जीवन की आशा में वर्तमान काल में मरने जैसा प्रकार बन जाता है। शरीर की स्थिति पर किन्ना विश्वास किया जाता है, यह प्रत्येक के अनुभव में आनेवाली बात है। भगवान् की हम सब पर अपार

कृपा ही समझनी चाहिए कि हममें वह कुछ-न-कुछ कमी रख ही देता है। वह चाहता है कि यह कमी जानकर हम जाग्रत रहें।

निश्चित दिशा

दो विन्दुओं से रेखा का निश्चय होता है। जीवन का मार्ग भी तो दो विन्दुओं से ही निश्चित होता है। हम हैं कहाँ, यह पहला विन्दु, हमें जानना कहाँ है, यह दूसरा विन्दु। इन दो विन्दुओं का तय कर लेना जीवन की दिशा तय कर लेना है। इस दिशा पर लक्ष्य रखे बिना इधर-उधर भटकते रहने से रास्ता तय नहीं हो पाता।

सारांश यह कि गम्भीर अध्ययन का सूत्र है "अल्पमात्रा, सातत्य, समाधि, कर्मावकाश और निश्चित दिशा।"

—'जीवन दृष्टि' मे

रेखन के औजार

: ४३ :

'ड्राइंग' उर्फ 'रेखन' मूलोद्योगी पाठ्यक्रम का एक विषय है और उसे स्थान भी महत्त्व का दिया गया है। कारण उद्योग से वह भी उसी तरह दृढ सवद्ध है। किन्तु जब उस रेखन के लिए लगनेवाले साधनों की नामावली पेश हुई, तो मैं घबड़ा उठा। रंग की बट्टियाँ, ब्रश, रेखन-कागज आदि प्रत्येक छात्र के लिए लगनेवाला क्षयरोगी सामान कौन खरीदे? विद्यार्थी खरीदें, तो गाँवों के गरीब छात्रों के लिए वह संभव नहीं और सरकार खरीदे, तो योजना महँगी पड़ेगी। तब क्या किया जाय ?

अन्तत मुझे स्पष्ट कहना पडा कि इस तरह का सामान कोई भी न खरीदे—न सरकार ही खरीदे और न छात्र ही। तब प्रश्न था कि रेखन के पाठ्यक्रम की योजना पूरी कैसे की जाय ?

चित्रकला कर्मयोगी हो

यह मुद्दा अच्छी तरह समझ लेने का है। चित्रकला दो प्रकार की है एक सौन्दर्य की और दूसरी उद्योग की। अथवा अधिक परिष्कृत भाषा में कहा जाय, तो एक भक्ति की है और दूसरी कर्मयोग की। पाठ्यक्रम में दोनों का ही समावेश किया गया है। पर उसमें भी मेरी दृष्टि से तारतम्य रखा गया है। जीवन में और शिक्षा में कर्मयोग प्रधान है, यह भुलाया नहीं जा सकता। भक्ति उस कर्मयोग की शोभा है और ज्ञान उसीकी प्रभा। साधारणत मूलोद्योग की यही विचार-सरणी है और रेखन के बारे में भी वह उसी तरह लागू होती है।

कताई, बुनाई, बढईगिरी आदि सभी उद्योग और लेखनादि कलाएँ जिस रेखन की मदद चाहती हैं, वही मुख्यत कर्मयोगी-रेखन है। इसमें विभिन्न आलेख तैयार करना, नक्शे पर से अमुकगुने आकार का नक्शा तैयार करना, किसी नवीन मोडिये के दिखाई पडने पर उसे प्रत्यक्ष या स्मृति के आधार पर रेखांकित करना या उससे सम्बद्ध कोई कल्पना सृष्टे, तो उसे चित्र में अंकित करना आदि लिखित, रेखांकित, दृष्ट, स्मृत और कल्पित सभी रेखनो का अन्तर्भाव हो जाता है।

पटिया-पेन्सिल प्रमुख साधन

इस कर्मयोगी-रेखन के लिए विशेष साधन नहीं चाहिए। बहुत-सा तो साधारण पटिया-पेन्सिल से भी हो सकता है। कुछ के लिए कागज लगेगा, तो उसका कम-से-कम उपयोग किया जाय। जिसे 'ड्रॉइंग पेपर' रेखन का कागज कहते हैं, उसकी प्रायः कतई आवश्यकता नहीं। रवड का उपयोग करने जैसा गन्दा कोई काम नहीं। उसे पूर्णतः वर्जित मानना चाहिए। पहले पटिया पर हाथ पूरा जमा करके ही बहुत आवश्यक होने पर कागज हाथ में लिया जाय। रूलदार कागज आलेख के लिए और अन्य ड्रॉइंग पेपर चित्रकला के लिए लगता है। उन्हें भी सीधा बना-बनाया न खरीदा जाय, बल्कि छात्र ही उन्हें रूलदार बना लें। यह भी रेखन-कला का एक अंग ही समझा जाय। ऐसी दृष्टि रखने से उद्योग, कला, ज्ञान, आनन्द और स्वावलम्बन एक साथ सघ जाता है और साधनों के जजाल में नहीं पडना पडता।

रगीन चित्रकला

परन्तु कर्मयोगी-रेखन मुख्य मान लेने पर भी उसी सिलसिले में सौंदर्य का रेखन भी आवश्यक है। कर्मयोग की शोभा के लिए उसकी आवश्यकता है, उसके लिए तरह-तरह के साधन लगेंगे ही। फिर उनके लिए क्या किया जाय? यह प्रश्न शेष ही रहता है। हाँ, उसीके उत्तर के लिए यह लेख लिखा गया है और उसी पर हम आगे विचार करेंगे। बीच में थोड़ा तारतम्य देख लिया गया।

रंगपंचमी का दृष्टांत

दूसरे अन्य गाँवों की तरह हमारे पवनार में भी रंगपंचमी मनायी गयी। हमारे परिश्रमालय के बच्चों ने भी गाँव की रीति के अनुसार उममें भाग लिया। बाजार में रंग खरीदकर एक-दूसरे के कपड़े खराब किये। बाद में सावुन लगाकर, वह सावुन भी बाजार में ही खरीदा था, उन कपड़ों को धोना पडा। फिर भी वह रंग मिटता ही न था। गाँव के अन्य लोगों के लिए कपड़े धोने का प्रपच न था, कारण परिश्रमालय के बच्चों को प्राप्त स्वच्छता की इन्द्रिय उन्हें प्राप्त न थी। मैंने उन बच्चों से कहा “रंग खेलने में समय बिताने के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। पर रंग और सावुन में पैना बहाकर क्या किया? इतना करके भी क्या पाया? मच्चा आनन्द तो मिला ही नहीं। केवल ‘भुक्त का चन्दन घिस मेरे लल्लू’ वाला हाल किया। उमके वजाय काम समाप्त होने पर शाम को नदी के किनारे-किनार दो मील चले जाते, तो मानो तुम्हीं लोगों के लिए फूले हुए पलाश के पेड़ तुम्हें दिखाई पड़ते। तुम लोग उन फूलों में रंग बना सकते थे और वह रंग बने-बनाये बूकनी के रंग में कहीं अधिक मौम्य एव आह्लाद-दायक होना और उमें माफ करने में भी इतनी अटचन न पडती। अब तुम्हीं बताओ कि मेरा बताया हुआ यह उद्योग अधिक आनन्ददायक होता या तुम लोगों ने किया सो उद्योग?” बच्चों ने एक मत में मेरे सुझाव को अच्छा बताया।

प्रकृति को गुरु बनाइये

रंगपंचमी की इस कहानी में मौंदर्य-चित्रण के प्रश्न का उत्तर

मिलेगा। छात्रों के चारों ओर प्रकृति खड़ी है। उम प्रकृति के साथ एकरूप हो उसके द्वारा आनन्द-प्राप्ति और आनन्द-गुद्धि माध लेना ही सौन्दर्य-रेखन का उद्देश्य है। छात्रों के आसपास की जो प्रकृति उनके इम सौन्दर्य-चित्रण के लिए विषयो की पूर्ति करेगी, वह अगर उनके साधनों की पूर्ति में समर्थ न हुई, तो ईश्वर की कला ही क्या रही? बच्चों के पेट में भूख लगते ही माता के स्तनों में दूध ला देने की उसकी योजना हमारे ध्यान में क्यों नहीं आती? आसपास के पेड़ हमारे लिए अच्छे व्रश और उत्तम रंगों की पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही चित्रण का विषय भी उनमें भरा हुआ है। प्रकृति तो कामधेनु-सी है। वह दूध तो देती ही है, उसे पीने के लिए कटोरी भी देती है। केवल माँगने की ही देर है।

“आनन्द-प्राप्ति” और “आनन्द-गुद्धि” यह दुहरा उद्देश्य ध्यान में रखने योग्य है। आनन्द तो प्राणिमात्र को उपलब्ध है। अधिक क्या, वह तो आत्मा का स्वरूप ही है। मुख्य प्रश्न तो उस आनन्द को विशुद्ध बनाने का है।

बचपन की दीवाली

मेरा बचपन कोकण के पहाड़ों से घिरे एक गाँव में बीता है। प्रायः हर दीवाली को मुझे याद आता है कि उस गाँव में हम लोग दीवाली में दीपक कैसे जलाते थे। उसके लिए जंगल में जाकर कोराटी के सहज गोल फल बिन लाते और उन्हें आधो-आध काट भीतर का गूदा निकाल फेंकते, तो वैसी सुन्दर परई बन जाती। पर वह मारवाड़ी लोटे की तरह बे-पेदी की होती।

मारवाडी लोटे को मारवाड की रेती की वैठकी तैयार करनी पडती । उस पर दियरियो के विराजमान होने पर उनमे कोकण का शुद्ध स्वदेशी गरी का तेल भरा जाता । कोकण मे रूई दुर्लभ होने पर देवकपास हम लोगो की बत्तियो का काम पूरा कर देती । इस तरह हम लोगो के दीपक तैयार होते । फिर वे चतुष्कोण, त्रिकोण और वर्तुलाकार सुन्दर पक्तियो मे सजा दिये जाते । वस, हो गयी हम लोगो की दीवाली । दीवाली याने चार महीनो की बरसात के बाद पहली निरभ्र अमावस्या । अपने दिव्य वैभव के साथ पूर्ण प्रकट हुई रजनी देवी । चन्द्र के साम्राज्य को मिटा परस्पर सहकारिता से सौन्दर्यनिर्माणार्थ सजी हुई छोटी-बड़ी स्वायत्त तारिकाएं और उनकी वे आकृतियाँ । अगर हम लोग अपने इन दीपको से सजाये होते, तो अमा का स्वराज्य और भी अधिक रगत लाता । पर यह कल्पना उस समय नही सूझी, इस-लिए उतनी कमी रह ही गयी ।

दीवाली का दूसरा दृश्य

यह चालीस साल पहले का पुराना ग्रामीण स्मरण है । अब दूसरा नया सुघरा हुआ ग्रामीण दीवाली का स्मरण सुनिये । खादी-कार्य देखने के लिए मैं एक बार सावली गया था । दीपावली का दिन था । सावली के बच्चो ने जस्ते के पतरे से बनी मिट्टी के तेल की बिना काँच की चिमनियो को पक्तिवद्ध रखकर दीवाली मनायी । मिल की चिमनी से या सिगरेट फूंकनेवालो के मुँह से जिस तरह घुएँ के अम्बार निकलते है, उसी तरह उनसे घुएँ के अम्बार निकलते रहे । बेचारे बच्चो को दीवाली

का आनन्द मिल ही गया। इसमें उनका क्या दोष ? अग्नेजी सुधार की कीमिया क्या मामूली है ? कहावत है “देव की करनी, नारियल में पानी। अग्नेजो की करनी, बवे में पानी।”

सच्चा समन्वय

पर शिक्षक कहते हैं कि “आनन्द-शुद्धि की यह मीमासा तो ठीक है, पर आपके कथनानुसार कूंचे तैयार करने, फूलों और पत्रों से रंग बनाने का मतलब यह होगा कि काम और भी बढ़ जायगा। फिर बाकी के ज्ञान की व्यवस्था कैसे हो सकेगी ?” पर यह आक्षेप समवाय-पद्धति का ठीक-ठीक स्वरूप न समझने के कारण ही किया जाता है। यह प्रश्न ठीक वैसा ही है, जैसे कोई कहे कि ‘अन्न काफी पैदा हो जाय, तो भूख का क्या होगा ?’ यह प्रश्न इतना सरल है कि उत्तर देने की भी जरूरत नहीं और इतना कठिन भी है कि उसके लिए प्रत्यक्ष वैसी पाठशाला चलानी पड़ेगी।

यहाँ मूलोद्योग के पाठ्यक्रम के दो उद्देश्य—‘उद्योग-सिद्धि’ और ‘आनन्द-शुद्धि’ बतलाना अभीष्ट था, जो साधनों के विचार के सिलसिले में बताया गया।

—‘सिंहावलोकन’ से

चित्रकला की दृष्टि

: ४४ :

संगीत और चित्रकला के उद्देश्य

कुछ दिन पूर्व वालकोवा ने मुझसे पूछा था कि “संगीत और चित्रकला के उद्देश्य क्या हैं ?” मैंने उसे उत्तर दिया कि

“इस दुनिया में भगवान् के नाम और रूप, ये ही दो गुण प्रकट हुए हैं, बाकी ईश्वर तो अव्यक्त ही हैं। इन गुणों में सगीत द्वारा उमका नाम गाया जाय और चित्रकला द्वारा उमका रूप चित्रित किया जाय।”

हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में पहली कला ने ही चित्रकला को स्थान दिया गया है। हम लोग उद्योग द्वारा शिक्षा देने की जो बान मोचते हैं, उममें विना चित्रकला के काम चल ही नहीं सकता। पर चित्रकला और चित्रकला की दृष्टि में अन्तर है। चित्रकला की दृष्टि जिमे प्राप्त हैं, वह व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में बंढगा व्यवहार नहीं करेगा। छात्रों में चित्रकला की ऐसी दृष्टि बानी चाहिए। चित्रकला में बच्चों को सिर्फ उगलियों को मोड लगना ही काफी नहीं, उनके नेत्रों को भी चित्रकला में दस रहना चाहिए। छात्र तनकर बैठे हैं या नहीं, कवायद में ममानान्तर खडे हैं या नहीं, खाने के लिए नीचे पक्तिबद्ध बैठे हैं या नहीं, इन सब बातों में भी चित्रकला है।

नीबू कैसे चीरा जाय, यह भी चित्रकला का विषय है। नीबू बगवर आडा काटना चाहिए। कारण उममें बीज और रस मगलता में निकाला जा सकता है। इसी तरह मन्तरे कैसे खाये जायें? उमके छिलको की बगवर दो कटोरियाँ बनायें, जिनमें सतग खाने के बाद गोप सीठी डाली जा सके। पपीता खडा न काटकर आडा काटना चाहिए, जिससे उमकी भी दो कटोरियाँ बन जायें। केला भी पूरा नहीं, थोडा-थोडा छीलकर खाना चाहिए। अगर सारा छिलका निकाल डाले, तो हाथ गन्दे हों जायगे। ऐसे और भी उदाहरण देने में

आयेंगे। व्यवस्थितता और सौंदर्य-दृष्टि चित्रकला का विषय है।

इन दिनों कुछ लोग सिर पर काली टोपी पहने दीख पड़ते हैं, किन्तु हिन्दुस्तान के लोग पहले से ही काले होते हैं। उनका चेहरा काला, बाल काले और टोपी भी काली—याने मनुष्य विलकुल कौआ जैसा बन जाता है। सौन्दर्य प्रकट करने के लिए तरह-तरह के रंगों का मिश्रण अपेक्षित होता है। विभिन्न रंगों से विभिन्न प्रकार की भावनाएँ प्रकट होती हैं।

शुभ्र सफेद रंग पवित्रता का द्योतक है और लाल-गुलाबी रंग प्रेमदर्शक। गुलाबी ऊषा परमेस्वर का प्रेम ही है। सुबह की ऊषा प्रभात में वच्चो को जगानेवाली माँ का प्यारा और उद्बोधक स्वरूप है। किसी भी कवि या चित्रकार का काम ऊषा-दर्शन के बिना चल ही नहीं सकता।

और वह आकाश-दर्शन ! चित्रकला भला उसे कैसे मुला सकेगी ! रात्रि-काल में वह गुरु, वह शुक्र कितना चमकीला दीखता है ! उन्हें देखकर मन में कितनी पवित्र भावनाएँ उठती हैं ! 'शुक्र' शब्द भी शुचि से बना हुआ है। इन तारों के आगे मोती आदि भी, जिन्हें हम साँस रोककर समुद्र में डुबकियाँ लगाकर निकालते हैं, तुच्छ मालूम पड़ते हैं। तुलसीदासजी ने रामराज्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि रामराज्य में समुद्र स्वयं ही किनारे पर मोती फेंक जाता था। पर मुझे लगता है, उन्हें एक और चौपाईं लिखनी चाहिए थी कि किनारे पर के मिले उन मोतियों को वच्चे खेलने के लिए ले जाते और खेलते-खेलते उन्हें फिर से समुद्र में फेंक देते थे। इससे मोतियों का उचित

मूल्य दिखाया गया होता। आज सुन्दर पानीदार मोती हो, तो हम उसका मूल्य पैसो में आँकने लगते हैं। पैसे से सौन्दर्य की तुलना निरा गँवारूपन है।

चित्रकला में प्रकृति का दर्शन अनिवार्य है। मनुस्मृति में बताया गया है कि सुबह उठने के बाद मुँह-आँखें धोये बगैर नक्षत्रों का दर्शन न करें। नक्षत्रों का इतना पावन सौंदर्य ऐसी अमंगल आँखों से कैसे देखा जाय ?

रगवल्ली (रागोळी) की कल्पना भी मनुष्य ने नक्षत्रों पर से सोच निकाली है। रगवल्ली बनाने का नियम यह है कि पहले विदी-विदी बनायी जायँ, फिर उन्हें एक-दूसरे से जोड़कर अभीष्ट आकार दिया जाय। स्पष्ट है कि यह कल्पना आकाश के तारों पर से ही निकली है। हम उसमें कल्पना से आकार भर देते हैं। और दीवाली का भी उद्देश्य क्या है ? आकाश की चित्रकला को नीचे जमीन पर अंकित करना ही तो है। दीवाली याने आकाश के धुल जाने के बाद की अमावस्या। 'कोजागरी', शरद् पूर्णिमा याने आसमान के धुल जाने के बाद की पहली पूर्णिमा। ये दोनों उत्सव मनाने का उद्देश्य आकाश-दर्शन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना ही है। इसलिए अगर दीवाली में दीपक लगाने हो, तो नक्षत्रों के आकार के, छोटे-बड़े, तरह-तरह की छटा दिखानेवाले ही दीपक लगाने चाहिए।

व्यवर्तक चित्रकला

किसी भी वस्तु के सामान्य और विशेष धर्म चित्रकला द्वारा प्रकट होने चाहिए। सामान्य-विशेष के पेट में ही गौण

और मुख्य का भेद भी आ जाता है। मनुष्य का चेहरा ऐसा भाग है कि केवल उतना ही चित्रित किया जाय, तो आदमी पहचाना जा सकेगा। अगर हाथी दिखाना हो, तो केवल सूंड चित्रित कर देने पर भी काम चल जाता है। इसीको शास्त्र में “व्यावर्तक व्याख्या” कहते हैं। व्यावर्तक का अर्थ है दूसरी वस्तुओं से उस वस्तु को अलग करनेवाला। उन्होंने बैल की ऐसी व्याख्या की है “विपाण कुकुभ्याम्”—सीग और डीलवाला। अब आप दुनिया में चाहे चितने जीव ढूँढ डालिये, सीग और डील-युक्त प्राणी सिवा बैल के दूसरा कोई नहीं दीखेगा।

स्मृति के आधार पर चित्रकला

दूसरी बात है, ‘मेमरी इॉइंग’ की। यदि कोई चीज कहीं देख लें, तो बाद में उसे ठीक चित्रित कर लेना आना चाहिए। देखे हुए यत्र, देखी हुई इमारत या दी हुई चीज का चित्र खीचना आना चाहिए।

सृष्टि में कही-कही दृष्टिभ्रम होता है, उसे भी चित्र में ठीक-ठीक प्रकट कर दिखाना चाहिए। रैवे लाइनो का चित्र बनाना हो, तो सिर्फ सीधी और समानान्तर लम्बी-लम्बी दो पटरियाँ बना देने से काम न चलेगा। हमें वे जैसी दीखती हैं, उसी तरह चित्रित करना चाहिए कि आगे चलकर दोनों पास-पास आकर मिली हुईं जान पड़ती हैं। इसी तरह दो नक्षत्रों के बीच उनके उगते, समय अधिक अन्तर दीख पड़ता है और सिर पर आने पर वह अन्तर कम हो जाता है। सूर्य की भी यही बात है। वह उगते समय बड़ा दीखता और फिर छोटा होने लगता

है। अस्त के समय पुन बडा दीखता है। ये ही सब चमत्कार सृष्टि मे दिखाई पडते है, पर ये सब चित्र मे प्रकट होने चाहिए।

साकेतिक चित्रकला

छात्रो को साकेतिक चित्रकला भी आनी चाहिए। मान लीजिये, हम लोग किसी वगीचे मे गये, तो वहाँ सभी पेड व्यवस्थित रूप से वाकायदा लगाये दीखते हैं। उनकी शाखाएँ आदि छँटी होती हैं। उन्हें देखकर हमें आनन्द होता है। उसी तरह जगल मे जायँ, तो वहाँ तरह-तरह के ऊँचे-नीचे, छोटे-बड़े वेतर-तीव वृक्षादिको की शोभा, वहाँ की निसर्ग रमणीयता देखकर भी आनन्द होता है। प्रश्न होता है कि यह कैसे? व्यवस्थित उद्यान की शोभा देखकर आनन्द और निरकुश वनश्री भी देखकर आनन्द। आखिर दोनो से आनन्द क्यो? इसका कारण यह है कि उद्यान मे ईश्वर की व्यवस्थितता का गुण प्रकट हुआ है और वन मे ईश्वर की स्वच्छता का गुण प्रकट हुआ है। चित्रकार की दृष्टि मे यह बात आनी चाहिए।

पाश्चात्यो ने न्याय-देवता का साकेतिक चित्र इस रूप मे दिखाया है कि एक अधी स्त्री तराजू की डाडी पकडकर बैठी हुई है। अब यदि कोई पूछे कि क्यो जी, क्या न्याय-देवता को अन्वी के ही रूप मे होना चाहिए? न्यायाधीश को स्त्री ही क्यों बनाया? पुरुष बनाने से क्या काम नहीं चल सकता था? और तराजू की डाँडी यदि पहले से ही सीधी पकडी हुई दिखाई गयी, तो न्यायाधीश की आवश्यकता ही क्या रह जाती है?

न्याय-देवता को अन्धी के रूप में दिखाने का सकेत यह है कि अन्धा आदमी छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं देखता। वह निष्पक्ष रहेगा। अतः यहाँ अन्धेपन का अर्थ है, पक्षपातशून्यता। न्याय-देवता को स्त्री-रूप देने का सकेत यह है कि स्त्रियाँ स्वभावतः दयालु होती हैं। इसलिए न्याय देते समय भी दयालुता रहनी चाहिए। तराजू की डाँडी सीधी पकड़ने का सकेत यह है कि न्याय में चोखापन होना चाहिए। इस तरह इस साकेतिक चित्र में न्याय के आवश्यक तीन मुद्दे (१) निष्पक्षता, (२) दयालुता और (३) खरापन दिखाये गये हैं।

दत्तात्रेय के तीन मुख हैं। तीनों मुखों को एक स दिखाने की चाल है। किन्तु उनमें बीच का मुख सात्त्विक याने विलकुल साफ-सुथरा, सुन्दर, स्वच्छ, दूसरा तामस याने मैला-कुचैला, नीद से भरा और तीसरा उत्साह, आवेश और पराक्रम से पूर्ण रजोगुणयुक्त होना चाहिए। तभी वह उनका सच्चा चित्र बनेगा और इन तीन मुखों के तीन गुणों का सकेत प्रकट होगा। हिन्दुओं की मूर्तिपूजा में साकेतिक चित्रकला भरी पड़ी है।

कहीं उत्सव-समारोह हो, तो स्वागत के लिए मिट्टी का घड़ा जल से ऊपर तक भरकर रखा जाता है। उसे पूर्णकुम्भ कहते हैं। आखिर वह किसलिए? इसीलिए कि स्वागत के लिए हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, इस बात का उसमें सकेत है। घड़ा चाहे मिट्टी का हो, चाहे सोने का, पर अन्य किसी धातु का नहीं। सोने के घड़े से वैभव व्यक्त होता है। याने स्वागत में अपना वैराग्य या वैभव प्रकट होना चाहिए। यही उस पूर्णकुम्भ का सकेत है।

अग्नेज लोग किसीके आने पर टोपी उतारते हैं, तो हमारे

यहाँ के लोग उसे पहन लेते हैं, आखिर ऐसा अन्तर क्यों ? उनका देश ठंडा है, इसलिए वहाँ टोपी उतारने से अतिथि के लिए कुछ-न-कुछ कष्ट सहने की अपनी तैयारी दिखाना है। हमारी देश गरम है। यहाँ टोपी लगाकर हम अतिथि के लिए कष्ट सहने की तैयारी दिखाते हैं। तुलसीदासजी ने भरत-राम-मिलन के प्रसंग में बताया है कि उस समय राम घनुष-वाण आदि दिना लिये हुए वैसे ही उठकर खड़े हो गये—“कहूँ पट कहूँ निपग घनु तीरा” कहकर इस वर्णन में राम की भरत से मिलने की आतुरता का दर्शन कराया गया है।

दुनिया में कुछ चीजें सूक्ष्म, तो कुछ विपम होती हैं। उन्हें ठीक से दिखाना भी चित्रकला का एक अंग है। सूक्ष्म की ओर विशिष्ट दृष्टि से याने मध्यभाग की ओर विशेष ध्यान देते हुए देखना पड़ता है। लपेटा दोनो वाजुओ से समान है याने दोनो वाजुओ से सूक्ष्म है, चौरस चारो प्रकारो से सूक्ष्म ह। वर्तुल सब ओर से सूक्ष्म है, कारण सभी वाजुओ से उसके समान भाग किये जा सकते हैं। वस्तु की सूक्ष्मता के प्रकार वच्चो को बनाने आन चाहिए। आजकल वच्चो को कोर्ड भी सूक्ष्म चित्र बनाना होता है, तो 'उसमें का आधा भाग देखकर बाकी उनसे बनवा लेते हैं। साधारणत दाहिना भाग देखकर बायाँ उनसे बनवाते हैं। पर इसके विपरीत बायाँ देखकर दाहिना भी बनवा लेना चाहिए। जिस तरह हम वच्चो को दाहिने हाथ से चित्र बनाना सिखलाते हैं, उसी तरह बाये हाथ से भी चित्र बनाना सिखाना चाहिए।

—महिलाश्रम के शिक्षको के समक्ष किया गया व्याख्यान

एक बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज में : ४५ :

(चर्चाओं के आधार पर)

[विनोबाजी ने आज एक कॉलेज का निरीक्षण किया। कताई, घुनाई, तुनाई चल रही थी। विनोबा कातने बैठ गये। व्याख्यान देने की अपेक्षा इस तरह के प्रात्यक्षिक में ही उनको अधिक रस आता है। लेकिन जब वे चलने लगे, तो लोगो ने 'उपन्यास' की मांग की। 'उपन्यास' तेलुगु में व्याख्यान को कहते हैं। विनोबाजी ने कहा "आप लोग अपना वर्ग लीजिये, मैं देखूंगा।" ट्रेनिंग के लिए आये हुए शिक्षक-छात्रो का वह वर्ग था।

विनोबाजी ने कक्षा का निरीक्षण किया। उसमें पूनियो से गिनती सिखाने का 'अनुवध' बताया गया था। अक्सर शिक्षक ऐसा ही करते हैं। "आप लोग पूनियो से गिनती सिखाते हैं, तो पत्थरो का ही उपयोग क्यों नहीं कर लेते? इससे पूनियाँ खराब हो जाती हैं। इस तरह का अनुवध हास्यास्पद हो जाता है। हर बात को सिखाने के लिए मौका देना, उद्योग का केवल इतना ही काम है। बाकी सिखाना तो अपने ढंग से होना चाहिए। कातते समय अपनी-अपनी पूनियाँ गिनकर कातने को बैठना, इतना ही स्वाभाविक अनुवध है।"

पाठ्य-पुस्तको के बारे में उन्होने अडचन दिखायी। परन्तु पूछा, तो मालूम हुआ कि कृष्णदासभाई की 'कताई-गणित' किताब का इन लोगो को पता नहीं है। विनोबाजी ने कहा कि "या तो आप लोग जल्द-से-जल्द हिन्दी सीखकर इन किताबो

को हिन्दी में पढ़िये या फिर इनका अनुवाद करवा लीजिये। परन्तु वुनियादी साहित्य से अपरिचित रहकर वुनियादी तालीम का काम आप कैसे करेगे ?”

[इसके बाद कॉलेज के शिक्षको से चर्चा हुई। उन्होंने अपनी दिक्कतें और शिकाएँ विनोवाजी के सामने रखी।]

प्रश्न—अनुवध-पद्धति की कोई किताबें नहीं हैं। पढायें कैसे ?

विनोवा—ठीक सवाल पूछा। पुस्तकें अनुभव से वनेगी। लेकिन जो वन चुकी है, वे भी आप नहीं पढते। अनुवध-पद्धति का मुख्य सार अभी यही समझो कि जो ज्ञान उद्योग के साथ नहीं दिया जा सकता, उसका लोभ छोड़ देना है।

प्रश्न—लेकिन फिर इसमें विज्ञान की पढाई कैसे होगी ?

उत्तर—जरूर होगी। लडका खेती करेगा, कपडा बुनेगा, खाना खायगा, बीमार पडेगा, सब उसके लिए ज्ञान के साधन हैं, उसमें सारा विज्ञान आ जाता है।

प्रश्न—क्या वुनियादी योजना डाल्टन, किडरगार्टन और माँटेसरी का सुधारा हुआ रूप है या कोई स्वतंत्र योजना है ?

उत्तर—वुनियादी योजना किसी योजना का सुधारा हुआ रूप नहीं है। वह स्वतंत्र और विशिष्ट योजना है। दूसरी योजनाएँ लडको को कोई उपजाऊ घवा नहीं सिखाती। नयी तालीम देश का उत्पादन वढाती है, छात्र को स्वावलंबी बनाती है और ज्ञान भी देती है। यह पद्धति हमें हिन्दुस्तान की परिस्थिति में से सहज सूझी है। उद्योग द्वारा शिक्षण का विचार मान्य

करते हुए भी दूसरी पद्धतियों ने आजीविका संपादन द्वारा शिक्षण सिद्ध नहीं किया है, इतना हम देखते हैं।

प्रश्न—क्या शिक्षको को पुरानी पद्धतियों का ज्ञान कराना आवश्यक है ?

उत्तर—आवश्यक तो नहीं है, पर उपयुक्त हो सकता है। क्या गणित सिखाने के लिए आज हम भास्कराचार्य की लीलावती पढाते हैं ? लेकिन लीलावती के ज्ञान से शिक्षक को ऐतिहासिक दृष्टि आ सकती है।

प्रश्न—इतिहास की पढाई में कालक्रम के सिद्धांत को आप मानते हैं ?

उत्तर—कालक्रम वाद मे आ सकता है। पहले बच्चो को सारे विचार-प्रवाह का सर्वसामान्य ज्ञान हो जाना चाहिए।

बुनियादी तालीम में और चालू पद्धति में एक मूलभूत फर्क है, जो हमें समझ लेना चाहिए। हमे बच्चो को इतिहास, व्याकरण और गणित नहीं सिखाना है, हमे तो उन्हें जीवन सिखाना है—उन्हे कार्यक्षम बनाना है। शिवाजी क्या व्याकरण पढे थे ? क्या शकराचार्य ने इतिहास की किताबें पढी थी ? हमें बच्चो को पुरुषार्थशील बनाना है। उसके पीछे-पीछे और सब बातें धीरे-धीरे आ जायेंगी।

प्रश्न—क्या बड़े होने पर बच्चो को ये दस्तकारियों काम आ सकती हैं, जब देश में यंत्रीकरण हो तो ?

उत्तर—आपका सवाल शैक्षणिक नहीं, आर्थिक है। इसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। रूस में यन्त्रीकरण है, फिर भी प्राथमिक शालाओ में छोटे-छोटे उद्योगो द्वारा शिक्षण दिया जाता

है। शिक्षण वच्चे की शक्ति के विकास के लिए और शक्ति के अनुसार दिया जाता है। उस दृष्टि से हर हालत में दस्त-कारियाँ याने हाथ के उद्योग ही पसंद करने पड़ते हैं।

प्रश्न—क्या श्रेणियों के अनुसार शिक्षण-क्रम आपको पसंद है ?

उत्तर—पहले स्थूल ज्ञान, पीछे सूक्ष्म ज्ञान—ऐसा क्रम मुझे पसंद है। पहले इस टुकड़े का, पीछे उस टुकड़े का ज्ञान देना मुझे पसंद नहीं। आपके पाठ्यक्रम में तीसरे दर्जे में मद्रास प्रान्त और चौथे में भारत का भूगोल रखा है। पर इसी बीच यदि विहार में भूकंप हो, तो क्या तीसरी श्रेणी के वच्चों को विहार कहाँ है, सो नहीं बतावेंगे और मद्रास ही बताते रहेंगे ?

प्रश्न—लेकिन इन बेचारे शिक्षकों में इतनी सूझ कहाँ ?

उत्तर—सूझ नहीं, तो शिक्षक क्यों हुए ?

प्रश्न—नयी तालीम में कविता के लिए स्थान रहेगा या नहीं ?

उत्तर—यथावसर होगा। गांधी-जयंती के प्रसंग में 'वैष्णव जन' का गीत आयेगा। प्रह्लाद का तो सारा चरित्र ही कविता में सिखाया जा सकता है।

प्रश्न—नयी तालीम का माध्यम मातृभाषा होगा या देश-भाषा ?

उत्तर—उसके लिए दोनों का ज्ञान अनिवार्य होगा। परन्तु पढ़ाई का माध्यम तो प्रान्त-भाषा ही होगा।

प्रश्न—आपने हर बात के लिए अवसर की आवश्यकता बतायी, लेकिन किसी प्रसंग पर विद्यार्थी गैर-हाजिर रह जाय, तो फिर वह उस शिक्षण से वंचित ही रह जायगा ?

उत्तर—सात-आठ वरसों की अवधि में ऐसा कौन-सा प्रसंग होगा, जो एक से अधिक बार नहीं आवेगा ?

[कोमारवोलु आश्रम में छोटी-छोटी लड़कियाँ मिलने आयी, जो हिन्दी बिल्कुल ही नहीं जानती थी, तो आघ घण्टा वे उनसे बोलते रहे। उन्हें उतनी देर में हिन्दी में दस तक अक गिनना, अपना नाम बताना तथा दूसरों का नाम पूछना सिखा दिया।]

वीरवर्म में विनोबा से एक प्रश्न पूछा गया कि “जिस गति से आज नयी तालीम चल रही है, उस गति से क्या आप मानते हैं कि वह प्रलयकाल तक भी पूरी हो सकती है ?”

विनोबा ने उत्तर दिया इस प्रश्न के पीछे मन की एक भूमिका है कि सरकार द्वारा ही व्यापक काम हो सकता है। मैं भी मानता हूँ कि सरकार द्वारा व्यापक काम होगा। लेकिन सारा-का-सारा शिक्षण सरकार को सौंप देने की मेरी तैयारी नहीं है। फिर तो सरकारी शाला एक साँचा बन जायगी। स्वतंत्र बेसिक शाला चलाने का प्रयोग होना चाहिए। मुझे नम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहिए कि अपनी कल्पना का बेसिक स्कूल मैंने अब तक एक भी नहीं देखा। मैं नयी तालीम का शास्त्र अच्छी तरह जानता हूँ, फिर भी मैं उसका स्कूल नहीं चलाता, घूमता रहता हूँ। यही हाल दूसरों का है। फिर यह काम कैसे होगा ? जो लोग इस काम को अच्छी तरह जानते हैं, वे इसे ही लेकर बैठ जायेंगे और बेसिक की आदर्श पाठशाला चलायेंगे, तभी नयी तालीम का सही दर्शन हो सकेगा। अपने बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मैंने इसका कुछ प्रयोग किया है और उसका नतीजा

भी समाधानकारी हुआ है, लेकिन वह प्रयोग छोटे बच्चों की बुनियादी तालीम का नहीं था। उसे उत्तर बुनियादी प्रयोग कह सकते हैं। उसमें जो लडके तैयार हुए, वे ही आज मेरे साथ काम कर रहे हैं।

जब इस वार मैं जेल से छूटा, तो मैंने सोचा था कि मेरा गायद अब एक ही काम बचा है। वह काम था, बुनियादी शिक्षण का। लेकिन भगवान् की इच्छा कुछ और ही थी। परन्तु अगर फिर से कभी स्थिर होने का योग आया, तो मैं पुन जरूर इस बुनियादी तालीम के काम में ही लग जाना चाहूंगा। अभी मैं कुमारबेलु गया, तो आघा घण्टा मैंने लडकियों को पढाया। उसमें मैं इतना मग्न हो गया कि मुझे समय का भान ही नहीं रहा। दूसरे काम के लिए लोग मुझे ले गये और वर्ग बन्द करना पडा।

यदि आप लोगो में कोई शिक्षण के प्रेमी हो, तो वे अपना जीवन इस काम के लिए दे। हमें तो यह साबित करना है कि बुनियादी मदरसा कम-से-कम सहायता से चलता है। अगर मैं वेसिक स्कूल चलाऊँ, तो मकानो और साधनो को छोडकर सारा-का-सारा पैसा वापस कर दूंगा। हमारे मदरसे के बच्चे दूसरे मदरसो के बच्चो की अपेक्षा अधिक ज्ञानसपन्न और अधिक प्राण-मपन्न निकलेंगे। ऐसा अगर एक भी स्कूल हम चलाकर दिखा सकें, तो उसे देखने के लिए दुनियाभर से लोग वहाँ आवेंगे। जिन्होंने शिक्षण के प्रयोग किये, उन्होंने पाँच-पचास विद्यार्थी लेकर ही प्रयोग किये थे और दुनिया ने उनकी पद्धति को स्वीकार किया।

पूर्व-बुनियादी की चर्चा

: ४६ :

[बम्बई के शिशु-विहार-गृह के कुछ शिक्षक और विद्यार्थी हर साल सैर के लिए जाते हैं। इस बार वे वर्धा, सेवाग्राम, पवनार देखने आये थे। बालवाडी के सम्बन्ध में उनसे निम्नलिखित चर्चा हुई।]

प्रश्न—आज हमने जो शिक्षण-पद्धति सेवाग्राम में देखी, वह देहातो के लिए ठीक है। शहरो के बच्चो के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन सुझायेंगे ?

विनोबा—आपको कौनसा परिवर्तन आवश्यक लगता है ? शहर और गाँव में क्या फर्क है ? दोनो जगह वे ही चाँद-सूरज हैं, माता-पिता का वातावरण भी वैसा ही है। एक जगह दीया है दूसरी जगह बिजली। बाकी खास फर्क क्या है ?

प्रश्न—शहर में यान्त्रिक वातावरण है।

विनोबा—उसमे क्या फर्क है ? एक बालक मोटर में बैठता है, एक बैलगाडी में। एक पेट्रोल और इजन के वारे में जानकारी प्राप्त करेगा, दूसरा चक्के और बैल के वारे में। आखिर मुख्य बात यही है कि आसपास जो वातावरण होगा, उसके जरिये बालको का विकास होगा और फिर देहात-देहात में भी तो फर्क होता ही है। यहाँ का बालक ज्वार का खेत देखता है, कोकण का बालक धान का खेत देखता है। इसी तरह शहर और देहात के फर्क की ओर देखना चाहिए।

प्रश्न—देहात का लडका स्वावलंबी होगा, शहरवाला नहीं होगा।

विनोबा—क्यों नहीं होगा ? मान लीजिये कि शहर में एक हॉटेल है। वहाँ रसोई के जरिये बालक को शिक्षण दिया जाता है। हमारा उमूल तो यही है न कि आमपास के वातावरण से ज्ञान देना है। शहर और देहात, दोनों के लिए यह मिद्धान्त समान रूप में लागू है। देहात में भोजन लकड़ी पर पकेगा, तो शहर में कोयले पर। इसमें तालीम में क्या फर्क पड़ा ?

प्रश्न—बहुत छोटे बच्चों के काम का प्रारम्भ शहरों में कैसे किया जाय ?

विनोबा—हमें तो उनमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। दोनों जगह पानी, हवा, प्रकाश हैं। इंद्रियों का सम्बन्ध भी वही है। बढना-उतरना दोनों जगह समान है। एक जगह लडका टेकड़ी पर चढेगा, तो दूसरी जगह चौथी मजिल पर। इतना ही फर्क है न ?

प्रश्न—दोनों की भूमिका एक-सी कैसे मानी जाय ?

विनोबा—अगर आपने दोनों को भलाई सिखायी है, तो वहाँ शहर और गाँव की भूमिका एक ही है, दोनों का वहाँ मेल है। भूखे के लिए रोटी मुहैया करा देने की विद्या दोनों जगह समान मिलनी चाहिए। अगर तालीम ऐसी मिले कि देहात-वाले तो श्रम की कद्र करते हैं और शहरवाले उसके बारे में लापरवाह रहते हैं, तो समझना चाहिए कि यहाँ दोनों का सम्बन्ध भिन्न हो रहा है।

प्रश्न—आप तो गाँववालों को चरखा चलाने की बात कहते हैं, जो शहरवालों की समझ में ही नहीं आती।

विनोबा—तो मैं शहरवालो को क्यों कहूँगा ? उस गाँव-वालो को तो कपडा पहनना है, इसलिए कहता हूँ कि कातो !

प्रश्न—कपडा तो हमें भी पहनना है न ?

विनोबा—फिर आपको भी कातना चाहिए ।

प्रश्न—बाल-शिक्षण में आजकल भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ चल रही हैं । आप कौनसी ठीक समझते हैं ?

विनोबा—आपको किन-किन पद्धतियों की जानकारी है ?

प्रश्न—सेवाग्राम में तो नयी तालीम चल रही है । बम्बई में माँटेसरी-पद्धति चलती है, कही-कही किडर गार्टन भी चलती है ।

विनोबा—इन सबमें क्या फर्क है, हमें समझाइये ।

प्रश्न—आपको सब मालूम है ।

विनोबा—हम तो यही जानते हैं कि एक सेवाग्राम-पद्धति है, एक पवनार-पद्धति है, एक वर्धा-पद्धति है, एक नागपुर-पद्धति है इत्यादि ।

प्रश्न—हमारी पद्धति में प्रश्न पूछना मना है और आपने तो अभी प्रार्थना में बालको से प्रश्न पूछ-पूछकर उन्हें सहज ही ज्ञान करा दिया ।

विनोबा—तो आपको एक और पद्धति मालूम हुई, प्रश्न पूछने की । आपने देखा कि प्रश्न पूछने की भी एक पद्धति होती है, उसमें भी एक खूबी होती है ।

प्रश्न—बच्चों के लिए किडरगार्टनवाले अनेक प्रकार के आकर्षण उत्पन्न करते हैं ।

विनोबा—क्या आप लोग आकर्षण नहीं उत्पन्न कराती ?

प्रश्न—पर वे कृत्रिम आकर्षण निर्माण करते हैं ।

विनोवा—अब 'कृत्रिम' शब्द आया। अच्छा बताइये, आप लोग बच्चों को मिठाई वाँटती हैं या नहीं ?

प्रश्न—जी हाँ, वाँटती हैं। पर हम शिक्षण के लिए मिठाई नहीं वाँटती।

विनोवा—क्यों नहीं वाँटती ? जो चीज सामने हो, उसके द्वारा शिक्षण देना चाहिए।

प्रश्न—हमारे कहने का मतलब यह था कि हम बच्चों को लालच नहीं दिखाती।

विनोवा—इसमें बृद्धि की कुशलता का सवाल है। शिक्षण-पद्धति में साधारणतया कोई खास फर्क नहीं होता। परिस्थिति-भेद के अनुसार वस्तु-दर्शन का भेद हो जाता है। लालच के लिए किसी तरह का बातावरण निर्माण करने या कोई चीज देने की बात तो वे भी नहीं कहेंगे।

प्रश्न—जिस तरह हमारे यहाँ के या सेवाग्राम के बालक आजादी में अपना विकास साधते हुए दिखाई देते हैं, किडरगार्टन-पद्धति में वैसे नहीं दिखाई देते।

विनोवा—लेकिन अगर किडरगार्टनवालों से आप पूछें, तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

प्रश्न—हमारे यहाँ इन्द्रिय-विकास (सेम-डेवलपमेंट) का जो तन्त्र है, उससे सेवाग्राम का तन्त्र कुछ भिन्न है। हमें अपने यहाँ का ऋम अधिक शान्तीय मालूम होता है। साधन जितने व्यवस्थित होंगे, उतना ही विकास ठीक होगा। लेकिन ऐसे शास्त्रीय साधनों का विदेशी के नाम पर निषेध किया जाता है।

विनोबा—तो क्या छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए विदेशी साधनों की जरूरत पड़ती है ?

प्रश्न—साधन विदेशी नहीं, लेकिन कल्पना विदेशी है ।

विनोबा—कल्पना भी कभी विदेशी-स्वदेशी होती है ? हमें एक बात का खयाल करना चाहिए कि अगर वातावरण में कुछ साधन सहज ही में उपलब्ध हो, तो शास्त्रीयता के नाम पर दूसरे कृत्रिम साधनों की आवश्यकता महसूस न होनी चाहिए । जिस गाँव में नदी है, वहाँ तैरने की कला द्वारा बालकों का विकास क्यों नहीं सध सकना चाहिए ? क्या इन्द्रिय-विकास के लिए देहातो का स्वाभाविक वातावरण अनुकूल नहीं है ? क्या गोबर चुनना और बेर बटोरना आदि साधन नहीं माने जायेंगे ? क्या इन उद्योगों से ज्ञान नहीं दिया जा सकेगा ?

प्रश्न—उनसे हमारा विरोध नहीं है । पर कुछ साधनों के लिए हमारा आग्रह है । उन पर जोर देने से बालक आगे ससार में ज्यादा अच्छा काम करेगा ।

विनोबा—मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ । साधनहीन किसी गाँव में आपको भेज दें, तो आप काम कर सकेंगी या नहीं ?

एक बहन ने कहा हाँ, कर सकेंगी ।

विनोबा—फिर मुझे कुछ कहना नहीं है । हर प्रकार के ज्ञान का आज ही परिचय करा देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं । जो ज्ञान हम बच्चों को देना चाहते हैं, वह हम चाहते हैं इसलिए नहीं, बल्कि बच्चों को उसकी जरूरत है, इसलिए देते हैं । आँख के लिए बच्चों को प्रकाश की जरूरत है, जीभ के लिए स्वाद की, कान के लिए स्वर की । इस तरह आव-

शक्यताओं के अनुसार आवश्यक ज्ञान दिया जा सकता है।

प्रश्न—लेकिन सूक्ष्म ज्ञान के लिए शास्त्रीय साधनों का प्रयोजन है।

विनोवा—ठीक हैं, लेकिन शास्त्रीय साधनों के नाम पर कृत्रिमता न प्रवेश कर जाय, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हार्मोनियम से स्वर का सूक्ष्म ज्ञान हो सकता है, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। फिर भी हार्मोनियम चल रहा है। जिसे शक्कर के बिना दूध पीने की आदत नहीं है, वह दूध का सच्चा स्वाद कैसे जानेगा? इसलिए स्वाद की दृष्टि से चीजे मूल स्वरूप में ही खानी चाहिए। इस तरह आप सोचेंगे, तो सारा सवाल हल हो जायगा।

इन्द्रिय-विकास तो जानवरों का भी होता है। क्या उन्हें मांटेसरी सिखाने जाती है? शेर का एक विशिष्ट इन्द्रिय-विकास हुआ रहता है। वह और जानवरों में कम होता है। उसकी घ्राणेन्द्रिय अधिक तीव्र होती है। आपको दिखाई पड़ेगा कि परिस्थिति जितनी विषम होती है, इन्द्रियों का विकास उतना ही अधिक होता है। इसलिए इन्द्रिय-विकास की शक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। नैसर्गिक जीवन से वह सहज सघती है। शिक्षण के लिहाज से आवश्यक और बड़ी बात है, इन्द्रियों की अभिवृत्ति परिशुद्ध बनाने की। कृत्रिम जीवन से इन्द्रियाँ परिशुद्ध नहीं होती, विगडती ही हैं। यह विगडने का काम शहर और देहात दोनों जगह चालू है। खाने-पीने में मसालों का प्रयोग दोनों जगह होता है। ऐसी और भी मिसालें दी जा सकती हैं।

प्रश्न—मसाले भी कुदरत ने ही बनाये हैं।

विनोबा—कुदरत ने तो गोबर भी बनाया है, पर कोई गोबर नहीं खाता। उसी तरह कोई बच्चा अपनी इच्छा से मिर्च नहीं खाता, पर मीठा फल वह सहज खा लेता है।

योग्यायोग्यता और इन्द्रिय-शक्ति-विकास अलग चीज नहीं हैं।

नयी तालीम और स्वावलम्बन : ४७ :

(पत्रों में से)

वेडछी से श्री नारायण देसाई लिखते हैं .

“मैं पवनार आया, तब आपसे स्वावलम्बन के सबंध में प्रवाह-पतित बातें हुई थी। स्वावलम्बन, साधन-सशोधन, समवाय तथा नयी तालीम की जीवन-दृष्टि के वारे में हमेशा चिंतन चलता ही रहता है। आप वेडछी आये थे, तब भी कुछ बातें हुई थी।”

बापू का विचार तो ऐसा जान पड़ता है कि रुपये-आने-पाई में शिक्षा का चालू खर्च विद्यार्थियों के उपार्जन से निकल जाना चाहिए। आज की अर्थनीति शरीरश्रम का मूल्यांकन बहुत कम करती है और आवश्यकता की अपेक्षा विलास-सामग्री में अधिक पैसे देती है। फिर भी आज की स्थिति को लेकर ही अपने उद्योग से ही अगर हम शिक्षा का खर्च निकाल सकेंगे, तभी हम टिक सकेंगे, वरना नहीं, ऐसा स्पष्ट दीखता है।

कई किस्म के हिसाब करने के बाद ऐसा जान पड़ता है कि

प्रति ३० विद्यार्थी पर १ शिक्षक हो। उसे सामान्य शिक्षक के जितना वेतन मिले। प्रत्येक विद्यार्थी ३ घंटे काम करता हो। आप लोगो ने 'जाकिर हुसेन समिति' में ३ घंटे २० मिनट माने हैं। छोटे बच्चों के लिए यह अधिक होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। इसलिए बड़ों का कुछ ज्यादा समय और छोटों का कम समय कर औसत ३ घण्टे माने हैं। और आम स्कूलों में औसत जितने दिन हाजिरी रहती है, उतनी हाजिरी माने (साल में काम के दिन २४० और औसत हाजिरी ७५%, इस हिसाब से प्रत्यक्ष काम के केवल १८० दिन हुए), तो वस्त्र-विद्या से पूर्ण स्वावलंबन करने में निम्न कठिनाइयाँ आती हैं

(१) पूनी बनाने में बहुत समय लग जाता है। तुनाई से पूनी करनी हो, तो काफी समय लगता है।

(२) दुवटा करने में काफी समय लगता है। कताई के साथ-साथ दुवटा करने की त्रिया अभी काफी अटपटी है और छोटे बच्चे उमे सभाल नहीं सकते, इसलिए कातने के बाद सूत को अलग दुवटा करना पडता है।

(३) खादी विकने का प्रश्न। इस प्रश्न पर 'जाकिर हुसेन समिति' ने सोचा है। सरकार ही उसे खरीदे, ऐसा आपका मत है। हम लोगो की खादी कोई बुरी नहीं होती। खासी अच्छी बनती है, लेकिन गुरु के बननेवाले दुवटा और छाटे अरज का ही कपडा बन सकते हैं, इसलिए किस्म-किस्म की खादी नहीं बन सकती। एक ही प्रकार की बनती है। इसलिए उसे सरकार क सिवा दूसर को बचना आसान नहीं है।

हम लोग तो बच्चो को खादी दे देते हैं, अतः हमारे लिए पहले दो प्रश्न ज्यादा महत्त्व के हैं

(१) धुनकी दाखिल करे ?

(२) अनेक रीलो के दुवटने का यत्र दाखिल करे ?

रुपये-आने-पाई मे खेती बगैरह दूसरे कामो से मजदूरी काफी मिल जाती है, लेकिन वैसे काम देहातो में पूरे समय के लिए सब बच्चो को मिल नही सकते।

पत्र का उत्तर

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे प्रश्नो का पहले उत्तर देता हूँ।

अनेक रीलो के दुवटने के साधन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन धनुष-तुनाई छोडकर ताँत दाखिल नही करनी चाहिए।

पैसे के हिसाब मे नही पडना चाहिए। पैसा किस तरह वदमाशी करता है, उसकी एक मिसाल इस महीने की 'सर्वोदय-दृष्टि' मे दी है।

नयी तालीम की शाला कताई से शिक्षक और विद्यार्थियो के कपडे की अपेक्षा रखेगी। अन्न के लिए भूमि का आधार रहेगा। पानी कुएँ से मिलेगा। कुएँ से कपडा, कताई से रोटी और खेती से पानी प्राप्त करने की आशा नही रखनी चाहिए। मने तो नयी तालीम के शिक्षक को सर्वतत्र-स्वतत्र बना दिया है। वने-

'सितम्बर '५० के 'सर्वोदय' में प्रकाशित 'सर्वोदय की दृष्टि' स्तम्भ में 'पैसे को करामात', पृष्ठ १११।

वनाये किसी पाठ्यक्रम का वधन उसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं।

साल मे काम के दिन भगवान् ने मेरे लिए तीन सौ पैसठ दिये हैं। जितने दिन खाने के, उतने दिन काम के—यह भी गलत सूत्र होगा, क्योंकि खाना हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कर्मयोग छोड़ने का शरीरधारी के लिए प्रसंग ही नहीं है। कर्म करते-करते १०० साल जीना हैं। कर्म में से व्यायाम, कर्म में से ज्ञान, कर्म में से आनंद, कर्म ही यह सब, कर्म ही खेल। यह है ममवाय।

स्कूल तो दिन में, रात में, उप काल में और सायंकाल में, हर समय चलेगा। तब स्वावलंबनयुक्त शिक्षण-प्रक्रिया कैसी होती है, इमका अनुभव आयगा। मेरे पास विद्यार्थी इसी तरह सीखे। मेरा निज का शिक्षण भी पिछले ३४ साल से इसी तरह चल रहा है। एक भी दिन कर्म-शून्य नहीं जाता और हर रोज ज्ञान की नयी-नयी शाखाएँ खुलती ही जाती हैं।

नयी तालीम के फुफफुस

: ४८ :

(एक पत्र में)

शिक्षक विद्यार्थी-परायण, विद्यार्थी शिक्षक-परायण, दोनों ज्ञान-परायण और ज्ञान सेवा-परायण, हमारी पाठशाला की यही योजना होगी। हम नये समाज के निर्माण की शिक्षा दें। प्रचलित शिक्षा देने के लिए अन्य अनेक पाठशालाएँ समर्थ हैं।

अपने बाल-बच्चे और तत्सम दूसरे भी, यही हमारा क्षेत्र है। अपने बाल-बच्चे सहित हम स्वावलम्बी होते ही हैं। मुझे कभी भी स्वावलम्बन की पहली प्रतीत नहीं हुई। तुल्य वेतन तो सर्वोदय-समाज की नींव ही है।

पुरुषार्थ-हीनता का दोष पाश्चात्य देशों की शिक्षा में नहीं है। पर उतने से ही नयी तालीम नहीं हो जाती। लुटेरे भी पुरुषार्थी होते ही हैं। अगर साम्ययोग और स्वावलम्बन, ये दो गुण हमारी शिक्षा में न हों, तो हमारी शिक्षा के दोनों फुफ्फुस ही नष्ट हुए समझिये।

पाठशाला की खादी

: ४६ :

जाजूजी की शंका

श्री जाजूजी लिखते हैं कि "तारीख ३०-१-'४९ से तारीख ११-२-'४९ तक सेवाग्राम में छात्रों ने लगातार दिनभर कताई-बुनाई का काम किया। उसका परिणाम इस तरह प्रकट हुआ है २४१० घंटों के काम में ८० वर्गगज कपड़ा तैयार हुआ। उसका मूल्य १४१।।।-। हुआ। उसमें से कच्चे माल की लागत ४३।।।-। बाद किये जायें, तो श्रम की आय ९७।।।-। हुई है अर्थात् एक घंटे की आमदनी ८ पाई पड़ी। काम घटिया हुआ, उसकी कटौती बाद की जाय, तो भी एक घंटे की आमदनी कम-से-कम छह पाई गिन लेनी चाहिए। अगर किसी विद्यालय के एक सौ बालक रोज दो घंटे कताई-बुनाई का काम करें, तो एक

दिन की आमदनी मवा छह रुपये होगी। महीने में काम के दिन २४ ग्वे जायँ, तो माहवार आमदनी १५०) हो सकती है। इससे ऊपर के तीन दर्जों के तीन शिक्षकों के वेतन का न्वर्च निकल सकता है।

ऊपर के हिमाव में कनाई-वृनाई की दर चरखा-मव द्वारा नियत की हुई रखी गयी है। खादी की दृष्टि से यह ठीक भी है। पर मामूली कपडे की बाजार की कीमत से उसका मेल नहीं बैठेगा। ऊपर के हिमाव में ८० वर्गगज खादी का मूल्य १४१।।।)। रखा गया है। पर उनमें ही मिल के कपडे का मूल्य करीब ८०-५० रुपये ही होगा। कच्चे माल की लागत ४२।।।) वाद कर दी जाय तो आमदनी नाममात्र की रह जाती है या घटा भी रहना नभव है। तो सोचने की बात हो जाती है कि मौजूदा आर्थिक व्यवस्था में जहाँ अध्यापकों का वेतन नगदी में देना पटना है, क्या खादी की विशिष्ट दरों के भरने किया हुआ हिमाव ठीक होगा? अगर इस खादी का उपयोग छात्रों और अध्यापकों के कपडे के लिए कर लिया जाता है, तो उसमें शाला के चालू खर्च में मदद कैसे मिलेगी?

जमी वृत्तियादी शिक्षा की शालाएँ बहुत कम हैं। उनमें वनों हुई खादी विक्रि जाना बाज तो मुश्किल नहीं है। पर यह वृत्तियादी शिक्षा व्यापक करनी है और लाखों शालाओं में चलनेवाली है तो फिर उननी मत्र खादी कैसे विक्रि मकेगी? आज की आर्थिक व्यवस्था ग्रामोद्योगों के जनकूल हो जाय, तो कठिनाई नहीं रहती। पर यदि ऐसा हो तो?

वृत्तियादी शालाओं में तैयार की गयी खादी यदि नगकारी

शिक्षा-विभाग ने खरीदी, तो कपडे पर होनेवाला सरकार का खर्च बढ जायगा। सरकार यदि उस खादी को बाजार में बेचेगी, तो वह बाजार के भाव से बिकेगी और उसमे सरकार को नुकसान होगा। एक तरफ स्कूलो के खाते मे आमदनी दिखाई जायगी और दूसरी तरफ सरकारी खाते मे उतना ज्यादा खर्च दिखाया जायगा।

इसलिए मुझे लगता है कि शाला मे कताई-बुनाई मूल दस्तकारी होने की दशा मे हम उसकी आमदनी रुपयो मे न गिनकर कितने हाथ सूत और कितनी खादी तैयार हुई, यह बताकर सन्तोष मान ले, तो अच्छा होगा।”

पुरुषार्थ से परिस्थिति बदलती है

श्री जाजूजी का यह लेख लम्बा है, पर उसकी मुख्य बातें यहाँ दे दी गयी हैं। विचारो की सफाई के खयाल से उन्होंने यह लिखा है और उसी दृष्टि से उसे ग्रहण करना चाहिए। लेकिन उसमे कोई नयी बात मुझे नहीं मिली। कताई-बुनाई से शाला का खर्च चलाने की बात खादी की विशिष्ट दरों पर आधार रखती है और इसलिए वह काल्पनिक हो जाती है, इस तरह का आक्षेप आज से वारह साल पहले, जब नयी तालीम की योजना बन रही थी, प्रो० के० टी० शाह ने उपस्थित किया था। उस आक्षेप का उत्तर भी दिया गया था। यहाँ काल्पनिक और वास्तविक में सिर्फ पुरुषार्थ का अंतर है। याने जो चीज आज काल्पनिक जान पडती है, वही पुरुषार्थ से कल वास्तविक सृष्टि में आ सकती है, वैसा कुछ पुरुषार्थ चरखा-सघ ने किया, जिससे

खादी का एक बाजार स्थिर हो गया। वह अभी सीमित है, क्योंकि पुरुषार्थ सीमित है। इस सीमित को असीम में पलटाने का काम नयी तालीम के जरिये होने का है।

चेतना का विषय

नयी तालीम हमारी फच्चर है और अहिंसा याने स्वराज्य-मत्ता हथौड़ी है। दोनों के योग से चालू अनर्थकारी अव्यवस्था टूट जायगी और समुचित आर्थिक व्यवस्था स्थापित होगी। लाखों स्कूल खादी पैदा करने लगेंगे, तो उम खादी का क्या होगा, इसकी चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तो क्रान्ति भी हुई रहेगी। ऐसी ही क्रान्ति हमें करनी है। इसलिए हमारे लिए यह चिन्ता का नहीं, चेतना का विषय है।

अप्रतिष्ठित रूपसे से भ्रान्ति

हम चरखा-मघ की खादी की दरों में बुनियादी शाला की उत्पत्ति के आँकड़े देते हैं, यह बात किमीसे छिपी नहीं है और इसलिए उमसे कोई गलतफहमी का कारण नहीं है। वैसे उत्पत्ति रूपों में बताना निरर्थक है, इसलिए नहीं कि खादी की दरें अप्रतिष्ठित हैं, लेकिन इसलिए कि रूपया ही अप्रतिष्ठित है। रूपये की अप्रतिष्ठा अब इतनी जाहिर हो चुकी है कि उसका अधिक विवरण देने की जरूरत नहीं। फिर भी भ्रान्त दुनिया के उपयोग के लिए भ्रान्ति का अवलंब किया जाता है। स्वप्न में व्याधि हो, तो स्वप्न में ही उसके लिए उपचार होता है। जाग जाने पर न व्याधि रहती है, न उपचार।

सत्य के दर्शन हों

अगर शाला की पैदावार का उपयोग सरकार अपनी गरज के लिए करेगी, तो शिक्षा-विभाग में कुछ आय दीखेगी और अन्य विभागों में व्यय दीखेगा, ऐसा कहा गया है। मैं कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर शिक्षा-विभाग ने कमाई की है, तो उसके नाम पर वह जरूर दीखनी चाहिए और दूसरे विभाग, जो जनता पर भाररूप हैं, वे भी वैसे स्पष्ट दीख पडने चाहिए। जिसकी जो जिम्मेवारी है, उसको वह उठानी चाहिए। तभी सत्य की रक्षा होगी।

—'भवोदय', अक्टूबर १९४६

धर्म-शिक्षा की व्याख्या

: ५० :

एक प्रश्न

श्री आपटे गुरुजी लिखते हैं "यह प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि छोटे बच्चों के लिए पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जाय ? बहुत-से लोगों को इसकी उपयुक्त कल्पना नहीं है। अवश्य ही इस विषय में सभी एकमत हैं कि सन्तो के वचन कण्ठस्थ कराये जायँ, पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का रूप कैसा हो, इस बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए। वह सूत्ररूप में हो, तो भी चल सकता है।"

धर्म-शिक्षा की सच्ची योजना

निस्संदेह धार्मिक शिक्षा दिलचस्पी का विषय है। पर आज 'धर्म' शब्द का अर्थ बड़ा ही संकुचित और समाज-भंजक बन गया है। यही कारण है कि विचारशील लोगों का सुझाव पाठशालाओं में धर्म-शिक्षा न देने की ओर ही है। मेरी दृष्टि से सच्ची धर्म-शिक्षा साहित्य का विषय ही नहीं है। चरित्र-निष्ठा, ईश्वर-विषयक श्रद्धा और देह से पृथक् आत्मा का भान, यही धर्म का सार है और वह सत्पुरुषों की संगति से ही मिलता है। इसलिए सुशील शिक्षकों की योजना ही मेरी धर्म-शिक्षा की योजना है।

सन्त-वाङ्मय का अर्थ

सन्तों के वचनों का कण्ठस्थ रहना लाभदायक तो है ही, पर उसे मैं धर्म-शिक्षण नहीं कहूँगा। उसे तो विशुद्ध वाङ्मय का शिक्षण ही कहूँगा। उसमें भी चुनाव करते समय व्यापक विवेक आवश्यक होगा। 'प्रार्थनासंबंधी विवेक' मैंने पीछे वता ही दिया है, यहाँ भी वही लागू होगा।

सर्व-धर्म-समभाव

सर्व-धर्म-समभाव की भूमिका का आश्रय ले उन-उन धर्मों के सन्तों के चरित्र या व्रत, उत्सव आदि चित्त-शुद्धि-साधक योजनाओं के बारे में जानकारी करायी जा सकती है। पर इसे भी मैं धर्म-शिक्षण नहीं कहूँगा। इसे इतिहास और समाज का अध्ययन कहा जा सकेगा।

अनुभवपूर्ण शिक्षा

चित्त-शुद्धि की तनिक भी परवाह न कर, कुछ तांत्रिक आचारो और क्रिया-कलापो से सीधे पुण्य हथियाने की कल्पनाएँ, जो मभी धर्मो मे रूढ हैं, वे नष्ट होनी ही चाहिए। प्रत्येक बात अनुभव की कसौटी पर कम लेने की आदत बच्चो मे डालनी चाहिए। अगर यह सध सके, तो मैं समझूँगा कि सारी धर्म-शिक्षा मिल गयी।

—मराठी 'हरिजन', ९ मार्च १९४७

शेष-शक्ति

: ५१ :

ब्राह्म ने सब रचनात्मक कार्यक्रम मे चरखे को सूर्य के समान माना और बाकी के सारे कार्यक्रम को ग्रहमाला की उपमा दी। मैं सोचता था कि उस रूपक में नयी तालीम का स्थान कहाँ है। नयी तालीम को एक ग्रह कहने की कल्पना मुझे मान्य नहीं हुई। सूर्य के साथ जिस कारण ग्रहमाला फिरती रहती है और जिस कारण सूर्य ग्रहमाला के साथ घूमता रहता है, वह कारण जिसे आकर्षण-शक्ति कहते हैं, वही हमारे रूपक मे नयी तालीम हो सकती है। हमारे सब कार्यों के बीच परस्पर सबध बनाये रखने-वाली आकर्षण-शक्ति के समान वह चीज है। इसीको हमने अपनी पौराणिक भाषा में शेषनाग कहा था। शेष का आधार सारी पृथ्वी और सृष्टि के लिए मानते हैं। कहने का भाव यह था कि सृष्टि का आधार बताने के लिए हम शब्द कहाँ से लाये, कारण

शब्द भी मृष्टि के अंतर्गत है। इसलिए कह दिया कि मृष्टि को शेष का आवाग है। अर्थात् 'जो कुछ बचा हुआ है', उसका आवाग मृष्टि को है। शेष का अर्थ ही है, बची हुई चीज और उसके महत्त्व मन्व माने गये हैं, क्योंकि यह शक्ति, जिससे दुनिया के मन्व पदार्थ परम्पर आकर्षित रहते हैं, हजारों दिशाओं में काम करती है। हमारे कामों में नयी तालीम ही शेषनाग है। याने हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे मारे अपने-अपने उद्योग में प्रवीण होने के साथ-साथ अगर नयी तालीम की दृष्टि रखेंगे, तो वे सेवा-कार्य में बहुत कारगर होंगे और वे हर जगह प्रवेश पा सकेंगे।

फच्चर

यह एक ऐसी फच्चर है जिसे हम हर जगह डाल सकते हैं। इसके आवाग पर हमारा काम हर जगह बट सकता है। नयी तालीम के द्वारा हमारे दूसरे कामों का प्रवेश मन्व जगह हो सकता है। जो लोग हमारे दूसरे कार्यक्रमों को कबूल नहीं करते, वे भी नयी तालीम को कबूल कर लेते हैं। ऐना मुलम और मन्वको सहज ग्रहण हो सकने योग्य माधन है यह।

उमय मर्यादा

मैं यह नहीं कहता कि हरएन को शिक्षक होना चाहिए या वह वैना हो सकता है। क्योंकि उसके लिए एक खाम योग्यता की आवश्यकता है। फिर भी उसके पीछे जो दृष्टि है, उसका ज्ञान मन्वको होना जरूरी है। वह दृष्टि इतनी ही कि हमारे जीवन में मन्वचित जो ज्ञान है, उसे छोड़ना नहीं है और उनसे

असम्बन्धित ज्ञान में पडना नहीं है। ये विधायक और निषेधक मर्यादाएँ हमारे लिए हो जाती है। ये दो मर्यादाएँ, क्या छोड़ना नहीं और किसमें पडना नहीं, सध जायँ, तो जो भी उद्योग हम करे, उसीके द्वारा हम अपने जीवन को और काम को परिपूर्ण बना सकते हैं। अन्यथा या तो हम जड बन जाते हैं याने एक जगह स्थावर हो जाते हैं या चारो ओर दौडते रहते हैं। लेकिन हमें न तो दौडना है और न जड ही बनना है। हमें तो निश्चित दिशा में निश्चित प्रवास करना है। यह नयी तालीम से बन सकता है।

पूर्ण समाधान

नयी तालीम द्वारा हमारे हर काम का सबध अन्य सब कामो से और कुल सब कामो का सबध हमारे जीवन से होना चाहिए। तब हमारा जीवन आनदमय होगा, उसमें सामजस्य होगा और समाधान भी। नहीं तो जीवन एकागी होगा, समाधान नहीं रहेगा।

मैं देखता हूँ कि कार्यकर्ता कुछ समय तक तो काम करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें उस काम में असमाधान होने लगता है। फिर वे सेवा के दूसरे क्षेत्र खोजने लगते हैं। एक भाई, जिन्होंने बीस साल चरखे के काम में लगाये, आज गोसेवा का काम हाथ में लेने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि चरखे के काम में अब उन्हें समाधान नहीं मिलता। उन्होंने मेरी सलाह ली। मैंने कहा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि एक काम द्वारा आज तक जो ज्ञान हासिल किया, उसे छोडकर एक नया ज्ञान हासिल करने की इच्छा करने से और जिस काम में आज तक तपस्या

की, उसे छोड़कर दूसरी तपस्या का आरम्भ करने से जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। लेकिन अगर नयी तालीम की दृष्टि कार्यकर्ता को होगी, तो उसके ध्यान में आयेगा कि उसके अपने चालू काम से ही दूसरे काम जोड़े जा सकते हैं और फिर अममाधान का कारण नहीं रहता।

—'सिवक' जनवरी १९४६

चरखे का अभ्यास

: ५२ :

सूत कातने के उद्योग के राष्ट्रीय महत्त्व को स्वीकार करके अनेक लोगो को यह बात पसंद पडी है कि स्कूलो मे चरखा मिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए स्कूलो मे सूत-कताई का अभ्यास कराया जाता है। पर चरखे का अभ्यास विधिवत् होना चाहिए। निश्चित समय पर जैसे-तैसे बैठकर सूत कात लेना ही बम नहीं है। कर्म यदि विधिवत् सम्पन्न किया जाता है, तभी उसका उपयोग होता है, अन्यथा उसका कुछ भी फल हाथ नहीं लगता। कर्म की ऐसी ही विचित्र गति है। स्कूल में चरखे का शिक्षण-दृष्टि से अभ्यास होना चाहिए। उस अभ्यास मे निम्नलिखित मुख्य बातें आवश्यक हैं

(१) घघे का ज्ञान—अर्थात् विनीला निकालना, धुनकना, पोनी बनाना, कातना। इन सब विषयो मे अधिक-से-अधिक गति से उत्तम काम करना आना चाहिए। (इन चारो बातो का समावेश कातने मे करना चाहिए।)

(२) कला का ज्ञान—अधिक-से-अधिक महीन सूत कातना, एक-एक हाथ से सूत कातना, सीधे तकुए पर सूत कातना, सब तत्तु समांतर हो, इस प्रकार से धुनकना, पोनी न बनाकर कातना आदि ।

(३) उपाग का ज्ञान—रेचा, धुनकी, चरखा, तकुआ को ठीक करने के लिए बढईगिरी, लोहारी आदि के जितने ज्ञान की आवश्यकता है, उतना जानना ।

(४) यत्रशास्त्र का ज्ञान—रेचा, धुनकी और चरखे के मुद्दे समझने भर का यत्रशास्त्र का ज्ञान । घर्षण का क्या अर्थ है, उसे कैसे रोका जाय, चक्र और तकुए का क्या सम्बन्ध है, तकुआ क्यों हिलता है आदि ।

(५) चरखे के अर्थशास्त्र का ज्ञान—ग्राम-रचना, सम्पत्ति का विभाजन, बेकारी का प्रश्न, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, कपास की दुनिया में भारत का स्थान, स्वावलम्बन, स्वराज्य आदि अनेक दृष्टि से कातने के उपयोग की खोज ।

(६) कताई के इतिहास का ज्ञान—कताई की कला का उद्गम और विकास कैसे हुआ, हिन्दुस्तान में यह कला किस प्रकार लुप्तप्राय हो गयी आदि ।

(७) धर्म-दृष्टि से ज्ञान—हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई आदि धर्मों की कातने के विषय में वृत्ति, स्वदेशी धर्म, अविरोधमय जीवन, सादगी, गरीबों के लिए आस्था, श्रम की मान्यता, अस्पृश्यता-निवारण, स्त्रियों की मर्यादा आदि ।

ये कुछ मुद्दे हैं । इन सब विषयों का भरपूर ज्ञान होना चाहिए । कताई का एक ओर खेती से और दूसरी ओर बुनाई

में सम्बन्ध है। इसलिए कताई के ज्ञान में खेती (कपास की उत्पत्ति आदि) तथा बुनाई के सामान्य ज्ञान का भी समावेश होना चाहिए।

—'भदुकर ने

देहात और शहरों की तालीम : ५३ :

आजकल शिक्षा के विषय में लोगों में काफी मथन चल रहा है। मोचनेवाले लोग चिन्तन में पड़े हैं, लेकिन बात बिलकुल सरल है। अपनी बहुत सारी जनना देहातों में रहती है, तो आम जनता की तालीम देहाती ढंग से होनी चाहिए, जिससे कि देहात की उत्पत्ति हो। जो लोग शहरों में रहते हैं, उनकी दृष्टि भी ग्रामोन्मुख रहे, उनके और ग्रामों के बीच में अच्छी तरह महयोग हो, इस प्रकार की तालीम शहरवालों को मिलनी चाहिए। अगर यह हो कि शहरवालों की तालीम एक दूसरे ही ढंग से चले और ग्रामों की दूसरे ही ढंग में चले और दोनों में विरोध रहे, तो यह विरोध देश के लिए खतरनाक होगा।

दोनों में समानता

वैसे देखा जाय, तो जिन्दगी का बहुत सारा अंश सबके जीवन में समान होता है, चाहे वह शहर की जिन्दगी हो, चाहे देहात की जिन्दगी हो। पचभूतों का जो परिणाम गाँववालों पर होता है, वही शहरवालों पर होता है। उसमें कोई फर्क नहीं होता। स्वच्छ हवा की जरूरत शहरवालों को और गाँव-

वालो को, दोनो को समान रूप से है और होनी चाहिए। सृष्टि के साथ सम्पर्क दोनो के लिए लाभदायी है। यद्यपि शहरवालो के लिए यह बात जरा कठिन है, तो भी यह इन्तजाम शहरवालो के लिए होना चाहिए। आरोग्य-शास्त्र की आवश्यकता दोनो के लिए समान है। यह ठीक है कि शहरवालो के वास्ते आरोग्य की दृष्टि से एक दूसरा इन्तजाम करना पडेगा, गाँववालो के वास्ते एक दूसरा इन्तजाम करना होगा, लेकिन आरोग्य की जरूरत दोनो के लिए समान ही होगी। परस्पर सहयोग, प्रेम, त्याग-भावना इत्यादि जो धर्म-विचार हैं, वे दोनो के लिए समान लागू हैं। इतना फर्क होगा कि गाँवो मे जीवन की बुनियादी चीजे बनेंगी, इस वास्ते ग्रामीण लडके की तालीम अत्यन्त सहज भाव से होगी और शहरो मे बुनियादी चीजे नही बनेगी, गौण चीजे बनेंगी, इस वास्ते वहाँ की तालीम मे उन चीजो पर आधार रखना पडेगा, तो उस तालीम मे कुछ गौणता आ जायगी। यह जो गौणता शहर के शिक्षण मे आयेगी, तो वहाँ के जीवन में ही होने के कारण उसको टाल नही सकेंगे, तब तक, जब तक कि शहरो को भी हम ग्रामो के समान रूप नही दे सकते।

शहर की तालीम मे थोडी गौणता रह जायगी, यह हम कबूल करते हैं। परन्तु उस गौणता की पूर्ति हो सकेगी, अगर दो बातें उसमे हो। एक तो उनका मुख गाँवो की तरफ हो और दूसरी, परदेश की जानकारी वे काफी रखें। शहरो से यह अपेक्षा जरूर की जायगी कि वहाँ के लोग विदेशी भाषाओ से कुछ परिचय रखते होंगे, इस वास्ते उन भाषाओ में जो नयी-नयी चीजे आयगी, वे नयी चीजें अपने साहित्य मे लायेंगे, यह आशा उनसे जरूर

की जायगी और उनकी दृष्टि अगर ग्रामोन्मुख रही, तो ग्रामीणों की सेवा करना वे अपना धर्म समझेंगे। मने मूत्र ही बनाया था कि ग्रामीण होंगे मृष्टिपूजक या परमेस्वर-सेवक और शहर के लोग होंगे ग्राम-सेवक। अगर यह दृष्टि रही, तो दोनों स्थानों का इस तरह से विकास किया जा सकता है कि एक-दूसरे की पूर्ति में एक-दूसरे मदद दें।

हर गाँव में विद्यापीठ

मेरी कल्पना है कि हर गाँव में सम्पूर्ण तालीम होनी चाहिए। जिसे हम युनिवर्सिटी कहते हैं, विद्यापीठ कहते हैं, वह हर गाँव में होना चाहिए। क्योंकि हर एक ग्राम चाहे कितना भी छोटा हो, मारी दुनिया का प्रतिनिधि है और कुल दुनिया थोड़े में वहाँ पर मौजूद है। इस वास्ते पूरी तालीम वहाँ मिलनी चाहिए। मनुष्य को, प्रत्येक गाँव का सृष्टि के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, इस वास्ते, सृष्टि-विज्ञान सब तरह से वहाँ शामिल हो सकता है। असह्य प्राणी, पक्षी, पशु इत्यादि के साथ सम्पर्क रहता है, इस वास्ते मानव के लिए जो पूरक ज्ञान चाहिए प्राणिशास्त्र का, वह यहाँ मिल सकता है। वहाँ पर खेती होगी, वहाँ पर कपड़ा बनेगा, वहाँ पर वास्ते बनेंगे, वहाँ पर ग्रामोद्योग होंगे। इस वास्ते उन सब चीजों के जरिये और उन चीजों के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। वह मारा ज्ञान ग्राम में प्राप्त होना चाहिए और हो सकता है। ग्राम में मानव-समाज चला आया है प्राचीनकाल से, इस वास्ते वहाँ इतिहास भी मौजूद है और समाज-ज्ञान भी मौजूद है। ग्राम में एक-दूसरे से अधिक निकट सम्पर्क आता है। शहर में जिनना

आता है, उससे ज्यादा। इस वास्ते वहाँ नीतिशास्त्र और धर्म-शास्त्र बहुत विकसित हो सकता है। आत्मा की व्यापकता, एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की वृत्ति, सत्य-निष्ठा इत्यादि जो नीति-धर्म हैं, वे ग्राम में अच्छी तरह से प्रकट हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि आकाश में दीखते हैं, शायद शहरो में उनका प्रकाश अच्छी तरह पहुँचता न होगा। इसलिए गाँवों में काव्य-साहित्य का जितना विकास हो सकता है, शायद उतना शहरो में होना मुश्किल है।

सज्जन ग्रामनिष्ठा बढ़ायें

हम व्यास और वाल्मीकि ऋषि की आजकल के शहरो में कल्पना ही नहीं कर सकते, उनकी कल्पना तो ग्रामों या ग्रामों के नजदीक ही कर सकते हैं। शूर पुरुष, त्यागी पुरुष, जगलो के जानवरों से लड़नेवाले जो होते हैं, वे तो ग्रामों में हो सकते हैं, इस वास्ते पराक्रमी पुरुषों की सेवा ग्राम से ही मिल सकती है। राष्ट्रों की सेना ग्रामों से ही मिलती आयी है। सवाल इतना ही है कि इतना सारा होता है, तो ग्राम में तालीम देने के लिए जो एक सरजाम चाहिए, उतना सारा सरजाम क्या हम गाँव में नहीं कर सकते? इसका उत्तर है, ग्रामों की चीजों में से कुछ सरजाम हम गाँव में बना ही सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा सरजाम की जरूरत नहीं रहेगी, निरीक्षण और प्रयोग की अधिक जरूरत रहेगी। इसलिए कभी-कभी ग्राम के लड़कों को शहर की युनिवर्सिटी में जाकर भी कुछ थोड़ा देखने का मौका लेना पड़ेगा, वैसे ही शहरवालों को भी ग्रामों में जाकर यहाँ की कुछ चीजें सीखने

का मौका आयगा। लेकिन इस सबके लिए मेरी निगाह में जो बहुत जरूरी चीज है, वह यह है कि सज्जन और विद्वान जन गाँवों में रहना पसंद करें। सत्पुरुषों ने ग्राम-निष्ठा बढ़ायी, तो जो काम होगा, वह और किसी दूसरी रीति से नहीं होगा और युनिवर्सिटी के लिए जरूरी चीज तो यही है कि गाँव-गाँव में कोई सज्जन विचार का अनुशीलन करनेवाले मौजूद हों। इस तरह से एक-एक सज्जन एक-एक गाँव में आकर रहने लगे, तो उस गाँव के लिए तालीम का इन्तजाम करना किसी तरह से कठिन नहीं होगा।

संन्यासी—चलता-फिरता विद्यालय

इसके अलावा भिन्न-भिन्न प्रकार का ज्ञान, जो गाँव का कोई व्यक्ति या गाँव का सज्जन भी प्राप्त नहीं कर सकता, वह गाँवों को मिले, ऐसी भी एक योजना हमारे पूर्वजों ने की थी, वह हमको जारी करनी होगी। यह है परिव्राजक संन्यासी की योजना। संन्यासी गाँव-गाँव घूमता भी रहेगा और २-४ महीने किसी एक स्थान में रहेगा, तो उसका पूरा लाभ गाँवों को मिलेगा। वह सारी दुनिया का और आत्मा का ज्ञान सबको देता ही रहेगा। संन्यासी माने 'वाकिंग युनिवर्सिटी', चलता-फिरता विद्यालय, जो कि हर गाँव में खुद हो करके जायगा। वह विद्यार्थियों के पास खुद पहुँचेगा और मुफ्त में सबको तालीम देगा। गाँववाले इनके लिए सात्त्विक, स्वच्छ, निर्मल आहार देगे, इसके अलावा उनको कुछ जरूरत नहीं और उनसे जितना भी ज्ञान मिल सकता है, गाँववाले पा लेंगे। ज्ञान प्राप्त करने

के लिए एक भी कौड़ी या पैसा खर्च करना पड़े, उससे अधिक दुःखदायक घटना कोई नहीं हो सकती। जिसके पास ज्ञान होता है, उसको इम बात की अत्यन्त प्यास होती है कि दूसरो के पास वह ज्ञान पहुँचे। उसको भूख होती है कि उसका ज्ञान दूसरो के पास कैसे जाय ? जैसे बच्चे को माता के स्तनपान की जितनी इच्छा होती है, उतनी ही इच्छा माता को बच्चे को स्तनपान कराने की होती है, क्योंकि उसके स्तनो में दूध भगवान् ने भर दिया है। कल अगर यह हो जाय कि माताएँ लडको से फीस लिये वगैर उनको दूध नहीं देंगी, तो दुनिया की क्या हालत होगी ?

वानप्रस्थ शिक्षक

अँचे ज्ञान के लिए शहर की युनिवर्सिटी में जाना पडेगा और वहाँ सौ-सौ, दो-दो सौ रुपये खर्च किये वगैर कुछ हो ही नहीं सकता। समझने की जरूरत है कि इस तरह से पैसा खर्च करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान ही नहीं होता। पैसे से खरीदा ज्ञान अज्ञान ही होता है। प्रेम देकर और सेवा देकर ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पैसा खर्च करके ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। इस वास्ते जो ज्ञानी पुरुष गाँव-गाँव घूमते हो और वे जिस गाँव में जायँ, उस गाँव के लोग प्रेम से उनको २-४ दिन ठहरा लें, उनकी खुद भक्ति करे और उनके पास जो ज्ञान भरा है, उसे हासिल करे। यही योजना हो सकती है। जैसे नदी खुद होकर लोगो की सेवा के वास्ते गाँव-गाँव दौडी जाती है, जैसे खुद होकर जगलो में खा-पीकर अपने-अपने थनो में दूध भरी हुई

गायें बच्चों को पिलाने के लिए दौड़ी चली आती है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी गाँव-गाँव में ज्ञान लेकर दौड़ेंगे। तो यह परिव्राजक की मस्या फिर मे खड़ी होनी चाहिए। इस तरह हर गाँव में युनिवर्सिटी बन सकती है और दुनिया का ज्ञान हर गाँव में पहुँच सकता है। वानप्रस्थ-आश्रम की मस्या फिर से मजबूत करनी चाहिए, जिनसे हर गाँव में स्थिर शिक्षक मिलें, जिन पर कोई ज्यादा खर्च करना न पड़े। हर एक गृहस्थ का घर है स्कूल और उसका खेत है प्रयोगशाला। हर एक वानप्रस्थ है शिक्षक और हर एक परिव्राजक मन्यामी 'युनिवर्सिटी'। विद्यार्थी है आज के बच्चे, जो सीखना चाहते हैं। गाँव-गाँव में ऐसे लोग हैं, जो १-२ घंटा सीखेंगे और बाकी का समय दिनभर काम करते रहेंगे। इस तरह के चार आश्रमों की जो हमारी योजना है, वह पूरी योजना बचपन से लेकर मरण तक की तालीम की योजना है, ऐसा हम समझते हैं।

सर्वोदय की दृष्टि

सर्वोदय में यह दृष्टि है कि सारा गाँव अपने पूरे जीवन की समस्याएँ अपने बल में हल करे। इस वास्ते गाँव की कुल दौलत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि गाँव की बननी चाहिए, तो गाँव के सब बच्चों के लिए समान तालीम की योजना बन सकती है। हर एक को समान रूप में पौष्टिक और सात्त्विक खुराक अगर हम नहीं दे सकते, तो समान रूप में हम तालीम क्या दे सकेंगे? सुदामा गरीब ब्राह्मण का लडका था और श्रीकृष्ण राजा का लडका। दोनों गुरु के घर गये थे। दोनों को समान खुराक

मिलती थी, दोनों को समान ही परिश्रम का काम मिलता था और दोनों को समान ही विद्या दी गयी थी। अगर किसी गाँव में हमारा विद्यालय खुल जाय, जहाँ एक लडका है गरीब का, जो फटे कपडे से आता है और दूसरा अच्छे कपडे से आता है, एक लडका है, जिसे सुवह खाने को नहीं मिलता और दूसरा लडका, जो कि बैठे-बैठे खाता है और आलसी बन गया है, तो हमारा स्कूल चलेगा कैसे ? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ठीक ढग से सबकी तालीम हो, तो उसके वास्ते यही इलाज है कि गाँव का जीवन एक परिवार के समान हो और गाँव की कुल दौलत, कुल बुद्धि, कुल शक्ति सबके काम में आनी चाहिए।

जिसको हम नयी तालीम कहते हैं, वह उस अहिंसा में छिपी हुई है, जिसका प्रकाश भूदान और ग्रामोद्योग के जरिये फैलेगा। परमेश्वर करे कि ऐसे प्रेम, ज्ञान और वात्सल्यता से भरे गुरु अपने हिंदुस्तान के हर एक गाँव को हासिल हो।

असुरेश्वर (जडीसा)

६ मार्च १९५५

नयी तालीम से नया समाज : ५४ :

मैंने देखा है कि नयी तालीम से जो अपेक्षाएँ की जाती हैं, वे पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थियों में भी कुछ असंतोष-सा है। आवडी में कांग्रेस ने नयी तालीम के बारे में प्रस्ताव किया। पंडित नेहरू ने खुद वह प्रस्ताव रखा। १० साल के बाद नयी तालीम ही सरकारी

तालीम होगी, ऐसा उसमें कहा गया है। इसलिए आज नयी तालीम के जो स्कूल चलते हैं, वे नमूने के होने चाहिए। तो फिर उनसे जो अपेक्षा की जाती है, वह पूर्ण होगी और हिन्दुस्तानभर में उनका अनुकरण होगा। नहीं तो कहेंगे कुछ और चलेगा कुछ। आज तो जिनको 'वेसिक वायस्ट स्कूल' कहते हैं, वे इस तरह से चलते हैं कि उनको नर्सिहावतार ही कहना होगा—न पूरा मानव, न पूरा पशु। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम लोग कुछ नमूने के विद्यालय चलायें। लेकिन इसके मानी क्या है, इस बारे में चिन्त में सफाई होनी चाहिए।

दूषित कल्पनाएँ

बहुत-से लोग समझते हैं कि लड़को को थोड़ा-सा उद्योग दिया, कुछ चरखा काता, तो नयी तालीम हो गयी। कुछ लोग समझते हैं कि ज्ञान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो नयी तालीम हो गयी और कुछ लोग समझते हैं कि ज्ञान का काम के साथ जोड़ बँटा दिया, तो नयी तालीम हो गयी। फिर वह जोड़ सहज रूप से बँठता है या नहीं, इस तरफ ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। ये तीनों कल्पनाएँ दूषित हैं।

उद्योग में प्रवीणता

नयी तालीम के विद्यार्थियों को कुछ थोड़ा-सा उद्योग देने से काम नहीं चलेगा। नयी तालीम के लड़के तो उद्योग में इतने प्रवीण होंगे कि जैसे मछली पानी में तैरती है, उसी तरह वे काम करेंगे। हमारे लड़को में यह हिम्मत अभी चाहिए कि चार

घटा उद्योग करके अपने पेट के लिए कमा लेंगे। नमूने के तौर पर थोड़ा-सा कातना-बुनना जान लिया, उतने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि हमें उद्योग में प्रवीण होने की क्या जरूरत है, हम तो स्कूल में पढानेवाले हैं। माँ छोटे बच्चे को यह सिखाती है कि खाना कैसे खाया जाता है। जब वे सीख जाते हैं, तो यह नहीं कहा जाता कि अब वे खाने की कला सीख गये, तो फिर उनको खाने की क्या जरूरत है। परन्तु खाने का ज्ञान हुआ, इतने से काम पूरा नहीं होता। मनुष्य को हर रोज खाना मिलना चाहिए। जैसे मनुष्य के लिए खाना नित्य की चीज है, उसी तरह नयी तालीम के शिक्षको को और लडको को नित्य चार घटा शरीर-परिश्रम करना चाहिए। उनको उद्योग में इतना प्रवीण होना चाहिए कि गाँव के बढई, किसान आदि उनके पास सीखने आयेगे। औजारों में सुधार करने की कला भी उनको हासिल होनी चाहिए। उनको खेती का आचार्य बनना चाहिए। आज ग्रामोद्योग टूट गये हैं, इसलिए नयी तालीम के जरिये ग्रामोद्योगों को फिर से खडा करना है।

पूरा ज्ञान आवश्यक

नयी तालीम में पुस्तकों का महत्त्व नहीं है, इसलिए ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जाती। अक्सर माना जाता है कि इसमें तो जितना सहज ज्ञान मिलेगा, उतना ही सब है। लेकिन यह खयाल गलत है। नयी तालीम में जीवन की सभी बुनियादी चीजों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। लवा-बौडा इतिहास और निकम्मे राजाओं की नामावली याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें तो

विद्यार्थियों के सिर पर नाहक बोझ लदता है। लेकिन जीवन के जो बुनियादी विचार हैं, जिनसे हमारा जीवन विकसित होता है, उनका ज्ञान जरूरी है। तन्वज्ज्ञान, धर्म-विचार, नीति-विचार, इन सबकी जानकारी आवश्यक है। हमारे समाज की और दूसरे समाज की विशेषताएँ क्या हैं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान के मूलभूत विचार लडकोको मालूम होने चाहिए। उन्हें आरोग्यशास्त्र, आहारशास्त्र, स्वच्छता, रसोई-शास्त्र आदि का उत्तम ज्ञान होना चाहिए। इस तरह नयी तालीम में ज्ञान की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाषा का भी उत्तम ज्ञान होना चाहिए। अपने विचार ठीक ढंग से प्रकाशित करने की कला मालूम होनी चाहिए। अक्षरमुन्दर होने चाहिए, माहित्य का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह हमारी तालीम में ज्ञान की कमी नहीं होगी, लेकिन निकम्मा ज्ञान नहीं होगा।

आजकल की युनिवर्सिटियों में विद्यार्थियों के सिर पर नाहक निकम्मे ज्ञान का बोझ डाला जाता है और कहते हैं कि ३३ प्रतिशत नंबर मिले तो पान होगे। इसका मतलब है कि ६७ प्रतिशत भूलने की गुंजाइश रखी गयी है। वास्तविक ज्ञान में तो १०० प्रतिशत याद रहना चाहिए। जो रमोइया ८० प्रतिशत अच्छी गेटी बना सकता है, उसे कौन नौकरी देगा? उमी तरह ज्ञान में कच्चापन न होना चाहिए। ज्ञान या तो है या नहीं है, मोल्ह आना है या नहीं है। क्या यह हो सकता है कि कोई मनुष्य ८० प्रतिशत जिदा है और २० प्रतिशत मरा है? अगर वह जिदा है, तो पूरा जिदा है और मरा है, तो पूरा मरा है। फी-मदीवाली बात ज्ञान में नहीं चलती। ज्ञान तो पूरा और

निश्चित होना चाहिए, सशययुक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे विश्वविद्यालयवालों ने ६७ प्रतिशत भूलने की गुजाइश रखी है, क्योंकि वे भी जानते हैं कि निकम्मा ज्ञान सिखाया जाता है। नयी तालीम में इस तरह भूलने की गुजाइश नहीं होगी। जितना भी सिखाया जायगा, उतना सब याद रखने लायक होगा और विद्यार्थी सब याद रखेगा, क्योंकि वह ज्ञान जीवन में काम आयेगा। वास्तव में जो विद्या होती है, उसे मनुष्य भूलता नहीं और जिसे भूलता है, वह विद्या नहीं है। इस तरह नयी तालीम में हम ऐसी विद्या सिखायेंगे, जो भूली नहीं जायगी। नयी तालीम पाकर तो महाज्ञानी लोग निकलने चाहिए।

ज्ञान और कर्म का समवाय

अब ज्ञान और काम का जोड़ बैठाने की बात लीजिये। हमने तो 'समवाय' गव्द बनाया है। जैसे मिट्टी और घड़ा, ये दोनों एक-दूसरे से इतने ओतप्रोत हैं कि उनका अलगाव ही नहीं बताया जा सकता और न अद्वैत ही। इस तरह जहाँ पर द्वैत और अद्वैत का निर्णय नहीं होता, उस सबध को 'समवाय' कहते हैं। जिस शिक्षा-पद्धति में ज्ञान और उद्योग का समवाय होगा और हम बता नहीं सकेंगे कि इस समय ज्ञान चल रहा है या उद्योग, वही हमारी पद्धति होगी। ज्ञान और कर्म में फर्क नहीं किया जायगा। ज्ञान की प्रक्रिया चलती है, तो कर्म की भी प्रक्रिया चलेगी और कर्म की प्रक्रिया चलती है, तो ज्ञान की भी प्रक्रिया चलेगी। कर्म और ज्ञान एक-दूसरे से इतने ओतप्रोत होंगे कि किसी भी तरह का जोड़ बैठाने का काम नहीं किया जायगा।

बाहर से ज्ञान लेने की बात नहीं रहेगी। उद्योग के जगिये ही ज्ञान का विकास किया जायगा और ज्ञान के जरिये ही उद्योग का। यही हमारी पद्धति है। ज्ञान और कर्म की मिलाई करके जो पद्धति बनायी जायगी, वह हमारी नहीं होगी। हमारी पद्धति में तो ज्ञान और कर्म एक-दूसरे में जोतप्रोत रहेंगे।

नयी ममाज-रचना ही लक्ष्य

नयी तालीम के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं, उस बारे में मैंने अभी कहा। अब एक महत्त्व की बात कहूँगा। नयी तालीम आज की ममाज-रचना कायम रखकर नहीं दी जा सकती। आज की ममाज-रचना के साथ नयी तालीम का पूरा विरोध है। अगर कोई कहे कि नयी तालीम तो तालीम का एक प्रकार है। उद्योग के जरिये तालीम देने की एक पद्धति है, तो ऐसा कहना गलत है। नयी तालीम तो नये ममाज का ही निर्माण करेगी। आज की ममाज-रचना में ही नयी तालीम को वैठाया जाय और शिक्षकों की तनख्वाह में कम-बेशी रहे, डिग्री के अनुसार तनख्वाह दी जाय, यह सब उममें नहीं चलेगा। अगर नयी तालीम में ही शिक्षकों की तनख्वाह में फर्क रहा, तो 'स्टेट' में कैसे बदल होगा? आज तो 'स्टेट' का जो मारा यत्र बना है, उममें योग्यता के अनुसार तनख्वाह दी जाती है, दर्जे बने हुए हैं। नयी तालीम इसे न्यतम करेगी। अगर नयी तालीम का उमके साथ विरोध नहीं आता और नयी तालीम उमको तोड़ती नहीं, तो वह नयी तालीम ही नहीं है। नयी तालीम में शरीर-परिश्रम और मानसिक-परिश्रम की नैतिक और आर्थिक योग्यता ममान मानी जायगी।

इसका मतलब है कि आज की कुल आर्थिक-रचना ही हमें बदलनी है और उसे बदलने के वास्ते ही नयी तालीम है ।

राजसुनाखला, पुरी (उड़ीसा)

१७ अप्रैल १९५५

ब्रह्मविद्या और उद्योग

: ५५ :

आज तालीम देनेवाला कुर्सी पर बैठता है, लेनेवाला बेच पर और पुस्तक के जरिये पाठ पढाया जाता है। इस तरह की तालीम पानेवाला कोई भी काम करने के लिए नालायक बन जाता है। आज सारे लडके रसोई करना नहीं जानते। वे समझते हैं कि यह तो हीन काम है, स्त्रियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम खाने का है। इसलिए हम उच्च हैं। हम ऐसी तालीम देना चाहते हैं, जिसमें लडको को रसोई का ज्ञान हासिल होगा। इन दिनों स्कूलों को गर्मी के दिनों में छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि वे गर्मी सहन नहीं कर सकते। इस तरह जो गर्मी और वारिण सहन नहीं कर सकते, वे खेत में कैसे काम करेंगे ?

भगवान् कृष्ण की तालीम

जैसे भगवान् कृष्ण को काम करते-करते तालीम मिली थी, वैसे ही हमारे लडको को मिलनी चाहिए। भगवान् कृष्ण गाय चराते थे, दूध दुहते थे, घर लीपते थे, मेहनत-मजदूरी करते थे, गुरु के घर जाकर लकड़ी चीरने का काम करते थे, अर्जुन

के घोड़ों की सेवा करते थे और उसका मारथ्य भी करते थे। राजमज-यज्ञ के समय उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से काम माँगा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि आपके लिए हमारे पास काम नहीं है, लेकिन भगवान् ने कहा कि मैं बेकार नहीं रहना चाहता। युधिष्ठिर ने कहा कि आप ही अपना काम ढूँढ लीजिये। भगवान् ने कहा कि मैंने अपना काम ढूँढ लिया, जूठी पत्तों उठाने का और गोबर लीपने का काम मैं करूँगा। मैं उस काम के लायक हूँ। मैंने वचन में वह काम किया है और उस काम में मैं एम० ए० हूँ। इस तरह उन्होंने जूठी पत्तों उठाने का काम किया, जिनका वर्णन शुकदेव ने भागवत में और व्यास भगवान् ने महाभारत में किया है और जब माँझ आया, तो कृष्ण भगवान् ने अर्जुन को ब्रह्म-विद्या का उपदेश भी दिया।

आज की तालीम

हमारे देश के लड़के पढ़ने होने चाहिए कि डबेर तो ब्रह्म-विद्या का गायन करें और उबेर झाड़ू लगायें, गोबर लीपने में मेहनत करें। आज की तालीम ऐसी है कि उसमें ब्रह्म-विद्या का पता है, न उद्योग का। ब्रह्म-विद्या न होने का परिणाम यह हो रहा है कि हम सब विषयभोग-परायण बन गये हैं, इन्द्रियों के गुलाम हो गये हैं। जो पड़ा-लिखा होता है, वह आनन्दमग्न हो जाता है। उनके मन में भोग और ऐश्वर्य की लालसा मगन होती रहती है। तालीम में उद्योग न होने के कारण हाथ भी बेकार बन जाने हैं। इस तरह आत्म-ज्ञान के अभाव में बुद्धि बेकार और उद्योग के अभाव में हाथ बेकार। फिर ये शिक्षित लोग हम डैंगलियों ने काम करने के बजाय

हाथ में लेखनी लेकर तीन उँगलियों में काम करते हैं। अगर इस तरह की विद्या सबको हासिल होगी, तो देश क्या सायगा ?

ब्रह्मविद्या और उद्योग

इसलिए आज की तालीम बदलनी होगी और तालीम में ब्रह्म-विद्या और उद्योग, दोनों बातें शामिल करनी होंगी। ब्रह्म-विद्या से आत्मा की पहचान हो जायगी। शरीर, मन और इन्द्रियो पर काबू रहेगा। सारी दुनिया के प्रति प्रेम पैदा होगा, स्व-पर का भेद मिट जायगा, यह छोटा-सा घर मेरा है, यह खेत मेरा है—इस तरह की सब बातें मिट जायगी। जिसको ब्रह्म-विद्या हासिल हुई है, वह 'मेरा-मेरा' नहीं कहेगा। वह कहेगा कि यह घर, यह जमीन, यह सम्पत्ति 'सबकी' है। लेकिन जिनको भ्रम-विद्या मिलती है, वे कहते हैं कि यह सब 'मेरा' है।

हमारी तालीम में हर लड़का दोनों हाथों में काम करेगा और स्वावलम्बी बनेगा। हर लड़का उत्तम रसों का करेगा। सब लड़के खेत में मेहनत करेंगे। आज तो देश में उतना जालन फैला हुआ है कि सारे उद्योग खतम हो रहे हैं। अच्छे उद्योग करनेवाले लोग चाहिए, अच्छे बढ़ई चाहिए, बुनकर चाहिए, इन्जीनियर चाहिए, लोहार चाहिए, चमार चाहिए, सिपाही और सेनापति चाहिए। हमें ऐसे व्यापारी चाहिए, जो व्यापार करके लोगों की रक्षा करेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं। कोई धन्धा ऊँचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा। कोई भी यह नहीं कहेगा कि फलाना काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वह हीन काम है।

नौराजपुर, कोणपुर (उड़ीसा)

५ जुलाई १९५५

नयी तालीम का आदर्श

: ५६ :

विद्यार्थियों के लिए गुरु देवता है और गुरु के लिए शिष्य देवता है। विद्यार्थियों को गुरु से जो ज्ञान मिलेगा, वह सर्वस्व होगा और गुरु-सेवा ही उनके लिए सर्वस्व होगी। शिक्षको के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान देना और उनकी चिंता करना, यही सर्वस्व होगा। गुरु को यह नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं सेवा करता हूँ, तो उसमें मेरा और कोई मतलब सघता है। विद्यार्थियों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि हम गुरु-सेवा करते हैं, तो उसमें हमारा और कोई मतलब सघता है। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों के लिए गुरु-सेवा और शिक्षको के लिए विद्यार्थी-सेवा पर्याप्त ध्येय, एकमात्र ध्येय और अनन्य ध्येय मालूम होना चाहिए और दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए।

सामूहिक जीवन

इसके लिए कुछ बातें बहुत लाभदायक होती हैं। जैसे अगर दोनों मिलकर खेती, कपड़ा बनाना, सफाई आदि जैसा कोई उत्पादन का कार्य करते हो और दोनों का सामूहिक जीवन बनता हो, तो बड़ी लाभदायी वस्तु हो जाती है। उसी तरह दोनों मिलकर अध्ययन-अध्यापन करते हैं, तो वह भी एक स्वतंत्र ध्येय के लिए है। इसके जरिये हम समाज की कोई सेवा कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। अगर इस तरह का अनुभव

अध्यापन मे और उद्योग मे आता हो, तो आज पुस्तको की जो समस्या है, वह नही उटेगी याने दोनो प्रकार के अनुभवो से जहरी पुस्तक वहाँ पर निर्माण होगी।

अनुभवपूर्ण ग्रन्थ

हमारे यहाँ जो उत्तम भाष्य-ग्रथ हुए हैं, वे इसी तरह मे प्रत्यक्ष अध्यापन-कार्य मे से निर्मित हुए हैं। जैसे भगवान् गकरा-चार्य ने ब्रह्मसूत्र पर एक अप्रतिम भाष्य लिखा है, जो साधको मे बहुत प्रसिद्ध है। तत्त्वज्ञान पर इतना गहरा ग्रथ अक्सर देखने को नही मिलता, परन्तु वह ऐसी प्रसन्न और आसान भाषा मे लिखा है कि जैसे कोई सर्वसाधारण जनता के लिए किसी साहित्यिक ने लिखा हो। उमी प्रकार जो तत्त्वज्ञानी दुनिया मे हुए हैं, जैसे ग्रीन, काण्ट आदि, उनके ग्रथ बडे जटिल हैं। लेकिन गकरा-चार्य का ग्रथ इतना आसान है कि मने तो बच्चो को संस्कृत सिखाते समय बडे मजे मे वह पढाया है और बच्चो को भी यही मालूम हुआ कि हम अपनी मातृभाषा मे पढ रहे हैं। इसका कारण यह है कि गकराचार्य ने अपने शिष्यो के लिए ब्रह्मसूत्र का अध्यापन किया था और उस अनुभव पर ग्रथ लिखा गया है। उन्होंने अध्यापन के समय तो एक-एक सूत्र पर विस्तृत विवरण किया होगा और उसीके नोट्स लेकर बाद मे वह ग्रथ सक्षिप्त रूप में लिखा होगा। इसलिए उम भाष्य की शैली ही इम प्रकार की है कि मानो कोई सवाद या चर्चा चल रही हो। वह पुस्तक पढते समय हमे ऐसा नही लगता कि लेखक ने ग्रथ लिखा हो और हम पढ रहे हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि कोई गुरु कह रहा है और हम मुन रहे हैं।

मेरी रचनाएँ

इस तरह अध्ययन-अध्यापन और उद्योग एक सामाजिक सेवा की दृष्टि से चले, तो उसमें से पुस्तकें निर्माण होंगी। मैंने कतार्ड पर एक छोटी-सी किताब प्रत्यक्ष अनुभव से लिखी है। विद्यार्थियों को सिखाते-सिखाते और उद्योग करते-करते वह पुस्तक बनी है। 'गीता प्रवचन' तो साक्षात् जेल में कुछ कैदियों के सामने दिये गये व्याख्यान है। अगर मेरा सेवा का उद्देश्य नहीं होता और इस तरह का स्वाभाविक कार्य नहीं चलता, तो स्वतंत्रभाव से मैं ऐसी पुस्तक न लिखता। हम रोज गाम की प्रार्थना में स्थितप्रज्ञ के लक्षण बोलते हैं। जेल में एक दिन मुझमें कहा गया कि उन पर कुछ व्याख्यान दीजिये, जिससे कि उसका सार समझ में आ जाय, तो कुछ भाइयों के सामने मैं उन ग्लोको का विवरण देता गया और उसीकी वह 'स्थितप्रज्ञ-दर्शन' पुस्तक बनी। जेल में मेरी जो 'म्बराज्य-शास्त्र' पुस्तक लिखी गयी, वह भी इसी तरह लिखी गयी। एक भाई ने कुछ सवाल पूछे और उसके उत्तर मैंने उन्हींको बोल दिये। उसीकी वह किताब बनी।

इस तरह जहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर समाज-सेवा के उद्देश्य से अध्ययन, अध्यापन और उद्योग करते हैं, वहाँ पर उनका अनुभव वही तक सीमित नहीं रहता, उसका लाभ सारी दुनिया को मिलता है। इस तरह से जो ग्रंथ निर्माण होते हैं, उनका संप्रदाय चलता है और उनके अध्ययन-अध्यापन की परंपरा चलती है।

विचार-मन्थन और प्रयोग

नयी तालीम के विद्यालय से हम हमेशा यह आशा करते हैं कि उसमें विचारो का खूब अध्ययन चले और उसका आचरण भी हो। उस चिंतन, मनन या सह-चिंतन और सह-आचरण से, जो गुरु और शिष्य, दोनो मिलकर करते हैं, दुनिया को अनुभवयुक्त ज्ञान मिलता है। जहाँ विचार-मथन और प्रयोग, दोनो एक हो जाते हैं, घुल-मिल जाते हैं, उसे ही 'नयी तालीम' कहते हैं। जहाँ कुछ विचार-मथन चलता है, परन्तु उसे आचरण का आधार नहीं मिलता, वहाँ पर पुरानी तालीम चलती है, जो आज सर्वत्र चल रही है। जहाँ पर प्रत्यक्ष आचरण चलता है, आचरण के प्रयोग चलते हैं, परन्तु विचार-मथन, चर्चा आदि नहीं चलती, वह है कर्मयोग, जो आज असत्य किसान सचाई से कर रहे हैं। इस तरह डधर से ये किसान और उधर से वे तत्त्वज्ञानी, दोनो मिलकर जो चीज बनती है, वह है, नयी तालीम के शिक्षक और विद्यार्थी।

गोपाल कृष्ण

इसकी मिसाल भगवान् गोपाल कृष्ण है। डधर तो वे गाये चराते थे, घोडो की सेवा करते थे, लडाई लडते थे और उधर गीता भी सुनाते थे। जो भी सेवा-कार्य सामने आया, उसे करने के लिए वे राजी थे और उनका हृदय निरंतर तत्त्वज्ञान में भरा रहता था। मैंने भगवान् श्रीकृष्ण की मिसाल इसलिए दी कि उन्होंने तत्त्वज्ञान में अपने पूर्वजो का सिर्फ अनुसरण नहीं किया, बल्कि उसमें वृद्धि की। उनके पहले ज्ञानयोग चलता था, कर्मयोग

चलता था और भक्तियोग चलता था। ध्यानयोग भी चलता था और गुण-विकास की प्रक्रिया भी सास्यो ने अलग में चलायी थी। उन सब चीजों का समन्वय करके भगवान् कृष्ण ने दुनिया के सामने एक नयी चीज उपस्थित की, इसलिए हम श्रीकृष्ण को जगद्गुरु कहते हैं। उन्होंने दुनिया को नयी वस्तु दी है। उन्होंने कर्मयोग किया, तो उसमें भी पहले के किसानों का और उद्योग करनेवालों का न सिर्फ अनुसरण किया, बल्कि उसमें वृद्धि की। उन्होंने लोगों को इद्र की उपासना से हटाकर पर्वत की उपासना सिखायी उन्होंने गायों की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ायी कि हिन्दुस्तान में उनका नाम आज तक गोसेवा के साथ जुड़ा हुआ है और एकनाथ महाराज ने तो बड़े गौरव के साथ लिखा है कि प्रभु रामचन्द्र के अवतार में सब प्रकार से पूर्णता थी, लेकिन एक कमी रह गयी थी, जिसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया। वह कमी यह थी कि रामावतार में गायों की सेवा नहीं हो सकी थी इसलिए उन्होंने कृष्णावतार लिया। उन्होंने समाज के कर्मयोग में गोसेवा के रूप में वृद्धि की।

तत्त्वज्ञान और कर्मयोग

भगवान् कृष्ण ने तत्त्वज्ञान में, सामाजिक क्षेत्र में और उद्योग में वृद्धि की। उन्होंने समाज को एक नया तत्त्वज्ञान दिया और एक नया कर्मयोग दिया। इसका मतलब यह नहीं कि उनके तत्त्वज्ञान को पुराना आधार नहीं था और उन्होंने बिलकुल ही नयी चीज दुनिया को दी। पुराना आधार तो था ही, परन्तु नया मिष्ठान्न दुनिया को दिया। उनके पहले घी था, गुड़ था और

गेहूँ था, परतु उन्होने उसकी नयी मिठाई बनायी। जब लड्डू बनता है, तो घी, गुड और गेहूँ से एक स्वतंत्र वस्तु बनती है। उनके पहले तत्त्वज्ञान के जो मूलभूत विचार थे, उनको जोड़कर उन्होने तत्त्वज्ञान के लड्डू बनाये। उनके पहले गाय की सेवा की कोई कल्पना न थी, ऐसी बात नहीं है। परतु उन्होने गो-पूजा को स्वतंत्र स्थान दिया। उन्होने गाय की सेवा को उपासना का रूप दिया। हिन्दुस्तान के सामाजिक क्षेत्र में उनका यह स्वतंत्र दान है। यहाँ पर मैं कृष्ण-चरित्र कहने नहीं बैठा हूँ। लेकिन मैंने मिसाल ऐसे शस्त्र की दी, जो सारा सामाजिक कार्य आध्यात्मिक दृष्टि से करता था और जिसके जीवन में ज्ञान और कर्म की दोनो धाराएँ एक हो गयी थी।

बुनियादी शिक्षक का आदर्श

बुनियादी शिक्षक को यही आदर्श सामने रखना चाहिए। बुनियादी शिक्षक किसी भी किसान से, बुनकर से या वडई से कम कुशल नहीं होंगे, बल्कि ज्यादा कुशल होंगे। किसान, वडई आदि को जो चीजे नहीं सूझती होंगी, वे इन्हे सूझेंगी। किसान, वडई आदि अपने काम में जो रफ्तार हासिल नहीं कर सकते, वह रफ्तार इन्हें हासिल होगी और औजारों में सुधार करने की जो बात उन्हें नहीं सूझती होगी, वह इन्हे सूझेंगी। किसान को अगर अपनी रोटी हासिल करने में आठ घंटे लगते होंगे, तो बुनियादी शिक्षक कहेगा कि यह काम चार घंटे में हो सकता है। इतनी प्रगति उसको करनी चाहिए। इन दिनों मैंने जहाँ कहीं बुनियादी शिक्षण के केंद्र देखे हैं, वहाँ पर शिक्षक लोग कुछ उद्योग

जानते हैं, परन्तु प्रतीक जैसे जानते हैं। जैसे मछली पानी में तैरती है, खेलती है, वैसे वे शिक्षक उद्योग में तैरते या खेलते नहीं। भगवान् श्रीकृष्ण योद्धा थे, तो खेलनेवाले और तैरनेवाले योद्धा थे, वे मँजे हुए और तज्ञ गोसेवक थे। इस तरह के कर्मयोग के प्रयोग हमारे इन विद्यालयों में चलने चाहिए।

अनुभवजन्य ज्ञान

उसी तरह हमारे विद्यालयों में जो तत्त्वज्ञान की चर्चा चलेगी, वह प्रतिभाशाली होगी और उसमें नित्य-नये विचार सूझते रहेंगे। समाज के तत्त्वज्ञान में कैसे सुधार करना है, इस पर चिंतन चलेगा। आज दुनिया में मान्यवाद की चर्चा है, समाजवाद के भी कई प्रकार दुनिया में चलते हैं, हमारी सरकार कुछ करने जा रही है, जिसे वे लोग समाजवादी-रचना कहते हैं। सर्वोदय भी एक चीज है और अपने प्राचीन स्मृतिकारों की बनायी हुई एक योजना है। ये जो सारी प्राचीन और अर्वाचीन जीवन की पद्धतियाँ हैं, उन सबका अध्ययन यहाँ पर चलना चाहिए।

कुछ लोगों का खयाल है कि दुनियादी तालीम से ज्ञान का माहा कम रहेगा और कर्म का माहा ज्यादा रहेगा। लेकिन वे लोग गलत समझे हुए हैं। वे समझते नहीं कि दूसरे विद्यालयों में जो ज्ञान दिया जाता है, वह खोखला रहेगा और यहाँ का ज्ञान ठोस रहेगा। दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ का ज्ञान अनुभवजन्य होगा और वहाँ का तर्कजन्य। इसलिए उस ज्ञान में सशय होगा और इस ज्ञान में निश्चय। वहाँ पर जो ज्ञानी निर्माण होंगे, उनसे कम ज्ञानी यहाँ पर निर्माण

होगे, यह धारणा गलत है। जहाँ पर ज्ञान और कर्म का भेद ही मिट जाता है, वहाँ नयी तालीम आती है। अपने आश्रम में हम खाने बैठते थे, तो खाने के साथ जो ज्ञान आवश्यक है, उसका चिंतन-मनन चलता था। हम रसोई करते, तो उसका ठीक हिसाब रखते थे। खाने के बाद हम सब अनाज साफ करने के लिए बैठते थे। इधर तो वह कार्य चलता था और उधर चर्चा चलती थी। हमने उसे 'चर्चा-मडल' नाम दिया था। खाने के बाद मनुष्य को थोड़े आराम की जरूरत होती है, इसलिए हम उस काम को आराम ही मानते थे और काम करने की गति की ओर ध्यान न देते हुए आराम से काम करते थे। साथ-साथ दुनियाभर के विषयो पर चर्चा चलती थी, लेकिन उसे पढाई का नाम नहीं दिया जाता था। इस तरह तालीम दी जाती थी, फिर भी तालीम लेने का नाम नहीं था—इतने सहजभाव से तालीम दी जाती थी।

गुरु और शिष्य

जब विश्वामित्र ने दशरथ से राम और लक्ष्मण की माँग की, तो उन्होंने यही कहा कि यज्ञ की रक्षा के लिए लडको को भेजिये। राम और लक्ष्मण उनके साथ गये, तो ऐसी सकाम भावना लेकर नहीं गये कि हमें गुरु से ज्ञान पाना है। ज्ञानार्जन की वासना भी सकाम भावना होती है। इसलिए मैंने आरम्भ में ही कहा था कि विद्यार्थियो के लिए गुरु-सेवा ही सर्वस्व होनी चाहिए, ऐसा नहीं मालूम होना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु-सेवा करनी होगी। राम और लक्ष्मण एक सेवा-कार्य लेकर विश्वामित्र के साथ निकले।

ज्ञान-दान की विधि

गाम का समय हुआ, तो विश्वामित्र ने कहा अब सध्या का समय है, तो सध्या के लिए तैयार हो जाइये। फिर सध्या हुई और कुछ ज्ञान-चर्चा भी हुई। उसके बाद विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण के लिए पत्तो का और घास का विछौना तैयार किया और वे दोनों उस पर सो गये। आप यह चित्र ध्यान में रखिये कि राम और लक्ष्मण राजपुत्र थे, उनकी उम्र सोलह साल से कम थी, इसलिए वे पिता के वात्सल्य-भाजन थे। तो उन्हें किस प्रकार के विछौने पर सोने की आदत रही होगी, यह जरा सोचिये। घास के विछौने पर सोये कि उनका विश्वविद्यालय का कोर्म गुरु हो गया।

दूसरे दिन सुबह हुई, चार ही बजे हंगे, सूरज उगने में काफी देर थी, लेकिन विश्वामित्र ने उनको जगाया। खुली हवा में, आसमान के नीचे, पत्तो के विछौने पर सोये हुए राजपुत्रों को जगाने का काम कितना कठोर है। उन राजपुत्रों को तो उठाने के लिए वन्दी और चारण गीत गाते होंगे और यह कहते होंगे कि अभी सूर्य उदय हो रहा है, भृगु गुजगान कर रहे हैं, इसलिए हे रामजी! उठिये लेकिन यहाँ पर सूर्योदय नहीं हुआ था, सारी दुनिया सोयी हुई थी, ऐसे समय में विश्वामित्र ने मधुर वाणी से उन दोनों को उठाया। उस समय विश्वामित्र के मन में यह भावना ही रही थी कि मैं अपने वच्चों को अमृत पिला रहा हूँ। इम ब्राह्म मुद्रुर्त में, इस अमृत वेला में वे सोये हुए रहेंगे, तो उन्हें अमृत कैसे पिलाऊंगा, यह सोचकर उन्होंने उन्हें जगाया।

बाद में चलते समय उद्ध्वस्त अचल दीख पडा, तो विश्वा-
मित्र ने कहना शुरू किया कि यहाँ पर पहले बडा राष्ट्र था, लेकिन
आज उसकी ऐसी दशा क्यों हुई है — इस तरह इतिहास का पाठ
चला। आखिर उन्होंने उनको धनुर्विद्या भी सिखायी और
यह सब करके उनसे यज्ञ की रक्षा करायी।

राम और लक्ष्मण ने यह नहीं सोचा कि हम किसी विश्व-
विद्यालय में दाखिल हुए हैं और तालीम पा रहे हैं। वे तो सेवा
करने के लिए कर्मयोग के क्षेत्र में उतरे थे। लेकिन सेवा करते-
करते उन्हें उत्तम ज्ञान दिया गया। परन्तु ज्ञान देनेवाले में भी
ऐसी भावना नहीं थी कि हम ज्ञान दे रहे हैं और लेनेवाले में भी
ऐसी भावना नहीं थी कि हम ज्ञान ले रहे हैं। फिर भी उत्तम ज्ञान
दिया गया और लिया गया। यही नयी तालीम का आदर्श है।

मिरगानगुडा, कोरापुट (उडीसा)

१६ जुलाई १९५५

विद्या के तीन अंग

: ५७ :

आजकल विद्यालयों में जो तालीम दी जाती है, उसमें लडकों
को कुछ-न-कुछ जानकारी दी जाती है, परन्तु स्वतन्त्र ज्ञान-प्राप्ति
करनी चाहिए, यह बात नहीं सिखायी जाती।

बहुत-से लोग कहते हैं कि तालीम में स्वावलम्बन का बहुत
महत्त्व है। मेरे मन में इसका बहुत गहरा अर्थ है। तालीम में कुछ
उद्योग, शरीर-श्रम सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा स्वावलम्बी बने,
इतना ही मेरा अर्थ नहीं है। शरीर-श्रम तो करना ही चाहिए,

हर एक को अपने हाथ से काम करने का ज्ञान देना ही चाहिए। अगर सभी लोग हाथों से कुछ-न-कुछ परिश्रम करने लग जायेंगे, तो देश में वर्गभेद नहीं होगा और देश सुखी होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और आरोग्य भी बढ़ेगा। इस तरह उद्योग से बहुत लाभ होगा। इसलिए कम-से-कम उस अर्थ में तो तालीम में स्वावलम्बन का माहा होना ही चाहिए। यह बात सब लोग समझते हैं, परन्तु मेरा अर्थ उतना ही नहीं है।

प्रज्ञा स्वयंभू बने

मे मानता हूँ कि तालीम में ऐमा तरीका अस्तित्पार करना चाहिए, जिसमे कि लडको की प्रज्ञा स्वयंभू बने और वे स्वतन्त्र विचारक बने। अगर विद्या मे यही मुख्य दृष्टि रही, तो विद्या का मारा स्वरूप ही बदल जायगा। आजकल विद्यालयों में अनेक भापाएँ और अनेक विषय सिखाये जाते हैं। हर बात में विद्यार्थी को वर्षों तक शिक्षक के मदद की आवश्यकता महमूस होती है। परन्तु विद्यार्थियों को इस तरह तालीम मिलनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी आगे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर सकें। दुनिया मे अनन्त ज्ञान है। यद्यपि जीवन के लिए उस अनन्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो भी पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन जीवनोपयोगी ज्ञान किसी स्कूल में हासिल हो सकता है, यह विचार गलत है। जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान तो जीवन से ही हासिल होता है। विद्यार्थियों मे वह ज्ञान हासिल करने की शक्ति निर्माण करना ही विद्यालयों का काम है।

विद्या एक मौलिक वस्तु

लडके के माता-पिता उसको स्कूल की विद्या पूरी करने का आग्रह इसलिए करते हैं कि उसे विद्या पाकर नौकरी मिल सकती है और जीवन अच्छी तरह चल सकता है, लेकिन विद्या की तरफ इस दृष्टि से देखना बिलकुल गलत है। विद्या जीवन की एक मौलिक वस्तु है। कहा गया है कि विद्या तो मुक्ति के लिए है। इसी मुक्ति को आजकल हम स्वावलम्बन कहते हैं। अन्य आलम्बनो से, अन्य सारे आधारों से मुक्ति को ही स्वावलम्बन कहा जा सकेगा। जिसको सच्ची विद्या हासिल होती है, वह सच्चे अर्थ में मुक्त और स्वतन्त्र होता है। इसलिए गरीब के वास्ते कुछ तालीम मिलनी चाहिए और उसके लिए कुछ उद्योग सिखाये जाने चाहिए। वह तो स्वावलम्बन का कम-से-कम अंग है। नये ज्ञान की प्राप्ति की शक्ति हासिल होना, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण अंश है।

इन्द्रिय-संयम

मुक्ति के लिए और एक तीसरी बात जरूरी है, जो शिक्षण का एक अंग है। जैसे मुक्ति के लिए पराधीनता उचित नहीं है, वैसे ही मुक्ति के लिए विकारवशता भी उचित नहीं है। जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों का गुलाम है और विकारों को काबू में नहीं रख सकता, वह स्वावलम्बी या मुक्त नहीं है। इसलिए विद्या का यह तीसरा भी अंग है, जिसके वास्ते विद्या में सयम, व्रत, सेवा आदि का समावेश करना पड़ता है।

स्वावलंबन के तीन अर्थ

इस तरह स्वावलम्बन के तीन अर्थ हैं। अपने उदर-निर्वाह के लिए दूसरो पर आधार रखना न पड़े, यह उसका पहला अर्थ है। उसका दूसरा अर्थ यह है कि ज्ञान-प्राप्ति करने की स्वतन्त्र शक्ति निर्माण हो और उसका तीसरा अर्थ यह है कि मनुष्य में अपने आप पर काबू रखने की शक्ति होनी चाहिए, इन्द्रियो को और मन को बश करने की शक्ति होनी चाहिए। शरीर की पराधीनता गलत है। मन की पराधीनता गलत है। शरीर पेट के वास्ते पराधीन बनता है। इसलिए मनुष्य को अपनी आजीविका सम्पादन करने का ज्ञान उद्योग के द्वारा मिलना चाहिए। अगर मनुष्य की बुद्धि चिंतन और विचार करने में स्वतंत्र नहीं है, तो मनुष्य पराधीन बनता है। इसलिए उसे स्वतंत्र चिंतन की शक्ति हासिल होनी चाहिए। मन और इन्द्रियो की गुलामी मिटाने की बात भी विद्या से हासिल होनी चाहिए।

माता-पिता अपने लडको की विद्या के बारे में सोचते समय ये तीन विचार सामने रखेंगे, तो उन्हें बहुत सुख हासिल होगा। माता-पिता को इसी बात से सुख मिलता है कि उनके बच्चे सुखी और समर्थ हो और लोगो में उनके लिए इज्जत हो। केवल लडको को नौकरी मिल गयी और उनकी शादी वगैरह का इतजाम हो गया, तो उनके लिए सारी व्यवस्था हो गयी, यह मानना ठीक नहीं है।

तेरुवली, कोरापुट (उडीसा)

२० अगस्त १९५५

चौबीस घंटे आनन्द

: ५८ :

विद्या का लय

विद्यालय के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ यह है कि जहाँ विद्या का लय होता है, विद्या लोप होती है। दूसरा अर्थ यह है कि जहाँ विद्या का स्थान है, घर है, निवास है।

पहले अर्थ के विद्यालय तो हमारे देश में हजारों हैं। लोग खुद पढते हैं, परीक्षा देते हैं, मानो कोई जुलाव ले लिया हो। वैसे ज्ञान का रेचन हो जाता है, सारा ज्ञान खतम हो जाता है। जिस विद्यार्थी को परीक्षा में सौ में से अस्सी अंक मिले थे, उसे पन्द्रह दिन के बाद कुछ प्रश्न पूछे गये, तो वह फेल हो गया। हमने ही उसकी यह परीक्षा ली थी। उस लडके ने हमसे कहा कि पन्द्रह दिन के बाद हम बहुत भूल गये हैं। परीक्षा के लिए बहुत-कुछ तैयार कर रखा था। परीक्षा की तारीख अगर अठारह होती और परीक्षा सतरह तारीख को होती, तो भी दस-बीस अंक हमें कम ही मिलते। यह बात सब शिक्षक जानते हैं कि हमारे विद्यालय में विद्या का लय होता है। लेकिन वे तो कहते हैं कि हमने अगर सौ रुपये विद्या दी होगी और तीस रुपया विद्या शिष्य को मिल गयी, तो भी बहुत मिल गया। हम उसे पास करते हैं।

विद्यालय का कार्यक्रम

विद्यालय का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, यह सवाल है। उसका सूत्र हम बता देते हैं।

विद्यालय में परमेस्वर का आनन्दस्वरूप प्रकट होना चाहिए ईश्वर के रूप तो अनन्त है, पर उसके तीन रूप बड़े प्रसिद्ध हैं। एक है सत्य, दूसरा है चित् याने ज्ञान और तीसरा है आनन्द। कर्मयोग में, ससार में, जीवन में मन्थ प्रधान होता है। ज्ञानियों की गुहा में और विद्वानों के पुस्तकालय में ज्ञान प्रधान होता है। भक्ति मार्ग में आनन्द प्रधान होता है। विद्यालय याने भक्ति-मार्ग, याने यहाँ हर चीज जो की जायगी, वह आनन्द के लिए ही की जायगी।

भोजन का आनन्द

खाने में तो जो भक्ति-मार्ग से बाहर है, वे भी आनन्द महसूस करते हैं, परन्तु रसोई में आनन्द नहीं महसूस करते। लेकिन शाला में तो वच्चे आनन्द के लिए रसोई बनायेंगे। उसमें उन्हें खूब आनन्द आयेगा। रोटी कैसे फूलती है, यह देखकर उन्हें बहुत आनन्द आयेगा। लकड़ी जल रही है और दूध उफन रहा है, यह देखने में उनको बड़ा मजा आयेगा। गोल-गोल घुमाते हैं, तो रोटी कैसे गोल-गोल बनती है, चावल पकते हैं, तो पतली में वे कैसे नाचते-कूदते हैं, यह सारा देखने में वच्चों को बहुत मजा आयेगा। यह नाग आनन्द उपभोग करने के लिए वे लोग रसोई करेंगे और खायेंगे भी आनन्द के लिए। आनन्द के लिए माप-तौलकर खायेंगे। अगर तरकारी में माप-तौलकर नमक न डाला हो, बहुत नमक डाल दिया हो, तो आनन्द कैसे मिलेगा? तरकारी तब अच्छी लगती है, जब माप-तौलकर उसमें नमक डाला गया हो। भोजन को पेट में खूब ठूस दो, तो फिर आनन्द नहीं

होगा। पेट दुखेगा, फिर रोना पड़ेगा, डॉक्टर को बुलाना होगा। ये सब तकलीफें हम भोगना नहीं चाहते। हमारा भोजन आनन्द के लिए होगा। दूसरे लोग खाते हैं, तो उन्हें जसी बहुत तकलीफ होती है, वैसा हम नहीं करेंगे। भोजन के बाद हम बड़े मजे में वरतन माँजेंगे।

सोने का आनन्द

आलसी लोग रात को दस-दस, ग्यारह-ग्यारह बजे तक जागते हैं, सिनेमा देखते हैं और कष्ट सहन करते हैं। जैसे कष्ट हम नहीं सहन करेंगे। हम बराबर आठ बजे प्रकृति की गोद में आनन्द के लिए सो जायेंगे। अभागे लोग रात में देर से सोयेंगे, फिर सपने देखेंगे, मानो राक्षस उनकी छाती पर बैठा हो। हम तो ऐसी सुन्दर निद्रा लेंगे कि सपना ही नहीं देखेंगे। बड़ा आनन्द आयेगा। हमारा कार्यक्रम बड़े आनन्द का होगा। साढ़े आठ बजे घण्टी बजी कि हम फौरन सोये।

बोधगया में सर्वोदय-सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर दिनभर तो बड़ा ज्ञान का तमाशा चला, रात में लोगो ने आनन्द करना चाहा। बोले, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। हमने पूछा, कब से चलेगा? बोले, आठ बजे शुरू होगा और दो घण्टे चलेगा। हमने उत्तर दिया कि उसमें हम नहीं जाना चाहते। हमारे लिए दो घण्टे का सांस्कृतिक कार्यक्रम नाकाफी है। हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आठ बजे शुरू होगा और तीन बजे तक चलेगा, सात घण्टा हम बराबर नींद लेंगे। सबसे बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम यह है। सोने का आनन्द नहीं खोना चाहिए।

ब्रह्मवेला का आनन्द

चार वजे सुबह उठने का कार्यक्रम भी कितना आनन्द का है। ठण्ड में उठेंगे और दौड़ेंगे। फिर ठण्ड भी दौड़ेंगी। हम सोते हैं, तो ठण्ड भी हमारे साथ सोती है। शरीर थरथर कांपता है। हम बैठते हैं, तो ठण्ड भी हमारे पास बैठती है। हम दौड़ना आरम्भ करते हैं, तो ठण्ड भी दौड़ जाती है। सुबह उठने में और दौड़ने में उत्साह आता है। इसलिए सुबह उठने का आनन्द और फिर दौड़ने का आनन्द हम नहीं छोड़ेंगे।

नाश्ते का आनन्द

सूर्योदय के बाद शरीर स्वच्छ करेंगे। आँख, कान, नाक धोयेंगे। गृहर के लोग तो मुँह धोने के पहले ही चाय पीते हैं। कल का वरतन अगर माँजा नहीं, तो उसीमें पकायेंगे। यह कैसे चलेगा? हमारा मुँह भी तो एक वरतन है। ऐसा गन्दा मुँह रखकर लोग चाय पीते हैं। फिर दाँत विगटते हैं, पस बहता है और वह खाने में पेट के अन्दर चला जाता है। सुन्दर-सुन्दर मिठाई के साथ पस भी अन्दर चला जाता है। फिर बीमारी आती है। तब नीवत आती है दाँत निकालने की। इसलिए सुबह उठकर शरीर को स्वच्छ-निर्मल करेंगे। उसके बिना खायेंगे नहीं। स्वच्छ होकर हम थोड़ा जलपान करेंगे। पचास चीजे पेट में नहीं डालेंगे। पचास प्रकार डालेंगे, तो पेट को मालूम ही नहीं होगा कि क्या काम करना चाहिए। एक ही हड्डी में तरकारी, दाल, गेठी, सब डालेंगे, तो कैसे पकेगा? कोई चीज दो घण्टे में पकती है। कोई चीज ऐसी होती है, जो चार घण्टे में पकती है और कोई चीज ऐसी

होती है, जो छह घण्टे में पकती है। दाल-भात खा लिया, तो चार घण्टे में पचेगा। दूध दो घण्टे में पचेगा। पचने के लिए अलग-अलग समय लगता है। सारी चीजें एकदम पेट में डालते हैं, तो बड़ी गडबड हो जाती है। इसलिए सुबह के नाश्ते में कुछ हलका-सा खाना चाहिए।

खेती का आनन्द

खाने के बाद हम कुदाल लेकर मजे से खेत में जायेंगे। खूब खेती करेंगे। मजेदार खेती आयेगी। बोना है, पीघा है, तो पानी देना है, कहीं काटना है, कहीं इधर की मिट्टी उठाकर उधर डालनी है। खेत में कहीं टीला है, कहीं गड्ढा। यह कैसे चलेगा? टीले को तोड़कर सब समान बनाना होगा। बचपन में ही बच्चे यह काश्त करने का आनन्द सीखेंगे, तो बड़े होकर दूसरा आनन्द भी उन्हें मिलेगा।

पढ़ाई का आनन्द

फिर थोड़ा पढ़ने का आनन्द होगा, लिखने का आनन्द होगा, कुछ थोड़ा याद रखने का आनन्द होगा, सगीत-पढ़ने का आनन्द होगा, चित्रकला का आनन्द होगा। इस तरह कुल मिलाकर चौबीस घण्टे आनन्द का कार्यक्रम होगा। इसको कहते हैं, भक्ति-मार्ग। यही विद्यालय का कार्यक्रम होगा।

छुट्टी का सवाल ही नहीं

आज तो लोग बच्चों को आठ घण्टे मिल मे ठूस करके, खानो में डाल करके उनसे काम लेते हैं। याने सुबह आठ बजे

से शाम को चार बजे तक दुःख का कार्यक्रम। उसके बाद कहते हैं, एक घण्टा आनन्द करो और खेलो। स्कूल में न हाथ को काम है, न पाँव को। लगातार बैठे रहते हैं। पाँच-पाँच घण्टे बैठने से बच्चे बेचारे तग आ जाते हैं। छह दिन स्कूल होता है, तो ये लोग सोचते हैं कि दे दो इनको एक दिन की छुट्टी। याने छह दिन कुट्टी और एक दिन छुट्टी। हम कहते हैं कि यह हमारा स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ कुट्टी नहीं रहेगी। इस तरह हमारे जीवन का आनन्दमय कार्यक्रम रहेगा।

कुजेन्द्री, कोरापुट (उड़ीसा)

२६ मितम्बर १९५५



Jain Vishva Bharati University
Accession No. 16.9.9

